राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] ग्यारहवीं विधान सभा के छठे सत्र का पच्चीसवां दिवस [संख्या : 11

शुक्रवार,
20 अप्रेल, 2001

राजस्थान विधान सभा की बैठक

11:00 राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरणों के निस्तारण हेतु समय सीमा

३४३. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हां, तो गत पांच वर्ष या इससे अधिक समय से किन–किन के विरुद्ध क्या–क्या कार्यवाही कब से चल रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था है कि अधिकतम कितने समय में विभागीय कार्यवाही सम्पन्न होनी चाहिए ? यदि हां, तो क्या व्यवस्था है और नहीं, तो क्या ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ?

(3) क्या यह सही है कि लम्बा समय लगने के कारण उक्त कार्यवाही का औचित्य ही बदल जाता है ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं और नहीं, तो क्यों ?

कार्मिक मंत्री (श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) जी, हां। गत पांच वर्षों से या इससे अधिक समय से लम्बित विभागीय जांच प्रकरणों के विवरण की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जांच में लगने वाला समय जांच विशेष की विशिष्टताओं यथा जांच में आरोपितों की संख्या, आरोप व गवाह की संख्या आदि पर निर्भर करता है। फिर भी राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी कर जांचों, को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिये हुए हैं।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने इसके साथ जो परिशिष्ट दिया है उसमें 12 साल से जांच पैंडिंग है। आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई समय सीमा नहीं हो तो इनका अंत कब आयेगा। इसमें नम्बर एक, दो, तीन, चार और सात, ये 1990–91 की पांच जांचें एक ही आदमी की है, 12 साल से वह जांच पूरी नहीं होने दे रहा है। तो सरकार द्वारा ये जांचें खोलने का क्या औचित्य हुआ ?

दूसरा, आपने प्रश्न के भाग–दो में 'जी नहीं' कहा है कि नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, इसका क्या औचित्य हुआ ? आप किसी मामले विशेष में छूट देने, समयावधि बढ़ाने की कोई व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन यह तो खूली छूट है। यह तो 20 सालों में भी नहीं होगी। एक आदमी ने 12 साल तक आपकी सारी जांचें रोक रखी है और फिर आप कह रहे हैं कि नियमों में ऐसी व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है। फिर आपने इसमें उत्तर यह भी दिया है कि फिर भी राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी करके जांचें शीघ्र निपटाने के निर्देश दिये गये हैं। जब शीघ्र निपटारे के समय की आपकी कोई सीमा नहीं है तो फिर आपने निर्देश किस बात के दे दिये ?

तीसरे, में आपने कहा है 'जी नहीं'। मेरा इसमें यह था कि समय ज्यादा लगने के कारण उस जांच का महत्व खतम हो जाता है। अब आप कह रहे हैं कि गवाहों के बयान लेने में टाइम लगाता है। 12 साल में कई गवाह तो मर गये होंगे। कोई तो आप समय सीमा निश्चित करिये, एक आदमी की पांच–पांच जांचें 12 साल से पैंडिंग पड़ी हुई हैं, फिर उस आदमी से आप क्या करवा रहे हैं, क्या करना चाहते हो उसका ? कोई आदमी अगर थोड़ी सी भी चूक कर दे तो अनिवार्य सेवा निवृत्ति दे दो। 12 साल से जांच जांचें 16 सीसी में पैंडिंग हैं, उसके बाद भी आप उसको बढ़ाये जा रहे हैं। उसकी जांच पूरी नहीं कर रहे हैं, न उसको सेवा निवृत्त कर रहे हैं या सेवा निवृत्ति हो गयी है, यह भी आप बता दें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि 1998 में कार्मिक विभाग में 78 केस पैंडिंग थे उसमें से आज तक 65 का निस्तारण किया जा चुका है। अभी वर्तमान में जो 27 मामले पैंडिंग हैं उनमें जांच अधिकारी के पास 13 मामले विचाराधीन हैं। जब तक जांच अधिकारी इनके बारे में रिपोर्ट हमको नहीं देते हैं, कार्मिक विभाग इसके बारे में आगे कार्यवाही उनके बिना नहीं कर सकता है। कार्मिक विभाग के पास केवल 6 मामले जो अभी हाल ही में आये हुए हैं, पैंडिंग हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग जो सजा देते हैं, उनकी राय हेतु 2 मामले भेजे गये हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से सूचना के क्रम में दो मामले हैं। प्रशासनिक विभाग से जो संबंधित विभाग हैं उनकी टिप्पणी चाही गयी है, ऐसे मामले

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

चार हैं। इस प्रकार कुल 27 प्रकरण पैंडिंग हैं और 22 अधिकारी इनमें इन्वाल्व हैं।

माननीय सदस्य ने इस प्रक्रिया में डिले क्यों होता है इसके बारे में जो जानकारी चाही है, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। खास तौर से जब कोई भी मामला कार्मिक विभाग के पास आता है तो कार्मिक विभाग उस पर आरोप–पत्र तैयार करके भेजता है और आरोपित अधिकारी अपना रिप्लाई देता है। उसका परीक्षण करने के पश्चात् कार्मिक विभाग इन्क्वायरी आफिसर को नियुक्त करता है। जैसे कोई में मुकदमे चलते हैं उसी तरीके से कितने गवाह हैं, कितने लोग उसमें बार–बार दस्तावेज, रिकार्ड वगैरह मंगाते हैं। उसके आधार पर इन्क्वायरी आफिसर के पास ज्यादा समय लगता है। कार्मिक विभाग के पास 78 मामले 1998 में पैंडिंग थे, उसके बाद 65 मामलों को निस्तारण हमने पिछले दो वर्ष और कुछ महीनों के अन्दर–अन्दर किया है।

जहां तक इनका यह कहना कि जांच का औचित्य क्या है, निश्चित रूप से जब जांच चल रही हो तो उस व्यक्ति का प्रमोशन रुक जाता है, उसको कोई पदोन्नति नहीं मिलती है और यदि कोई व्यक्ति रिटायर भी हो जाता है तो उसकी पेंशन वगैरह रोक दी जाती है। कई मामलों में तो हमने अधिकारियों के दोष को देखते हुए पूरी की पूरी पेंशन रोकी है। कहीं पर 10 परसेंट, कहीं पर 20 परसेंट, आरोपित अधिकारियों के ऊपर जितनी आरोप की गंभीरता है उसके आधार पर यदि कोई सेवा निवृत्त भी हो जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मेरे तो एक भी प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। इन्होंने यह कहानी बता दी कि 1998 में कितने थे। मैंने सिर्फ 27 का पूछा है, अगर 27 में आपके पास डिटेल हो तो एक–एक मामले का बता दीजिये। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने बताया न।

श्री हरजीराम बुरड़क : आप एक मिनट सुन लीजिये, पूरी बात सुन लीजिये। मैंने यह पूछा है कि इतना लम्बा समय लगने का औचित्य क्या है ? आप नियमों में यह व्यवस्था क्यों नहीं करते कि इतने समय में इनक्वायरी हो जायेगी ? अगर कोई मामला विशेष हो तो आप छूट देने का पावर लीजिये। लेकिन खुली छूट दे देंगे तो ये 20 साल में भी नहीं निपटाएंगे। आरोप–पत्र देंगे, यह तो सबको पता है कि आरोप–पत्र देंगे तभी तो जांच अधिकारी जांच करेगा। यह आप नयी बात क्या बता रहे हैं ? यह सभी को पता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 12 साल से एक आदमी के पांच मामले पैंडिंग हैं और आपने कुछ नहीं किया। आप यह बताएं, वृद्धिचन्द का क्या है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 27 जो प्रशासनिक अधिकारियों के

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

मामले के बारे में पूछा है इसमें मैंने आपको बताया कि जांच अधिकारी के पास 13 प्रकरण विचाराधीन हैं और राजस्थान लोक सेवा आयोग की राय हेतु 27 में से 2 प्रकरण गये हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह मैं पूछ ही नहीं रहा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग की राय हेतु भेजे गये 2 केसेज हैं। आपने जहां तक...(व्यवधान) एक मिनट, मैं बता रहा हूं, वृद्धिचन्दजी के बारे में नियम 16 के अन्तर्गत मामले हैं जो 1990 में एक तरह से जांच प्रारम्भ की गयी। इसी तरीके से दूसरा है 27–4–1991 का, तीसरा है 4–7–1991 है। इसमें कार्मिक विभाग की तरफ से कहीं डिले नहीं हुई है। जैसे ही हमारे पास में...(व्यवधान) आयेगी, हम इस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं तो यह पूछ रहा हूं कि...(व्यवधान) डिस्पोजल क्यों नहीं हुई ? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट, बुरड़क साहब, लैट मी कम्प्लीट। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने यहां भेज दिया, उन्होंने भेज दिया, लोक सेवा आयोग को लिख दिया...(व्यवधान) मैं तो यह पूछ रहा हूं कि इस प्रकरण में देरी क्यों हो रही है (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपको बताया हमें 78 पैंडिंग मामले मिले उसमें से 65 मामलों को निपटा दिया। इसका मतलब विभाग अपने तरीके से काम कर रहा है। समय–समय पर हमने कई परिपत्र जारी करके इस प्रक्रिया को तय किया है कि कहां–कहां कितना समय लगना चाहिये। मैं व्यक्तिगत रूप से जहां भी ये पैंडिंग हैं, इनको दिखाऊंगा और इनको जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : आप उत्तर तो यह दे रहे हैं कि यह व्यवस्था नियमों में करनी जरूरी ही नहीं है, फिर परिपत्र किस बात के भेजे ? कितना समय कहां लगना चाहिये, यह तो नियमों में होना चाहिये। इसमें परिपत्र क्या है ? मैं सिर्फ 27 मामलों का पूछ रहा हूं, विशेष रूप से इन पांच का, आपने अब तक इसमें क्या किया है ? कहीं तो कोई समय सीमा हो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, कार्मिक विभाग के पास में यह मामला सीधा पैंडिंग नहीं है। इनक्वायरी आफिसर वगैरह से मैं पूरी जानकारी करके, इसको परस्यू करके जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयत्न करूंगा।

जहां तक इन्होंने 27 मामलों के बारे में जानकारी चाही, उसकी पूरी डिटेल इनको बता दी कि कहां–कहां कौनसे मामले पैंडिंग हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पास दो मामले पैंडिंग हैं, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से चार मामलों में टिप्पणी चाही गयी है और

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

जांच अधिकारी के पास मामले हैं, आधे से ज्यादा। करीब–करीब 13 मामले उनके पास विचाराधीन हैं। यह तो माननीय सदस्य को एप्रिशिएट करना चाहिए कि हमको 78 मामले पैंडिंग मिले थे उसमें से...

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं तो पांच साल से पुराने पूछ रहा हूं। पांच साल वालों को तो आपने सुलटा दिया और बारह साल वालों को आपने टच ही नहीं किया, मैं तो यह पूछ रहा हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसमें ऐसे–ऐसे मामले थे जो 12–12 साल हो गये, इनमें ऐसे अनेक मामले पैंडिंग थे, उनको हम लोगों ने निपटाया है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह एक अधिकारी जिस पर पांच मुकदमे पैंडिंग हैं...

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी कार्मिक विभाग का नाम लगाकर जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते। कार्मिक विभाग प्रशासनिक विभाग है इन्क्वायरीज के लिए, इसलिये आपसे सवाल पूछा है लेकिन आप जवाब सरकार की तरफ से दे रहे हैं। पूरा यह कह कर आप एब्जाल्व नहीं हो सकते कि हमारे लेवल पर डिले नहीं है, एक बात।

दूसरी बात, क्या आप यह आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं कि कुछ समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए ? मैं स्पष्ट रूप से, मंत्रीजी, आरोप लगाता हूं, आपके ऊपर नहीं लगाता हूं लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं उन पर जो सरकार के अधिकारी हैं, आपने देखा यह डबल एजेड कीपन है, ब्लेड है। It cuts both the ways. जिन लोगों की पैंडिंग इन्क्वायरीज हैं उनको आप प्रमोशन नहीं देते हैं। उनमें से कई निर्दोष भी हो सकते हैं। अधीनस्थ कर्मचारियों से नाराज होकर डी. ई. खोल दी, उसका न तो प्रमोशन हुआ, न उसको कोई लाभ मिला, न आप निपटारा करते हैं। जो दोषी अधिकारी हैं उनको तो फाइनल स्टेज पर पनिशमेंट मिल जाएगा। उसको पैंडिंग रख देते हैं, मैं यह आरोप लगाता हूं कि यह जो डिले है उसका मूल कारण है कि यह मेलाफाइड है। ऊपर के अधिकारी जो इसको डील करते हैं, सैक्रेटरी लेवल पर या गवर्नमेंट लेवल पर, आप इसको सुधारने का कोई प्रयास करेंगे क्या ? क्या करेंगे आप ? क्या कदम उठाएंगे ? माननीय सदस्य बार–बार जो कह रहे हैं उसको आप अवाइड करने की कोशिश मत कीजिए। उनका क्लियर सवाल है कि आप नियमों में प्रावधान क्यों नहीं करते।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि 1998 में राज्य की विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों के

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

708 मामले पैंडिंग थे, इनमें से 661 मामलों में अंतिम आदेश जारी कर दिए गए। (व्यवधान) एक मिनट, आप सुन तो लें। (व्यवधान) ये मुकदमे आपके वक्त के पैंडिंग थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने ढाई साल में क्या किया ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : ज्यादातर आपके समय से पैंडिंग थे।

एक माननीय सदस्य : बार–बार एक ही बात क्यों रिपीट करते हो ? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक सैकण्ड, सुरेन्द्रजी, एक मिनट। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, आप स्वयं एक अच्छे एडवोकेट हैं, आप जानते हैं कि गवाहों को सुनने, अभिलेखों को देखने, इसमें कई बार आरोपित अधिकारी जानबूझकर ज्यादा समय लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पिछले दिनों में जो परिपत्र जारी किया गया है–उसकी कापी माननीय सदस्य लेना चाहते हैं, मैं दूंगा, उसके आधार पर काफी इसमें सक्रियता आई है और त्वरित गति से मामलों का निपटारा हुआ है। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो स्पेसिफिक केसेज आपने बताये हैं उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से दिखवाऊंगा और जल्दी से जल्दी इनका निपटारा कराने की कोशिश करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कुछ किया क्या आपने ? आज तक किसी इन्क्वायरी में इन्क्वायरी आफिसर या सैक्रेटरी के लेवल पर जिसने डिले किया है, किसी को पनिश किया है ? जब आप परिपत्र जारी करते हैं तो नियमों में प्रावधान करने में क्या दिक्कत है ? आप जिम्मेदारी क्यों नहीं फिक्स करते ? सुपरवाइजरी रेस्पोंसिबिलिटी तो किसी की होगी, किस लेवल पर डिले होता है... (व्यवधान)

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) :...एक्स. ईएन. को ए. ईएन. बनाया और कार्मिक विभाग के आदेश संख्या 9 दिनांक 31–3–2001 के तहत उसको एक्स. ईएन. पर प्रमोट करने के आदेश दिये लेकिन आपके डिपार्टमेंट ने पी.डब्ल्यू.डी. सैक्रेटरी के आदेश को नहीं माना। इस पर आप विचार करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह अलग से प्रश्न है। एक्स. ईएन. और ए.ईएन. का मामला है, यह अलग से प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी, सुपरवाइजरी रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स करने के लिये क्या आप तैयार हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भरोसीलालजी, आपका अलग से प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सुपरवाइजरी रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स करने के लिये गवर्नमेंट नियमों में प्रावधान करने को तैयार है क्या ? जब परिपत्र निकाल रहे हैं तो नियमों में प्रावधान करने में क्या दिक्कत है आपको ? आप नियमों में प्रावधान क्यों नहीं करते ?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जहां आप परिपत्र की बार–बार बात कर रहे हैं, आप नियमों में प्रोविजन क्यों नहीं करना चाहते हैं ? एक अधिकारी पर 1990–91 से पांच मुकदमे पैंडिंग हैं, 12 साल हो गये, मेरा सरकार पर सीधा आरोप है, यह अधिकारी पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार दोनों में क्या इतना हावी है कि उसकी जांच नहीं होती ? सरकार की जिम्मेदारी है, 12 साल तक कोई इन्क्वायरी आफिसर इन्क्वायरी करके नहीं देता तो आज तक ऐसे एक भी इन्क्वायरी आफिसर को आपने दण्डित किया है क्या ? यह बात आप परिपत्र से क्यों टालना चाहते हैं ? सरकार यह अधिकार रखना चाहती है कि जिसको बचाना चाहे उसको लिंगरआन करते रहो और जिस पर गाज डालना चाहे उसको उसके लिये कर दे। क्या सरकार की यह मंशा है कि नियम नहीं बनाकर जिसको चाहे उसको बचाएं ? इसलिये नियम नहीं बनाना चाहती ?

श्री अध्यक्ष : स्पेसिफिक सवाल पूछिए आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सरकार का किसी को बचाने का इरादा नहीं है। परिपत्र अपने आप में इतने सक्षम होते हैं कि इनके कारण इतने अधिक मामलों का निपटारा हुआ है।

श्री अमराराम (धोद) : नियमों में संशोधन करने में क्या दिक्कत है ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : नियम बनाने में क्या दिक्कत आ रही है ?

श्री अध्यक्ष : आप बीच में मत बोलो। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : 1990 से लेकर 1998 तक हमारी गवर्नमेंट नहीं रही, इन आठ साल के मुकदमे या मामले...

श्री सुरेन्द्र व्यास : इससे क्या मतलब है ? यू आर द गवर्नमेंट टुडे। आप हरेक बात में यह क्यों कहते हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप मुझे सुन तो लें। आप सुनने की कोशिश कीजिए। (व्यवधान) सुनिए। मुझे बड़ा अफसोस होता है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब तो ढाई साल से आप हो, अब दोषियों को क्यों बचाना चाहते हो आप ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक कोर्ट की इन्क्वायरी होती है, उस इन्क्वायरी में आप जानते हैं कि गवाहों को प्रस्तुत करना, अभिलेखों को देखना और सारे के सारे तरीके उसमें आते हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : अब तो ढाई साल हो गए, मंत्रीजी, अब क्या पोल छुपाएंगे उन अधिकारियों की ? आप कुछ कर नहीं सकते, बहाने बनाकर पिछली सरकार को +++ पिछली सरकार को +++ क्या

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

मतलब है ? मंत्रीजी, अब तो ढाई साल हो गए, आप कुछ करके दिखाइए। कुछ करने का बस नहीं, कब्ज भी हो जाता है तो बी.जे.पी. राज ने ही कब्ज कर दिया, ऐसा क्यों कहते हो ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : कल जूते दिखा रहे थे आप यहां पर ।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानदेवजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्षजी, जो 27 मामले बताए गए हैं उनमें एक को छोड़ कर सभी मामले 16 सी.सी.ए. के हैं। इसमें मेजर पैनल्टी होती है और ये तो सिर्फ पांच साल की अवधि के हैं, पांच साल से कम अवधि के इतने ही मामले और हो सकते हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि इस प्रकार की स्थिति में क्या सरकार...

श्री अध्यक्ष : एक 17 सी.सी.ए. का भी है।

श्री शिवनाथ सिंह : एक 17 सी.सी.ए. का है, बाकी सब 16 सी.सी.ए. के हैं। 16 सी.सी.ए. में मेजर पैनल्टी है और मेजर पैनल्टी जहां है उस आफिसर को आप किस पोस्ट पर रख रहे हैं ? पांच साल से मामले पैंडिंग पड़े हुए हैं तो क्या सरकार इस स्थिति से संतुष्ट हैं ? जो भी कुछ हो रहा है इन मामलों में, डिले हो रही है, उससे सरकार संतुष्ट है ? जिस प्रकार से पुराने मामले जो पैंडिंग हैं हाई कोर्ट, डिस्टिक्ट कोर्ट में उन मुकदमों को सुलटाने की नयी प्रक्रिया अपना रहे हैं तो क्या आप भी विभाग में ऐसी ही प्रक्रिया अपना कर जितने भी पैंडिंग मामले हैं लम्बे समय से, 10–12 साल से हैं, उनको निपटाने की चेष्टा करेंगे क्या ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छी जानकारी चाही है। पिछले दिनों सरकार ने एक अभियान चलाकर जो सेवा निवृत्त अधिकारी थे उनसे सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को बुलाकर अभियान की तरह पुराने केसेज को निपटाया। उसी का परिणाम था कि 708 राज्य सेवा अधिकारियों के जो विभिन्न प्रकरण थे उनमें से 661 के बारे में अंतिम आदेश जारी किए गये। राज्य प्रशासनिक सेवाओं से सम्बन्धित 78 मामले जो पैंडिंग थे उनमें अब तक 65 का निस्तारण किया जा चुका है। जहां तक आपने यह पूछा कि उनके लिए सरकार क्या अभियान चला रही है, तो 27 जो मामले राज्य सरकार के प्रशासनिक सेवाओं के थे उनमें से 26 तो 16 सी.सी.ए. और एक 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत पैंडिंग है। मैं स्वयं इसकी लगातार समीक्षा करूंगा। डिले क्यों होती है, इसके बारे में आप जानते हैं, कोर्ट की तरह प्रोसीडिंग...

श्री अध्यक्ष : पांच वर्ष से अधिक के हैं वे और भी हो सकते हैं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कुल मामले 51 हैं जो 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत हैं और 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत पांच हैं, 56 मामले टोटल पैंडिंग हैं। इनमें 69 नये हैं 1998 के बाद के। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इसे एप्रिशिएट करेंगे कि यह प्रोसीडिंग कोर्ट की तरह चलती है। कोर्ट की प्रोसीडिंग में सबसे पहले आरोपित को आरोपों से अवगत कराया जाता है, उसके बाद उसकी रिप्लाई आती है, फिर परीक्षण होता है और परीक्षण के बाद उसको इन्क्वायरी आफिसर के पास भेजा जाता है। इन्क्वायरी आफिसर की रिपोर्ट आने के बाद कई मामलों में विभाग की टिप्पणी प्राप्त की जाती है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के माध्यम से उनसे सलाह–मशविरा किया जाता है। जब उसको अंतिम दण्डादेश दिया जाता है तो उसके बारे में आर.पी.एस.सी. से राय ली जाती है उसके बाद अंतिम दण्डादेश जारी किया जाता है। क्योंकि यह कोर्ट की तरह प्रोसीडिंग है इसलिए इसमें विभाग की ओर से कहीं भी डिले नहीं हुई है। इन्क्वायरी आफिसर को भी समय–समय पर यह आगाह किया जाता है कि वह जल्दी से जल्दी इसकी जांच करके रिपोर्ट दे। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कई बार जांच में कई अधिकारी सम्मिलित होते हैं, बहुत से गवाह होते हैं, 50–50, 60–60 गवाह होते हैं उनमें काफी समय लगता है। मैं आपको यह विश्वास दिलाकर चलना चाहता हूं कि जिस तरीके से पहले पैंडेंसी निपटायी गयी है उसी तरीके से अभियान चलाकर इनको निपटाने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राजेन्द्र सिंह (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक जानकारी चाहूंगा, पहले तो आपने सदन को जानकारी दी कि 27 मामले हैं, अब आप 56 पर आये हैं। इन 56 प्रकरण में...

श्री अध्यक्ष : इन 56 में 27 तो वे हैं जिनको पांच साल से ज्यादा हो गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन 56 प्रकरणों में कितने प्रकरण ऐसे हैं जो राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भेजे, नम्बर एक ? नम्बर दो, इन 56 में कितने ऐसे हैं जिनके खिलाफ जांच विचाराधीन होने के दौरान ही वे सेवा निवृत्त हो गये ? क्या सेवा निवृत्त होने के पश्चात् आप उनके खिलाफ जो कार्यवाही करेंगे वह उतनी ही प्रभावी कार्यवाही होगी जितनी अगर वे सेवा में रहते तो होती ? नम्बर तीन, जो आरोपित लोग हैं वे लोग जिस स्थान पर इन पर आरोप लगे क्या उसी स्थान पर पदस्थापित हैं या दूसरे स्थान पर आपने इनको स्थानान्तरित कर दिया ?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : यह पूछ लो कि आपके जमाने के कितने हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोई बात नहीं, हमारे जमाने के थे तो हम इधर बैठे हैं। अब हमारे वाले रास्ते पर चलना चाहते हो तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मुख्य मंत्रीजी से पूछ लो। हमारे रास्ते पर चलना चाहो, तो आपका स्वागत है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, पांच साल से अधिक मामले तो 27 हैं और टोटल जो मामले आर.ए.एस. के पैंडिंग हैं उनमें 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत 51 और 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत 5 हैं। इस प्रकार टोटल 56 मामले पैंडिंग हैं। अब इनमें कौनसे भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के बारे में हैं यह आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं था। 27 के बारे में मैंने सदन को जानकारी दे दी है। (व्यवधान) एक मिनट, क्योंकि क्वेश्चन...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके पास शिकायत तो अनियमितता की आयी होगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट, आप मुझे सुन लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके पास इतनी–सी जानकारी नहीं है। आप भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात करते हो, आपको इतनी ही जानकारी नहीं है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के जिन अधिकारियों के खिलाफ सीरियस चार्जेज हैं उनमें ए.सी.डी. के पास जांच कितनी हैं, आपके पास जानकारी इतनी ही नहीं है तो क्या जानकारी दोगे ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं बता रहा हूं। जांच अधिकारी के पास विचाराधीन 13, कार्मिक विभाग के पास 6, राजस्थान लोक सेवा आयोग को राय हेतु भेजे गये नाम 2, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से सूचना के क्रम में 2, प्रशासनिक विभाग से टिप्पणी चाही गयी 4. ये सारी सूचनाएं मैंने सदन को बतायी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो 27 की जानकारी है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको मूल प्रश्न का ही पता नहीं है। मूल प्रश्न यही पूछा गया था कि पांच साल से...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुझे मूल प्रश्न का पता है, पर मुझे क्या पता कि आप इतना ही होमवर्क करके भी नहीं आएंगे। यह मुझे अंदाजा नहीं था।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा पूरा होम वर्क किया हुआ है, 16 सी.सी.ए. में 51 मामले पैंडिंग हैं और 5 मामले 17 सी.सी.ए. में पैंडिंग हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्रीमती सुमित्रा सिंह।

झुंझुनूं शहर स्थित दरगाह कमरुद्दीन की भूमि पर अतिक्रमण

244. **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (झुंझुनूं) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वर्ष 1964 में प्रकाशित सरकारी गजट के अनुसार झुंझुनूं शहर में स्थित दरगाह

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

कमरुद्दीन के अधीन खसरा नम्बर 3133, 34, 539, 540, 398, 1007, 1008 की कुल 187 बीघा 11 बिस्वा भूमि वक्फ सम्पत्ति की दर्ज बतायी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त वक्फ सम्पत्ति सुरक्षित है ?

(2) क्या यह सही है कि दरगाह कमरुद्दीन के सज्जादानशीन उक्त भूमि को कई व्यक्तियों को बेच रहे हैं ? क्या कई व्यक्तियों ने उक्त वक्फ सम्पत्ति पर अपनी निजी इमारतें निर्मित कर ली हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कम तक ?

राज्य मंत्री, वक्फ (श्री अब्दुल अजीज) : (1) जी हां, राजस्थान राजपत्र भाग 2 (क) दिनांक 24–2–1966 में खसरा नम्बरान 31, 33,34, 539, 540, 398, 1007, 1008 की कुल 187 बीघा 11 बिस्वा भूमि वक्फ भूमि वक्फ दरगाह कमरुद्दीन साहब झुंझुनूं में स्थित है। उक्त सम्पत्ति वर्तमान में 1994 अतिक्रमियों के कब्जे में है।

(2) जी हां। पिछले (गत) बोर्ड ने दरगाह कमरुद्दीन की उक्त भूमि को आदेश क्रमांक वक्फ/कमेटी/1908/95 दिनांक 2–12–1995 के अन्तर्गत (1) खादिम हुसैन शाह (2) खुर्शीद हुसैन (3) जमील अहमद (4) बशीर हुसैन को स्वयं के कब्जे में रखने तथा उसके उपयोग करने तथा अन्य व्यक्तियों को भी लीज तथा उप पट्टे पर देने हेतु अधिकृत किया है। किन्तु खसरा नम्बर 540 की भूमि में 19 व्यक्तियों को अवैध बेचान कर दिया गया है जिन पर रिहायशी मकानात बना लिए गये हैं।

(3) जी हां। वक्फ अधिनियम, 1995 में धारा 54 के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ द्वारा अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किये गये हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करें कि कौनसा खसरा नम्बर उन्हें बेचा गया या उसके लिये अधिकृत किया गया ? (व्यवधान) 540 तो नहीं किया गया। तो एक तो खसरा नम्बर बताइए कि ये जो खसरा नम्बर आपने ऊपर बताये हैं इनमें से कौनसे खसरा नम्बर पर उन्हें अधिकृत किया गया है या बेचा गया है ?

दूसरी बात, मैं मेरी जानकारी के लिए चाहूंगी कि क्या वक्फ बोर्ड इस प्रकार से किसी को जमीन बेच सकता है ? तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि इन अतिक्रमणियों के खिलाफ क्या आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कोई एफ.आई.आर. लाज करायी है ? नहीं करायी है तो क्यों ?

श्री अब्दुल अजीज : माननीय अध्यक्षजी,

(श्री अब्दुल अजीज)

यह बहुत कीमती जमीन है जिसके बारे में माननीय सदस्या ने चिंता जतायी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कीमती है तभी तो मैं कह रही हूं।

श्री अब्दुल अजीज : जिस भूमि के बारे में आप खसरा नम्बर जानना चाहती हैं वह खसरा नम्बर है 540.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने तो मुझे जवाब में यह कहा है "किन्तु खसरा नम्बर 540 की भूमि में 19 व्यक्तियों को अवैध बेचान कर दिया गया है।"

श्री अब्दुल अजीज : हां, वह खसरा नम्बर है 540.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इन्हें कौनसे खसरा नम्बर पर अधिकृत किया गया है, यह तो बताएं आप। 540 में तो आपने ही मान लिया है।

श्री अब्दुल अजीज : हां।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह तो आपने ही मान लिया है कि खसरा नम्बर 540 में अवैध बेचान किया है। इसका मतलब यह तो अलाट नहीं की ? फिर कौनसा खसरा नम्बर किया ? (व्यवधान) अवैध बेचान करने वाले के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री अब्दुल अजीज : नहीं, आप बताएं, आप क्या चाहती हैं ? (व्यवधान) 540 खसरा नम्बर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम तो पूर्णतः संतुष्ट हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं जो चाहती हूं...

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, खसरा नम्बर 540 को इन्होंने 19 आदमियों को बेचान किया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं यह पूछ रही हूं कि वक्फ बोर्ड ने कौनसे खसरा नम्बर का बेचान किया। 540 में अवैध बेचान कर दिया, यह तो मान लिया, लेकिन ऐसे बेचान कर सकता है क्या ? पहले मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या ऐसा कर सकता है ?

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, दरगाह कमरुद्दीन शाह रहमतुल्ला के खादिम जो उस मजार की देखरेख करते हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट पिछले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने किया। उसमें उनको अख्तियार दिया कि वे उक्त भूमि को सबलैट कर सकते हैं। लेकिन जहां तक वक्फ जायदाद का बेचने का सवाल है वह अख्तियार उनको नहीं है। इसलिए अवैध बेचान पर वक्फ बोर्ड और मैं इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस सारे प्रकरण को दुबारा वक्फ बोर्ड में देखा जाए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड क्या देखेगा ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, वक्फ बोर्ड तो देखेगा, मान ली बात।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट है कि जो वक्फ एक्ट 1995 में पार्लियामेंट ने पास किया है उस वक्फ एक्ट में शुरू से लेकर आज तक कहीं भी किसी भी धारा में यह प्रावधान नहीं है कि वक्फ की प्रापर्टी का बेचान किया जा सकता है। आप केवल उसको किराये पर दे सकते हैं, लीज पर दे सकते हैं, पहली बात।

दूसरी बात, आपने अपने जवाब में यह कही है कि पिछले वक्फ बोर्ड ने जो उसके खादिम हैं उनके साथ कोई एग्रीमेंट किया है। जब बेचा ही नहीं जा सकता तो बेचान का एग्रीमेंट तो टोटली नल एण्ड वाइड है। उसको आज तीन साल हो गये। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उस एग्रीमेंट को आपने रद्द क्यों नहीं किया ? जब आप स्वयं यह मान रहे हैं कि इतनी कीमती जमीन है, बिलकुल सर्किट हाउस, कलेक्ट्रेट और सिविल लाइन के पास है, करोड़ों रुपये की जमीन है, 19 लोगों को बेचान किया है, उनके नाम रजिस्ट्री हुई है, अढाई साल आपको सरकार में आये हो गये। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने इन अतिक्रमणियों के खिलाफ या जिन लोगों ने खरीदी है और बेची है उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराया है ? यदि कराया है तो कब कराया है ? और नहीं कराया है तो क्या आप उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराने का या अतिक्रमणियों से अतिक्रमण को खाली कराकर इस पवित्र दरगाह को संरक्षित और महफूज कराने का इरादा रखते हैं ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्षजी, दरगाह को इस प्रकार की कोई हानि नहीं है, दरगाह महफूज है लेकिन उस दरगाह के रखरखाव के लिये जो जागीर या लैण्ड रेवेन्यू दी गयी थी, उसका यह मसला है।

मोहम्मद माहिर आजाद : दरगाह नहीं, दरगाह प्रापर्टी की बात पूछ रहे हैं। 187 बीघा में से, माननीय अध्यक्षजी, आप भौतिक सत्यापन करो लें...(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : दरगाह के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : 17 बीघा जमीन भी सुरक्षित नहीं है। वहां बड़े–बड़े मकान बन रहे हैं और इसमें करोड़ों रुपये खाये गये हैं। मैं आपसे खुद यही पूछ रहा हूं कि वक्फ सम्पति आखिर स्टेट प्रापर्टी है, राजस्थान सरकार की सम्पति है, इसको सुरक्षित रखने के लिए आपने ढाई साल में क्या उपाय किये हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने आपको इस संबंध में बार–बार पत्र लिखा है।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, माहिर आजाद साहब और माननीय सदस्या सुमित्रा सिंहजी ने जो कहा है...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय,

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

इस प्रश्न को आगे के लिए स्थगित करिये, पूरी इंफार्मेशन नहीं है। मंत्रीजी के पास पूरी सूचना नहीं है, आप इसको स्थगित करिये। (व्यवधान) नाम तो बताइये, कि–किस के नाम रजिस्ट्री हुई है।

श्री अब्दुल अजीज : आप मुझे सुनेंगे ? अध्यक्षजी, ज्योंही हमको इस बात की सूचना हुई, एक श्री गुलाम सरवर खान जो दरगाह कमेटी के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन्होंने ज्यों ही मुझे इस बात की इत्तिला दी कि इस तरह का बेचान हो रहा है, मैंने जिलाधीश श्री एस.सी. भट्ट, झुंझुनूं को फौरन ही एक चिट्ठी लिखकर इस तरह की रोकथाम के लिए लिखा है। मैंने स्पष्ट लिखा है उसमें कि इस संबंध में वक्फ सम्पतियों के बेचान पर तुरन्त रोक लगाया जाना उचित होगा। कृपया सब रजिस्ट्रार को निर्देश दें कि दरगाह कमरुद्दीन शाह झुंझुनूं की वक्फ सम्पति की कोई रजिस्ट्री भविष्य में नहीं की जाए। मेरी राय यह भी उचित होगी कि नोटेरी को भी इस हेतु पाबंद किया जाए कि इस वक्फ जायदाद के बेचान में अधिकतर पावर आफ अटार्नी आदि तस्दीक करने में भी गुरेज करें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निहायत अदब के साथ माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत गंभीर मामला है, यह करोड़ों रुपयों की राज्य सम्पति है। इसमें रजिस्ट्री हुई है, जो बेचान किये गये, बाकायदा क्रय–विक्रय पत्र सब रजिस्ट्रार के यहां डीड हुई है। आप तो केवल 19 बेचान की ही बात करते हो, कम से कम वहां 53–54 रजिस्ट्री हुई हैं। वक्फ की जायदाद को, राज्य सम्पति को खादिम बेच रहे हैं, करोड़ों रुपये में बेची जा रही है और +++ आप कलेक्टर को एक चिट्ठी लिख रहे हैं, एस.सी. भट्ट को तो आये हुए सात–आठ महीने ही हुए हैं। ढाई साल में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस सम्पति को बचाने के लिए आपने क्या किया ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि इसमें वक्फ के अलावा कई विभाग संबंधित हो गये, इसमें सब रजिस्ट्रार हो गये, इसमें क्रय–विक्रय हुआ है, राजस्व विभाग है इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी अगर चाहे तो इस सम्पूर्ण घटनाक्रम की जांच कराकर जिन लोगों ने वक्फ की सम्पति का नाजायज बेचान किया है और इस पर अतिक्रमण कर रखा है, उस अतिक्रमण से आप उसको मुक्त करा सकते हैं। दरगाह तो एक छोटी–सी जगह में होती है, दरगाह का खर्चा चलाने के लिए 187 बीघा जमीन का आप फिजिकल वैरिफिकेशन कराएं, मौके पर 87 बीघा भी नहीं है, सौ बीघा जमीन बेच दी। इसलिए, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में राज्य की सम्पति को सुरक्षित रखना चाहते हैं कि आगे

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

के लिए ऐसी सम्पतियों को या देवस्थान की सम्पतियों को नाजायज तरीके से नहीं बेचें तो आपको इस सम्पूर्ण घटनाक्रम की जांच कराकर सख्त कदम उठाना पड़ेगा।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं समझता हूं, माननीय सदस्य को मालूम है कि पूरे राजस्थान में वक्फ की सम्पतियां हैं उन पर जगह–जगह पर अतिक्रमण हो रहे हैं, यह शिकायत लम्बे अर्से से चली आ रही है, हमने पहली बार यह काम किया है कि सर्वे करने के लिए कमीशन नियुक्त किया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : बहुत अच्छा काम है।

श्री अशोक गहलोत : जो कि पूरे राजस्थान में एक–एक वक्फ सम्पति का सर्वे करेगा। मैंने यहां तक अभी 15–20 दिन पहले मीटिंग करके कहा है कि आप एक वीडियोग्राफी करवाएं ताकि आगे अतिक्रमण नहीं हो सके। मेरी कोशिश रहेगी कि एक तरफ तो यह काम चले। दूसरी तरफ यह पेचीदा सवाल है क्योंकि इतने ज्यादा अतिक्रमण हो चुके हैं, शास्त्रीनगर काण्ड हम देख चुके हैं जयपुर के अन्दर, हम नहीं चाहते कि ऐसी घटना हो राजस्थान के अन्दर। जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, मैं डिवीजनल कमिश्नर को कहूंगा कि वे इसे अपने स्तर पर पहले देखें। क्या कार्यवाही हो सकती है, इसमें हम पीछे नहीं रहेंगे, यह मैं निवेदन करना चाहूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, मेरा तो एक इतना–सा निवेदन है कि यह पैसा दरगाह खादिम खा गये।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप उनको तोड़ नहीं सकते लेकिन जिस रेट पर रजिस्ट्री करायी वह पैसा सरकार के पास तो आवे, वक्फ बोर्ड में तो आवे। हम तो आपके फायदे की बात कर रहे हैं, आपकी मंशा की बात कर रहे हैं। अच्छा है आपने सर्वे के लिए किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। 1965 के बाद वक्फ जायदादों का सर्वे नहीं हुआ था, आपने एक अच्छा प्रयास किया है लेकिन जो कब्जे हो गये इन कब्जों को हटाने के लिए क्या किया ? इन अतिक्रमियों में कुछ तो उस तरह से उस सम्पति को बेचते ही चले जाएंगे और जो बाकी बची हैं उसको भी बेच देंगे। आप तो स्पेसिफिक यह बताएं कि इन अतिक्रमियों और जिन्होंने नाजायज खरीदी हैं उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराकर कोई कार्यवाही करेंगे ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय वक्फ मंत्रीजी, आप यह बताएं...(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : मुख्य मंत्रीजी ने बहुत साफ तौर से कह दिया है...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप जो कह रहे हैं, वह नहीं है। (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : डिवीजनल कमिश्नर को मुकर्रर कर दिया है, मुख्य मंत्रीजी ने एलान कर दिया है, इसके बारे में।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप एफ.आई. आर. दर्ज कराइये न इनके खिलाफ जिन्होंने नाजायज कब्जे कर रखे हैं या जिन लोगों ने ब्रीच आफ कांट्रेक्ट किया है, बेचा है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं सिर्फ एक बात, मुख्य मंत्रीजी, आपके नोटिस में डालना चाहता हूं कि यह विवाद अतिक्रमण से अलग हटकर है। कानून में वक्फ सम्पति को बेचने का कोई प्रावधान नहीं है, इसके बावजूद यह बहुमूल्य सम्पति वहां के खादिम ने बेची है। मेरी समझ में कानून में इस बात का प्रावधान है कि यदि वक्फ की सम्पति...

श्री अध्यक्ष : एक खसरा नम्बर की ही बेची है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, नहीं, साहब, सारे की बेच दी है, एक खसरा नम्बर की ही नहीं। यह तो यह जानकारी दे रहे हैं कि सारे खसरा नम्बरों की बेची है। आप जांच करा लें, सारे खसरा नम्बरों की बेची है और वहां बड़े–बड़े मकान बन गये।

श्री अध्यक्ष : 540 की बेची है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, नहीं 540 की नहीं, साहब, सब की बेच दी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सब की बेच दी, साहब, मैं कह रही हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : रजिस्ट्री का नाप है जो खसरा नम्बर 540 तक है, बाकी और जमीनों पर भी अतिक्रमण हुआ है, उनमें एग्रीमेंट के आधार पर करा रखे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पर बेची नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : साहब, अतिक्रमण पर मकान बना लिये। एग्रीमेंट करके बेची है उसकी तो रजिस्ट्री हो गयी, पूरी बेच दी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी के आश्वासन के बाद में यदि कोई...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक छोटी–सी जानकारी यह चाही है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, अध्यक्ष महोदय, गैर कानूनी कार्यवाही है। अध्यक्ष महोदय, जिसने गैर कानूनी काम किया उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराने में क्या दिक्कत आ रही है ? उन्होंने तो केवल एक नोटिस दे दिया।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर।

मोहम्मद माहिर आजाद : नोटिस से क्या होता है ?

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल एक नोटिस दे देने से क्या होता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक छोटी–सी जानकारी जानना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी, आपने जिला कलेक्टर, झुंझुनूं को पत्र लिखा और अगर आपने पत्र में यह लिखा कि...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य मंत्रीजी एक बात के लिए आश्वस्त कर दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस जायदाद पर रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। उसके पश्चात् भी आपके पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और रजिस्ट्री हुई। आपके प्रति तो जिला कलेक्टर की जो मंशा है वह सामने आ गयी, अब आप जिला कलेक्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही करने की इच्छा रखते हैं ? आपके पत्र की कीमत क्या है ? आपके जिला कलेक्टर ने आपके पत्र को पूरा पढ़ा नहीं और आपके पत्र के पश्चात् रजिस्ट्रियां हो गयीं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, बता दीजिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : जो विषय वैधानिक रूप से प्रभाव शून्य है तत्काल आप उन जमीनों का कब्जा करेंगे, एक बात। खादिम ने अपने पद का दुरुपयोग करके वक्फ की सम्पति गैर कानूनी रूप से बेची, क्या आप उसको हटाकर दूसरा खादिम नियुक्त करेंगे ? इन दो बातों का जवाब दीजिये।

श्री अध्यक्ष : जांच के बाद।

श्री अब्दुल अजीज : इसके लिए चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर ने...

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री ज्ञानदेव आहूजा।

ग्राम पंचायत बहादुरपुर (अलवर) के कार्य क्षेत्र में व्यवधान

245. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम पंचायत के सरपंच के काम में जिला प्रशासन बाधा उत्पन्न कर सकता है ?

(2) क्या तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति के बाद भी प्रशासन काम को रोक सकता है ?

(3) क्या ग्राम पंचायत बहादुरपुर विधान सभा क्षेत्र खैरथल में प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के सरपंच ग्राम पंचायत को काम नहीं करने दिया ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाएगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार जांच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

पंचायती राज मंत्री (श्री सी. पी. जोशी) : (1) जी नहीं।

(2) जी हां। शिकायत या अनियमितताओं को ध्यान में लाये जाने पर कार्य रोकने के

(श्री सी. पी. जोशी)

निर्देश दिये जा सकते हैं।

(3) जी हां। स्थानीय विरोध के मध्यनजर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 9–1–2001 को ग्राम पंचायत को निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिये गये। जी नहीं। इस संबंध में जिला प्रशासन अपने स्तर पर निर्णय लेने हेतु सक्षम है।

(4) जी नहीं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी ले रहा हूं, भाग संख्या एक में जहां आप कह रहे हैं मेरे प्रश्न के जवाब में कि 'जी नहीं', दूसरी तरफ भाग संख्या दो में आप कह रहे हैं कि जिला प्रशासन उसमें हस्तक्षेप कर सकता है अनियमितता या शिकायत पर। अनियमितता तो इसलिए सरपंच साहब ने नहीं की क्योंकि काम प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के बाद चालू ही नहीं हुआ और कोई शिकायत थी नहीं। लिखित में कोई शिकायत आज तक भी नहीं है, किसी प्रकार की शिकायत नहीं है।

जो भाग संख्या–तीन में आपने कहा है कि बाद में विकास अधिकारी ने वहां खड़े होकर दिनांक 9–1–2001 को काम प्रारम्भ करवाया, यह बात बिलकुल गलत है, तथ्यों से परे है। माननीय मंत्री महोदय, जो जानकारी दी गयी है, वह अधूरी है। विकास अधिकारी महोदय वहां मौके पर नहीं थे, विकास अधिकारी वहां गये ही नहीं, बी.डी.ओ. साहब का पता ही नहीं, जे.ईएन. पंचायत समिति का पता ही नहीं। यह जो गड़बड़ की गयी है, जिला प्रशासन में पूर्व कलेक्टर थे श्रीमान् बी. एन. शर्मा साहब, उनके समय में यह बात थी, लेकिन उन्होंने कोई इस संबंध में कार्यवाही नहीं की। बाद में जो कलेक्टर आये, यहां बैठे हुए कैबिनेट मंत्री जो कामां से विधायक भी हैं, उनके दबाव में वहां एक एस.डी.एम. हैं जो इन्हीं के समुदाय के हैं और एक एडिशनल एस.पी. इन्हीं के समुदाय के हैं और जिला अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी के इन्हीं के समुदाय के हैं...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह बात क्या हुई ? यह अगर इस तरीके से आप समुदाय में बांटना चाहते हो प्रदेश को और देश को, यह कार्यवाही से निकाला जाए शब्द। इसमें समुदाय क्या होता है ? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप मुझे पूरी बात कहने दीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : समुदाय किस बात का है, क्या समुदाय होता है ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मुझे पूरी बात कहने दीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : समुदाय किस बात का है, क्या समुदाय होता है ? इस तरीके से तो हम भी कहेंगे कि यह फलानां

(मोहम्मद माहिर आजाद)

समुदाय का है, यह ढिमके समुदाय का है। यह इस तरीके से परम्परा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान के पवित्र सदन में मत डलने दीजिये आप। (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन :...यह बेबुनियाद है, बिलकुल गलत बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या ? क्या ?

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या हुआ समुदाय ? इसको निकलवाइये कार्यवाही से आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप पूरी बात कहने दीजिये मुझे।

मोहम्मद माहिर आजाद : कोई न कोई किसी न किसी समुदाय का तो है, आप पूरे समुदाय के ऊपर इस तरीके से आक्षेप लगाना चाहते हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उनके दवाब में आकर, माननीय अध्यक्ष महोदय, एडिशनल एस. पी. ने, ए. डी. एम. ने, आपके अधिकारी थे नहीं....

मोहम्मद माहिर आजाद : यह बिलकुल गलत परम्परा है इस सदन में जो डालना चाहते हैं। आप किस समुदाय के हो ? आप क्या मानव नहीं हो ? (व्यवधान) और आप नारा लगाते हो कि हम भारतीय हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा :...और वहां ए.डी.एम. और एडिशनल एस.पी. ने जाकर यह निर्माण कार्य करवाया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विकास अधिकारी के अभाव में कार्यवाही हुई, वह अवैध कार्यवाही हुई, अवैध निर्माण हुआ है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप इस तरह से समुदाय में बांटना चाहते हो इस प्रदेश को और देश को, नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदय, आप यह कार्यवाही से निकलवाइये अभी। कार्यवाही से निकलवाइये इस बात को, उसके बाद में डिस्कशन होगा। (व्यवधान) ये अगर इस तरह से समुदाय में बांटना चाहते हैं, यह कैसे चलेगा। हम सबकी एक जाति है, फिर समुदाय क्या होता है ? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप पूरी बात कहने दीजिये। आप अपनी बात कहिये, मुझे अपनी बात कहने दीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आसन से कह रहा हूं, आपसे बात करना तो मैं फिजूल समझता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मुझे अपनी बात कहने दीजिये। (व्यवधान) आप पूरी साम्प्रदायिकता दिखाओगे। (व्यवधान) मुझे पूरी बात कहने दीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस तरीके से बात करके राजस्थान में जिस तरह की साम्प्रदायिकता है, इस सदन के अन्दर ये लोगों को साम्प्रदाय में बांटना चाहते हैं, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) यह क्या तरीका होता है ? (व्यवधान) इस तरीके की

(मोहम्मद माहिर आजाद)

बात को कहकर, यह क्या हुआ सम्प्रदाय की बात...नहीं, यह बिलकुल गलत बात है। हम सब एक जाति के हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर :...जिन्दा जलाया गया है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह हिन्दू समुदाय, यह मुस्लिम समुदाय, यह सिक्ख समुदाय, यह ईसाई समुदाय, अच्छे भले राजस्थान के अन्दर इस कौमी एकता को साम्प्रदायिकता में बदलने की आप कोशिश कर रहे हैं। आज आप इस हाउस के अन्दर भी इस तरीके की अनर्गल बात करें, इसको कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह बिलकुल गलत बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप बैठिये। आप बैठिये।

श्री मदन दिलावर :...किसी गुण्डे के द्वारा आपके समय में...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समय में ऐसी परम्परा मत डलवाइये। इसको निकलवाइये कार्यवाही से आप कि यह एक समुदाय का और यह एक समुदाय का। इन्होंने ठेका ले रखा है सारे समुदायों का ? यह क्या तरीका होता है, यह क्या बात हुई ? (व्यवधान) मंत्रीजी की कोई जाति नहीं होगी, आदमी की कोई जाति नहीं होती। यह बिलकुल गलत बात कही है इन्होंने। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको कार्यवाही से निकलवाइये आप, उसके बाद आगे की बात कीजिये। यह क्या समुदाय, सम्प्रदाय, जाति और बिरादरी की बात से इस सदन को बांटना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, गायों को काट–काट कर बेचा जा रहा है। इस राजस्थान की धरती पर गायों को जिंदा काट–काट कर गौ–मांस बेचा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरी बात कहने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर, बैठिये।

श्री मदन दिलावर :...और इतनी–सी बात के अन्दर ये उछल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह कार्य है वह अपूर्ण है या पूर्ण हो चुका है ?

श्री सी. पी. जोशी : मान्यवर, यह कार्य पूर्ण हो चुका है इसलिए मैं समझता हूं कि रिपीट करने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब क्या है ?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह पूछ रहे हैं कि मैं काहे का फोटो बता रहा हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बात कही है इसको आप कृपया कार्यवाही से निकलवाइये। इन्होंने यह कहा है कि विशेष समुदाय के मंत्री,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

उनकी समुदाय का वह व्यक्ति।

श्री अध्यक्ष : समुदाय विशेष के संबंध में जो कहा गया है मैं उसको देखकर उचित निर्णय लूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : ठीक है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। सड़क बननी थी 45 बाई 50 की, आप पूरी बात सुन लीजिये कृपया।

श्री अध्यक्ष : श्री आहूजा, आपका आपरेशन हुआ है, शांति से बोलिये। आप बैठ जाइये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप मेरी बात पूरी सुन लीजिये। नहीं, साहब, आप मेरी बात पूरी सुन लीजिये पहले। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न, माननीय रामस्वरूपजी मीणा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सदन में अकारण उत्तेजना फैल गयी। माननीय सदस्य जो मूल प्रश्नकर्ता हैं अपनी पूरी बात कह नहीं सके। मंत्रीजी ने मूल प्रश्न का जवाब दिया नहीं। आप सहृदयता रखें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, पूरी बात नहीं है, काम ही हो गया। पंचायत का मामला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप इनको पूछने दें, पहला सवाल है। आपकी कृपा है, साहब। आपसे प्रार्थना है, अध्यक्ष महोदय।

श्री सी. पी. जोशी : यह मेरे से व्यक्तिगत मिल लेंगे, बात कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, काहे को टैंशन लेना चाहते हो आप ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पाइंटेड सवाल पूछा था। आपकी आज्ञा से ये पाइंटेड सवाल पूछेंगे,अध्यक्ष महोदय।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है, पाइंटेडली सवाल पूछ रहा हूं। विकास अधिकारी थे नहीं, ए. डी. एम. और एस. डी. एम. और कलेक्टर साहब उस दबाव में आकर–कलेक्टर किनके दबाव में आ गये, मैं समुदाय विशेष का नाम नहीं ले रहा, लेकिन किसी दबाव में आकर उन्होंने एडिशनल एस. पी., ए. डी. एम. को भेजा। विकास अधिकारी और जे. ईएन. थे नहीं और सड़क का निर्माण होना था 45 वाई 25 का, वह सड़क का निर्माण हुआ 45 वाई 10 का। दबाव कोई नहीं, विरोध कोई नहीं, 99 प्रतिशत जनता इस सड़क को बनाना चाहती है। सरपंच के पास पैसा पहुंच गया, पैसा सरपंच के पास अभी भी है। पंचायती राज के सरपंच के पास...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये आप। लम्बी बात कह रहे हैं, आप प्रश्न पूछिये। प्रश्न क्या है ? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं माननीय मंत्री महोदय ये जांच हेतु आदेश चाहता हूं कि इसकी जांच हो और जो सम्बन्धित अधिकारी हैं, इन्होंने भाग (4) में कहा कि कोई जांच नहीं

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

होगी, इस सम्बन्ध में जो अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएं। मंत्री महोदय, एकमात्र आप हैं जिनका मैं, प्रशंसक हूं, आपकी कार्य पद्धति का प्रशंसक हूं, आप न्यायसंगत कार्यवाही करिये, सी. पी. जोशी सांहब। इसकी जांच जैसा मैं चाहता हूं, मेरा मूल प्रश्न है, जांच इसमें हो।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जो कह रहे हैं, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है। पर मैं इनसे निवेदन करता चाहता हूं, वह भी खुद उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो मैंने प्रपोज्ड रोड बताई है उसकी साइट नहीं बनी होगी लेकिन वहां पर अधिकारी मौके पर गये हैं और मौके पर जाकर शांति व्यवस्था बनाये रखकर, उसमें रास्ता निकालकर, वहां के समुदाय के लोगों से मिलकर उन्होंने काम करवाया है। जितना आपने स्वीकृत किया है उतना काम नहीं हुआ है लेकिन जो लोग चाहते थे जितना काम होना चाहिए था, उतना काम हो गया। फिर भी आप मुझे कह रहे हैं, मैं आपसे बैठकर बात कर लूंगा और अधिकारी को बैठाकर रास्ता निकालने की बात करूंगा इसमें।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है। इस विषय में, मैं पूछना चाहता हूं, माननीय पंचायती राज मंत्रीजी, क्या आम सभा के प्रस्ताव होते हैं उन प्रस्तावों की क्रियान्विति होती है, काम शुरू होता है, क्या प्रशासन को उन कामों को रोकने का अधिकार है ?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज एक्ट की धारा (92) के अन्तर्गत यह अधिकार उसमें निहित है, उसमें कुछ कंडीशंस हैं, इसलिए यह ब्लैंकेट कहना कि (92) में पावर्स नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन यह जो आप कह रहे हैं, आम सभा के प्रस्ताव को भी रोकने का (92) के अन्तर्गत सरकार को अधिकार है।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव के अनुसार स्वीकृत हो गया, स्वीकृत होने के बाद मेरी पंचायत समिति रायपुर में चार राजीव गांधी स्कूलें हैं... (व्यवधान) उससे रिलेटेड सवाल है, बिलकुल रिलेटेड है। कौन कहता है रिलेटेड नहीं है। (व्यवधान) मैं उदाहरण दे रहा हूं, मेरी पंचायत समिति रायपुर में बूंटीवास में कंटवालिया की स्कूल आधी बन गयी राजीव गांधी स्वर्ण जयंती की स्कूल, उसको प्रशासन द्वारा बिना कारण गांव वालों को परेशान करने के लिए चार बार रोका जा रहा है।

श्री हफीज मोहम्मद : इस हाउस के अन्दर इतनी जोर–जोर से बोलने की किसी को इजाजत नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान :...इसी प्रकार रातड़िया में स्कूल है पोकरिया की नाड़ी, दो महीने हो गये, मुख्य मंत्री महोदय, वह प्रारम्भ

(श्री हीरासिंह चौहान)

नहीं की जा रही है। बिना कारण से +++ एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं, बार–बार कामों में व्यवधान पैदा करते हैं। सारे प्रशासनिक अधिकारियों को बिना मतलब से परेशान करते हैं और सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके प्रोटेस्ट में सदन में धरना देने को बाध्य हो रहा हूं।

(माननीय सदस्य श्री हीरासिंह चौहान एवं श्री ज्ञानदेव आहूजा द्वारा सदन कूप में धरना)

(माननीय सदस्य श्री हीरासिंह चौहान सदन कूप में जोर-जोर से बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री हीरासिंह चौहान जी, आप सीनियर आदमी हैं। (व्यवधान) माननीय चौहान साहब। (व्यवधान)

प्रश्न संख्या-246

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट, श्री हीरासिंह चौहान।

जिला कलेक्टर, कोटा द्वारा आयोजित बैठक में दायीं मुख्य नहर से किसानों को जल आपूर्ति हेतु निर्णय

247. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या दिनांक 12 अक्टूबर, 2000 को जिला कलेक्टर, कोटा द्वारा आयोजित बैठक में सी.ए.डी. अधिकारियों ने 55 दिन दायीं मुख्य नहर से सिंचाई हेतु किसानों को पानी देने के लिए अवगत करवाया था ? यदि हां, तो उक्त वर्ष कुल कितने दिन पानी कितनी तारीख तक दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि बीच में कुछ दिन नहरों में पानी छोड़कर फिर बंद कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या पुनः सिंचाई हेतु किसानों के द्वारा आन्दोलन करने पर पानी दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) उक्त क्षेत्र में कुल कमाण्ड क्षेत्र कितना है और उसमें से कितना क्षेत्र सिंचित हुआ तथा कितना सिंचित होने से क्यों रह गया ?

सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री (डा. श्रीमती कमला) : (1) जी हां। दायीं मुख्य नहर दिनांक 12–10–2000 से 3–12–2000 तक तथा दिनांक 27–12–2000 से 3–1–2001 तक कुल 61 दिन चलाई गयी जिसमें 6 दिवस समस्त नहरों में पानी पहुंचने में लगा तथा शुद्ध 55 दिन दायीं मुख्य नहर द्वारा कृषकों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया गया।

(2) जी हां। मध्य प्रदेश राज्य के पानी का शेष हिस्सा देने हेतु दिनांक 9–12–2000 से दायीं मुख्य नहर में पानी पुनः प्रवाहित किया गया, इस कारण से राजस्थान क्षेत्र के किसानों द्वारा आन्दोलन छेड़ने पर कानून व्यवस्था व

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. श्रीमती कमला)

शांति बनाये रखने हेतु राजस्थान क्षेत्र में कृषकों के लिए दिनांक 27–12–2000 से 3–1–2001 तक पुनः पानी दिया गया।

(3) दायीं मुख्य नहर का कुल कमाण्ड क्षेत्र 1,27,000 हैक्टेयर है, इसमें से 1,05,000 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित हुआ है जो निर्धारित सघन सिंचाई क्षमता से अधिक है तथा 2200 हैक्टेयर क्षेत्र पानी की कमी के कारण असिंचित रहा है।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यदि पानी आपके द्वारा 55 दिन से थोड़ा ज्यादा छोड़ा जाता–बाद में आपने 3–1 तक किया, तो न तो किसान आन्दोलन करने के लिए उत्तेजित होते, न आन्दोलन किया जाता। जब किसान की फसल सूखती है, प्रशासन भी देखता है, आप भी देखते हैं और आपके सिंचाई विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वे भी देखते हैं। जानबूझकर जनता को आन्दोलित करने के लिए उनको पानी कम दिया जाता है और बाद में पानी दिया जाता है। कहीं–कहीं पर तो यह स्थिति हो गयी है कि कई जगह बांधों में पानी भरा और किसानों को केवल दो पाण पानी दिया और उसकी फसल सूखती रही। लोग तरसते रहे, चारों तरफ मारे–मारे फिरे लेकिन उनको पानी नहीं दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किसानों को पानी 15 सितम्बर तक क्यों नहीं दिया गया ? अगर पानी दिया जाता तो किसान आन्दोलित होने के लिए तैयार नहीं होते। और फिर आप द्वारा पानी दिया गया। यह पानी नहीं देना, बाद में बंद कर देना, सारे कारण हाउस में बताने का कष्ट करें।

डा. श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, बोर्ड की मीटिंग में तय हुआ, निर्धारित हुआ कि कितना पानी सिंचाई के लिए दिया जाएगा, कितना पानी पेयजल के लिए रखा जाएगा और कितना आर.ए.पी.पी. के लिए छोड़ा जाएगा। यह सब तय होने के बाद में जितना पानी उसदिया जाना था वह उस समय हम नहीं दे सके जब राजस्थान के किसानों को पानी दिया जा रहा था क्योंकि नहर में उस वक्त ब्रीच हो गया था। राजस्थान के किसानों को पानी देने के बाद जब नहर ठीक हो गयी तब मध्य प्रदेश को उसका पानी दिया गया। उस वक्त राजस्थान के काश्तकारों ने भी यह एजिटेट किया कि उनको दे रहे हैं तो हमको भी दें, जबकि हम उस वक्त अपना हिस्सा ले चुके थे। लेकिन फिर भी काश्तकारों की मांग को या एजिटेशन को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दोबारा नहर में पानी छोड़ना पड़ा जो कि निर्धारित 55 प्रतिशत सघन सिंचाई क्षमता के अनुसार दिया जाना होता है उससे ज्यादा दिया गया। इसलिए वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह बाद में छोड़ा गया, न कि यह सोचकर कि अभी हम कम दें, काश्तकार एजिटेट करें फिर हम

(श्रीमती कमला)

दें। ऐसा कोई भी पसंद नहीं करता और न उसमें किसी को सुख मिलता कि काश्तकार को तंग करके फिर पानी दें। आप मुझसे ज्यादा वस्तुस्थिति से वाकिफ हैं कि किस प्रकार से वह पानी छोड़ने की मजबूरी की गयी।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि यदि 55 दिन इन्होंने पानी दिया तो क्या 12 अक्टूबर को जो बैठक ली थी जिला कलेक्टर महोदय ने, उसमें यह तय नहीं किया गया था कि 20 अक्टूबर से 55 दिन पानी दिया जाएगा ? 20 अक्टूबा ये 55 दिन पानी दिया जाएगा तो जो इन्होंने बताया हैं, कितने दिन होते हैं ? यदि ये 55 दिन से कम होते हैं तो फिर आपने 55 दिन होना इसमें क्यों बताया, जबकि मैंने हवाला दिया था जिला कलेक्टर की बैठक का ? इन्होंने बताया है कि किसानों को पानी मिला है 55 दिन तक, मैं पाूछना चाहूंगा कि दीगोद, सुलतानपुर, इटावा, खातोली टेल क्षेत्र में पानी कब पहुंचा ? 20 दिन रोटेशन से पानी छोड़ने की बात की गयी थी तो इटावा, दीगोद, सुलतानपुर, खातोली में कब, कितनी तारीख को, किस–किस तारीख को रोटेशन से पानी दिया गया और कब–कब कौन सी वितरिका में पानी पहुंचा, बताएं ?

डा. श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, अगर यह आप मुख्य सवाल के अंदर पूछते तो मैं बता सकती थी। आपने जिस तरह से पूछा है, यह तो आंकड़ों की और सुनिश्चित तारीखों की बात है, वह मैं अभी अचानक से बताने में सक्षम नहीं हूं।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, जब तारांकित प्रश्न होता है तो अधिकारीगण इनको पूरक सूचना उपलब्ध करवाते हैं या तो मंत्री महोदया ने बिना सोचे–समझे इस प्रश्न को अनुमोदित किया है और इसके कारण से यह पूरक सूचना प्राप्त नहीं कर पाई हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाए और मंत्री महोदया जिस दिन तैयार होकर आएं उस दिन मेरे प्रश्न का जवाब दिलाया जाए।

श्री अध्यक्ष : आपके तीनों पाइंट जो क्वेश्चन के हैं उनका उत्तर मंत्रीजी ने दे दिया है बिलकुल।

श्री मदन दिलावर : पूरक पूछने का अधिकारी आपने हमको दिया हुआ है...

श्री अध्यक्ष : उत्तर बहुत स्पष्ट है।

श्री मदन दिलावर : इसलिए आपके दिये हुए अधिकार के अनुसार मैं जानकारी चाह रहा हूं। बड़ी मेहरबानी होगी कि आपने जो अधिकार दिया है उसको आप नहीं छीनें। इसलिए इसको स्थगित किया जाए।

डा. श्रीमती कमला : किन–किन नहरों

(श्रीमती कमला)

में किन–किन तारीखों में कितना पानी दिया गया, इस तरह की कोई सप्लीमेंट्री कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता जब कि कि आप मुख्य सवाल में यह नहीं पूछें।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया से जानकारी चाहता हूं, सवाल ही पाइंटेड है कि 55 दिन नहरें चलीं या नहीं चलीं। आपने जवाब दिया कि 55 दिन चलीं। आपको आश्वस्त होने के लिए एक ही रास्ता था कि नहरों की गेजेज आपके पास में हों। आप कह रही हैं कि मेरे से पाइंटेड नहीं पूछा, तो सवाल तो है ही यही और दूसरा सवाल ही नहीं है। क्या आपने गेजेज मंगवाई ? अगर गेजेज मंगवाई हैं तो वह बता दें और नहीं मंगाई हैं तो आपको यह जवाब देने का और कोई अधिकार या रास्ता ही नहीं था। आप क्या अब गेजेज मंगवा कर हैड रीच की और टेल रीच की गेज देखेंगे ? देखने के बाद में अगर गलत सूचना दी गयी है तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगी ? अगर गलत सूचना दी गयी है और किसानों को पानी नहीं मिला है, विशेष तौर से टेल एण्ड के किसानों को तो...

श्री अध्यक्ष : नहीं, पानी तो पूरा मिला है।

श्री रामप्रताप : तो क्या उनका सिंचाई शुल्क माफ करेंगी ?

श्री मदन दिलावर : पानी नहीं मिला, साहब।

श्री अध्यक्ष : 61 दिन मिला है, दो बार में मिला है।

श्री मदन दिलावर : दीगोद, सुलतानपुर, इटावा, खातोली में पानी नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : लगातार नहीं मिला।

श्री रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों में यह बात आई है कि चालीस दिन पानी मिला है। किसानों को पानी नहीं मिला हम यह कह रहे हैं और आप कह रही हैं कि 55 दिन मिला। तो आपकी संतुष्टि के लिए आधार तो सिर्फ नहरों की गेजेज है। अगर वह आपने नहीं मंगाई तो आप आश्वस्त नहीं हो सकतीं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप गेजेज को देखें और अगर उसमें पानी नहीं मिला है तो...

डा. श्रीमती कमला : अगर आप इन रिलीजेज को चैलेंज कर रहे हैं तो मैं इसका पूरा ब्यौरा मंगाकर माननीय सदस्य महोदय को प्रेषित करवा दूंगी।

श्री रामप्रताप : नहीं, इसके साथ में एक और है।

डा. श्रीमती कमला : और अगर उसमें डिफरेंसेज पाये गये तो जिस अधिकारी ने मुझे सूचना दी है उसके खिलाफ मैं सख्त कार्यवाही भी करूंगी। जी हां।

श्री रामप्रताप : यह भी ठीक है। इसके साथ में अगर गलत सूचना होगी और पानी किसानों को नहीं मिला तो क्या आप सिंचाई शुल्क माफ करेंगी, इतना नुकसान किसानों का हुआ, यह थोड़ा–सा और जवाब दे दें आप ?

डा. श्रीमती कमला : मैंने बताया कि अभी जो सूचना उपलब्ध है और जो पूरी चर्चा के सारे विश्लेषण के बाद में सवाल तैयार किया गया है उसमें किसी प्रकार का नुकसान होने का कोई अंदेशा नहीं है। जितना तय किया गया था उतना पानी दिया गया है किसानों को। यह बता भी दिया गया था तमाम् किसानों को कि पानी की भराव क्षमता इस साल कम है इसलिए पानी इतना दिया जाएगा और वह दिया गया है। इसलिए उसके मुताबिक से कोई नुकसान नहीं है। अगर ज्यादा बो लिया, बावजूद इसके कि सूचना दी गयी थी तो फिर वह नुकसान होना संभावित है क्योंकि ज्यादा बोने के बाद में जब पकाई का वक्त आया उस वक्त तक पानी नहीं मिल पाया होगा तो जरूर फसल को नुकसान हुआ होगा।

श्री रामप्रताप : तो क्या उस नुकसान के पेटे, जैसे आप कह रही हैं कि हुआ होगा, और अगर नुकसान हो गया तो क्या आप सिंचाई शुल्क माफ करेंगी ? यह थोड़ा–सा और बता दें, इतनी–सी बात है।

(12:00 बजे)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि इटावा, दीगोद, सुलतानपुर, खातोली के टेल क्षेत्र में एक बूंद पानी नहीं पहुंचा। यदि 55 दिन नहर चली है तो क्या इसमें पानी नहीं पहुंच सकता था ? माननीय मंत्री महोदय यह असत्य बयान कर रही हैं। आप चाहे तो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उनसे पूछिये, वह कांग्रेस के सदस्य हैं। यदि मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो तो आपके पक्ष के सदस्य की बात तो समझ में आ सकती है।

श्री अध्यक्ष : 55 दिन पहले चला, 6 दिन बाद में चला।

श्री मदन दिलावर : 55 दिन नहीं गया।

डा. श्रीमती कमला : 61 दिन चला है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर में तो यही है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के जवाब में कहा है कि 22 हजार हैक्टेयर में पानी नहीं पहुंच पाया है। जब आपने 55 दिन पानी छोड़ा है और 22 हजार हैक्टेयर में...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री मदन दिलावर :...(व्यवधान) किसान भूखों मर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री दिलावरजी, बैठिये। प्रश्नकाल समाप्त।

श्री मदन दिलावर : वे भूखों मरने को तैयार हैं, अकाल और पड़ गया है।

श्री मानिक चन्द सुराना :...(व्यवधान) सिंचाई का पानी नहीं पहुंचा और 22 हजार हैक्टेयर में यह एडमिशन भी है कि पानी नहीं पहुंचा है उस स्थिति में उन काश्तकारों को सिंचाई शुल्क माफ किये जाने की आवश्यकता है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान :...(व्यवधान) प्रश्नकाल तो ओवर हो गया...(व्यवधान) उनकी क्या हालत होगी जिनके पानी नहीं पहुंचा ? जिनकी फसल सूख गयी है उनका क्या होगा ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर :...(व्यवधान) फसल सूख गयी उनका क्या होगा ? बच्चे भूखों मरेंगे, अध्यक्ष महोदय।

डा. श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, जितना पानी दिया जाना प्रस्तावित था वह दिया गया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है।

श्री मदन दिलावर : मैं कह रहा हूं कि यह 20 तारीख से देना तय हुआ था तो कितने दिन होते हैं ?

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के पशु चिकित्सालय में निःशुल्क दवा की व्यवस्था

246. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या पशुधन विकास एवं डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के चिकित्सालयों में विभिन्न रोगों के निदान हेतु निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करायी जाती हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1999 से फरवरी, 2001 तक किस–किस चिकित्सालय को कितनी दवाइयां उपलब्ध करायी गयी है ?

(2) क्या सरकार वर्ष 2001–2002 में विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में और नयी बीमारियों के निदान हेतु ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों में निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के चिकित्सालयों को वर्ष 1999 से फरवरी, 2001 तक उपलब्ध करवायी गयी दवाइयों की सूची संलग्न है।

(2) वर्ष 2001–2002 में विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में बीमारियों के निदान हेतु ग्रामीण क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों को आवंटित बजट अनुसार दवाइयां उपलब्ध करायी जायेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अनुसूचित जाति/जनजाति की कृषि भूमि की विक्रय दर

425. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग जिला कमेटी द्वारा आवासीय एवं कृषि भूमि की दरें निर्धारित करने का तरीका निर्धारित किया हुआ है ? यदि हां, तो किस प्रकार ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उप पंजीयकों द्वारा प्रस्तावित दरों का ही अनुमोदन उक्त जिला कमेटियां करती है ? यदि हां, तो क्या दरें निर्धारित करने में कोई सर्वे अथवा विशेषज्ञों का भी सहयोग लिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि आदिवासी बाहुल्य उदयपुर डिवीजन एवं अनुसूचित जाति/जनजाति की कृषि/आवासीय भूमि की विक्रय दरें सामान्य जातियों की भूमि की दरों से कम अथवा समान ही है ?

उत्तर

(1) भूमि की बाजार दरें निश्चित करने हेतु राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले के लिये जिला स्तरीय समिति का गठन किया है, जो निम्नानुसार है :–

1. सम्बन्धित जिला कलक्टर अध्यक्ष

2. संबंधित क्षेत्रीय विधायक (अध्यक्ष) सदस्य (राजस्थान) विधान सभा की पूर्वानुमति प्राप्त होने पर

3. संबंधित पंचायत समिति के सदस्य प्रधान

4. सचिव, नगर निगम विकास न्यास तथा जहां पर नगर विकास न्याय नहीं हो नगरपालिका का प्रतिनिधि तथा जयपुर के लिये सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण

5. संबंधित उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर मुद्रांक सदस्य

6. अति. जिला कलक्टर (जयपुर जिले को छोड़कर) तथा जयपुर के अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) तथा जहां अतिरिक्त कलक्टर नहीं हो वहां मुख्यालय का उप पंजीयन सदस्य सचिव

7. संबंधित क्षेत्र के उप पंजीयक सदस्य

भूमि की बाजार दरें जिला स्तरीय समिति के सदस्यों द्वारा अपने क्षेत्र की जानकारी एवं अपने अनुभव के आधार पर आवश्यक विचार–विमर्श के पश्चात् तय की जाती है।

(2) जी नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि जिला स्तरीय समिति उप पंजीयकों द्वारा प्रस्तावित दरों का ही अनुमोदन करे। समिति अपने विवेकानुसार इसमें आवश्यक संशोधन कर सकती है। चूंकि जिला स्तरीय समिति में नगर विकास न्यास, नगर परिषद्, पंचायत समिति जैसी स्वायत्तशासी संस्थाओं के पदाधिकारियों का प्रतिनिधित्व होता है। अतः पृथक से विशेषज्ञों का सहयोग नहीं लिया जाता है।

(3) राजस्थान के सभी स्थानों (जिनमें

(वित्त मंत्री)

उदयपुर डिवीजन भी सम्मिलित है) में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये कृषि भूमि/आवासीय भूमि की दरें अलग से निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं है। जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दरें सभी जातियों के लिए समान रूप से लागू होती है।

पेंशन अदालत का नोडल अधिकारी

426. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में पेंशन अदालत का गठन किस प्रकार किया और उसके कौन–कौन सदस्य हैं ? क्या पेंशनर्स का प्रतिनिधि भी सदस्य है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पेंशनरों को प्रतिनिधित्व देने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पेंशन अदालत की अध्यक्षता, वित्त सचिव, द्वारा की जाती है ? यदि हां, तो क्या वित्त सचिव के राजकीय कार्यो में अत्यधिक व्यस्त रहने के फलस्वरूप पेंशन अदालत, समय पर आयोजि नहीं हो पाती ? क्या सरकार सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता में उक्त अदालत गठित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या पेंशन अदालत में जिंन बिन्दुओं पर विचार किया जाना है, उनमें से एक बिन्दु पेंशन एवं ग्रेच्युटी में देरी से भुगतान के कारण, ब्याज देने पर विचार करना भी है ? पेंशन अदालत द्वारा अब तक कितने मामलों में विलम्ब के लिए ब्याज भुगतान करने के आदेश जारी किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या अब तक पेंशन अदालत की कार्यवाही जयपुर में ही होती है ? क्या सरकार पेंशनरों को सुविधा प्रदान करने हेतु संभागीय मुख्यालयों पर अदालत की बैठक आयोजित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि पेंशन अदालत के अधिकतम प्रकरणों में शिकायत पेंशन विभाग की ही होती है जबकि अदालत का नोडल अधिकारी निदेशक पेंशन ही होता है ? क्या उक्त से त्वरित न्याय नहीं मिल पाता है ? क्या सरकार किसी अन्य अधिकारी को नोडल अधिकारी का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में पेंशन अदालत का गठन आदेश क्रमांक एफ.डी/आर.एण्डए./94/ जयपुर दिनांक 24.11.94 द्वारा वित्त सचिव की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें निम्न सदस्य है :–

1. सचिव, कार्मिक विभाग।

2. प्रकरण से संबंधित विभाग के सचिव या उनके द्वारा मनोनित अधिकारी जो उप सचिव के नीचे की श्रेणी का नहीं।

(वित्त मंत्री)

3. विधि सचिव या उनका मनोनित अधिकारी जो उप शासन सचिव के नीचे की श्रेणी का न हो।

4. विशेषाधिकारी/उप शासन सचिव (राजस्व एवं लेखा) वित्त विभाग

5. विशेषाधिकारी/उप शासन सचिव (नियम) वित्त विभाग

6. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान पेंशनर्स संघ का प्रतिनिधि इसका सदस्य नहीं होता है। और न ही ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है क्योंकि इन्हें प्रतिनिधित्व का कोई औचित्य नहीं है।

(2) जी हां, पेंशन अदालत की अध्यक्षता वित्त सचिव द्वारा की जाती है। किन्तु सचिव की व्यस्तता इसमें आड़े नहीं आती है। अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारण काफी तीव्रता से किया जा रहा है। सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता में अदालत का गठन का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि इस अदालत का स्वरूप व प्रकृति तथा शक्तियां न्यायिक अदालतों की भांति नहीं है।

(3) जी, हां। पेंशन अदालत में पेंशन एवं ग्रेच्युटी में देरी से भुगतान के कारण ब्याज देने पर भी विचार किया जाता है पेंशन अदालत द्वारा अब तक किसी भी मामले में विलम्ब के लिए ब्याज भुगतान के आदेश जारी नहीं किये है, क्योंकि जिन प्रतिवेदनों में पेंशन एवं ग्रेच्युटी में देरी होने से ब्याज की मांग की जाती है उनमें से अधिकांश मामलों में विलम्ब का कारण संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच का बकाया होना पाया जाता है। अतः नियमानुसार ऐसे प्रकरणों में ब्याज की देयता नहीं बनती है।

(4) जी, हां। अब तक पेंशन अदालत की बैठकें जयपुर में ही आयोजित की गई है, क्योंकि अधिकांश विभागों के सचिव/विभागाध्यक्ष जयपुर में ही पदस्थापित है।

(5) पेंशन अदालत के अधिकतम प्रकरणों में शिकायत संबंधित विभाग की होती है पेंशन विभाग की नहीं। अतः पेंशन अदालत का नोडल अधिकारी निदेशक पेंशन होने से त्वरित न्याय पर प्रभाव नहीं पड़ता है। पेंशन अदालत का गठन मुख्यतः पेंशनरों की पेंशन संबंधित कठिनाई के निराकरण हेतु किया गया है एवं संबंधित पेंशनर को उनके प्रकरण की पूर्ण जानकारी दी जाती है। यह कार्य निदेशक पेंशन के अतिरिक्त कोई विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाना संभव नहीं है अतः निदेशक पेंशन के अतिरिक्त अन्य अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

राज्य में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मियों को परिलाभ

427. **श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामप्रताप)

(1) वर्ष 1999–2000 व 2000–2001 में कितने कर्मचारी/अधिकारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए प्रार्थना–पत्र दिये तथा कितनों को सेवानिवृत्ति दी गई ? उक्त में से कितने को सेवानिवृत्ति परिलाभ दिये जा चुके हैं तथा कितने प्रकरण किस कारण से लंबित हैं ?

(2) उक्त में से कितने कर्मचारी/अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई तथा कितनों को सेवानिवृत्ति का लाभ दिया जा चुका है और शेष रहने के क्या कारण है ?

उत्तर

(1) 1– वर्ष 1999–2000 व 2000–2001 में अधिकारियों/कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिये कुल 4782 आवेदन–पत्र प्राप्त हुये।

2– जिनमें से 4550 कर्मचारियों/अधिकारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की गई।

3– कुल 3503 कर्मचारियों/अधिकारियों को सेवानिवृति का परिलाभ दिये जा चुके हैं।

4– शेष १०४७ अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवानिवृति का परिलाभ दिया जाना बाकी है। इनका मुख्य कारण सेवा अभिलेख का अपूर्ण होना है। विभागवार विवरण परिशिष्ट–1 में अवलोकन करने की कृपा करें।

(2)1– कुल 91 कर्मचारी/अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई।

2– उक्त में से 57 कर्मचारियों/अधिकारियों को सेवा निवृत्ति का परिलाभ दिया जा चुका है!

3– शेष 34 को सेवानिवृति का परिलाभ दिया जाना बाकी है। जिसका मुख्य कारण न्यायालय में विवाद का विचाराधीन होना तथा सेवा अभिलेख का अपूर्ण होना है। विभाग वार विवरण परिशिष्ट में अवलोकन करने की कृपा करें।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

परतापुर (बांसवाड़ा) में निर्माणाधीन स्टेडियम पर व्यय

428. **श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या** (बांसवाड़ा) : क्या युवा एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के परतापुर कस्बे के निर्माणाधीन स्टेडियम पर अब तक किन–किन मदों से कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

(2) क्या सरकार उक्त स्टेडियम को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के परतापुर कस्बे में निर्माणाधीन स्टेडियम पर अब तक निम्नानुसार मदों से राशि 9,47,805/– (नौ लाख सैंतालिस हजार आठ सौ पांच) व्यय की जा चुकी है :–

(युवा एवं खेल मंत्री)

1.राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना से वर्ष 79–80 में 58,520/– रुपये
2.केन्द्र सरकार से वर्ष 84–85 में 50,000/– " "
3.जन सहयोग से वर्ष 84–85 में 50,000/– " "
4.पंचायत निजी आय से 88–89 में 5,000/– " "
5.जवाहर रोजगार योजना 90–91 में 2,84,285/– " "
6.राज्य सरकार द्वारा अकाल राहत से 96–97 में 5,00,000/– " "

कुल योग : 9,47,805/-रुपये

(2) राज्य की विषम आर्थिक परिस्थितियों के कारण फिलहाल विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

कोटा के खेल मैदान के रख-रखाव हेतु राशि

429. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या युवा एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला खेल परिषद्, कोटा ने कोटा फुटबाल, हाकी तथा हैण्डबाल मैदान को समतलीकरण करने, घास काटने की मशीन वास्ते राशि की मांग की थी ? यदि हां, तो कितनी राशि की ?

(2) क्या उक्त राशि स्वीकृत कर दी गई है ? यदि हां, तो किस दिनांक को और नहीं, तो क्यों ?

(3) अब तक उक्त राशि की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, क्रीडा अधिकारी, कोटा ने फुटबाल, हाकी तथा हैण्डबाल खेल मैदानों के समतलीकरण करने घास काटने की मशीन वास्ते राशि रुपये 2.00 लाख की मांग की थी।

(2) राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए एक ही केन्द्र को इतनी अधिक राशि स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है। मैदानों के रख–रखाव हेतु राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद् ने ड्राफ्ट दिनांक 30.3.2001 द्वारा राशि रुपये 15,000/– भिजवाये गये है।

(3) बिन्दु–2 में ही उत्तर निहित है।

प्रदेश में बन्द कैदियों की पैरोल पर रिहाइ

430. **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या प्रदेश की विभिन्न जेलों में बन्द कैदियों को पैराल पर छोड़ा जाता है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(2) वर्ष 1999 से फरवरी, 2001 तक कुल कितने–कितने दिन के लिए पैरोल पर छोड़ा गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) गत तीन वर्षों में किन–किन बन्दियों का स्थानान्तरण एक जेल से देसूरी जेल में किन कारणों से किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) गत तीन वर्षों में कितने बन्दी किन–किन कारागृहों से फरार हुए और उनके लिए कौन दोषी पाये गये तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) जी, हां। कारागृहों में बन्द कैदियों को राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज आन पैराल रूल्स, 1958 के प्रावधानानुसार रिहा किया जाता है।

(2) वर्ष 1999 से फरवरी, 2001 तक कुल 1607 बंदियों की सूची (मण्डलवार/अवधिवार) परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है।

(3) गत तीन वर्षों में एक कारागृह से देसूरी कारागृह में बंदियों के स्थानान्तरण निम्नांकित कारणों से किये गये :–

न्यायालय के आदेश पर	स्वयं की प्रार्थना पर	प्रशासनिक कारणों से	योग
3	135	1075	1213

(4) गत तीन वर्षों में राज्य की विभिन्न कारागृहों से फरवरी की 11 घटनाओं में 17 बन्दी फरारी हुए हैं तथा फरारी की घटना में दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "बी" पर संलग्न है।

(सूची एवं विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम दौलतपुरा (जमुवारामगढ़) (जिला जयपूर) में भूमि की पैमाइश रिपोर्ट पर कार्यवाही

431. **श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ? :–

(1) क्या जिला जयपुर की तहसील जमुवारामगढ़ के ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का धर्मपुरा के खसरा नम्बर–127 की दिनांक 31.10.2000 को पुनः पैमाइस की गई है ? यदि हां, तो पैमाइश की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। उक्त रिपोर्ट के अनुरूप सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) अब सरकार उक्त रिपोर्ट के आधार पर कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) दिनांक 31.10.2000 को राजस्व विभाग की तहसील जमवारामगढ़ व तहसील

(राजस्व मंत्री)

बस्सी की संयुक्त टीम द्वारा पुनः पैमाइश का कार्य प्रारम्भ किया गया। किन्तु दौलतपुरा के ग्रामवासियों के विरोध एवं भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पैमांइश कार्य कराने की मांग की वजह से पैमाइश कार्य पूरा नहीं हुआ तथा पश्चात् दिनांक 1.11.2000 को भू–प्रबन्ध विभाग एवं भू–राजस्व विभाग दोनों तहसीलों की संयुक्त टीम द्वारा पैमाइश कार्य पुनः शुरु किया गया। किन्तु ग्राम दौलतपुरा के वासियों के विरोध एवं भौगोलिक स्थिति (पहाड़ इत्यादि) होने से परम्परागत तरीके से जरीबों के द्वारा सीमाज्ञान का कार्य सम्भव नहीं हो पाया तथा इस सीमाज्ञान के लिये सीमाज्ञान की आधुनिक मशीनों ई.डी. एम. तथा जी.डी.एम. के द्वारा सीमाज्ञान की सिफारिश की गई।

(2) मौके की विषय भौगोलिक स्थिति पहाड़ आदि को देखते हुए सीमाज्ञान का कार्य दिनांक 10.4.2001 को तहसीलदार जमवारामगढ़ व भू–प्रबन्ध की संयुक्त टीम द्वारा ई.डी.एम. तथा जी.डी.एम. यंत्रों द्वारा करा लिया गया है। प्रतिवेदन तैयार हो रहा है।

ग्राम बड़गांव, अजमेर में सीलिंग भूमि का आवंटन

432. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम बड़गांव, तहसील भिनाय, जिला अजमेर में किसी राजा/जागीरदार/जमींदार में सीलिंग भूमि थी ? यदि हां, तो क्या उक्त राजा ने किसी के नाम उक्त भूमि बेचान कर रजिस्ट्री करवाई है ? यदि हां, तो किस–किस को कितनी–कितनी राशि में कब–कब बेचान की ?

(2) उक्त भूमि की तहसील केकड़ी से कब–कब रजिस्ट्री हुई ?

(3) क्या उक्त के अलावा ऐसी सीलिंग भूम भी है जो भार मुक्त है ?

(4) क्या उक्त बेचान भूमि पर सम्बन्धित काश्तकारों के कब्जे हैं ? यदि हां, तो कब से कौन–कौन काश्तकार रहे ?

(5) क्या सरकार उक्त भूमि का आवंटन सीलिंग लैण्ड के रूप में अन्य को करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ऐसा करना उचित होगा ?

(6) क्या उक्त रजिस्ट्री नियमानुसार हुई है ? यदि नहीं, तो अब तक सरकार ने उक्त अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या सरकार ने बड़गांव में उक्त भूमि के अलावा किसी की सीलिंग भूमि का आवंटन किसानों को किया है ? यदि हां, तो किस–किस की कितनी–कितनी भूमि किस–किस काश्तकार को कब–कब आवंटित की ?

(8) क्या वर्तमान में उक्त किसान कब्जे काश्त है ? यदि हां, तो किस आधार पर और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हां। ग्राम बड़गांव, तहसील भिनाय, में राजा नरेन्द्र सिंह नि. भिनाय की भूमि थी। सीलिंग नियमों के तहत ग्राम बड़गांव में राजा नरेन्द्र सिंह की 777–5–0 बीघा भूमि अवाप्त की गई थी जिसमें से 527–4–0 बीघा भूमि की रजिस्ट्रियां करवाई गई। व्यक्तिवार सूची मय भूमि व राशि के परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) उक्त भूमि की रजिस्ट्रियां तह. केकड़ी में वर्ष 1975 से 1979 के बीच हुई है। परिशिष्ट "क" पर सूची संलग्न है।

(3) जी, हां। अवाप्ति के समय समस्त भूमि भारहीन थी जिसमें से 527–04–0 बीघा भूमि को कम करने पर वर्तमान में शेष 250–01–0 बीघा भूमि भारहीन है।

(4) वर्तमान में भूमि सिवायचक है एवं क्रेताओं का अतिक्रमण होने के कारण इन्हें भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 की कार्यवाही कर बेदखल कर दिया है तथा मौके पर सरकार के कब्जे में भूमि है एवं अतिक्रमण रहित है।

(5) जी हां। भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार सिवायचक दर्ज है तथा सरकार के कब्जे में है एवं मौके पर खाली है। अतः नियमों के अन्तर्गत भूमि को आवंटित किये जाने का प्रावधान है।

(6) उक्त रजिस्ट्रियां 1984 से पूर्व की है ? उक्त अवधि में रजिस्ट्री पंजीयन राज. रजिस्ट्रेशन नियम, 1955 के नियम 39 के तहत ग्रहण करने हेतु बाध्य थे नियमों के विरुद्ध उक्त दस्तावेज शून्य होने के कारण इनका रेकार्ड में अमल नहीं किया गया है एवं इसी कारण कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(7) हां। उक्त भूमि के अलावा श्री फतेह सिंह निवासी बड़गांव से अवाप्त सीलिंग लैण्ड 108–10–0 बीघा भूमि का दिनांक 28–1–83 को 13 काश्तकारों को आवंटन किया गया है परिशिष्ट "ख" पर सूची संलग्न है।

(8) वर्तमान में उक्त काश्तकारों का कब्जाकाश्त नहीं है। असेसी द्वारा अवाप्तशुदा सीलिंग लैण्ड की अपील सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण आवंटियों को कब्जा नहीं दिया गया है। भूमि मौके पर पड़त पड़ी हुई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

ग्राम पंचायत-गिलुण्ड (राजसमंद) में आबादी भूमि आवंटन की दरें

433. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम पंचायत–गिलुण्ड पंचायत समिति रेलमगरा (राजसमंद) ने आबादी भूमि आवंटन की क्या–क्या दरें निर्धारित कर रखी हैं ?

(2) उक्त भूमि की दरों में अनुसूचित जाति/जनजातियों को कितनी–कितनी राशि की छूट का प्रावधान है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत गिलुण्ड में 10/– रुपये प्रति वर्गमीटर दर से भूमि आवंटन निर्धारित है।

(2) उक्त दरें समस्त कमजोर वर्ग जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति भी सम्मिलित है, के लिए है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से छूट का प्रावधान नहीं है।

तहसील धरियावद क्षेत्र (उदयपुर) की चरागाह भूमि का नियमन

434. **श्री नगराज** (लसाड़िया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील धरियावद (उदयपुर) क्षेत्र में बिलानाम एवं चरागाह की कितनी भूमि है ?

(2) क्या यह सही है कि गत पचास वर्षो से कई काश्तकार उक्त भूमि पर काबिज हैं ? यदि हां, तो कितने काश्तकार कितनी भूमि पर ?

(3) क्या सरकार उक्त काश्तकारों को उक्त भूमि पर नियमन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील धरियावद में राजस्व रेकार्ड अनुसार बिलानाम भूमि 732 हैक्टेयर एवं चरागाह 10709 हैक्टेयर भूमि है।

(2) राजस्व रेकार्ड अनुसार गत 50 वर्षो से निरन्तर काबिज होने का कोई मामला नहीं है।

(3) उक्त प्रश्न के बिन्दु संख्या–2 का उत्तर शून्य होने से बिन्दु संख्या–3 में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। बिलानाम सिवाय चक भूमि पर दिनांक 1.7.84 से तथा चरागाह भूमि पर दिनांक 1.7.70 से पूर्व के लगातार काबिज व्यक्तियों के अतिक्रमण नियमन करने का प्रावधान है। बिन्दु संख्या–2 के अनुसार कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

सलूम्बर में जिला मुख्यालय की स्थापना

435. **श्री रूपलाल** (सलूम्बर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार सलूम्बर को जिला बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

सलूम्बर में नया जिला सृजित करने का फिलहाल कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। जब नये जिलों के गठन पर विचार किया जायेगा तब इसके संबंध में भी विचार कर लिया जायेगा।

जिला मुख्यालय पाली पर पदस्थापित कर्मचारियों का स्थानान्तरण

436. **श्री बाबूलाल सिंगारिया** (केकड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

(1) जिला मुख्यालय पाली पर जिला कलेक्टर के अधीन ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो जिला मुख्यालय के बाहर अन्य स्थानों पर पदस्थापित नहीं रहे ? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या यह सही है कि कई कर्मचारी पन्द्रह वर्षो से भी अधिक समय से जिला कार्यालय में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कौन–कौन एवं कब से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजस्व विभाग में पादर्शिता व काम में सुधार लाने के लिए एक स्थान पर पदस्थापित उक्त कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला मुख्यालय पाली में ऐसे दस कर्मचारी हैं, जिनका पदस्थापन मुख्यालय से बाहर नहीं है रहे। सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

यह सही है कि 12 कर्मचारी 15 वर्ष से भी अधिक समय से जिला कार्यालय में कार्यरत है। सूची परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(2) जिला कलेक्टर पाली को निर्देशित किया गया है कि वे इस संबंध में तत्परता से कार्यवाही करें।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण कार्य

437. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्ष 1999 से फरवरी, 2001 में जल ग्रहण एवं भू–संरक्षण योजना अन्तर्गत कौन–कौन से कार्य किये गये एवं जारी हैं ? पंचायत, कार्य एवं राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं में कौन–कौन से कार्य अपूर्ण हैं ? उक्त अपूर्ण कार्यो को कब तक पूर्ण किया जायेगा ? उक्त कार्य किस–किस एजेन्सी के मार्फत कितनी–कितनी राशि के गत पांच वर्षो में कराये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) यूजर्स कमेटियों का गठन किस आधार पर कियां जाता है ? उक्त क्षेत्र की यूजर्स कमेटियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजनाओं में कार्यरत मजदूरों एवं सामग्री का भुगतान किस प्रकार किया जाता है।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग द्वारा वर्ष 99 से फरवरी, 2001 तक राष्ट्रीय जलग्रहण परियोजना के तहत हाथीपुरा जलग्रहण क्षेत्र एवं सुनिश्चित रोजगार योजना अन्तर्गत पीलिया, खजुरियातिवारियान, खतेपुरा, जयसिंहपुरा, देवगांव, विमलपुरा एवं चतरपुरा

(कृषि मंत्री)

जलग्रहण क्षेत्रों में जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण के कार्य किये गये, उक्त सभी कार्य प्रगति पर हैं एवं सभी जलग्रहण विकास कार्य वर्ष 2002 तक पूर्ण कर लिये जावेंगे। वर्ष 1999 से फरवरी, 2001 तक ग्राम पंचायत वार कराये गये कार्यों एवं राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(2) (अ) राष्ट्रीय जलग्रहण एवं भू–संरक्षण के अन्तर्गत हाथीपुरा जलग्रहण क्षेत्र में चल रहे कार्यों की कुल अवधि 5 वर्ष है। उक्त कार्यों को प्रारम्भ किये हुए वर्तमान में मात्र 4 वर्ष ही हुए है, अतः कार्य अपूर्ण है जिनका विवरण परिशिष्ट (अ) पर उपलब्ध है। उक्त कार्य परियोजना की समाप्ति वर्ष 2002 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे। यह कार्य जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग के माध्यम से क्रियान्वित किये जा रहे हैं जिन पर 4 वर्षों में 51.25 लाख रुपये राशि व्यय की गई है।

(ब) सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में उल्लेखित विवरणानुसार 7 जलग्रहण क्षेत्र क्रियान्वित किये जा रहे हैं। यह कार्य 4 वर्षों में पूर्ण किये जाने हैं किन्तु 4 वर्षों में पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में अगले मानसून सत्र तक समय सीमा विस्तार किये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त समस्त कार्यों का चतुर्थ वर्ष है तथा सभी कार्य अपूर्ण है एवं वर्ष 2002 तक पूर्ण कर लिये जायेगें। उक्त सभी कार्य जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग के माध्यम से क्रियान्वित किये जा रहे हैं जिन पर 4 वर्षों में 51.25 लाख रुपये राशि व्यय की गई है।

(3) राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र योजना के तहत् यूजर्स कमेटी अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव ग्रामवार, ग्रामसभा द्वारा किया जाता है। ग्रामसभा आयोजित करने के लिये इकाई प्रभारी द्वारा संबंधित को 7 दिवस पूर्व नोटिस जारी किया जाता है। ग्रामसभा की बैठक एवं यूजर्स समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष के चुनाव कार्य का पर्यवेक्षण एक कमेटी द्वारा किया जाता है। इस कमेटी में इकाई प्रभारी, क. अभियन्ता/सहायक कृषि अधिकारी ज.ग्रा.वि. एवं भू–संरक्षण तथा संबंधित क्षेत्र के सहायक कृषि अधिकारी, कृषि विभाग शामिल हैं। चुनाव कार्य सम्पादन हेतु उपरोक्त तीन सदस्यों में से दो की उपस्थिति अनिवार्य होती है। यूजर्स कमेटी का चुनाव ग्रामसभा द्वारा ध्वनीमत से किया जाता है। चुनाव परिणामों की सूचना संबंधित खण्ड के उपनिदेशक को प्रेषित की जाती है। तत्पश्चात् उप निदेशक यूजर्स कमेटी के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को नियुक्त करते हैं। यूजर्स कमेटी के सदस्य एवं अध्यक्ष के लिये निम्न योग्यताएं चयन के समय आवश्यक है–

1. वह उस गांव का निवासी हो एवं लाभार्थी हो।

2. कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिये एवं पढ़ना–लिखना जानता हो।

(कृषि मंत्री)

3. अन्य किसी संस्था का पदाधिकारी नहीं हो।

4. उसके विरुद्ध किसी प्रकार का फोजदारी मुकदमा दर्ज नहीं हो एवं वह किसी प्रकार का अपराधी नहीं हो।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत जलग्रहण कमेटी में 10–12 सदस्य होते हैं, जिनका चयन जलग्रहण संस्था द्वारा उपभोक्ता समूह (4–5 सदस्य) स्वयं सक्षम समूह (3–4 सदस्य) ग्राम पंचायत (2–3 सदस्य) एवं जलग्रहण विकास दल का एक सदस्य से किया जाता है। जलग्रहण कमेटी अपने सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव करती है। राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र की यूजर्स कमेटी/सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत जलग्रहण क्षेत्रों की जल ग्रहण कमेटी की सूची (परिशिष्ट ब) सदन की पटल पर रख दी गई है।

(4) उक्त योजनाओं में कार्यरत मजदूरों एवं सामग्री का भुगतान कार्यो की निर्धारित दरों के आधार पर किये गये कार्य का आकलन करते हुए किया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

नदबई चिकित्सालय (भरतपुर) में एक्स-रे मशीन की स्थापना

438. **श्री यशवन्त सिंह** (रामू) (नदबई) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ज़िला भरतपुर के नदबई चिकित्सालय में रेडियोग्राफर का पद स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त पद पर रेडियोग्राफर कब से कार्यरत है ?

(2) क्या उक्त चिकित्सालय में एक्स–रे मशीन लगा रखी है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में एक्स–रे मशीन लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं। समुचित वित्तीय प्रावधान के अभाव में।

(3) जी, हां। समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर नदबई चिकित्सालय में एक्स–रे मशीन उपलबध कराया जाना संभव हो सकेगा।

कमला नेहरू प्रदेशीय क्षय प्रदर्शन प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर में चिकित्सकों की नियुक्ति में अनियमितता

439. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कमला नेहरू प्रदेशीय क्षय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर एकमात्र राज्य का ऐसा केन्द्र है जहां पर राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान, बैंगलोर

(श्री हीरासिंह चौहान)

एवं लाला रामस्वरूप क्षय संस्था, नयी दिल्ली से प्रशिक्षित चिकित्सक ही अब तक उक्त केन्द्र में सेवा कर रहे हैं ? क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र में अप्रशिक्षित चिकित्सकों को लगा कर क्षय रोग से पीड़ित रोगियों व सम्पूर्ण राज्य के क्षय रोग की ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले चिकित्सकों को वंचित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) वर्तमान में उक्त केन्द्र पर कार्यरत चिकित्सकों में से किस–किस ने उक्त दोनों संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया ? वर्तमान में कार्यरत चिकित्सकों के नाम, उनकी नियुक्ति तिथि व उनकी योग्यता सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला प्रमुख अजमेर व अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव के कारण अप्रशिक्षित चिकित्सकों को उक्त केन्द्र पर पदस्थापना दी गई है ? क्या यह सही है कि डा. जे. सी. अग्रवाल टी.बी. के सीनियर वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं ? यदि हां, तो उनको उक्त स्थान पर अन्यत्र पदस्थापित क्यों किया गया ?

(4) क्या सरकार जनहित में उक्त सभी प्रशिक्षित चिकित्सकों को पुनः उक्त केन्द्र में नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि क्षय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र में अधीक्षक का पद वरिष्ठ विशेषज्ञ (टी.बी.) के पद के समकक्ष हैं। सामान्यतया यहां पदस्थापन ऐसे वरिष्ठ विशेषज्ञ का किया जाता है जो क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान, बैंगलोर या लाला रामस्वरूप क्षय संस्थान नयी दिल्ली से प्रशिक्षित हो या उन्हें पदस्थापित होते ही उक्त केन्द्रों से प्रशिक्षण दिलाया जाता है। अभी तक जितने भी अधीक्षक अजमेर केन्द्र पर लगाये गये हैं, सभी प्रशिक्षित हैं।

(2) सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं; सभी पदस्थापन योग्यता के आधार पर किये जाते हैं। डा. जे. सी. अग्रवाल, टी.बी. के वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं तथा उन्हें वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर ही पदस्थापित किया गया है जो एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है।

(4) राज्य सरकार जनहित में ही योग्यता के आधार पर नियुक्ति करती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर की लिफ्ट संचालन में लापरवाही

440. **श्री जीतमल खांट** (घाटोल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में दूरभाष संख्या–560291 ही है ? यदि नहीं, तो और कौन–कौन से नम्बर हैं ? क्या उक्त जानकारी आम जनता

(श्री जीतमल खांट)

को है ? यदि नहीं, तो क्या अतिरिक्त अन्य नम्बर का उपयोग भी आम जनता के उपयोगार्थ आरक्षित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन–कौन से नम्बर और नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त चिकित्सालय में वर्तमान में मरीजों के उपयोगार्थ कितनी लिफ्ट लगी हुई हैं और उनमें से कितनी चालू हैं एवं कितनी सामान्यतः खराब रहती हैं ?

(3) क्या यह सही है कि या तो लिफ्ट आपरेटर लिफ्ट पर उपलब्ध नहीं होते या "लिफ्ट खराब" है की सूचना अंकित कर कार्यस्थल से नदारद रहते हैं ? यदि हां, तो सरकार उक्त स्थिति में सुधार हेतु क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार इसमें सुधार हेतु कोई आदेश जारी कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। चिकित्सालय पी.बी.एक्स. में 40 लाइन कार्यरत हैं। जिसमें 10 बाहरी व 30 आन्तरिक लाइन हैं। दूरभाष नम्बर 560291 के अतिरिक्त 9 बाहर की जंक्शन लाइनें और कार्यरत है। इस नम्बर की हटिंग सिस्टम होने के कारण ओटोमेटिक एक लाइन व्यस्त होने पर दूसरी लाइन पर फोन आ जाता है। अतः अन्य 9 नम्बर जनता को बताने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। कार्यरत टेलीफोनों की सूची संलग्न है।

(2) इस चिकित्सालय में कुल चार लिफ्ट हैं। इनमें से एक लिफ्ट ई.सी.ई. कम्पनी की वर्तमान में बन्द है तथा इसे दिनांक 27.1.2001 को नकारा घोषित किया जा चुका है। बाकी लिफ्टें नियमित रूप से चालू हैं।

(3) जी नहीं। इस चिकित्सालय में कार्यरत तीनों लिफ्टों पर हमेशा आपरेटर कार्यरत रहते हैं तीनों में से यदि कोई लिफ्ट बन्द हो जाती है तो कम्पनी वालों के आने तक लिफ्ट बन्द होने का बोर्ड लगाकर आपरेटर बाहर बैठा रहता है।

(4) नकारा मशीन के स्थान पर नयी मशीन लगाने हेतु अप्रेल, 2001 में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई तथा शीघ्र ही नयी मशीन क्रय की कार्यवाही की जायेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

महिला/पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के वेतनमानों में असमानता

441. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य में वर्तमान में दो तरह के स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला/पुरुष) कार्यरत हैं ? क्या दोनों की शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण, जोब चार्ट, कार्यस्थल व भर्ती नियम समान हैं ?

(2) क्या वर्ष 1998 तक दोनों तरह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के वेतनमान (3050–4590) समान थे, एवं दिनांक 18.9.1998 के पश्चात् महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के वेतनमान संशोधित कर 4000–6000 कर दिए गए, परन्तु पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के वेतनमान में संशोधन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के वेतनमान को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। स्वास्थ्यकर्ता (महिला/पुरुष) की शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य स्थल समान है। यह दोनों पद सीधी भर्ती के हैं जिनकी प्रशिक्षण अवधि व जाब चार्ट अलग–अलग हैं।

(2) जी हां। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.9.98 के द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का वेतनमान संशोधित कर 4000–6000 कर दिया गया। लेकिन पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का वेतनमान संशोधित नहीं किया क्योंकि यह प्रकरण वेतन विसंगति निराकरण समिति के समक्ष विचाराधीन था।

(3) पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का वेतनमान महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समान करने हेतु वेतन विसंगति निराकरण समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जो विभागीय समिति के परीक्षणाधीन है। विभागीय समिति की अनुसंषा प्राप्त होने पर कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में स्थापित कार्डियक कैथ लैब

442. **डा. करण सिंह यादव** (बहरोड़): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में कार्डियक कैथ लैब कब स्थापित हुई थी और उक्त पर कितनी लागत आई थी ?

(2) अब तक उक्त कैथ लैब में कितने रोगियों की जांच (एंजियोग्राफी) की गई व कितने रोगियों का उपचार किया गया ? सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या उक्त कैथ लैब में रोगियों से कोई शुल्क लिया जाता है ? यदि हां, तो अब तक कितनी राशि उक्त शुल्क से एकत्रित की गई ?

(4) क्या उक्त कैथ लैब की कोई निश्चित जीवन सीमा है ? क्या उक्त जीवन सीमा के समाप्त होने पर सरकार नयी कैथ लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्डियक कैथ लैब दिनांक 18.7.92 को स्थापित की गई तथा इस पर कुल लागत रुपये 1.80 करोड़ आई थी।

(2) कैथ लैब में लगभग 12000 रोगियों

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

की जांच (एंजियोग्राफी) की गई तथा लगभग 2000 रोगियों का उपचार किया गया।

(3) जी हां। अब तक रुपये 78.00 लाख की राशि एकत्रित की जा चुकी है।

(4) जी हां। जीवन सीमा 8 से 10 साल है। मशीन की जीवन सीमा समाप्त होने पर सरकार नयी कैथ लैब लगाने पर विचार करेगी।

चिकित्सकों को समयबद्ध पदोन्नति

443. **श्री भंवरु खान** (फतेहपुर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को 8, 16, 23 वर्ष की सेवा पर समयबद्ध पदोन्नति दी जाती है ? यदि हां, तो क्या चिकित्सकों को भी इसी प्रकार का लाभ देने का विचार है ? यदि हां, तो इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त सम्बन्ध में पंर्ववर्ती सरकार द्वारा निर्णय ले लिया गया था ?

उत्तर

(1) जी नहीं। चिकित्सकों के संघ से दिनांक 17.9.98 को 8, 16, 23 वर्ष की सेवा पर समयबद्ध पदोन्नति देने पर समझौता हुआ था। जो अभी वित्त विभाग द्वारा गठित समिति के विचाराधीन है।

(2) प्रश्न के भाग–1 में उत्तर में दिया गया है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आसींद (भीलवाड़ा) में चिकित्सकों के रिक्त पद

444. **श्री रामलाल गुर्जर** (आसींद) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार तहसील मुख्यालय आसीन्द (भीलवाड़ा) में रैफरल चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आसीन्द में डाक्टरों के पद रिक्त है ? यदि हां, तो कब से।

(3) अब उक्त रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) आसींद मुख्यालय पर वर्तमान में 30 रोगी शैय्या युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (रैफरल अस्पताल) कार्यरत है

(2) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आसीन्द में डा।क्टरों के निम्न पद रिक्त हैं :–

पद नाम	तिथि जब से पद रिक्त है
1. कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	18.3.2001
2. कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	05.12.2000 से

(3) उक्त रिक्त पद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में चयनित होने के पश्चात् भरा जाना संभव हो सकेगा।

वडेता एवं चरणाभुण्ड वाई (घाटोल) के भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्र

445. **श्री नानालाल नीनामा** (घाटोल) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल में कई उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन रहित हैं ? यदि हां, तो कितने एवं कहां–कहां पर ?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के वडेता एवं चरणाभुण्ड वाई उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र घाटोल के निम्न उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन रहित हैं :–

1. पड़ोली गांर्धव
2. हिम्मत सिंह का गढ़ा
3. छोटी पड़ाव
4. सवनिया
5. रूपजी का खेड़ा
6. रोहणिया मनिग
7. चरणा मुण्डवई
8. बडेला
9. सरोदिया
10. ठिकरिया चन्डावत
11. जामवी
12. रीघेड
13. बारी
14. कछरी
15. डेरी
16. कराना
17. कपड़ा

(2) जी हां। दो उप केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति अकाल राहत के तहत जारी हुई हैं। शेष स्थान पर समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर निर्माण कराया जा सकेगा।

(3) जी हां। समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर विचार किया जायेगा।

सैटेलाइट चिकित्सालय में स्थाई पदों की स्वीकृति

446. **श्री ललित भाटी** (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सैटेलाइट चिकित्सालय अजमेर में किस–किस श्रेणी के अधिकारी/कर्मचाकरी कितने समय से प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं ? सूची मय नाम एवं पद सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सैटेलाइट चिकित्सालय में स्थायी पद स्वीकृति के

(श्री ललित भाटी)

लिए चिकित्सालय प्रभारी द्वारा सरकार को लिखा गया है ? यदि हां, तो कब, किन–किन पदों के लिए।

(3) क्या सरकार उक्त सैटेलाइट चिकित्सालय में एक पद वाहन चालक, एक पद रोगी वाहन, चार पद रोगी वाहन, चार पद वार्ड बाय, चार पद वार्ड बाय फिमेल, चार पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व तीन पद हरिजन के की स्थायी नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सैटेलाइट चिकित्सालय, अजमेर में 4 वार्ड बाय व एक सफाई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। जिनकी सूची मय प्रतिनियुक्ति दिनांक के संलग्न है।

(2) जी हां। चिकित्सालय प्रभारी से प्रस्ताव प्राप्त होने पर निदेशालय द्वारा 12 वार्ड बाय व 4 वार्ड लैडी के पदों को अन्य संस्थानों से स्थानान्तरित करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी नहीं, वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक के पदों को भरने हेतु नयी नियुक्ति पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा हुआ है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति

447. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में अब तक कितने बी. एड. एवं एस. टी. सी. किए छात्रों ने अपना पंजीयन कराया है ?

(2) जुलाई, 1999 से फरवरी, 2001 के मध्य राजकीय सेवा में कितने प्रशिक्षित छात्र–छात्राओं की नियुक्ति हो चुकी है एवं कितने अब भी सेवा से वंचित प्रतीक्षारत हैं ?

(3) उक्त अवधि के मध्य कितने प्रशिक्षित छात्र निजी शिक्षण संस्थानों में कार्य पर लगाए गए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 28 फरवरी, 2001 को कुल 53767 बी.एड. एवं 14537 एस.टी.सी. प्रशिक्षित आशार्थी रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत थे।

(2) जुलाई, 1999 से फरवरी, 2001 के मध्य राज्य सेवा में कुल 3243 प्रशिक्षित छात्र/छात्राओं की नियुक्ति हो चुकी है एवं 68304 आशार्थी अब भी सेवा से वंचित एवं प्रतीक्षारत हैं।

(3) उक्त अवधि के मध्य 3892 प्रशिक्षित छात्र/छात्राएं निजी शिक्षण संस्थाओं में लगाये गये हैं। जिनमें से 1136 महिलाएं, 415 अनुसूचित जाति, 276 अनुसूचित जनजाति, 488 अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 22 विकलांग आशार्थी हैं।

राजस्थान सिलेण्डर कम्पनी, जयपुर में गैर कानूनी तालाबन्दी

448. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित राजस्थान सिलेण्डर कम्पनी में तालाबन्दी कर गैर–कानूनी रूप से श्रमिकों की छंटनी कर दी गई है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या सरकार उक्त कम्पनी को पुनः चालू करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान सिलेण्डर कम्पनी नाम से कोई कम्पनी नहीं है। राजस्थान सिलेण्डर एण्ड कन्टेनर्स लिमिटेड के नाम से संस्थान है, जिसमें तालाबन्दी नहीं चल रही है। श्रमिकों की छंटनी नहीं की गई है वरन् श्रमिक स्वेच्छा से अपना हिंसाब लेकर नौकरी छोड़कर गये हैं।

(2) राजस्थान सिलेण्डर एण्ड कन्टेनर्स लिमिटेड में तालाबन्दी नहीं है। अतः कम्पनी को पुनः चालू कराने की कोई कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर अपेक्षित नहीं है।

जयपुर मण्डल में कार्यरत द्वितीय श्रेणी अप्रशिक्षित अध्यापक

449. **श्री प्रभुदयाल करसोल्या** (नैनवां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वर्ष 1995 से फरवरी, 2001 तक द्वितीय वेतन श्रृंखला में अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं सहित प्रदान की गई है ? यदि हां, तो कितनी–कितनी ?

(2) जयपुर संभाग में वर्ष 1995 से सितम्बर, 2000 तक सामान्य विज्ञान/कृषि/वाणिज्य/संस्कृत/शारीरिक शिक्षा अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो कितनी–कितनी ?

(3) जयपुर मण्डल में उक्त प्रकार के कितने अप्रशिक्षित अध्यापक कार्यरत हैं ?

(4) उक्त प्रकार के शिक्षकों में से जयपुर मण्डल में से अन्य जिलों में कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये ?

उत्तर

(1) वर्ष 1995 से फरवरी, 2001 के मध्य माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत अप्रशिक्षित 05 विधवा एवं 04 परित्यक्ता महिलाओं को द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर नियुक्तियां प्रदान की गयीं है।

(2) जयपुर संभाग में वर्ष 1995 से सितम्बर, 2000 तक विषयवार दी गई नियुक्तियों का विवरण इस प्रकार है :–

(शिक्षा मंत्री)

	वर्ष				
विषय	95-96	96-97	97-98	98-99/2000	योग
सामान्य	–	–	–	–	–
विज्ञान	82	81	118	68	349
कृषि	–	–	–	–	–
वाणिज्य	–	–	–	–	–
संस्कृत	–	131	76	15	222
शारीरिक शिक्षक	11	15	18	16	60

(3) जयपुर मण्डल में अप्रशिक्षित अध्यापक द्वितीय वेतन श्रृंखला में कार्यरत नहीं है।

(4) जयपुर मण्डल में से अन्य जिलों में किसी भी अप्रशिक्षित अध्यापक ग्रेड–II का स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

जिला बाड़मेर में उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर शारीरिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति

450. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या रिट याचिका सं. 959/97 माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय की पालना कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या डी. बी. सिविल स्पेशल अपील सं. 261/97 श्री उमेश जांगीड़ के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता को राज्य स्तरीय माना है ?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 8–4–99 को निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/संस्था/एफ.आ./शा.शि./नियुक्ति/99 का आदेश प्रार्थी श्री पूनमाराम चौधरी पुत्र श्री हीराराम, गांव गिड़ा, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर को 10 प्रतिशत बोनस अंक वरीयता सूची में जोड़कर शारीरिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति दिलाने का आदेश जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), बाड़मेर को दिया था ?

(4) क्या यह भी सही है कि निदेशालय के उक्त आदेश की पालना रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया था ? यदि हां, तो क्या उसकी पालना हुई और नहीं, तो क्यों ?

(5) उक्त आदेश की पालना, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), बाड़मेर द्वारा नहीं करने पर उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही

(श्री अमराराम चौधरी)

की गई ?

(6) क्या उक्त प्रार्थी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, बाड़मेर ने पद रिक्त रखा है ?

(7) क्या सरकार मा. उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश की पालना कर प्रार्थी को नियुक्ति देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) जी हां। पत्र दिनांक 4.6.99 आदेश से निरस्त कर देने से यह पालना योग्य नहीं रहा।

(5) आदेश दिनांक 8.4.99 को निरस्त कर देने से जिला शिक्षा अधिकारी (मप) बाड़मेर द्वारा इसकी पालना करने का कोई प्रश्न ही नहीं था।

(6) जी नहीं।

(7) जी नहीं। डी.बी.सिविल स्पेशल अपील संख्या 261/97 के निर्णयानुसार बोनस अंक प्रदान करने पर भी प्रार्थी नियुक्ति की परिसीमा के वरीयता क्रम में नहीं आने के कारण नियुक्ति प्राप्त नहीं कर सका।

विधान सभा क्षेत्र बारां के विद्यालयों में रिक्त पद

451. **श्री शिवनारायण** (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

गत वर्ष विधान सभा क्षेत्र बारां के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रिंसीपल/प्रधानाध्यापकों/व्याख्याताओं/वरिष्ठ अध्यापकों के कितने पद रिक्त थे ? उक्त में से कितने भर दिये गये तथा शेष रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बारां में संचालित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में गत शिक्षा सत्र में प्रधानाध्यापक/व्याख्याताओं/वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त एवं भरे गये पदों तथा वर्तमान में रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है :–

पद नाम	गत सत्र की रिक्त पदों की संख्या	भरे गये पद	वर्तमान में रिक्त पद
प्रधानाचार्य	–	–	–
प्रधानाध्यापक	06	02	04
व्याख्याता	16	09	07
वरिष्ठ अध्यापक	04	04	–
योग	26	15	11

(शिक्षा मंत्री)

रिक्त पदों को भरने हेतु वित्त एवं कार्मिक विभाग से सहमति उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

मान्यता प्राप्त मूक, बधिर व अन्य शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान

452. **श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है है कि सरकार ने वर्ष 1999–2000 में मान्यता प्राप्त मूक बधिर व अन्य शैक्षिक संस्थाओं को शतप्रतिशत अनुदान दिये जाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक किन–किन मान्यता प्राप्त संस्थाओं को कितना–कितना अनुदान दिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि मान्यता प्राप्त मूक बधिर व अन्य शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान देने के संबंध में राज्यादेश क्रमांक पं. 16/13/शिक्षा–5/99 दिनांक 25–6–99 जारी किया है ? यदि हां, तो क्या उक्त राज्यादेश की क्रियान्विति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार ने वर्ष 2000–2001 में मान्यता प्राप्त मूक बधिर व अन्य शैक्षिक संस्थाओं के लिए शतप्रतिशत अनुदान देने व संस्थाओं के काम में आने वाले उपकरणों की खरीद हेतु अनुदान देने हेतु बजट में प्रावधान रखा है ? यदि हां, तो कितना ?

(4) क्या सरकार ने राज्य में नये मूक बधिर व अन्य शैक्षिक संस्थान खोलने हेतु प्रावधान रखा था ? यदि हां, तो कहां–कहां व किस स्थान पर शैक्षिक संस्थान खोला ?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा में की गई–घोषणा के क्रम में शत–प्रतिशत अनुदान दिये जाने के लिए नियमों में संशोधन की कार्यवाही विचाराधीन है। संशोधन के बाद संस्थाओं को तदनुसार अनुदान दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(2) जी हां। संदर्भित आदेश के क्रम में मूक, बधिर व अन्य शैक्षिक संस्थाओं को शत–प्रतिशत अनुदान देने के संबंध में प्रक्रिया विचाराधीन है तथा श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं को विशेष सहायता वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण नहीं दी जा सकी।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। जोधपुर में एक अन्ध एवं बीकानेर में एवं मूक विद्यालय खोलने हेतु दिनांक 22.2.2000 को प्रशासनिक आदेश जारी किये गये, परन्तु आगामी वित्तीय वर्ष में पर्याप्त प्रावधान नहीं होने के कारण इन विद्यालयों को नहीं खोला जा सका।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के विद्यालयों में रिक्त पद

453. **डा. रघुवीर सिंह गौड़** (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कहां–कहां कितने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं ? उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब उक्त रिक्त पद कब तक भर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में 13 उच्च माध्यमिक एवं 17 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, इनमें 127 व्याख्याताओं, 213 वरिष्ठ अध्यापकों, 127 अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं, इनमें से 22 व्याख्याताओं 19 वरिष्ठ अध्यापकों तथा 18 अध्यापकों के पद रिक्त हैं।

विद्यालयों एवं विद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) कार्मिक एवं वित्त विभाग की स्वीकृति उपरान्त रिक्त पदों के भरने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

राजकीय पशु चिकित्सालय, भादरा का रिक्त भवन में स्थानान्तरण

454. **श्री संजीव कुमार** (भादरा) : क्या पशुधन विकास एवं डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय पशु चिकित्सालय, भादरा किराये के भवन में चल रहा है ? यदि हां, तो कब से और कितना किराया प्रतिवर्ष देना पड़ता है ?

(2) क्या यह भी सही कि भादरा स्थित भेड़ एवं ऊन विभाग का कार्यालय (चिकित्सालय) विभाग के पशुपालन विभाग में समायोजित किये जाने के उपरान्त खाली एवं बेकार पड़ा हुआ है ?

(3) क्या सरकार राजकीय पशु चिकित्सालय, भादरा को उक्त भेड़ एवं ऊन विभाग भादरा के रिक्त भवन में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। पशु चिकित्सालय, भादरा वर्ष 1980 से किराये के भवन में चल रहा है। जिसका वार्षिक किराया 42600/–रु. भुगतान किया जा रहा है।

(2) भवन अभी रिक्त नहीं हुआ है।

(3) जी हां। विलिनीकरण की कार्यवाही पूर्ण होते ही पशु चिकित्सालय को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

नवीन पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर पदस्थापन

455. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या पशुधन विकास एवं डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष जो पशु चिकित्सालय सरकार ने खोले थे उसमें

(श्री हरजीराम बुरड़क)

समस्त स्टाफ नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(2) अब तक कितने पशु चिकित्सालयों में स्टाफ नहीं लगा है ? और अब उक्त में कब तक स्टाफ लगा दिया जायेगा ?

(3) अब तक स्टाफ नहीं लगाने के क्या कारण थे और अब तक विभाग ने उक्त सम्बन्ध में क्या–क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। सीधी भर्ती प्रतिबन्ध होने के कारण वर्ष 1999–2000 में नये खोले गये पशु चिकित्सालयों में समस्त स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई है। कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् ही रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) 21 पशु चिकित्सालयों में स्टाफ नहीं लगा है, सूची संलग्न है। कार्मिक एवं वित्त विभाग द्वारा सहमति प्रदान किये जाने के पश्चात् ही शेष स्टाफ लगाया जाना संभव हो सकेगा।

(3) नियुक्ति एवं सीधी भर्ती हेतु कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त नहीं होने के कारण ही अब तक स्टाफ लगाया जाना संभव नहीं हो सका।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बानसूर (अलवर) के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर पदस्थापन

456. **श्री जगत सिंह दायमा** (बानसूर): क्या पशुधन विकास एवं डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति–बानसूर व बहरोड (अलवर) में वर्तमान में कहां–कहां पशु चिकित्सा केन्द्र व पशु औषधालय हैं तथा प्रत्येक में कौन–कौन से पद स्वीकृत हैं ? क्या स्वीकृत पद अनुसार उक्त औषधालयों में अधिकारी/कर्मचारी पद स्थापित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? औषधालयवार रिक्त पद रहने के कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वर्तमान में उक्त क्षेत्र में स्थापित औषधालय को पर्याप्त मानती है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में और नये पशु औषधालय खोलने, रिक्त पदों पर अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों

उत्तर

(1) पंचायत समिति बानूसर (अलवर) में 3 पशु चिकित्सालय, 1 औषधालय, 12 उपकेन्द्र व बहरोड (अलवर) में 7 पशु चिकित्सालय, 1 औषधालय व 09 उपकेन्द्र कार्यरत हैं। इन पशु चिकित्सा केन्द्रों पर स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। कार्मिक एंवं वित्त विभाग द्वारा नयी नियुक्तियों हेतु सहमति प्राप्त नहीं होने के कारण पद रिक्त हैं।

(2) वर्ष 1997 की पशु गणना के आधार पर उक्त क्षेत्र में स्थापित पशु चिकित्सा केन्द्र पर्याप्त है।

(राज्य मंत्री, पशुधन विकास एवं डेयरी)

(3) वर्तमान में उक्त क्षेत्रों में नवीन पशु औषधालय खोलने का विचार नहीं है। कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) के नये पशु चिकित्सकों हेतु पदों का सृजन

457. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या पशुधन विकास एवं डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उपखण्ड प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) के चिकित्सालय में सृजित पदों में से कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 2000–2001 में खोले गये पशु औषधालय के पद सृजित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उपखण्ड प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) में कार्यरत 7 पशु चिकित्सालयों में सृजित 33 पदों में से 8 पद रिक्त हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 2000–2001 में कोई नवीन पशु औषधालय नहीं खोला गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

जिला पाली के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

458. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या पशुधन विकास एवं डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला पाली के पशु चिकित्सालयों में कितने कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं तथा कौन–कौन से पद कब–कब से रिक्त हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला पाली में एक बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय एवं 58 पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं जिनमें स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने के पश्चात रिक्त पदों को भरा जाना संभव होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

जिला श्री गंगानगर में संचालित अध्यापक रहित स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं

459. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (गंगानगर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला श्रीगंगानगर में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं कहां–कहां

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

खोली गई तथा उन पर कितनी–कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में कितने अध्यापक कार्यरत हैं तथा कितने विद्यालय अध्यापक रहित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विद्यालयों में छात्रों की कुल कितनी–कितनी संख्या है ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–क)

(2) श्री गंगानगर जिले के राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में 314 शिक्षा सहयोगी कार्यरत हैं। एक पाठशाला तृतीय श्रेणी अध्यापक के माध्यम से संचालित की जा रही है।

(3) सूची परिशिष्ट–क सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बाड़मेर में भूकम्प से प्रभावित विद्यालय भवन

460. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में भूकम्प से कितनी स्कूलों के मकान गिर गए व कितनों में दरारें आई हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कहीं–कहीं विद्यालयों के निर्माण कार्य घटिया होने से मकान गिर गए हैं ? यदि हां, तो कहां–कहां ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला बाड़मेर व जैसलमेर के कितने विद्यालयों के भवन गिरे हैं ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जिला बाड़मेर में कोई विद्यालय भवन नहीं गिरा है जबकि जिला जैसलमेर की पंचायत समिति सम में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राबड़ी चक का भवन गिरा है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी है)

जिला बाड़मेर व जैसलमेर के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

461. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में अध्यापकों के कितने पद कब से रिक्त हैं ? पंचायत समितिवार संख्या सूची सदन

(श्री अमीन खान)

की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सीमावर्ती पिछड़े जिलों में अध्यापकों की कमी को दूर करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) प्रारंभिक, माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित बाड़मेर व जैसलमेर के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की पंचायत समितिवार संख्या विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी हां।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत सातलीयास (भीलवाड़ा) के सरपंच द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

462. **डा. रतन लाल** (सहाड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम पंचायत सातलीयास पंचायत समिति सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा में गत पांच वर्षो तक सरपंच के पद पर कौन रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में उक्त सरपंच द्वारा अनियमितताएं की गई थीं ? क्या उक्त अनियमितताओं की जांच भी सरकार द्वारा करवाई गई है ? यदि हां, तो जांच कब पूर्ण हुई और उक्त सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? प्राप्त शिकायतों की प्रति व की गई कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में उक्त पंचायत में विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न योजनाओं में राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो किस–किस योजना में कितनी–कितनी राशि किस–किस कार्य के लिए स्वीकृत की गई ?

(4) वर्तमान में उक्त सरपंच द्वारा करवाये गये विभिन्न कार्यो की क्या स्थिति है ?

(5) उक्त सरपंच द्वारा उक्त अवधि में किस कार्य पर कितनी राशि किस–किस आधार पर व्यय की गई ? विवरण मय कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा भरी गई माप पुस्तिका की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत सातली यास पं. सं. सहाडा जिला भीलवाड़ा में गत 5 वर्षो में सरपंच पद पर श्री खुबीलाल शर्मा कार्यरत है।

(2) जी हां। उक्त सरपंच के कार्यकाल में की गई अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर सरकार द्वारा अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भीलवाड़ा को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच कराने के आदेश दे दिए गए हैं। जांच प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। शिकायत की प्रति संलग्न है।

(3) जी हां। विभिन्न कार्यों के लिए

(पंचायती राज मंत्री)

विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि का ब्यौरा परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(4) उक्त सरपंच द्वारा करवाये गये विभिन्न कार्यो की स्थिति परिशिष्ट–2 पर अंकित है।

(5) उक्त सरपंच द्वारा उक्त अवधि में निर्माण कार्यो पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट–2 पर अंकित है। कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा भरी गई माप–पुस्तिका की छाया प्रति संलग्न है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति बस्सी व चाकसू (जयपुर) के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को वेतन भुगतान

463. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर की पंयायत समिति स्सी व चाकसू के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो वर्ष 2000–2001 में वेतन भुगतान कब–कब, किस–किस तिथि को दिया गया ?

(2) क्या उक्त पंचायत समितियों के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षक पदस्थापित हैं ? यदि हां, तो सूची सदन की मज पर रखें और नहीं, तो कब तक छात्र अनुपात में शिक्षक पदस्थापित कर दिये जाएंगे ?

(3) क्या यह सही है कि समानीकरण के नाम पर उक्त पंचायत समिति के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्थानान्तरण कर दिये गये और फिर ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों ने नियम विरुद्ध पुनः उक्त प्रतिनियुक्तियां कर दी या स्थानान्तरण में संशोधन कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) ब्लाक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पद के लिए निर्धारित योग्यता एवं मानदण्ड क्या है ? क्या वर्तमान में जिला जयपुर की विभिन्न पंचायत समितियों में पदस्थापित ब्लाक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी निर्धारित योग्यता एवं मानदण्ड के अनुरूप ही लगे हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। छात्र अध्यापक अनुपात में नवीन पद स्वीकृत होने पर तदनुसार शिक्षक/पैरा टीचर पदस्थापित किये जा सकेंगे।

(3) जी नहीं।

(4) ब्लाक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के लिए निर्धारित योग्यता एवं मानदण्ड प्रधानाचार्य/उप प्रधानाचार्य एवं समकक्ष स्तर के अधिकारी की है। जयपुर जिले के 12 ब्लाक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी निर्धारित

(पंचायती राज मंत्री)

कैडर के नहीं है क्योंकि इस कैडर के अधिकारी उपलब्ध नहीं है।

ग्राम पंचायत रूणीजा (नागौर) में संचालित राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं

464. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या ग्राम पंचायत रूणीजा जिला नागौर में है ? यदि हां, तो कौन-कौन से राजस्व गांव/ढाणियां/मजरे उक्त ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र में हैं ?

(2) क्या उक्त ग्राम पंचायत क्षेत्र के किसी ग्राम/मजरे/ढाणी में विगत वर्षों में राजीव गांधी पाठशालाएं खोली गई ? यदि हां, तो कहां-कहां और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार का कोई शिक्षण संस्था उक्त क्षेत्र में खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत, रूणीजा के राजस्व ग्राम एवं इनके कार्यक्षेत्र की ढाणियों तथा मजरों की सूची संलग्न है।

(2) जी हां। ग्राम पंचायत, रूणीजा के गुजरों व राईकों की ढाणी (गिंगोली) में राजीव गांधी पाठशाला खोली गई है।

(3) यदि उक्त क्षेत्र की किसी ढाणी में 6 से 11 वर्ष की आयु के कम से कम 25 बच्चे उपलब्ध हो एवं 1 किलोमीटर की परिधि में शिक्षण सुविधा उपलब्ध न हो तो ग्रामसभा के प्रस्ताव पर वहां राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला खोलने पर विचार किया जा सकता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

विधान सभा क्षेत्र जालौर के क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन

465. **श्री गणेशीराम मेघवाल** (जालौर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जालौर के कितने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन क्षतिग्रस्त है ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि देवाड़ा, धानपुर चौराऊ आदि विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो इनकी मरम्मत कब तक करादी जायेगी और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जालौर के 14 प्राथमिक एवं 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन मरम्मत योग्य है।

(2) जी हां। क्षतिग्रस्त विद्यलाय भवनों की मरम्मत के प्रस्ताव तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् उपलब्ध वित्तीय प्रावधानुसार मरम्मत कराई जायेगी।

(3) जी हां। उपलब्ध वित्तीय प्रावधानान्तर्गत राशि का आवंटन कर मरम्मत कराई जायेगी।

ग्राम पंचायत रायपुर (सवाईमाधोपुर) के अभिलेखों की प्रतियां

466. **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रायपुर पंचायत समिति गंगापुर (सवाईमाधोपुर) के अभिलेखों की प्रतियां श्री भौंरीलाल जाटव ग्राम रायपुर द्वारा मांगी गई थी ? क्या दिनांक 20.7.2000 को सरकार द्वारा सी.ओ. सवाईमाधोपुर को निर्देश दिए गए कि नियमानुसार रिकार्ड की प्रतियां दी जावें ? क्या उक्त आदेश की पालना हुई ? यदि नहीं, तो पालना नहीं करने में कौन अधिकारी दोषी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही चल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त मामले में क्या दोषी अधिकारी/कर्मचारी को सी.सी.ए. रूल 17 में नोटिस दिया गया था ? क्या नोटिस के बाद सरकार द्वारा प्रार्थी को प्रति उपलब्ध कराई गई ? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रार्थी नियमानुसार फीस जमा कराने को तैयार था ? यदि हां, तो अभिलेखों की प्रति नहीं देने के क्या कारण थे ?

उत्तर

(1) जी हां। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गंगापुरसिटी ने श्री भौंरी लाल पुत्र श्री किशन लाल जाटव निवासी ग्राम रायपुर पंचायत समिति, गंगापुर जिला सवाई–माधोपुर को जरिये पत्र क्रमांक 337 दिनांक 22.9.2000 के द्वारा सूचित किया कि आप नकल फीस जमा करा कर ग्राम पंचायत, रायपुर से वांछित रिकार्ड की प्रतियां प्राप्त कर ले, लेकिन श्री जाटव ने नकल फीस जमा नहीं कराई और ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित भी नहीं हुए।

(2) जी हां। लिखित सूचना के बावजूद श्री जाटव वांछित अभिलेख की प्रतियां लेने हेतु उपस्थित नहीं हुए और न ही फीस जमा कराई है।

(3) प्रार्थी को लिखित सूचना देने के पश्चात् भी उसके द्वारा नकल फीस जमा नहीं कराई गई और न ही ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित हुए।

विधान सभा क्षेत्र देसूरी के ग्राम खटुकड़ा में पंचायत मुख्यालय की स्थापना

467. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र देसूरी की पंचायत समिति रानी की ग्राम पंचायत नादाना भाटान में नादाना भाटान, नादाना जोधान, गुड़ा गांगणान व खटुकड़ा गांव आते हैं ? क्या उक्त चारों गांवों में जनसंख्या की दृष्टि से खटुकड़ा सबसे बड़ा गांव है और जिसके

(श्री आत्माराम मेघवाल)

प्रस्ताव पंचायती राज विभाग को वर्ष 1994-95 में भिजवाये जा चुके हैं ?

(2) क्या सरकार पंचायत पुनर्गठन के दौरान खटुकड़ा ग्राम को ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत, नादाना भाटान में नादाना भाटान, नादाना जोधान, गुड़ा गांगणान तथा खटुकड़ा गांव आते हैं। इन चारों गांवों में खटुकड़ा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा गांव है। वर्ष 1994–95 में खटुकड़ा का प्रस्ताव पंचायती राज विभाग को नहीं भिजवाया गया था।

(2) जी नहीं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव वर्ष 2000 में सम्पन्न होकर नयी पंचायती राज संस्थाएं गठित हो चुकी हैं। अतः अब पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

जयपुर जिले के पुस्तकालयाध्यक्ष के अधिशेष पद

468. **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III कितने पदों को अधिशेष कर तृतीय श्रेणी अध्यापक में परिवर्तित कर प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा में पदस्थापित किया जा रहा है ? उक्त आदेश की क्रियान्विति अब तक किन कारणों से नहीं की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर जिला एवं जयपुर शहर के कितने पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III के पद अधिशेष किये गये हैं और कौन से वर्ष की नियुक्ति दिनांक तक के अधिशेष पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III को प्रारम्भिक शिक्षा/पंचायत के अधीन संचालित स्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन संचालित संस्थानों में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर पदस्थापित किया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा में जयपुर जिला एवं जयपुर शहर की शैक्षणिक संस्थानों में तृतीय श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं ? संस्थावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण, जयपुर के विमाल बनाम निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा के वाद में दिये गये निर्णय की शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में स्थानान्तरण में किसी एक स्कूल में अधिकतम ठहराव को न मानते हुए उस शहरी क्षेत्र में अधिकतम ठहराव के आधार पर स्थानान्तरण करने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अधिशेष होने वाली महिला पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III जो ग्रामीण क्षेत्र से गत डेढ़ वर्ष से जयपुर शहर में पदस्थापित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(5) जयपुर शहर में प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा स्कूलों में तृतीय श्रेणी के कितने अध्यापक गत दस वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से उक्त अधिशेष पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III को तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर नियुक्त करने की अनुमति प्राप्त कर ली है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या उक्त समस्त प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III की वरीयता का निर्धारण नियुक्ति तिथि से किया जायेगा ? यदि हां, तो उक्त पद पर पूर्व में कार्यरत प्रशिक्षित अध्यापक की वरीयता किस आधार पर तय की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्तमान में जयपुर जिला एवं जयपुर शहर में एक भी पुस्तकालय ग्रेड–III को अधिशेष घोषित नहीं किया गया है।

(3) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जयपुर जिले में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" पर तथा प्रारंभिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "ख" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका पर ही लागू होता है न कि प्रकरणों पर। अधिशेष कर्मचारियों के समायोजन हेतु अलग से नियम बने हुए हैं उसी के अनुसार अधिशेष कर्मचारियों का समायोजन किया गया है।

(5) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जयपुर शहर में 1 वर्ष से कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापकों की सूची परिशिष्ट "ग" एवं प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित सूची परिशिष्ट "घ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) जी नहीं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से अधिशेष पुस्तकालयाध्यक्षों के समायोजन के संबंध में स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है तथा न ही वर्तमान में किसी पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III को अधिशेष घोषित किया गया है।

(7) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

तहसील आसीन्द (भीलवाड़ा) के भवन विहीन विद्यालय

469. **श्री रामलाल गुर्जर** (आसींद) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) में कितने भवन रहित प्राथमिक विद्यालय हैं ?

(2) उक्त क्षेत्र के भवन रहित विद्यालयों

(श्री रामलाल गुर्जर)

के कब तक भवन बन जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील आसीन्द (भीलवाड़ा) में 04 प्राथमिक भवन रहित विद्यालय है।

(2) उक्त विद्यालयों के भवन निर्माण स्वीकृति जारी कर दी गई है एवं भवनों के वर्ष 2001–2002 में बन जाने की संभावना है।

ग्राम पंचायत नांगलहीरा (अलवर) के सार्वजनिक तालाब की भूमि पर अतिक्रमण

470. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम पंचायत नांगलहीरा, तहसील किथंर, जिला–अलवर में सार्वजनिक तालाब कितने रकबा में है ? उक्त भूमि पर कितने व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है ?

(2) क्या सार्वजनिक रास्ते में श्री हनुमान प्रसाद पुत्र श्री काशीराम नया कुआ तालाब व रास्ते की भूमि में खोद रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उक्त अतिक्रमण के संबंध में क्या कार्यवाही की है ? उक्त तालाब भूमि पर से अवैध कब्जे कब तक हट जायेंगे ?

(3) क्या उक्त रास्ते सरकारी हैं ?

उत्तर

(1) ग्राम नागलहीरा में आ. खसरा नम्बर 175, 176, 177 एवं 178 किता चार रकबा 0.76 हैक्टेयर में सार्वजनिक तालाब (गैर मुमकिन जोहड) है। उक्त गैर मुमकिन जोहड की भूमि पर श्री सिकन्दर, श्री राम प्रसाद एवं श्री चुन्नीलाल ने क्रमशः 3–3–2 एयर कुल 9 एयर भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है।

(2) जी नहीं। उक्त तालाब भूमि पर से अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

(3) जी हां।

ग्राम डिगा (जैसलमेर) में एस्केप से पानी वितरण

471. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के डिगा गांव के पास एस्केप है जिसमें इंदिरा गांधी नहर का पानी छोड़ा जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पानी को लिंक चैनल बनाकर बीरबल शाखा में पानी वापस डालने का कार्य जुलाई, 1998 में प्रारम्भ किया गया था ? क्या उक्त कार्य पूर्ण हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। डिगा गांव के पास एस्केप चैनल है। जिसमें आवश्यकता से अतिरिक्त पानी आने पर सागरमल गोपा शाखा की आर.डी. 47.5 से पानी छोड़ा जाता है

(2) हां, यह सही है कि एस्केप से एक लिंक चैनल बनाकर पानी वापस बीरबल शाखा में डालने की योजना है। जिस पर

(इंदिरा गांधी नहर मंत्री)

जुलाई, 1998 में कार्य आरम्भ हुआ, लेकिन वर्ष 2000–2001 में पर्याप्त बजट की अनुपलब्धता के कारण बंद हो गये थे। वर्ष 2001–2002 में बजट उपलब्ध होने पर कार्य पुनः प्रारम्भ किया जायेगा।

राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्यों के दूरभाषों पर व्यय राशि

472. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या मंत्रिमण्डल सचिवालय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य मंत्रिमण्डल के किन–किन सदस्यों को कितने–कितने टेलीफोन/मोबाइल उपलब्ध कराये हुए हैं ? टेलीफोन नम्बर व वे कहां स्थापित हैं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मंत्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा उपरोक्त टेलीफोन पर वर्ष 1999–2000 व 2000–2001 में कितना व्यय किया गया ? सदस्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्य मंत्री एवं समस्त मंत्रिगणों के कार्यालय एवं निवास पर स्वीकृत राजकीय टेलीफोन की सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है। मोबाइल फोन माननीय मुख्य मंत्री जी को आंवटित है। शेष मंत्रियों को यह सुविधा नहीं दी गई है।

(2) वर्तमान मंत्रिमण्डल के सदस्यों पर वर्ष 1999–2000 एवं 2000–2001 में टेलीफोन मद में किये गये व्यय की सूचना परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के कर्मियों का दर्जा

473. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) एवं **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में सीधी भर्ती से कार्यरत कर्मचारियों को सरकार राज्य कर्मचारियों का दर्जा देती है ? यदि हां, तो कब तक राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति सभी परिलाभ दिये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहकारी पंजीयन अधिनियम, 1968 के तहत एक पंजीकृत संस्था होने के कारण इनमें सीधी भर्ती से कार्यरत कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों का दर्जा दिया जाना सम्भव नहीं है।

(2) उक्त कर्मचारियों को विभाग द्वारा जारी राजस्थान राज्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कर्मचारी सर्विस रेग्यूलेशन, 1983 के तहत परिलाभ नियमानुसार दिये जा रहे हैं।

विधान सभा क्षेत्र खारची के औषधालयों में रिक्त पद

474. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की

(श्री केसाराम चौधरी)

कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं ?

(2) उक्त औषधालयों में चिकित्सक, कम्पाउण्डर एवं अन्य कौन–कौन से पद कब से रिक्त हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में वर्तमान में 18 आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं।

(2) उक्त क्षेत्र में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। 200 चिकित्सकों के पदों को भरने की वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयन के लिए निवेदन किया जा रहा है चयन होने पर 200 चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

250 नर्स/कम्पाउण्डरों के पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

100 परिचालक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के औषधालयों में रिक्त पद

475. डा. **रघुवीर सिंह गौड़** (कोटपूतली): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कहां–कहां कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं ?

(2) उक्त चिकित्सकों के कितने पद, कहां–कहां रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कुछ चिकित्सक "डेपूटेशन" पर अंयत्र लगाए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों और अब इनके स्थान पर पदस्थापन कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में वर्तमान में 23 आयुर्वेदिक औषधालय संचालित हैं जिनका विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के तीन आयुर्वेद औषधालयों में चिकित्सकों के तीन पद निम्न औषधालयों में रिक्त हैं :–

1. पाथरेडी,
2. टौरडाकलां
3. रामसिंहपुरा

(3) केवल मात्र विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के आयुर्वेद औषधालय, सांगटेडा में पदस्थापित एक चिकित्सक को राज्यादेश दिनांक 4–12–2000 से विधान सभा

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

औषधालय में वर्तमान विधान सभा सत्र तक प्रतिनियुक्ति पर लगाया हुआ है। सत्रावसान के पश्चात् चिकित्सक को पुनः भेज दिया जायेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री सादिल अली, पूर्व राज्यपाल, महाराष्ट्र व तमिलनाडु

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर परमैं हाल ही में दिवंगत हुए महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल श्री सादिक अली के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक्र प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल तथा गांधीवादी नेता श्री सादिक अली का जन्म 4 अप्रेल, 1910 को उदयपुर में हुआ। आपने महाराणा भूपाल कालेज से इन्टर करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

श्री सादिक अली वर्ष 1950 से 1952 तक अन्तरिम संसद तथा नवम्बर, 1958 से अप्रेल, 1970 तक दो बार राजस्थान से राज्य सभा के सदस्य रहे। आप अप्रेल, 1977 से नवम्बर, 1980 तक महाराष्ट्र तथा वर्ष 1980 से 1982 तक तमिलनाडु के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे।

आप वर्ष 1958 से 1968 तक की अवधि में तीन बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे। गांधी स्मारक संग्रहालय समिति तथा गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष रहे श्री सादिक अली की पत्रकारिता में रुचि रही। आपने वर्ष 1960 से 1962 तक "पोलिटिकल एण्ड इकोनोमिक रिव्यू" नामक पत्रिका का सम्पादन किया तथा अनेक पुस्तकें भी लिखी।

वयोवृद्ध गांधीवादी नेता श्री सादिक अली का दिनांक 17 अप्रेल, 2001 को निधन हो गया।

मैं श्री सादिक अली को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की आरे से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की)

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :

1. प्रो. सांवर लाल एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राज्य में असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचने के संबंध में।

2. श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायपुर के प्रसिद्ध रामदेव बाबा मंदिर, बिराटिया खुर्द के ट्रस्ट के चुनाव स्थगित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा विधायकों द्वारा लिखे पत्रों का जवाब नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से जिला नागौर के मौलासर में 9 जनवरी, 2001 को पर्याप्त बिजली सप्लाई की मांग कर रहे व्यक्तियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज व गोली चलाने की कथित घटना के संबंध में।

5. डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में।

उपरोक्त स्थगत प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, इस पर भी जानकारी ले रहे हैं, क्या कि मुख्य मंत्री जी को कितने पत्र लिखे हैं और कितनों का जवाब दिया ?

श्री अध्यक्ष : इसका तो मुख्य मंत्री जी को देखना पड़ेगा कि किस–किस के पत्र आये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जानकारी ले रहे हैं न ?

श्री अध्यक्ष : नहीं–नहीं, अभी कल आप मुख्य मंत्री जी को बता रहे थे कि मैंने आपको पत्र लिखे। आपने मुख्य मंत्री जी को 15 पत्र लिखे होंगे। अभी आप यह प्रश्न पूछ लें कि बताओ मैंने कौन–कौनसी तारीख को लिखे, तो सम्भव नहीं है यह।

(12.07 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

1. श्री गोवर्द्धन कल्ला, सदस्य की ओर से जैसलमेर जिले की इंदिरा गांधी नहर में पानी छोड़ने के संबंध में

2. श्री महादेव सिंह, सदस्य की ओर से राज्य में विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी के

(श्री उपाध्यक्ष)

लिये सौर ऊर्जा का उपयोग करने के संबंध में।

3. श्री हरिशचन्द्र कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नावां में पेयजल की समस्या का समाधान करने के संबंध में।

4. श्री भरोसी लाल, सदस्य की ओर से हिण्डौन तहसील के शेष रहे ग्रामों एवं ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने के संबंध में।

5. श्री हेमन्त कुमार, सदस्य की ओर से जिला कोटा की सांगोद पंचायत समिति क्षेत्र में विद्युत संचालन व्यवस्था में सुधार करने के संबंध में।

6. प्रो. सांवर लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भिनाय के गांवों में जयपुर, अजमेर, ब्यावर आगार से चलने वाली बसों की अव्यवस्था के संबंध में।

7. श्री अमीन खान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शिव के कांसाउ में 33 के. वी. जी. एस. एस. की स्थापना के संबंध में।

8. श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायपुर की स्वीकृत पेयजल योजनाओं को चालू करने के संबंध में।

9. श्री नाथूराम अहारी, सदस्य की ओर से डूंगरपुर पंचायत समिति का जलस्तर बहुत नीच चला जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा विनम्र निवेदन है कि जब से सदन चला है माइक कभी काम करते हैं कभी नहीं करते हैं, पहले भी निवेदन कर चुके हैं हम आपको।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : सही बात है, उपाध्यक्ष महोदय, हमारा गला ही बैठ जाता है। वहां की माइक व्यवस्था अच्छी थी। इन माइकों को सही कराया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : देखिये न आप, चल गया वो।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, आवाज नहीं है जोरदार। जितनी हमारी है उतनी नहीं हैं।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

इन्दिरा गांधी नहर, जैसलमेर में पर्याप्त पानी छोड़ा जाना

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के कार्य संचालन नियम 295 के अंतर्गत जैसलमेर जिले की इन्दिरा गांधी नहर में पानी छोड़ने के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी नहर

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

की क्षमता 17 हजार क्यूसेक्स है जबकि वर्तमान में 3 से 4 हजार क्यूसेक्स पानी उपलब्ध हो रहा है। जैसलमेर जिले में इस परियोजना का अन्तिम छोर सब से अधिक सिंचित क्षेत्र है, वहां कृषि कार्य हेतु सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं हो रहा। पेयजल हेतु भी पानी नहीं दिया जा रहा। दिनांक 10 अप्रेल, 2001 को जो जल वितरण की बैठक सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा की गई उसमें जैसलमेर क्षेत्र के नहर के 1365 आर.डी. के बाद 27 दिन बाद पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया है। जैसलमेर क्षेत्र जहां नहर चलती है, इस क्षेत्र में न तो भू–जल उपलब्ध है न ही डिग्गियां बनी हैं जिसमें पेयजल हेतु पानी संग्रह किया जा सकता है। गत वर्ष से 10 हजार नये काश्तकारों को भू–आबंटन किया गया है जिन्होंने अपना पशुधन लेकर उस क्षेत्र में बसना प्रारम्भ किया है। इन काश्तकारों को पेयजल हेतु विकट संकट उत्पन्न हो गया है। इन्दिरा नहर के 1365 आर.डी. के ऊपरी क्षेत्र में डिग्गी आदि बनी हुई हैं तथा भू–गर्भ का जलस्तर भी ऊपर आ गया है जहां हैण्डपम्प आदि से पेयजल व्यवस्था की जा सकती है। अतः सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री महोदया से निवेदन है कि जैसलमेर जिले में पर्याप्त मात्रा में नहरों में पानी छोड़ा जाए जिससे पेयजल की समस्या का समाधान हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महादेव सिंह जी।

विद्युत उत्पादन में वृद्धि हेतु सौर ऊर्जा का उपयोग

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत राजस्थान में बिजली उत्पादन के संबंध में माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान निम्न बिन्दुओं पर आकर्षित करना चाहता हूं।

राजस्थान सरकार ने बिजली का उत्पादन तेजी से बढ़ाने के लिए सराहनीय कदम उठाये है। परन्तु उत्पादन पर्याप्त हो जाने के बावजूद लाखों लोग जो मुख्य आबादी से अलग रहते हैं, शायद ही कभी बिजली के कनेक्शन ले पाये। इन लोगों के लिए रोशनी की एक मात्र किरण सूर्य ऊर्जा के उपकरण हैं। इन उपकरणों को लोगों ने देखा हैं और इनकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मात्र 6 करोड़ रुपये के अनुदान से दस हजार घरों में उजाला लाया जा सकता है। एक बार अनुदान देने के बाद सरकार की आगे कोई जिम्मेदारी या खर्चा भी नहीं आएगा। गत वर्ष राज्य सरकार के खर्चे पर 3400 घरों का विद्युतीकरण सौर ऊर्जा से हुआ।

राज्य सरकार हजारों करोड़ रुपये बिजली का वितरण करने वाली कम्पनियों को अनुदान के रूप में दे रही है। क्यों न इस अनुदान का मात्र एक प्रतिशत हिस्सा सूर्य ऊर्जा बिजली उपकरणों के लिए आबंटित किया जाता ?

(श्री महादेव सिंह)

(1) क्या राज्य सरकार गत वर्ष की भांति इस वित्तीय वर्ष में भी अपने खर्चे (अनुदान) पर 3400 घरों या उससे ज्यादा घरों का विद्युतीकरण और ऊर्जा से करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार छह करोड़ के अनुदान से दस हजार घरों में सौर ऊर्जा से उजाला करने की मंशा रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) चालू वित्तीय वर्ष 2001–2002 में कितने संयंत्रों के लिए राज्य सरकार ने बजट का प्रावधांन किया है, बताने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिश चन्द्र कुमावत। **(अनुपस्थित)**, श्री भरोसी लाल जी।

हिण्डौन तहसील के शेष ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत हिण्डौन तहसील के शेष रहे ग्रामों एवं ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के ग्राम बाढ़, खातीपुरा, वमनपुरा, मिकीपुरा, कसाने का पुरा, जगतसा का पुरा, कोटवास, राजापुरा, छत्री का पुरा, बेडा, वमनपुरा (खरेटा) गेंदपुरा, लोगटीपुरा, गद्दीपुरा, हरीराम पुरा, दांत का पुरा, मीना दांत का पुरा आदि ग्राम एवं ढाणियों में बसे हुए हैं। इन ग्रामों का आज तक किसी भी तरह का विकास नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये ग्राम राजस्व ग्राम की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं। इस कारण इन ग्रामों की आम जनता एवं किसान किसी भी तरह के ऋण आदि की सुविधा से वंचित हैं।

अतः निवेदन है कि इन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने की कृपा करें ताकि गरीबों को ऋण आदि की सुविधा मिल सके।

सांगोद पंचायत समिति में विद्युत संचालन व्यवस्था में सुधार

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमन्त कुमार जी।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के कार्य संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत सांगोद पंचायत समिति जिला कोटा में विद्युत संचालन व्यवस्था में सुधार बाबत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र दीगोद जिला कोटा के अंतर्गत पंचायत समिति सांगोद क्षेत्र में विद्युत समस्या गत कई वर्षो से बनी हुई है। समय पर बिजली

(श्री हेमन्त कुमार)

नहीं मिलती, यदि मिलती भी है तो कम वोल्टेज आते हैं जिसके कारण किसान उसका सही उपयोग कृषि कार्यों में नहीं कर पाते।

गत वर्ष भी फसल बुआई व सिंचाई के समय बिजली उपलब्ध नहीं हो पाई, बिजली की भारी कमी रही। स्थानीय किसानों ने तहसील मुख्यालय पर कई दिनों तक क्रमिक धरने का कार्यक्रम रखा। माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी के प्रयास से व्यवस्था में सुधार हुआ। पंचायत समिति मुख्यालय पर अलग से एक अधिशासी अभियंता को अस्थाई रूप से लगाया जिससे विद्युत किसानों को उपलब्ध हो पाई व फसल की बुआई व सिंचाई की गई। सांगोद पंचायत समिति क्षेत्र को विद्युत सप्लाई झालावाड़ जिले से की जाती है तथा यह भाग अन्तिम छोर पर आता है जिसके कारण इस भाग को सही वोल्टेज व संचालन नहीं हो पाता। इस क्षेत्र को झालावाड़ से विद्युत सप्लाई न कर यदि कोटा डाहरा ग्रिड स्टेशन का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर इससे जोड़ा जाए तो समस्या का स्थाई समाधान हो सकता है। किसानों को प्रति वर्ष फसल की बुआई व सिंचाई के समय आन्दोलित नहीं होना पड़े तथा वे अपना समय कृषि कार्य में लगा सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से एवं ऊर्जा मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि सांगोद क्षेत्र में विद्युत संचालन का स्थाई हल कर जनता को राहत दिलाएं जिससे भविष्य में किसानों को कठिनाई न हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवर लाल। (अनुपस्थित), श्री अमीन खान।

शिव विधान सभा क्षेत्र के कांसाउ में 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना

श्री अमीन खान (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत लोक महत्व के मामले में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि शिव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की पंचायत समिति सब जिला जैसलमेर के ग्राम तेज मालता (कांसाउ) में 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना करना अति आवश्यक है क्योंकि ग्राम जिंजनीमाली, भाउली कुंडा लरपा, मोठा तेजमालता, बइया गुड्डा, देवड़ा, चेलक तक ग्रामों को शिव 33 के.वी. से विद्युत वितरण की व्यवस्था है जो शिव से 65 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पर पेयजल योजनाओं के नलकूप व मोटरों को सही विद्युत नहीं मिल रहा है। यहां की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाएं जो करोड़ों रुपये खर्च कर तैयार की गयी हैं, सुचारू रूप से संचालन के लिए इस क्षेत्र में कांसाउ में

(श्री अमीन खान)

इसी साल 33 के.वी. की स्वीकृति दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान।

रायपुर विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पेयजल की व्यवस्था

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 296 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रायपुर में पेयजल योजना को चालू करने के संबंध में निवेदन है कि पाली जिले के विधान सभा क्षेत्र रायपुर की कई पेयजल योजनाएं स्वीकृति के बावजूद चालू नहीं हो रही हैं, अधूरी पड़ी हैं। कहीं टंकी बन गई हैं तो कुआं चालू नहीं किया है या बिजली के ट्यूबवैल व ओपन वैल से नहीं जोड़ा गया है, इसी प्रकार हैण्ड पम्प कहीं सूख गए हैं तो उन्हें पुनः व्यवस्थित नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार पेयजल की सारी इकाइयां जनता को पेयजल देने में अयोग्य बन रही हैं जो गंभीर चिंता का विषय है।

पिछले 3–4 से साल गजनाई बांध से चण्डावल नगर, बासना, चीतरिया व अरपड़ा आदि खारे पानी के गांवों को मीठा पानी देने के लिए योजना बनाई गई लेकिन तकनीकी स्वीकृति के कारण अटकी पड़ी है। इसी प्रकार 2 वर्ष पूर्व माननीय पेयजल मंत्री जी ने निमाज सैंदड़ा से ब्यावर को पेयजल आपूर्ति की लाइन पाली जिले को हस्तान्तरित करने के आदेश दिये लेकिन विभाग के अधिकारीगण द्वारा दो वर्ष से इस योजना को बदल कर बिराटिया खुर्द, बर, झालाकी, चौकी, सैंदड़ा तथा अमरपुरा ग्राम पंचायतों के राजस्व ग्रामों को गंभीर संकट के बाद भी पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

राजस्व गांव बिराटिया खुर्द व रामगढ़ सेडोतान की पिछले 11 वर्षों से स्वीकृत पेयजल योजना लगातार सदन में उठाने के बाद भी अभी तक चालू नहीं होने से गंभीर समस्या बनी हुई है जिसके समाधान के प्रति सरकार की उदासीनता जनता के लिए दुःखदायक बनी हुई है।

अतः मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैण्ड पम्प से लेकर सभी पेयजल योजनाएं शीघ्र प्रारम्भ करने की व्यवस्था की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि योजना स्वीकृत होने के बाद भी चालू नहीं हो रही है। खुद माननीय मंत्री जी ने इस विषय में...

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए अभी आपने ध्यान आकर्षित किया न 295 में।

श्री हीरासिंह चौहान : मैंने तो किया लेकिन मंत्रीजी बैठे हैं, कुछ आश्वासन दें इस बारे में।

श्री उपाध्यक्ष : 295 में आश्वासन नहीं मिलते।

डूंगरपुर में अनावृष्टि से उत्पन्न स्थिति

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले में अनावृष्टि से उत्पन्न स्थिति के बारे में विशेष उल्लेख है कि लगातार 3 वर्षों से अनावृष्टि से जिले की हालत खराब हो गई है। अधिकांश गांवों में कुएं और हैण्ड पम्प सूख गए हैं, जनता व पशुओं को पिलाने के लिए पानी नहीं है महोदय, डूंगरपुर जिले में बिखरी हुई आबादी है और पहाड़ी है, वहां टैंकरों से पानी नहीं पहुंचाया जा सकता है। सरकार ने अभी मजदूर संख्या बढ़ाई है वह भी बहुत कम है। अभी भी पहली व 16 तारीख को 50 मजदूर की जगह 100 मजदूर आ जाते हैं, यहां तक कि मारामारी भी हो जाती है।

अतः मेरी मांग है कि जलस्तर ऊपर उठाने के लिए छोटे–बड़े नदी–नालों पर बांध/एनीकट बंधवाये जाएं ताकि जल स्तर कायम हो सके। साथ ही मई–जून में 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख मजदूरों की संख्या स्वीकृत की जाए ताकि आगामी दो माहों में हर परिवार से एक मजदूर लगाया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर रामप्रताप।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जौ और सरसों की सरकारी खरीद

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सबको पता है कि पिछले तीन साल से पूरे प्रदेश में अकाल की भयंकर स्थिति बनी हुई है, लेकिन नहरी क्षेत्र में भी शायद 50 साल में इतनी पानी की कमी नहीं आई होगी जितनी इस बार आई है। उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को राय नहीं देने के बावजूद कम पानी की उनको खुद को जानकारी थी और इस हिसाब से ज्यादातर जौ और सरसों की बुवाई की गई। जौ की बुवाई के बाद में केन्द्र सरकार ने इसका समर्थन मूल्य 500 रुपये घोषित किया। 500 रुपये समर्थन मूल्य घोषित करने के बाद में आज एक महीने से जौ बाजार में आ रहा है, व्यापारियों को भी यह अंदेशा था कि अगर ज्यादा नीचे दामों पर खरीदा गया तो इसकी राज्य सरकार खरीद शुरू कर देगी, इस वजह से शुरू में 400 से ऊपर जौ बिका।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं विशेष तौर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मुख्य मंत्रीजी, यह आपसे संबंधित है, आपका ही मामला इसमें है, समर्थन मूल्य का मामला है जिसमें आपने खुद ने घोषणा की है कि राज्य सरकार जौ की खरीद 500 रुपये के हिसाब से करेगी।

(श्री रामप्रताप)

आपने समाचार पत्रों के माध्यम से इसका बहुत भारी प्रचार भी कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस प्रचार–प्रसार का नतीजा यह हुआ कि किसान अपनी उपज मार्केट में लाया लेकिन सरकार उसको खरीद नहीं रही। इस पोल का व्यापारियों को भी पता लग गया है इसलिए वह भी साढ़े तीन सौ से पौन चार सौ रुपये के हिसाब से जौ की खरीद कर रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस भयंकर अकाल की स्थिति में जौ किसान ने पैदा किया है, उसकी आर्थिक स्थिति वैसे भी कमजोर हो चुकी है और वह अपनी उपज को ज्यादा समय तक घर पर रोककर नहीं रख सकता। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का दायित्व है। या वह कहती नहीं तो कम से कम व्यापारी तो इस बात को एक्सप्लायट नहीं करता। आज की तारीख में, मुख्य मंत्रीजी, साढ़े तीन सौ से पौने चार सौ इसके भाव बाजार के अंदर चल रहे हैं और जैसा आपने खुद ने अपने पत्र में लिखा है कि आठ मैट्रिक टन की इसकी उपज होगी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि आठ लाख के पेटे आपने एक महीने में कितने हजार टन की खरीद की है ? आपने लोगों को झूठा आश्वासन क्यों दिया ? क्यों समाचार पत्रों के माध्यम से इस बात को कहा गया ? किसान के साथ इस किस्म का अन्याय क्यों किया जा रहा है ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इसी में नहीं है सरसों का मामला भी आप ले लें, कहीं बारदाना नहीं मिल रहा तो कहीं पर बोली नहीं लग रही है। यही हालत आपके गेहूं की है जिससे आज किसान मारा–मारा घूम रहा है। आज आसमान में बादल छाये हुए हैं, जगह–जगह बरसात और ओले गिर रहे हैं, जो उसने पैदा किया है वह तबाह हो जाएगा। तो क्या राज्य सरकार का यह दायित्व नहीं है कि वह सरकारी खरीद चालू करें ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी बिराजे हुए हैं, इस तरीके से बैठे हुए हैं...(व्यवधान) यह बात कोई छोटी चीज नहीं है, आपने प्रतिपक्ष के नेता को यह पत्र लिखा है।

श्री मदन दिलावर : गेहूं नहीं खरीदा, सरसों नहीं खरीदी जा रही। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : पत्र लिखा है कि हमने जौ खरीद शुरू कर दी है और आपने यह ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो, आपके माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। नीचे बैठो। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : इसमें आप यह एलीबी लेने की कोशिश करोगे कि राज्य सरकार को केन्द्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने खुद राज्य सरकार की तरफ से अपने संसाधनों से जौ खरीदने का आश्वासन जनता को दिया है तो आप जौ की खरीद शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं ? माननीय मुख्य मंत्रीजी,

(श्री रामप्रताप)

मेहरबानी से आपने मेरे ख्याल से पहली बार शायद इस सैशन में बैठना शुरू किया है, यह बहुत गम्भीर विषय है, किसानों की कमर टूटी हुई है, 350 रुपये के हिसाब से बिक रहा है, 150 रुपये का फर्क है इस स्थिति में क्या आपको थोड़ा बहुत महसूस नहीं हो रहा इस बात का ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह महुवा (मुख्य सचेतक) : आप भाषण क्यों दे रहो हो ?

श्री रामप्रताप : इसमें भाषण क्या ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह भाषण नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का किसान मर रहा है। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय डा. रामप्रताप जी। माननीय सदस्य। (व्यवधान) मैं आपको बोलने दे रहा हूं, आप वहां से बोलिए। मैं अलाउ कर रहा हूं आपको। आपको रोका है क्या बोलने से ? आप बोलो, आप बोलकर अपनी बात समाप्त करो, सरकार बता देगी। (व्यवधान) उनको पूरा बोलने दो उसके बाद सरकार जवाब देगी, बीच में ही जवाब दे देगी क्या ? (व्यवधान) बीच में यह खड़े हो रहे हैं, बीच में आप खड़े हो रहे हैं यह कोई तरीका है क्या ? यह कोई तरीका है ? उनको रोका नहीं है बोलने से। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : इनको तो बोलने से मतलब नहीं है केवल...(व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : किसानों की बात आप कर रहे हैं, किसानों की बात स्पष्ट करें। केन्द्र की उस सरकार से पूछिये कि आज तक जो फूड कारपोरेशन खरीदता था...(व्यवधान) इन नीतियों में क्या परिवर्तन किया गया ? किसानों की कौनसी हिमायत कर रही है केन्द्र की सरकार ? कौनसे भावों को बढ़ा दिया केन्द्र की सरकार ने ? क्या पामोलीन लाकर सरसों की कीमत दी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपके सदस्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : क्या डीजल के भाव थे ? इस तरह से किसानों के हमदर्द नहीं हो सकते, यह बात वहां पर केन्द्र की सरकार से पूछिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : डाक्टर साहब, आपको क्या पता है, आपने तो शहर में बैठकर डाक्टरी की है। आप तो एस.एम. एस. में बैठे हुए हो, आपको क्या पता, डाक्टर साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, प्लीज, डा. रामप्रताप जी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : डा. करण सिंह जी, आप किसानों की बात कर रहे हो, आप क्या बताओगे। आपने तो डाक्टरी की है, 40 साल से शहरों में बैठे हो, डा. करण सिंह जी। (व्यवधान) आज आप डीजल और पैट्रोल की बात कर रहे हैं, बिजली की रेट 3 गुना बढ़ा दी, सरचार्ज बढ़ा दिया। करण सिंहजी किसानों की बात कर रहे हैं, आप तो 40 सालों से शहरों में बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। डा. करण सिंह जी, करण सिंहजी, माननीय सदस्य, बिराजिए, आप विराजिये। माननीय माननीय डा. रामप्रतापजी, आप बोल रहे हैं, आपको रोका तो नहीं है। फिर आप काहे को बैल में आ रहे हो ? आप बोलो अपनी बात को।

श्री रामप्रताप : कोई रेस्पोंड ही नहीं करे, आंख मींच कर बैठे हैं। इतना गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : रेस्पोंड तो आप बात खतम करें न, इसका मतलब आप बीच में चाहते हैं यह सब ?

श्री रामप्रताप : और उधर से ये केन्द्र को दोष दे रहे हैं। केन्द्र से निपटो आप।

श्री उपाध्यक्ष : Let him finish. आप अपनी बात करें।

श्री रामप्रताप : लेकिन आपने यह आश्वासन दिया है। यह मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है कि हम हमारे संसाधनों से खरीदेंगे। कहां चले गये आपके संसाधन ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आप बोल रहे हैं आप अपनी बात समाप्त करें उससे पहले...

श्री रामप्रताप : इतना गम्भीर मामला है और रेस्पोंड ही नहीं करे आदमी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रेस्पोंड कैसे देंगे, आप अपनी बात खतम करेंगे तो ही रेस्पोंस देंगे कि आप बीच में चाहते हैं ? आपने बोलना ही खतम नहीं किया उससे पहले आप रेस्पोंस चाहते हैं ?

श्री रामप्रताप : बोलने की जरुरत ही नहीं है...(व्यवधान) Need of the hour is that immediately the Chief Minister should respond.

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये, बोलिये आप, बोलना हो तो, और बोलना है ?

श्री रामप्रताप : बोलना क्या है, रेस्पोंस ही नहीं दे तो...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, बोलना किसको है, +++ करनी है इनको तो। बोलना है किसको

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान) आप बिराजिये, प्लीज।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अशोक गहलोत)

माननीय सदस्य की चिन्ता से खुद वाकिफ हूं और जैसा कि सदन की जानकारी में होगा, हमने निर्णय किया कि जौ की खरीद भी मिनिमम प्राइस पर की जाएगी। अभी मेरे पास आंकड़े नहीं है, कल मैंने सुमित्रा सिंहजी को आंकड़े दिये थे कि कुछ सेण्टर खोले हैं और खरीददारी शुरू हो गयी है।

श्री रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक महीने से जौ आ रहा है, आपको वे कह रहे हैं...(व्यवधान) ... कुछ केन्द्रों में शुरू हुई है, कहां शुरू हुई है, आप यह तो बताओ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यहां डिबेट थोड़े ही है। इस पर डिबेट ही है। हो गयी न बात, जवाब दे दिया मुख्य मंत्रीजी ने आपको, बता दिया और क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : किस–किस पर प्रारम्भ हो गयी है, मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जौ की खरीद समर्थन मूल्य पर प्रारम्भ हुई है, वह बहुत थोड़े केन्द्रों पर हुई है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : किन–किन केन्द्रों पर हुई है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने कहा, इन्होंने आपको आश्वस्त कर दिया और क्या चाहिए आपको ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के अन्दर एक भी केन्द्र स्थापित नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : सारे राजस्थान में केवल 51 केन्द्र खोलने की बात मुख्य मंत्रीजी ने एक कागज पर लिखकर मुझे दी थी, इतने बड़े राजस्थान में हमें मालूम ही नहीं है कि कौन–कौन से खुले हैं, कहां–कहां खुले हैं। वह तो बताया जाए। केन्द्र के नाम तो बताए जाएं, नाम भी बताए नहीं उन्होंने।

श्री रामप्रताप : और अभी आप कह रहे हैं कुछ ही जगह शुरू किया है। 8 लाख टन में से अगर एक लाख टन में से अगर एक लाख टन खरीदा गया है तो आप कब खरीदेंगे। (व्यवधान) आपने यह कहा कि हमने पैसे भी दिये हैं, अगर आपने राजफैड को पैसे दे दिये और केन्द्र अध्यक्ष तक पैसा पहुंच गया तो खरीद क्यों नहीं हो रही है आपकी ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : और यही हालत गेहूं की है, सरसों की है... (व्यवधान)...

श्री रामप्रताप : आपको जानकारी नहीं है कि इस बात की, मुख्य मंत्रीजी। आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। मैंने जो कहा है वह नकली नहीं कह रहा हूं, +++ नहीं कर रहा हूं, एक महीने तक...(व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : दिलावरजी, अपनी जगह पर जाइये। दिलावरजी, अपनी जगह पर बैठें आप। बैठें न जगह पर, आपके सदस्य बोल रहे हैं, कम से कम तब तो बैठें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप कम से कम सेण्टर्स के नाम तो अनाउंस कराइये ताकि लोगों को पता लगे।

श्री रामप्रताप : नाम क्या, कुछ भी नहीं हुआ। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई जवाब तो नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपको ध्यान है तो केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण के अन्दर एफ.सी.आई. जिन खाद्यान्नों को और अन्य चीजों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर खरीदती थी उसके ऊपर उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किये उसमें यह कार्य उन्होंने राज्य सरकारों से करने के लिये कहा है। 40 साल से अब तक केन्द्र सरकार इस चीज की खरीद करती थी, काफी लम्बे अर्से से खरीद हो रही थी, एकाएक राज्य सरकारों के ऊपर यह बोझ केन्द्र सरकार ने डाल दिया। राज्यों के अपने संसाधन बहुत सीमित हैं, स्टोरेज की कैपेसिटी भी सीमित है। यह कहा गया था उस वक्त कि राज्य सरकारों को इसके लिये कुछ अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी, वह योजना आज दिन तक राज्य सरकारों को प्राप्त नहीं हुई केन्द्र सरकार ने इस प्रकार की योजना को बंद करके अपना बजटीय घाटा तो कम कर लिया क्योंकि जो सब्सिडी इस के ऊपर देनी पड़ती थी, जो इसके ऊपर खर्चा आता था उसकी लागत काफी थी और जो बिक्री का मूल्य था वह काफी कम था। तो भारत सरकार ने तो अपने रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए यह कदम उठा लिया और राज्य सरकार के ऊपर यह बोझ डाल दिया। उस बजट भाषण में यह कहा गया था कि हम राज्य सरकारों की मदद करेंगे। आज राज्य सरकारों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है कि वे अपने किसानों के हितों की रक्षा किस प्रकार से करेंगे। एकाएक राज्य सरकारों पर बोझ दिया है, तो मैं आपके मार्फत प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को हम भी उठाएं, आप भी उठाएं कि केन्द्र सरकार को राज्य को भरपुर सहायता देनी चाहिए, कुछ धन उपलब्ध कराना चाहिए। जैसे जौ की बात चल रही है, गेहूं की बात चल रही है, सरसों की बाते चल रही है सभी की बात चल रही है, इन चीजों को राज्य सरकार अपने संसाधनों के जरिये और अपनी वित्तीय व्यवस्था के जरिये खरीद ले, यह जो एकाएक राज्य सरकारों के ऊपर बोझ डाल दिया गया, यह सम्भव नहीं है। मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से सम्मानपूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि इस

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मामले को आप भी लें...(व्यवधान) नहीं, आपकी सरकार केन्द्र में है, इसलिये कह रहा हूं। अगर आज हमारी सरकार होती, तो हम निश्चित रूप से कहते ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य मंत्रीजी ने अनाउंस कर दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : लेकिन उसके बावजूद भी राज्य के अपने सीमित संसाधनों में जितना हम खरीद सकते हैं उतनी हम खरीददारी कर रहे हैं। कुछ धन उपलब्ध कराने की बात है तो राज्य सरकार ने अपने बजट में से राजफैड को कुछ धन भी उपलब्ध कराने के लिये कहा है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा के अन्दर, क्योंकि अन्य प्रान्तों के अन्दर अभी कहीं पर इस बारे में खरीद शुरू नहीं हुई है राज्य सरकारों के द्वारा, तो इस पर मैं आपका सहयोग चाहूंगा।

श्री रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय वित्त मंत्रीजी बड़े हैं कि मंत्रीजी ने पत्र लिखा है प्रतिपक्ष के नेता महोदय को...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये, आपके नेता महोदय बोल रहे हैं।

श्री रामप्रताप : एक मिनट मैं आपकी आज्ञा से ही बोल रहा हूं।

प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने पत्र लिखा है, उन्होंने चिन्ता व्यक्त की है जौ की समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हो रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 12.4 को जवाब दिया है, मैं आपको 2 लाइनें पढ़ कर सुना रहा हूं। मैं माफी चाहूंगा, मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिये कह रहा हूं आपको कि आप बड़े हैं या मुख्य मंत्रीजी बड़े हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने जौ के अलावा अन्य चीजों का भी संदर्भ लिया है।

श्री रामप्रताप : मैं विशेष जौ की बात कर रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह व्यक्तिगत राय है, वित्त मंत्रीजी की व्यक्तिगत राय है।

श्री रामप्रताप : एक मिनट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 3 लाइनें उद्धृत कर रहा हूं जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लिखा है। "जैसा कि आपने अपने पत्र में 8 अप्रेल के समाचार पत्रों का हवाला दिया है, राज्य सरकार के किसानों के हित में इस बार जौ गैर–वाणिज्यिक फसल को समर्थन मूल्य पर अपने संसाधनों से खरीदने का एक साहसिक निर्णय लिया है।" इसलिये मेरा सवाल यह है कि माननीय वित्त मंत्रीजी बड़े हैं या मुख्य मंत्रीजी बड़े हैं ? यह मुख्य मंत्रीजी का पत्र लिखा हुआ है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने मना तो किया नहीं है, खरीद रहे हैं। हमने तो कहा है खरीद रहे हैं, जितना बन सकेगा खरीद रहे हैं।

श्री रामप्रताप : तो कहां खरीद रहे

(श्री रामप्रताप)

हो ? वहां सारा पड़ा हुआ है। आपने अपने संसाधनों...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सहकारिता मंत्रीजी, बिराजिये।

श्री रामप्रताप : सहकारिता मंत्रीजी तो बताएंगे। लेकिन ये कहते हैं कि केन्द्र सरकार, हमारा कोई केन्द्र सरकार का ठेका नहीं है। किसान राज्य सरकार से...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। यह उन से सम्बन्धित है, उनको बोलने दीजिए न।

श्री रामप्रताप : किसान राज्य सरकार से चाहता है, हमारा केन्द्र से कोई ठेका नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वे मुख्य मंत्रीजी से बड़े हैं क्या ? क्या वे मुख्य मंत्रीजी से बड़े हैं ? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी, बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान) एक मिनट, बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या मुख्य मंत्रीजी से सीनियर होने का +++ हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, माननीय सहकारिता मंत्रीजी, एक मिनट। आप बोलना चाहते हैं क्या, क्या आप कुछ कहना चाहते है ?

श्री खेतसिंह राठौड़(सहकारिता मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विषय गम्भीर है इसलिये इस पर मैं स्टेटमैंट देना चाहूंगा। शाम के वक्त कोई टाइम तय कर दीजिए, जब मैं इनको फुल्ली कंविंस कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

सांगोद पंचायत समिति में एक तालाब को पाट कर उसके भू-खण्डों का बेचान

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार, केन्द्र सरकार और पूरा देश इस बात के लिये चिन्तित है कि पानी का जल स्तर घटता जा रहा हैं। पानी का जल स्तर कैसे बढ़े, इसके लिये एनीकट निर्माण का काम, तालाब को गहरा करवाने का काम, तालाब की खुदाई का काम, अनेक कार्यक्रम हाथ में लेकर करोड़ों–अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कोटा जिले में मेरे विधान सभा क्षेत्र की सांगोद पंचायत समिति में एक तालाब जो मौके पर लगभग 5 बीघा का है, वह गलती से कहो या कैसे कहो, सन् 1980 में उस तालाब को मात्र 2 बीघा और एक बिस्वा गैर मुमकिन तलाई दर्ज कर दिया और शेष आबादी में रह गया। क्योंकि पहले

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

सारा तालाब था और शेष आबादी में दर्ज कर दिया इसलिये वह शेष 2 बीघा और एक बिस्वा रह गया। इस तालाब के लिए सन् 1980 के आस–पास लगभग तीन लाख रुपये से उसकी बाउण्ड्री–वाल कराई, उस पर घाट बनवाया और पानी के आने के रास्ते को खुलासा किया गया परन्तु इस बार लगभग चार लाख रुपये लगाकर सरकार ने या पंचायत ने मिट्टी खोदकर लाकर उस तालाब को पाट दिया। मैंने सभी अधिकारियों से बात की, उन्हें इससे अवगत कराया कि जब सारा देश इस बात के लिए चिन्तित है कि तालाबों की खुदाई कराई जाए, एनीकट बनाये जाएं तो क्या सरकार ने तालाबों को बंद करने की अनुमति दे दी है ? मैंने जब बात की तो बताया गया कि वह आबादी में दर्ज है। आबादी में दर्ज जो बने हुए तालाब हैं उन सारे तालाबों को बंद करने का निर्णय सरकार ने ले लिया है क्या ? परन्तु इसका संतोषप्रद जवाब नहीं मिल रहा है और उस तालाब को पाटकर भूखण्ड बेचने की तैयार की जा रही है। तालाब लगभग 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है और इसमें 12 महीने पानी रहता है। इससे आस–पास के जीवन–जन्तु, पशु–पक्षी और जानवर अपनी प्यास बुझाते हैं लेकिन कुछ दिनों पूर्व उस पर लोहे की जाली लगाने के क़ारण पानी नहीं पी पा रहे, तर्क दिया गया कि यहां पर पशु पानी नहीं पी रहे थे इसलिए इसको बंद कर दिया जाए। अधिकारियों ने इस बात की जांच नहीं की कि मौके पर तालाब है या नहीं। वे तो इस कागज के टुकड़े को लेकर गये कि रिकार्ड में तो दो बीघा और एक बिस्वा तालाब दर्ज है इसलिए मौके पर कितना भी बड़ा तालाब हो, उससे हमें लेना–देना नहीं है। हमें तो जो रिकार्ड पर दर्ज है दो बीघा एक बिस्वा, उसकी चिन्ता करनी है। उसमें पानी 12 महीने रहता है, लेकिन दो पम्प लगाकर दो महीने तक उसका पानी तोड़ा जाता हो कि इस तालाब को पाटना है, यह मैं समझता हूं बहुत आश्चर्य की बात है। लेकिन यह सरकार इसको गम्भीरता से नहीं ले रही है। उस ग्राम पंचायत ने यहां तक किया, एक लाख रुपये से ज्यादा खर्च करने की पावर किसी पंचायत को भी निजी आय से नहीं है लेकिन निजी आय से चार लाख रुपये ख़र्च किया गया और उसके भू–खण्ड जब वह पाटा जा रहा था तभी बेचना प्रारम्भ कर दिया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या आबादी में बने हुए तालाबों को अब बंद करने का निर्णय ले लिया है ? क्या उनको पाटा जाएगा या जो तालाब भर दिया गया है उसकी खुदाई करके वापस मिट्टी निकाल करके तालाबा को पूर्व जैसी स्थिति में लाया जाएगा ताकि पशु–पक्षी पानी पी सकें और हैण्ड पम्पों का जलस्तर ऊंचा आ सके ? आज स्थिति यह है कि उस गांव के पशु गांव से दो

(श्री मदन दिलावर)

किलोमीटर दूर ट्यूबवैल गेऊखेड़ी में चलता है वहां पर पानी पीने के लिए जाते हैं। अतः मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि उस तालाब के बारे में जवाब दें। शायद सरकार तो यहां नहीं है, जब यहां पर माननीय सदस्य बोलते हैं तो सरकार यहां से भाग जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत गम्भीर मामला है, जब राजस्थान सरकार, केन्द्र सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है तो फिर इस तालाब को बंद क्यों किया जा रहा है, मैं जानना चाहता हूं या यदि आस–पास कहीं सुन रहे हों, दायें–बायें पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री तो मेरी बात का जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह गौड़।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए–विराजिए, बात खतम हो गई आपकी।

श्री मदन दिलावर : यह बहुत गम्भीर मामला है, खतम नहीं हुआ है, माननीय पंचायती राज मंत्रीजी जवाब दें। जवाब दिलवाइये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप नियमों को समझते हैं ?

श्री मदन दिलावर : मैं नियमों को समझ रहा हूं पर गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : गम्भीर है तो सरकार ने नोट कर लिया, सरकार व्यवस्था करेगी। आप विराजो।

श्री मदन दिलावर : यह बता दें मेरे को कि क्या करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंहजी।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पचास लाख रुपये कमाने के लिए तालाब को बंद कर दिया और लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पशु दर–दर भटक रहे हैं, पशु पानी के बिना मर रहे हैं। हैण्डपम्प सूख गये हैं और चुपचाप बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह जी।

कोटपूतली में यातायात की अव्यवस्था

डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर–8 कोटपूतली शहर के बीच में से गुजरता है। इस राजमार्ग से प्रतिदिन 15–20 हजार तक वाहन गुजरते हैं और इसी राजमार्ग के दोनों तरफ महिला विद्यालय और कालेज भी स्थित हैं। साथ ही में हास्पिटल भी वहां पर है। ऐसी क्रूशियल जगह पर रोजाना हजारों की तादाद में वाहनों के इधर–उधर आने से वहां पर जनता की सुरक्षा के लिए मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो माह में इस नगर के बीच में चौराहों के

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

ऊपर 33 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, उसमें 33 व्यक्ति घायल हो चुके हैं तथा आठ व्यक्तियों की मौत हो चुकी हैं। लेकिन अभी तक भी सरकार ने वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है कि चौराहों पर बत्ती का, लाइट का प्रबन्ध हो। सांकेतिक लाइट का प्रबन्ध हो अथवा और कोई व्यवस्था हो। उदाहरण के लिए मैं चाहूंगा कि शहर के प्रवेश के पहले रोड पर ब्रेकर्स लगाये जाएं। बीच का जो डिवाइडर है उसके ऊपर उन्होंने रेलिंग लगाई हुई है उससे भी बहुत व्यवधान पड़ता है, इस डिवाइडर के पास जहां कट बने हुए हैं, जब भी वहां से कोई गुजरता है तो तेजी से आने वाले वाहनों को वहां पर दिखाई नहीं देने के कारण कई बार टक्करें हो चुकी हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस राजमार्ग के ऊपर शहर के अन्दर जहां भी कट हैं उनके पास डिवाइडर के ऊपर जो रेलिंग लगाई गई है, कट के दोनों तरफ कम से कम 10–20 मीटर वह रेलिंग हटाई जाए, डिवाइडर लगाये जाए, स्पीड ब्रेकर बनाये जाएं और चौराहे, खास तौर पर तीन मुख्य चौराहों पर सांकेतिक लाइटों का प्रबन्ध किया जाए और ट्रफिक पुलिस का उचित प्रबन्ध किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि वहां पर सब इकट्ठे हुए वाहन जब चौराहे पर से एकदम गुजरते हैं तो उनकी रोकथाम का कोई प्रबन्ध नहीं होता है इसलिए मेरा पुनः निवेदन है कि ट्रैफिक पुलिस की माकूल व्यवस्था की जाए और लाइट की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर किरोड़ी लाल।

राजस्थान आवासन मण्डल में अनियमितताएं

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोच रहा था कि मैं बोलूंगा जब तक मुख्य मंत्रीजी बैठे रहेंगे लेकिन मुख्य मंत्रीजी को कोई भनक लग गई होगी इसलिए मुख्य मंत्रीजी +++

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्रीजी को अखबार में कई बार पढ़ा है कि पारदर्शी, संवेदनशील, सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। कल ही गवर्नर की स्पीच में धन्यवाद प्रस्ताव पर जब बोल रहे थे तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि भ्रष्टाचार मिटाने में विपक्ष सहयोग करें। तो मैं सहयोग की बात करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसा प्रकरण आपके सामने रखना चाहता हूं जिसमें राजस्थान में इतने घोटाले पर घोटाले होते जा रहे हैं, कर्मचारी संघ उनका ज्ञापन सरकार को देते जा रहे हैं, राजस्थान की विधान सभा में मामला बराबर उठाया जा रहा है, स्वायत्त शासन मंत्रीजी को तो दर्जनों बार लोगों ने ज्ञापन दे डाले लेकिन इनकी +++ उपाध्यक्ष महोदय,

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. किरोड़ी लाल)

भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं उसका एक बड़ा कारण है। जिस व्यक्ति का मैं मामला उठाने जा रहा हूं, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने अपनी शपथ 1.12.1998 को ली थी, मंत्रिमण्डल का गठन 4.12.1998 को हुआ था, मुख्य मंत्रीजी के लिए उन देवड़ाजी ने सीट 13.1.1999 को खाली की थी। देवड़ाजी की जगह मुख्य मंत्रीजी ने नामांकन 5.2.1999 को दाखिल किया। चुनाव 22.2.99 को हुआ था और चुनाव जीतते ही मुख्य मंत्रीजी ने देवड़ा जी को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। हमें उस की कोई गिला–शिकवा नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सवाल तो यह है कि शिकायत हो तो आप क्या कर लो ?

एक माननीय सदस्य : यह उनके अधिकार क्षेत्र में है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चार्ज तो लगाया नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यदि आपको शिकायत हो तो आप क्या कर लें ?

डा. किरोड़ी लाल : शिकायत का इलाज तो जनता करेगी, जब आप मैदान में जाओगे। (व्यवधान) शिकायत का इलाज जनता करेगी और मैं डाक्टर हूं, थोड़ा बहुत इलाज मैं भी कर दूंगा।

श्री मदन दिलावर : +++

एक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : +++ की बात करने वाले इनकी +++ ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सब्जैक्ट पर आइये।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इनाम दे डाला। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बना डाला। उन्होंने भी एक बहुत जोरदार काम जोधपुर में किया। उपाध्यक्ष महोदय, आपके नोटिस में डालना चाहता हूं। हम तीन सदस्य जैसलमेर– बाड़मेर के दौरे पर गये थे, सीमा क्षेत्र के दौरे पर। हम वहां पर देखकर आये हैं, 90 बीघे का एक अशोक गहलोत गार्डन बनेगा जिसमें 22 करोड़ रुपये खर्च होंगे। माननीय सदस्य फोटो लेकर आये हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अशोक गहलोत क्या बनेगा ?

डा. किरोड़ी लाल : गार्डन, जिसमें 22 करोड़ रुपये राजस्थान की जनता का खर्च होंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अशोक गहलोत स्मृति उद्यान।

डा. किरोड़ी लाल : हम एक चीज और देखकर आये हैं। माननीय उपाध्यक्ष

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. किरोड़ी लाल)

महोदय, 80 लाख रुपये की कीमत... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप हाउसिंग बोर्ड पर बोल रहे हैं या किस पर बोल रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : 80 लाख रुपये की कीमत की जमीन खरीदकर चार करोड़ का बहुत भव्य मकान हाउसिंग बार्ड के चेयरमैन ने बनाया। उसका कल ही गृह प्रवेश हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, इस कांग्रेस के कार्यकाल में चार करोड़ का भव्य मकान बनाया जिसमें पूरा हाउसिंग बोर्ड का स्टाफ था। आयुक्त से लेकर उपायुक्त, एक्स. ईएन. ए. ईएन., सारे अधिकारी कल वहां गृह प्रवेश में थे। उस चार करोड़ के मकान का गृह प्रवेश किया है, यह पैसा कहां से आया ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह असैसमैंट कहां से करवाया आपने ?

डा. किरोड़ी लाल : इस गद्दी पर किस प्रकार के व्यक्ति को बिठाया है, जो +++ है। जो व्यक्ति 1987–88 में जोधपुर के यू. आई. टी के चेयरमैन थे। यू. आई. टी के घपले की शिकायत मिली, शिकायत की जांच कलेक्टर ने की। कलेक्टर की जांच के आधार पर राज्य सरकार ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया। तीन सदस्यीय कमेटी ने भी इनको दोषी ठहराया। उसके बाद लोकायुक्त ने जांच की और लोकायुक्त ने जांच करने के बाद इनको दोषी ठहराया जिसकी एफ.आई.आर. ए.सी.डी. में दर्ज 1990 में की गयी। मैं आपको सूचना देना चाहता हूं, यहां वित्त मंत्रीजी बैठे हैं और धारीवाल जी बैठे हैं, मुझे बताया गया है कि जो लोकायुक्त द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज की गयी उस एफ.आई.आर. में अब आपके जमाने में अपने प्रभाव का उपयोग करके एफ.आर. लगा दी है। उसको रफा–दफा कर दिया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

डा. किरोड़ी लाल : लोकायुक्त ने जो रिपोर्ट दर्ज करायी है उसमें एफ. आर. लगा दी और फिर ऐसे व्यक्ति को इनाम क्या दी ? जबकि यह सरकार के नोटिस में था जिसके खिलाफ लोकायुक्त का बयान था। लोकायुक्त ने जिसके खिलाफ रिपोर्ट दे डाली हो, ए.सी.डी. में जिसकी जांच चल रही हो, उस व्यक्ति को आपने इनाम देकर राजस्थान हाउसिंह बोर्ड का चेयरमैन बना डाला और इन्होंने चेयरमैन बनकर क्या +++ उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा उसमें जाना नहीं चाहूंगा। धारीवालजी, यहां बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं जाने भी नहीं दूंगा और कृपा करके आप अपनी बात को समाप्त करिये।

डा. किरोड़ी लाल : मैं नहीं जाऊंगा। धारीवाल जी यहां पर बैठे हैं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपका स्वास्थ्य इन दिनों कुछ खराब चल रहा है, उसका भी कुछ ख्याल करो।

एक माननीय सदस्य : आप चिन्ता मत करो, राजेन्द्रजी, सब ठीक है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राजेन्द्रजी, अपने स्वास्थ्य को देखो।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मान सरोवर की व्यापार विकास समिति ने नाम 200 दुकानों का आबंटन किया गया, 200 दुकानें गलत तरीके से आबंटित की गयीं। इन दुकानों को 6100 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से आबंटित किया गया जहां पर आज की कीमत में इसकी कीमत है 15 हजार से 20 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर। इनको इस बात का ठेका दे दिया गया है कि दुकान बनाकर 1,80,000 रुपये में बेचें, जबकि उस जगह पर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड खुद अपनी दुकान बनाएं तो 40,000 रुपये में दुकान बनकर तैयार हो सकती है। पूरा असैसमैंट करने के बाद हाउसिंग बोर्ड इस बात को मानता है और सरकार मानती है कि 10-12 करोड़ का घोटाला इन दुकानों में हुआ है। मैं, शांति धारीवालजी, आपसे पूछना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ एक निवेदन है। सिर्फ एक निवेदन है। जीरो आवर के लिये माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था इसलिए दी गयी थी कि कोई ऐसी रीसेंट आकरेंस हो जिसकी सदन में चर्चा किया जाना लाजिमी हो, कोई सदस्य की अपने क्षेत्र की ऐसी गंभीरतम समस्या हो, 131 के माध्यम से या किसी ओर माध्यम से उस पर चर्चा नहीं की जा सकती हो... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। बिराजो। बिराजो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राजेन्द्रजी, अरबों का घोटाला करो, वह विशेष बात नहीं है ? क्या राजस्थान को लूटकर ही जाना चाहते हो क्या ? यह क्या विशेष बात नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो न। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : रीसेंट आकरेंस के मामले हों, उन पर पर्ची के माध्यम से सदन में चर्चा की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : राजेन्द्रजी, आप विराजें। प्लीज। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पर्ची के माध्यम से घोटालों की चर्चा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक :...(व्यवधान) उनमें सदन में बैठकर चर्चा करके अपना समय जाया करना चाहते हैं, कोई औचित्यपूर्ण

(श्री राजेन्द्र पारीक)

नहीं है। यदि यही रहा तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सारे माननीय सदस्य अपने–अपने क्षेत्र की किसी न किसी बात को जो कहीं 10 साल पहले घटी हो, वह लाकर के सदन के पटल पर रखेंगे। यह मामला 131 के माध्यम से ज्यादा बेहतर तरीके से उठाया जा सकता था। सरकार उस पर जवाब देती।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो बिजनस तय होता है उसको माननीय अध्यक्ष तय करते हैं। इन्होंने जब इसकी स्वीकृति प्रदान की है उसके बाद आपको कोई मतलब नहीं बोलने से।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप दिखवा लें पुरानी उनकी व्यवस्था। उनकी जो व्यवस्थ दी गई है। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : That I will manage. आप विराजिये। उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते, यह प्रश्न नहीं हैं। It has been allowed by the Hon'ble Speaker. आप बिराजो।

श्री राजेन्द्र पारीक : उस व्यवस्था में यह स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि जो रीसेंट आकरेंस होंगी उस पर माननीय सदस्य चर्चा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। माननीय सदस्य, इसको शॉर्ट करिये।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण इसलिए है कि शांति धारीवालजी यहां पर बैठे हैं। राज्य सरकार ने इन व्यावसायिक भूखण्डों के आंवटन को निरस्त कर दिया था आज से दो महीने पहले, लेकिन सदन जब चालू हुआ उससे कुछ दिन पहले जो 200 दुकानें निरस्त की थीं, उनका राज्य सरकार ने स्थगन दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने स्थगन किस आधार पर दिया ? यह घटना अब की है, हाल–फिलहाल की है, यह कोई पुरानी घटना नहीं है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने ई.पी.आई. में क्या किया है ? माननीय मंत्रीजी, ई.पी.आई. में एक तिवाड़ी समिति का गठन हुआ था, उस तिवाड़ी समिति ने 17 करोड़ रुपये ई.पी. आई. पर बकाया छोड़े थे। यह चेयरमैन बने, इन्होंने 17 करोड़ रुपये माफ कर दिये और तीन करोड़ 10 लाख का जो सामान था, जो आपके यहां पर पड़ा है उसके पूरे पैसे देकर उस सामान को यहां पर रख लिया। जब उसकी नीलामी हुई तो केवल 85 लाख रुपये लगे। माननीय मंत्रीजी, 85 लाख रुपये। और अब ब्लॉक बनाने में क्या हो रहा है ? रीसेंट बात है, पारीकजी, आप जरा ध्यान से सुनना।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आपके पास कितनी लम्बी सूची है ?

डा. किरोड़ी लाल : दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : इसका कोई एण्ड है क्या ?

डा. किरोड़ी लाल : हाउसिंग बोर्ड के पास ब्लॉक बनाने की मशीनरी है। होल एण्ड सॉलिड, दो तरह के ब्लॉक बनाता है हाउसिंग बोर्ड। ब्लॉक बनाने की 46 मशीनें हैं। हाउसिंग बोर्ड ने अपने ब्लॉक नहीं बनाये है। हाउसिंग बोर्ड ब्लॉक बनाता तो एक ब्लॉक पर 12 रुपये की कीमत आती है, खर्चा आता है। लेकिन एक दूसरी निजी फर्म को ब्लॉक बनाने का ठेका दिया है जिसमें 22 रुपये का एक ब्लॉक बनकर तैयार होगा और आपने इसमें +++ क्या किया है ? साढ़े बारह हजार ब्लॉक पर–डे का इन्होंने ठेका दिया है और एक करोड़ ब्लॉक कुल बनेंगे। एक ब्लॉक पर 10 रुपये की हानि होगी और एक करोड़ ब्लॉक बनाने पर 10 करोड़ का चूना राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने सीधा–सीधा ब्लॉक पर लगा दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि भारी भरकम भ्रष्टाचार इसमें चल रहा है। भूमि का आबंटन देखो तो बड़ा +++ हो रहा है। कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट को 30.4.1999 को 43,728 वर्ग मीटर जमीन आवंटित कर दी इंजीनियरिंग कालेज के लिये। उसका चैक दिया जिस दिन चैक दिया उसी दिन कब्जा दे डाला और चैक डिसआनर हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा कि वहां इंजीनियरिंग कालेज तो नहीं खुला, छठी स्कूल तक के बच्चे इस जगह पर पढ़ा कर कब्जा कर लिया है। अब इसमें कांग्रेस के पदाधिकारी...(व्यवधान)

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : बस, समाप्त कीजिये आप।

डा. किरोड़ी लाल : वह जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं और जिस उद्देश्य से भूमि पर यूटिलाइजेशन होना चाहिए उस उद्देश्य से नहीं होकर दूसरे उद्देश्य से किया जा रहा है। इसलिए इसको निरस्त किया जाना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बिराजिये।

डा. किरोड़ी लाल : यहां पर जकियाजी बैठी हैं जिनको भी एक प्लाट दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय मंत्रीजी, इसकी जांच...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसकी जांच के लिए निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय। इतने लम्बे प्रकरण रखे, इसकी जांच के लिए निवेदन है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ...85 की कीमत पर आप जकियाजी को दे रहे हैं, कीमत पर आपने जांच बैठायी बतायी, उस जांच का क्या हुआ, जरा मेरे को बता दो।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. किरोड़ी लाल)

आपने इसकी जांच की, कांग्रेस के लोग, आवासन बोर्ड से मिल कर आवासन बोर्ड के +++ ने तो ऐसा घालमघोल कर दिया...

श्री उपाध्यक्ष : नाम एक्सपंज करो।

डा. किरोड़ी लाल : 70–80 करोड़ से भी ज्यादा घोटाला इस हाउसिंग बोर्ड में लेकिन राजस्थान की सरकार किसी प्रकार की जांच नहीं करना चाहती।

श्री मदन दिलावर : भ्रष्टाचार को मत हटाओ, नाम मिटाओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हटा दिया, हटा दिया, आप विरोजो। आप बैठो, मैं कर रहा हूं न।

डा. किरोड़ी लाल : मैं राजस्थान की सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इस पूरे घोटाले की सी.बी.आई. से जांच करायी जाए और दोषी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ऐसा भ्रष्टाचार मिटाने की अगर आप पहल करना चाहते हैं, हम से आप कह रहे हो न, विपक्ष अगर सहयोग दे, विपक्ष पूरा सहयोग करने को तैयार है। आपके यहीं घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं, मंत्रीजी, इन घोटालों की जांच कराओ, इतना मैं आपको कहना चाहता हूं। (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : वित्तीय समितियों का गठन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक पाइंटेड सवाल करना है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, इसमें सवाल होता ही नहीं है, बिराजें। प्लीज, इसमें कोई सवाल होता ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह, सरकारी मुख्य सचेतक। (व्यवधान) इसमें कोई सवाल होता नहीं है। मंत्रीजी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं एक लाइन में बात खतम करता हूं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : मंत्रीजी, बोलें। आयी गयी पार पड़ी मत करो, मंत्रीजी, बोलो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह क्वेश्चन आवर नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।

डा. किरोड़ी लाल : एक क्वेश्चन है साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से...

श्री उपाध्यक्ष : मैं आज्ञा दूं जब है न, मैं आज्ञा दूं ही नहीं। (व्यवधान) यह काहे को जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

+++ नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके विभाग का दिनांक 29.03.2001 को क्या यह सही है कि आपने एक आदेश जारी करके...

श्री उपाध्यक्ष : पर्ची पर जवाब होता ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिसका आदेश क्रमांक एफ (9) 3/2001, आपने आवासन मण्डल के अध्यक्ष के बारे में सारे अधिकार सीज किये हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : मुझे जवाब दे लेने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने आदेश जारी करके आवासन मण्डल के अध्यक्ष के सारे के सारे अधिकार सीज किये हैं कि वे किसी तरह का आवंटन नहीं कर सकेंगे, किसी तरह का मुआवजा नहीं दे सकेंगे। ये अधिकार जो आपने सीज किये हैं जिस पत्र का मैं उल्लेख कर रहा हूं, वह क्या जांच के बाद किये हैं ? क्या यह सही है कि आपने खुद ने माना है कि आवासन मण्डल का अध्यक्ष ऐसा भ्रष्टाचार कर रहा है, आपको आदेश जारी करके उसके सारे अधिकारों को सीज करना पड़ा ? उसके सारे अधिकार आपने सीज कर दिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब आप तो बोले जा रहे हो, सुनना तो चाहते नहीं हो तो फिर क्या अर्थ हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाहते हो क्या ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जी हां। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : आप बोलोगे तो फिर क्लेरिफिकेशन देने पड़ेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह भी दे दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मिनिस्टर का स्टेटमैंट होगा तो हमारा राइट होगा क्लेरिफिकेशन लेने का।

श्री सी.पी. जोशी : नॉट एट ऑल। 295 पर अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : स्टेटमैंट नहीं यह तो जीरो आवर है। कोई अपना स्टेटमैंट तो मांगा नहीं है...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजे प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर अगर कुछ बोलेगा तो स्टेटमैंट होगा।

श्री सी.पी. जोशी : नो। नाट एट ऑल।

श्री सुरेन्द्र व्यास : स्टेटमेंट होगा तो उसमें क्लेरिफिकेशन लेना होगा। ऐसा नहीं होता है, उपाध्यक्ष महोदय, नियमों के अन्तर्गत।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप बिराजें तो सही।

उपाध्यक्ष महोदय, डा. किरोड़ी लालजी

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

ने तो मामला उठाया है, पहली बात तो यह है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि व्यक्ति विशेष के खिलाफ अगर कोई आरोप लगाया जाए और वह भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो कि इस सदन का सदन नहीं है, वह डिसअलाउड होना चाहिए।

दूसरी बात यह कि और भी कई तरीके थे, डिमांड्स आने वाली हैं, उस पर भी आप बोल सकते थे। मुझे नोटिस मिल जाता, आप कालिंग अटेन्शन मोशन डालते, आप एडजोर्नमेंट मोशन डालते। और कई तरीके थे जिससे कि मैं कम से कम इस विषय पर तैयार होकर तो आता। मैं आपकी बातों पर बिलकुल जिस तरीके से आप संतुष्ट हो सकते थे कम से कम मैं आपको संतुष्ट करने की कोशिश तो करता। न मैं होम वर्क करके आया। जितनी बातें आज आपने यहां पर उठायी हैं, न उसकी कोई ज्यादा जानकारी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये आदेश तो आपके हैं न ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आ रहा हूं, उस बात पर ही आ रहा हूं। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा था, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी, आप जवाब आपकी मर्जी से दे रहे हैं, हमने तो मांगा नहीं। इन्होंने बोल दिया, आप क्यों बोल रहे हो ? बैठ जाओ, खतम हो जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह छोटी–मोटी बात नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुझे एक्सप्लेन कर लेने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई बहस नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें चीफ मिनिस्टर साहब पर भी आरोप लगाये गये है कि आपने ऐसे भ्रष्ट आदमी को बनाया है...

श्री सुरेन्द्र व्यास : If the Minister gives a statement, then members ...

श्री उपाध्यक्ष : जब आप प्रिपेयर होकर के आओ, जब जवाब दे देना न।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आज ही दे दूंगा न जवाब, जितनी मुझे जानकारी है। कृपया आप इजाजत दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप मना नहीं कर सकते। A minister has a right to make a statement.

श्री उपाध्यक्ष : मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनको रिक्वैस्ट कर रहा हूं। मना कहां कर रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रकरण पिछले सदन में मालपुरा से आने वाले विधायक ने उठाया था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कहां उठाया ? लगा ही नहीं वह।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं लगा हो तो लेकिन मेरी जानकारी में आ गया क्योंकि कालिंग अटेन्शन मोशन था। गवर्नमेंट के पास जब आया मुझे उसको देखना पड़ा।

यह बात सही है कि मानसरोवर में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा एक किसी समिति से यह अनुबंध किया गया कि वह 200 दुकानें वहां बनाये। 200 दुकानों का पैसा धीरे–धीरे जमा हुआ और जमा होने के बाद उनका आबंटन भी कर दिया गया। जब मेरी जानकारी में यह इश्यू आया, आपके मार्फत जब आपने कालिंग अटेन्शन उठाया, मैंने उसकी पत्रावली मंगायी...(व्यवधान)...जो भी था, था तो मोशन ही। मैंने उसकी पत्रावली मंगाकर जब देखा तो मुझे भी कुछ यह महसूस हुआ कि इसकी जांच की जानी चाहिए। मैंने अविलम्ब उस पर स्थगन भी लिखा और स्थगन के साथ–साथ यह भी लिखा कि अग्रिम कार्यवाही कोई भी न की जाए और न ही किसी को कब्जा दिया जाए। आज तक उन दुकानदारों को कब्जा नहीं मिला।

शिकायत कुलमिलाकर दो थीं, जैसा कि आज आपने बताया, कि बराबर की जमीन वहां पर 15,000 से 20,000 रुपये वर्ग गज में नीलाम हुई और उस जमीन को सिर्फ 6100 रुपये में दे दिया गया 20 वर्ग मीटर की। एक बात और मेरी निगाह में आयी, जो सूची मैंने देखी 200 की तो उसमें किसी में तो चम्पू, पम्पू लिखा हुआ था और किसी में नूरा जमालिया लिखा हुआ था। वह भी एक शक की बात थी। जो आरोप आज आपने लगाया है वह आरोप आपका बिलकुल असत्य है। वह जमीन आज भी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के कब्जे में है और उस पर कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी न्याय संगत कार्यवाही इस पर हो सकेगी जिसमें कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का नुकसान नहीं हो और गलत आदमी को आबंटन नहीं हो, वो की वो कार्यवाही की जाएगी।

दूसरी बात, मैं आपको फिर यह याद दिलाना चाहता हू कि इस सदन की कुछ मर्यादा है। आज आपने जकियाजी का नाम लेकर कहा कि जकियाजी को सस्ता प्लाट दे दिया गया। उन मर्यादाओं को याद दिलाना चाहता हूं कि किस तरीके से किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ आरोप लगाने से पहले क्या–क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। जकियाजी को प्लाट, न कोई मकान का कब्जा दिया गया है।

डा. किरोड़ी लाल : आबंटन तो... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आवंटन तो पचासों को हो जाता है, कब्जा दे दिया

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

गया क्या ? आवंटन तो आपको पता नहीं कितना हो गया होगा, मिला क्या है आपको ? यह शिकायत आप बराबर मुझे से करते रहते हो कि आवंटन ही आवंटन करते हो कभी कब्जा तो देते नहीं हो। ठीक इसी तरीके से कृष्णा वाले का नाम आपने लिया। चूकता पैसा उनसे जमा करवाया गया और जो नियमों के अन्तर्गत काम था, वो की वो उसके अन्दर पूरी की पूरी प्रक्रिया अपनायी गयी।

आपने आवासन मण्डल के कर्मचारियों के द्वारा दिये गये ज्ञापन के बाबत कही।

डा. किरोड़ी लाल : चैक डिसआनर नहीं हुआ ? आपने तब क्या कार्यवाही की ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : चैक आते हैं और चैक डिसआनर होते हैं और उसके बाद में अगर वे रकम जमा करवा देते हैं तो वो भी मानना पड़ता है। उसमें कोई लम्बी–चौड़ी पीरियड नहीं रहा कि कोई साल, दो साल, तीन साल गुजर गये हों और उसने पैसा नहीं दिया हो। एक रोज आया, अगर कुछ रोज के लिए वह डिसआनर होकर आ गया और पांच, सात या दस रोज बाद अगर उसने जमा करा दिये तो इतना बर्दाश्त भी करना पड़ता है, डा. साहब। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में आपके राज में क्या–क्या घोटाले हुए हैं, उनकी बात अगर आप करना चाहो और एक रोज डिबेट रखना चाहो तो मैं तो उसके लिए भी तैयार हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने यह आदेश जारी किया कि नहीं किया ? सारे पावर हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन के सीज किये या नहीं किये ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप बिलकुल सत्य कह रहे हैं, यह आदेश हमारे द्वारा जारी किया गया, राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया। यह जारी किया गया क्योंकि इस प्रकार की शिकायतें आ रही थीं कि चाहे जिस को जमीन अलाट कर दी जाती है, चाहे जिस को जो मकान चाहे वो अलाट कर दिया जाता है। इसलिए मैंने इस पर यह पाबंदी लगायी कि लाटरी के द्वारा या खुली नीलामी के अलावा राजस्थान आउसिंग बोर्ड कोई भी मकान किसी को अलाट नहीं करेगा और न ही रिक्त भूमि किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को अलाट करेगा। यह पाबंदी लगायी। इसमें मैंने क्या गलत किया ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बहुत–बहुत धन्यवाद, मंत्रीजी, आपने इस बात को स्वीकार किया कि हाउसिंग बोर्ड में जो कार्यकलाप चल रहे थे उनमें कहीं न कहीं गड़बड़ियां थीं इसलिए आपने आदेश जारी किया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि ये कार्यकलाप 1999 के बाद के ही नहीं हैं,

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

मैंने जितनी पत्रावलियां मंगवायी हैं, वह पिछले आठ–दस साल की मंगवायी हैं और आपके कार्यकाल में जो घोटाले हुए हैं, उनको भी देखूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारे कार्यकाल का तो आप देख लेना। (व्यवधान) आपने 29.3.2001 को राजस्थान आवासन मण्डल के अधिनियम, 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत जो दिशा–निर्देश दिए हैं, जो आपके उप शासन सचिव ने पत्र लिखा है वह पत्र यह कहता है। इस पत्र के बाद राजस्थान आवासन मण्डल और उसके अध्यक्ष के सारे अधिकार जो उसमें निहित थे, वे सारे के सारे राज्य सरकार ने सीज कर दिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ऐसा कुछ नहीं है। आप इस पत्र को पढ़ लें।

डा. किरोड़ी लाल : इसके बाद भी क्रियाकलाप चल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं पढ़ लूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्रीजी ने पत्र को पढ़ने के लिए कहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी के कहने से पत्र नहीं पढ़ा जाता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसमें है, पहला लाटरी...(व्यवधान) निर्मित आवासों का कोई आवंटन राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं होगा। इसका मतलब कोई भी आवंटन हाउसिंग बोर्ड नहीं करेगा, सरकार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने यह बात एग्री कर ली न। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हां, हमने निकाला है यह आदेश। बहस क्या है इसमें ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसके अलावा इन्होंने यह कहा कि राजस्थान आवासन मण्डल किसी संस्था या किसी व्यक्ति को किसी उपयोग के लिए भूमि का आवंटन नहीं करेगा, मकान भी नहीं मिलेगा।

तीसरा इसमें यह लिखा है कि भूमि अवाप्ति के जितने भी प्रकरण हैं उनमें बहुत घालामेली हुई है। नकद मुआवजे की करोड़ों रुपये की बेशकीमती डवलप्ड लैण्ड 15 प्रतिशत और साढ़े बारह प्रतिशत देकर करोड़ों रुपयों का घोटाला किया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहानी कहां जाकर खतम होगी, यह तो समय बताएगा। पर जो यह काम किया है, इस आदेश को जारी करने से पहले आपने जो जांच की है, जो शिकायतें आपके पास आयी हैं, जिन शिकायतों के आधार पर आपने उनके सारे पावर सीज किए हैं उनके बारे में आप सदन को जानकारी देते तो मैं समझता हूं कि ठीक रहता।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय सदस्य, आप जिनकी बाबत बात कर रहे हैं उनका एक लम्बा राजनीतिक जीवन रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, इस चर्चा को समाप्त कीजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल :...और उन्होंने अपने इस जीवन में खास तौर से नगरीय विकास के लिए बड़े प्रशंसनीय कार्य किए हैं। आज किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ बोल लेना बड़ा आसान होता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिस लोकायुक्त के बारे में आपके मुख्य मंत्रीजी और आप कई बार बात करते हैं कि लोकायुक्त सर्वोच्च संस्था है, जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : इसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ज्ञानसिंह चौधरी और गंगाराम जिनके खिलाफ लोकायुक्त में जांच रिपोर्ट दी थी, उनको माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने अपने मंत्रिमण्डल में शामिल किया, आप किसकी बात कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमने जो किया आप उस बात को जरूर बोलो लेकिन आप जो अपराध कर रहे हैं उससे बच नहीं सकते। (व्यवधान) लोकायुक्त में अपराध दर्ज कराएं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर। माननीय मुख्य सचेतक महोदय।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्रीजी बोलना चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। यह भ्रष्टाचार का मुद्दा है। (व्यवधान)

(भाजपा के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, अब हो गया न। बोलो आप बोलो।

समिति-गठन प्रस्ताव

वित्तीय समितियों का गठन

श्री हरिसिंह महुवा (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230 (1), 231 (1) सहपठित नियम 232 (1), 233 (ख) (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमशः जन लेखा समिति, प्राक्कलन समिति "क", प्राक्कलन समिति "ख" तथा राजकीय उपक्रम समिति, 2001–2002 प्रत्येक के लिए 15–15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया था...

श्री राजेन्द्र राठौड़ :...(व्यवधान) आप भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसके विरोध में हमारा दल बहिर्गमन करता है।

(भाजपा दल के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : हरिसिंहजी, आप तो बोलो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मानिकजी, आप ?

श्री उपाध्यक्ष : ये संहमत नहीं हैं उससे। बैठे रहने दो न।

श्री मानिक चन्द सुराना(लूणकरणसर) : मैं ओपन करूंगा डिबेट को। आप मेरा नाम पुकार कर तत्काल कह दें कि वह नहीं है।

श्री हरिसिंह महुवा : महोदय, सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230 (1), 231 (1) सहपठित नियम 232 (1) एवं 233 (ख) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासंभव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व किया जाए जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें। इन कमेटियों का कार्यकाल एक वर्ष 31 मार्च, 2002 तक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

घोषणा

आय-व्ययक पर वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राज्य के आय व्ययक (बजट) अनुमान वर्ष 2001–2002 पर सामान्य वाद–विवाद के लिए पार्टियों को निम्न प्रकार से टाइम आवंटित किया गया है :

क्र.सं. पार्टी का नाम आवंटित समय

1.भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 12 घंटे 15 मिनट
2.भारतीय जनता पार्टी 2 घंटे 30 मिनट
3.निर्दलीय लोकतांत्रिक कांग्रेस 35 मिनट विधायक दल (समूह)
4.जनता दल 15 मिनट
5.बहुजन समाजवादी पार्टी 10 मिनट
6.भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्स) 05 मिनट
7.राष्ट्रीय जनता दल 05 मिनट
8.निर्दलीय 05 मिनट –(**कुल 16 घंटे**)

श्री दुर्गाप्रसाद (गंगापुर) : केवल पांच मिनट ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लेना, आप चिन्ता मत करो।

एक माननीय सदस्य : खूब समय मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिक चन्द सुराना।

आय-व्ययक पर वाद-विवाद

श्री मानिक चन्द सुराना(लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, 2001–2002 का वित्तीय बजट इस सदन के समक्ष है। माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया है हमें आकलन करना है, उसको इवैल्युएट करना है, मूल्यांकन करना है, उनमें यह देखना है कि क्या दिशा दर्शायी गयी है।

(13:16 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ यह कहना चाहूंगा कि मैंने इस बजट को आद्योपान्त एक बार नहीं, दो बार, तीन बार पढ़ा है।

श्री हरिसिंह महुवा (मुख्य सचेतक) : वकील को दो बार पढ़ने की फुरसत कहां है।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं, तीन बार पढ़ना पड़ता है। वकील जो रीयल है वह चार बार भी पढ़ेगा। कभी आपका पाला नहीं पड़ा है वकीलों से, तहसील में पड़ा है।

सभापति महोदय, इस बजट भाषण में कोई डायरेक्शन नहीं है, इसमें कोई डायनेमिक्स नहीं है और इसमें कोई गतिशिलता नहीं है। मुझे यह नहीं पता चल रहा है कि वित्त मंत्री महोदय राजस्थान को कहां पहुंचाना चाहते हैं यह नवीं योजना का आखिरी साल है, सभापति महोदय, 2001–2002, उस योजना का आखिरी साल है जो 1997–98 में शुरू हुई। अब आपने इसमें 13179 करोड़ की राजस्व आमदनी और 10088 करोड़ की पूंजीगत आमदनी दर्शाकर राजस्व खाते में 3044 करोड़ का घाटा दर्शाया है। 13179 करोड़ की आमदनी है और 16234 करोड़ का खर्चा है। 3044 करोड़ का घाटा है राजस्व घाटा और पूंजीगत खाते में से 2761 करोड़ रुपये लेकर 283 करोड़ का बजट घाटा आपने छोड़ा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्रीजी से, वित्त मंत्रीजी, ये राज्यों के बजट में सभी जगह है, सिर्फ एक राजस्थान का ही प्रश्न नहीं है। राज्यों के बजट में सब जगह पूंजीगत खाते से काम चल रहा है, राजस्व घाटे की पूर्ति पूंजीगत खाते से की जा रही है। भारत सरकार में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इस प्रक्रिया को आपने रोकने का काम आने के बाद में भी नहीं किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जबसे कांग्रेस की सरकार आयी है, 1998–99 में आयी दिसम्बर में, आपसे पहले भाजपा की सरकार थी। उन्होंने पूंजीगत खाते से 1994–95 में 424 करोड़ रुपये लेकर घाटे की पूर्ति की, 1995–96 में 598 करोड़ रुपये लेकर पूर्ति की, 1996–97 में 865 करोड़ लेकर पूर्ति की और 1997–98 में 539 करोड़ लेकर पूर्ति की, लेकिन आपने 1998–99 में 2737 करोड़ रुपये से अपना राज शुरू किया।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

पूंजीगत खाते से रुपये लेकर राजस्व घाटे में डालकर जहां पूर्ववर्ती सरकार ने 500 और 800 से काम चलाया वहां आप शुरू में ही 2700 करोड़ पर पहुंच गये और 1999–2000 में आप 3639 करोड़ पर पहुंच गये। इसी तरह इस वर्ष 2761 करोड़ रुपये पूंजीगत खाते से लेकर आपने यह राजस्व घाटा सिर्फ 283 करोड़ का बताया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो परिवार अपनी पूंजी बेचकर, अपने बाप–दादाओं की कमाई बेचकर या उधार लेकर अपने घर का खर्च चलाएगा उसका निश्चित रूप से अहित कभी न कभी होने वाला है। राजस्थान में आपने आने के बाद जो 2700 करोड़, 3900 करोड़ से पूंजीगत खाते से राजस्व घाटे की पूर्ति की जो परम्परा बनाई है, मैं राज्य सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इस परम्परा पर गम्भीरता से विचार करें और राजस्व आमदनियों को बढ़ाने पर गम्भीरता से विचार करें। पूंजीगत खाते से आप राजस्व घाटे की पूर्ति कर रहे हैं, यह काम उचित नहीं है और सारे फाइनेंशियल मैजर्स और प्रिंसिपल्स के विपरीत है।

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में हम जो 13,189 करोड़ की राजस्व आमदनी पर पहुंचे हैं और जो पूंजीगत खाते में भी हम दस हजार करोड़ पर पहुंचे हैं, यह यात्रा कब से शुरू हुई है, मैं पूछना चाहूंगा। हम तो नवीं योजना में चल रहे हैं, सातवीं योजना तक कांग्रेस की सरकार थी और 1989–90 आखिरी साल था सातवीं योजना का। माननीय वित्त मंत्रीजी जानते हैं कि सातवीं योजना तीन हजार करोड़ की थी। तीन हजार करोड़ की योजना राजस्थान में कांग्रेस के आखिरी साल 1989–90 में थी और यदि वापस कांग्रेस का ही राज आ जाता 1990 में तो शायद छह हजार करोड़ की आठवीं योजना बनाते। पर आपका राज नहीं आया, वह एक मिली–जुली सरकार आयी। भाजपा भी थी, जनता दल भी था और उन्होंने ग्यारह हजार छह सौ करोड़ की योजना इस राजस्थान के लिए बनायी। तीन हजार करोड़ से साढ़े ग्यारह हजार करोड़। करीब साढ़े तीन गुना उछाल उस योजना में जो आया उस योजना का परिणाम है, माननीय वित्त मंत्रीजी, कि राजस्थान प्रगति के चिन्ह कुछ दिख रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि साढ़े ग्यारह करोड़ से नवीं योजना का उठाव 27,600 करोड़ पर पहुंचाया गया और वह योजना 1997–98 में शुरू हुई। आपका बस चलता और यदि माननीय अशोक गहलोत ही मुख्य मंत्री होते तो तीन हजार से छह हजार हो जाते और नवीं योजना में छह हजार से बारह हजार हो जाते। यह उछाल आप नहीं लाते। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो उछाल आया है वह उस योजना के कारण, आठवीं और नवीं योजना के कारण आया है। और नवीं योजना जो 27,500 करोड़ की थी उस

(श्री मानिक चन्द सुराना)

योजना को आपने आते ही काटने का काम किया। वित्त मंत्री महोदय, आपकी सरकार ने उसको काटने का काम किया है। कोई भी योजना, माननीय वित्त मंत्रीजी, बातों से नहीं चलती। आंठवीं योजना के अन्दर ही योजना आयोग ने निर्धारित किया था कि 2800 करोड़ का ए.आर.एम. करना पड़ेगा, एडिशनल रिर्सोस मोबिलाइजेशन। अतिरिक्त संसाधन जुटाने पड़ेंगे। अतिरिक्त संसाधन उस मिलीजुली सरकार ने जो एक साल मिली–जुली चली और उसके बाद में अभी जो सभापति महोदय बैठे हैं इनकी अगुवाई में जनता दल "डी" बना और वे 26 विधायक भा.ज.पा. के साथ आये, उस सरकार ने वह उछाल 11,600 करोड़ का दिया। माननीय वित्त मंत्री महोदय, 1989–90 में प्रति व्यक्ति निवेश येाजना में 184 रुपये पर हैड था। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय, आप भी ध्यान दें। जो निवेश प्रति व्यक्ति 1989–90 में 184 रुपये...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा में आये नहीं थे, दल बनाकर समर्थन किया था।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, वह मैंने कहा न, जनता दल 'डी' बनाकर समर्थन किया था। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो आना–जाना लगा ही रहना चाहिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं हिस्टोरिकल रिकार्ड को सही रखूंगा। सभापति महोदय, चिन्ता नहीं करें, मैं हिस्टोरिकल रिकार्ड को बिलकुल स्ट्रेट रखूंगा और आप तो गृह मंत्री थे उस वक्त। (व्यवधान)

श्री सभापति : यह तो इसलिए कहा कि जस्ट टू पुट दी रिकार्ड स्ट्रेट।

श्री रामनारायण चौधरी : यह पुनर्जन्म है, वह तो पूर्व जन्म की बात कह रहे हैं आप।

श्री मानिक चन्द सुराना : पूर्व जन्म तो अब आपका होना बाकी है।

मैं निवेदन करूंगा कि 184 रुपये प्रति व्यक्ति से जो योजना 1996–97 में खतम हुई वह बाद में प्रति व्यक्ति 752 रुपये हुआ और 2828 करोड़ के अतिरिक्त संसाधन जुटाने के स्थान पर उस सरकार ने 3800 करोड़ के संसाधन जुटाये। 3800 करोड़ के संसाधन आठवीं योजना में जुटाने के कारण ही नवीं योजना, योजना आयोग ने 27,600 करोड़ की मंजूर की। उस योजना के पिछले सवा दो साल चार महीने से अभी आपका यह शासन चल रहा है, दिसम्बर तक पुरानी सरकार जो भाजपा की सरकार थी वह चली और उसके बाद में आप आये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस टाइम की उपलब्धियां क्या है।

मैंने प्रति व्यक्ति निवेश की बात कही। मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन को जानने का हक है कि वह प्रति व्यक्ति

(श्री मानिक चन्द सुराना)

निवेश जो किया गया उसका नतीजा प्रति व्यक्ति आय में क्या हुआ। सभापति महोदय, राजस्थान में 1989–90 में जो प्रति व्यक्ति आय 1715 रुपये थी वह आठवीं योजना के अन्त में स्थिर कीमतों पर 2232 रुपये प्रति व्यक्ति हो गयी। पांच सौ रुपये का इजाफा मौटे तौर पर, दस–बीस रुपये कम होंगे। पांच सौ रुपये का इजाफा उसमें हुआ। यह उपलब्धि प्रति व्यक्ति आय में हुई और जो अतिरिक्त संसाधन हमने, मैं भाजपा में नहीं था तब तक, वह अतिरिक्त संसाधन जो जुटाये गये मैंने जिक्र किया कि 2800 के मुकाबले 3800 करोड़ जुटाये। मैं कहना चाहूंगा कि ऋण भार भी उससे बढ़ा। 1989–90 तक जो 6127 करोड़ का ऋण राजस्थान पर था वह ऋण भार 1996–97 के अन्त में 16,775 हुआ। पर, माननीय वित्त मंत्री महोदय, यदि आप सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत ऋण के रूप में जानना चाहेंगे तो मैं निवेदन करूंगा कि 1989–90 तक आपने सकल घरेलू उत्पाद का 38.89 प्रतिशत ऋण भार लिया और भाजपा की सरकार ने सकल घरेलू उत्पादन को बढ़ाया और जो ऋण भार 16,775 करोड़ था वह 37.78 प्रतिशत रह गया। वह 38.89 के मुकाबले करीब डेढ़ प्रतिशत से भी ज्यादा घट गया।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, इतना ही नहीं है, राजस्थान का कुल राजस्व था 1072 करोड़ 1990–91 में। जब सरकार आयी तो कुल राजस्व हो गया 1216 करोड़ और 1996–97 में जो आखिरी वर्ष है आठवीं योजना का, उसमें 3123 करोड़ रुपया कर राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ। माननीय वित्त मंत्री महोदय, वह 3123 करोड़ का कर राजस्व जो आज कुल आपने 10,189 बताया है, वह उसकी पृष्ठभूमि थी। उसके बाद में, माननीय वित्त मंत्री जी को हंसी आ रही है पर रिकार्ड की बात है, 3123 करोड़ थे उसके बाद जो आंकड़ा चलता है उसमें सकल घरेलू उत्पाद माननीय वित्त मंत्री महोदय, आर्थिक समीक्षा जो आपने वितरित की है, जरा उसके पेज–4 को देखें। प्रचलित कीमतों की बात नहीं करता, मैं स्थिर कीमतों पर आपको लाता हूं, स्थिर कीमतों पर 1993–94 में 29 हजार 40 करोड़ का सकल घरेलू उत्पाद राजस्थान में है। माननीय वित्त मंत्री महोदय, स्थिर कीमतों पर 1995 में उसमें पांच हजार करोड़ का इजाफा हुआ। यदि योजना नहीं होती, निवेश नहीं होता प्रति व्यक्ति तो यह पांच हजार करोड़ की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि नहीं होती। प्रति व्यक्ति तो यह पांच हजार करोड़ की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि नहीं होती। 1995–96 में वृद्धि कम हुई, 1100 करोड़ की हुई और 1996–97 में वापस वृद्धि चार हजार करोड़ की हुई है और उसके बाद 1997–98 में वापस वृद्धि पांच हजार करोड़ की हुई है। 1998–99 में आप आ गये और आपके आने के बाद मात्र चार सौ करोड़ की वृद्धि हुई। 1999–2000 में उससे नीचे चले गये, माननीय वित्त मंत्री जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तीन लगातार अकालों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : बिलकुल मुझे ध्यान है इस बात का। मैं उसका मार्जिन भी आपको बिलकुल दूंगा। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि जरा इसको देखें।

आप आये 400 करोड़ बढ़े, उसके बाद में 1100 करोड़ फिर घटे और फिर 200 करोड़ और घटे। मान लिया मैंने कि ये जो 1300 करोड़ घटे हैं इसमें अकाल का रोल है। लेकिन, माननीय वित्त मंत्री महोदय, जो इजाफा स्थिर कीमतों पर चार हजार करोड़ पांच हजार करोड़, कभी 1100 करोड़ का हुआ है और यह होता रहा है।... तीन अकाल के कारण इसमें गिरावट आयी है और इसमें नुकसान हुआ है क्योंकि हमारा सकल घरेलू उत्पादन कम हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नवीं योजना 27650 करोड़ होने के कारण आज राजस्थान जिस स्थिति में पहुंचा है और आठवीं योजना 11600 करोड़ होने के कारण पहुंचा है, यदि ये योजनाएं बीच में नहीं आती तो, मानीय वित्त मंत्री महोदय, अभी आप 13189 करोड़ पर नहीं होते। कर राजस्व जो बढ़ा है, इसमें रोल है तो बिक्री कर में जो भी सुधार आठ सालों में किये गये हैं, बहुत कुछ उनका रोल है। हो सकता है अन्य लोग उससे इन्कार करें लेकिन मैं समझता हूं कि आपका कभी न कभी वास्ता पड़ा है उन सबको देखने का। जितनी कम्पोजिट स्कीम चालू हुई हैं वे भारतीय जनता पार्टी के राज की देन है, पूर्व सरकार की देन है।

मैं उस लम्बी बहस में नहीं जाना चाहता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नवीं योजना में जो पहला साल शुरू किया गया 4259 करोड़ से, माननीय वित्त मंत्री महोदय, 272 करोड़ की उसमें कमी रही। 1998–99 में चार महीने पहले आ ही गये थे। उस कमी का स्पष्ट कारण यह है कि आपका मन ही उतनी बड़ी योजना को चलाने का नहीं था। आपका मन अतिरिक्त संसाधन जुटाने का नहीं था योजना के लिए, इसलिए 1998–99 में 272 करोड़ कम हुए उसके बाद दूसरे साल में 4054 करोड़ उसमें खर्च किये, मात्र 70–80 करोड़ रुपये ज्यादा और तीसरे साल 1999–2000 में आपने उसी अनुपात में रुपये तो रखे 5022 करोड़। आपका बजट अध्ययन मेरे पास है, यह कहा कि 30 परसेंट का इजाफा हम करेंगे योजना के व्यय में, लेकिन वापस 4000 करोड़ पर पहुंच गये और इस साल तो आपको ध्यान में ही है कि 4200 करोड़ पर खतम हो गयी और अगली योजना आप 4500 करोड़ पर खतम करना चाहते हैं। बजट अध्ययन में इन्होंने 4515 करोड़ रखा है। अन्त में क्या इसका हस्र होगा वह अलग बात है, पर जो बजट में पार्ट 9 पेज 14 पर आपने अलग–अलग आंकड़े योजना के दिये हैं, उसका कुल जोड़ आपने 4515 करोड़ दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री मानिक चन्द सुराना)

20 हजार करोड़ की योजना को आप सिमटा रहे हैं। आपकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी थी कि आप उस योजना को क्रियान्वित करते मैं चार्ज तो नहीं लगाना चाहता पर मैं निश्चित रूप से जो कहूंगा वह चार्ज में ही है कि आपने 7000 करोड़ रुपये योजना से काटकर राजस्थान की बिजली को बरबाद कर दिया, राजस्थान में सड़कों की जो प्रगति हो सकती थी उसको नहीं किया। राजस्थान में सिंचाई के लिये जो योजनाएं उपलब्ध हो सकती थी, धन उपलब्ध हो सकता था पचासों विभागों के लिये और मूल रूप से जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिये जो धन उपलब्ध हो सकता था, माननीय वित्त मंत्रीजी, आपकी सरकार ने उस कटौती को करके राजस्थान को जो ऐतिहासिक उछाल आर्थिक जगत में मिल सकता था, उसमें आपने महरूम किया है। यह मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपकी सरकार के प्रति कहना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्रीजी...

श्री गोवर्द्धन कल्ला : माननीय सुराना जी, आप जो आंकड़े दे रहे हैं, आपने जो योजना प्रारम्भ की, पहले वर्ष के क्या फीगर्स हैं आपके ? आपने योजना प्रारंभ की पहली, 2700 करोड़ को 5 से डिवाइड कर दें। आपने पहले वर्ष में कमी क्यों रखी ?

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय कल्ला साहब, मैंने आंकड़ा बोला है, आपने नहीं सुना तो मैं दुबारा कहता हूं, पहले वर्ष में 4259 करोड़ का मूल आंकड़ा था।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : 2705 को डिवाइड कर दीजिये, कितना होगा ?

श्री मानिक चन्द सुराना : इस तरह डिवाइड नहीं होता, कल्ला जी, यह प्रोग्रेसिव चलता है। आज 4 हजार है, फिर 4500 होगा, फिर 5 हजार होगा, फिर 5500 होगा, फिर 6 हजार होगा। आप योजनाओं के खर्च को आधार रखें, योजनाओं का खर्च बांटकर नहीं दिया जाएगा।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप कौन से कल्ला जी को कह रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं बीकानेर के कल्ला जी को नहीं, जैसलमेर के कल्ला जी को कह रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारी परिस्थितियों में आपको राजस्थान में, कल मुख्य मंत्री जी कह रहे थे...

श्री प्रद्युम्न सिंह : सुराना जी, आज इस पर भी प्रकाश डाल दीजिये, आप यह महसूस नहीं करते कि 9th Plan was too ambitious, without keeping in view the resource position of the State?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : Not at all.

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इसका उत्तर दूंगा, जब इसका जवाब दूंगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, जरूर दें। आपके जवाब के लिये ही कहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर आप इस पर प्रकाश डाल दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपके जवाब के लिये ही कहा है। प्रकाश डालने के लिए ही तो कह रहा हूं। यह ओपन इसलिए किया है कि इस पर सारगर्भित चर्चा हो।

आपको अतिरिक्त संसाधन जुटाने थे 7000 करोड़ के, पूरी योजना को क्रियान्वित करने के लिये। आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप उस वक्त वित्त मंत्री नहीं थे, पर जो भी लोग उस वक्त वित्त मंत्रालय में थे– आप तो दो साल से हैं, साल भर दूसरे भी थे, उन्होंने योजना का आकार उस साल का दिया। 1999–2000 याद कीजिए 5022 करोड़ का, यह बजट डाकूमेंट मेरे पास है, उस पर आपकी उपलब्धि वही 4000 करोड़। सब तरीके से आपने योजनाओं को काटा। और तो और, माननीय वित्त मंत्रीजी, यह गत वर्ष की बात है, 2000–2001 में आपने योजना में कटौती की घोषणा की। योजना में कटौती का मतलब क्या है ? इंदिरा गांधी नहर को काट दो। योजना में कटौती का मतलब क्या ? सिंचित क्षेत्र विकास को काट दो। योजना में कटौती का मतलब है कि पी.डब्ल्यू.डी. में डिवीजंस को तोड़ दो। आपने बीकानेर में एक डिवीजन तोड़ दिया, आपने कोटा में डिवीजन तोड़ दिया। आप उदयपुर में डिवीजन तोड़ रहे हो। कमांड एरिया डवलपमैंट के डिवीजन तोड़ रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर के डिवीजंस टूट रहे हैं। उनके बजट प्रावधान, उनकी योजना के प्रावधान घट रहे हैं। मुझे बताएं कि यदि यह इसका असर नहीं है तो किन चीजों का असर है ?

मैं निवेदन करूं, ग्रामीण विकास के प्रति माननीय मुख्य मंत्रीजी काफी लगाव दर्शा रहे थे। यह बजट डाकूमैंट मेरे पास है, आप नोट करें, सुनिश्चित रोजगार योजना, पूंजीगत में गत वर्ष का प्रावधान था 27 करोड़ 50 लाख और अब आपने प्रावधान रखा है 20 करोड़। माननीय वित्त मंत्रीजी, आगे बढ़े, एकीकृत ग्रामीण विकास का प्रावधान गत वर्ष 11 करोड़ 35 लाख और अब का 837.50 लाख। जवाहर रोजगार, इंदिरा आवास–गत वर्ष का आंकड़ा 14 करोड़ 52 लाख, इस वर्ष साढ़े 7 करोड़। अब तो इन्दिरा आवास आधे बनेंगे, 14 करोड़ 52 लाख पिछले साल खर्च हुए, अब के साढ़े 7 करोड़ से ही काम चलाएंगे। अपना गांव अपना काम–गत वर्ष डेढ़ करोड़ रुपये और इस वर्ष, माननीय विपक्ष के नेता, एक हजार रुपये अपना गांव अपना काम...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो एक तरह से बंद कर दिया।

श्री मानिक चन्द सुराना : कुल मिलाकर घोषणा यह है कि अपना गांव अपना काम है। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम–गत वर्ष का प्रावधान एक हजार और इस वर्ष जीरो–जीरो। अब महिला

(श्री मानिक चन्द सुराना)

विकास राजस्व खर्च–पिछली बार 175 लाख और इस वर्ष 114 लाख और महिला विकास पूंजीगत व्यय–पिछली बार 20 लाख और इस बार एक हजार। यह योजना के प्रावधानों को, मैंने ग्रामीण विकास के प्रावधानों को कोट किया है। मैंने खण्ड बता दिया और पेज बता दिया है।

यह तो इस वर्ष के फाइनेंस कमीशन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के अनुदानों में बढ़ोतरी की और जो प्रावधान पिछली बार 124 करोड़ का था वह इस बार 12 करोड़ बढ़ाकर 136 करोड़ का अनुदानों के रूप में दिया गया है। इसी तरीके के स्वायत्त शासन, नगरपालिकाओं का प्रावधान भी बढ़ाया गया है। उसके लिये तो निश्चित रूप से वित्त आयोग जो हमारे स्टेट का है वह धन्यवाद का पात्र है।

माननीय वित्त मंत्री महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में बीकानेर से आये हुए माननीय मंत्री जी बिराज रहे हैं, आपके राजस्व खाते में पिछली बार 8 करोड़ 61 लाख दिखाये, पूंजीगत खाते में 31 करोड़ 33 लाख दिखाये और इस वर्ष राजस्व में 8 करोड़ 61 लाख के मुकाबले आपने 5 करोड़ 90 लाख और पूंजीगत खाते में 31 करोड़ 33 लाख थे वे 24 करोड़ 9 लाख कर दिये। यानि आपने 9.96 करोड़ की योजना का ख़र्च इंदिरा गांधी नहर पर राजस्व और पूंजीगत खाते में घटा दिया।

लघु सिंचाई के लिए जब मैंने प्रावधान देखा, लघु सिंचाई के लिए इस सरकार ने 94 करोड़ 88 लाख का प्रावधान किया है जबकि पिछला प्रावधान 19 करोड़ 10 लाख का था। सभापति महोदय, मैंने वापस फीगर चैक किया कि यह कोई प्रिंट तो नहीं है तो लगा कि फीगर तो सही छपा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे खुद के सवाल के जवाब में 28 मार्च को सरकार ने जवाब दिया है–सिंचाई विभाग, प्रश्न संख्या 687, उसके उत्तर में कहा है कि हमने 56 सिंचाई योजनाओं के लिए 1999–2000 में 141.39 लाख रुपये मंजूर किए। लेकिन इन योजनाओं में से एक भी योजना में एक भी पैसा सरकार ने नहीं दिया, न 1999–2000 में दिया और न 2000–2001 में दिया। पूरी सूची 56 की है। मैंने प्रश्न संख्या कोट कर दी है, आपको आवश्यकता होगी तो उसकी कॉपी तत्काल उपलब्ध करवाने के लिए दे दूंगा। इन 56 योजनाओं में दसों जिलों की लघु सिंचाई योजनाएं हैं–उसमें छापरवाड़ा भी है, उसमें कौनसी योजना नहीं है, सिद्धमुख नहर भी है, सभी योजनाओं में आपने जीरो–जीरो प्रावधान कर दिया। इसलिए आपके 94 करोड़ के प्रावधान पर मैं भरोसा नहीं करता।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी तो मैं अर्ज ही कर रहा हूं।

श्री सभापति : आधा घण्टा हो गया। आपके और भी माननीय सदस्य बोलेंगे। आप तो वित्त मंत्री रहे हुए हैं, आप बोले थोड़ा बहुत और।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं वित्त मंत्री रहा हूं, शायद इस नाते भी कुछ अर्ज कर रहा हूं तो उसकी कोई रेलेवेंस होगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं...

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : इनकी पार्टी का समय काट दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : आप तो काटो और लेवो।

श्री मानिक चन्द सुराना : इस सरकार के एक बहुत प्रमुख मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनका प्रावधान भी आप देखें। कहा जाता है कि वे तो बहुत सर्वशक्तिमान हैं और माननीय वित्त मंत्रीजी को परेशानी में डालने में उनका भाषण भी कुछ सबब बना होगा। उन्होंने उनके विश्वविद्यालयों को भी नहीं देखा कि विश्वविद्यालयों में पता नहीं क्या नई चीज आ गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रारम्भिक शिक्षा में जो गत वर्ष 52 करोड़ रुपए का प्रावधान था, लाखों का नहीं बोल रहा हूं, वह 52 करोड़ रुपये का प्रावधान 23 करोड़ का रह गया है। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा में जो 62 लाख का प्रावधान किया गया है उसमें उच्च शिक्षा में 10 लाख का प्रावधान किया गया है। कुलमिलाकर आयोजना व्यय के प्रावधानों में किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि 4200 करोड़ की योजना से 4500 करोड़ की योजना, 300 करोड़ से योजना व्यय को बढ़ाकर इस राजस्थान का सारा कायाकल्प करना चाहते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो योजनाओं के आंकड़ें हैं, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, आपके ट्रांसमिशन कारपोरेशन को भी 295 करोड़ रुपये उसी योजना व्यय से मिलेंगे, पावर कारपोरेशन को भी। वह फीगर तो छोटी है, इसके फीगर में उसको भी इसी योजना में बेजट से ही रुपया मिला है।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : 41 प्रतिशत का इन्क्रीज है।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह ठीक है, वह तो आपका इन्क्रीज है क्योंकि बिजली के तो आप सारे रिफोर्म्स कर रहे हैं। रिफोर्म्स की वैलिडिटी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि रिफोर्म्स क्या है।

श्री रामनारायण चौधरी : प्रधनमंत्री ने समर्थन किया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : प्रधान–मंत्रीजी ने समर्थन किया है, हम उस समर्थन की बहुत कद्र करते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्रतिपक्ष के नेता की उपस्थिति में किया है, श्रीमान् रावतभाटा में।

श्री मानिक चन्द सुराना : हमारा दिल बाग–बाग हो गया कि आपकी उन्होंने

(श्री मानिक चन्द सुराना)

तारीफ की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको देखकर कोई भी तारीफ कर सकता है।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप तो कल कह रहे थे कि 1984 में हमने कंसीव किया सूरतगढ़ को। निश्चित रूप से आपने 1984–85, 1988–89 में पता नहीं क्या–क्या कंसीव किया। जिस वक्त 1984–89, 1985–90 का फेज था, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, जो उधर बैठे हैं, वह हम लोगों के साथी ही थे। इनके उप चुनाव में हम लोग गए थे, आप लोग नहीं गए, आप लोगों ने तो इनका विरोध किया होगा। योजनाओं का जब वे कहते हैं कि कांग्रेस के काल में कंसीव की, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, आपकी दिल्ली की सरकार ने 1990 तक उसकी एन्वायर्नमेंटल क्लीयरेंस नहीं दी थी। माननीय शेखावत साहब जब मुख्य मंत्री बने 1990 में, 1991 में उसका क्लीयरेंस हुआ। सूरतगढ़ थर्मल प्रोजैक्ट की एन्वायर्नमेंटल क्लीयरेंस लाने का श्रेय कांग्रेस सरकार को नहीं है, बल्कि वह भी भाजपा की सरकार को है। सन् 1991 में क्लीयरेंस हुआ। 15 दिसम्बर, 1992 को जब सरकार भंग हो गई, एक साल राष्ट्रपति शासन चला और केन्द्रीय सरकार जो पी.वी. नरसिंहराव की थी, उसने उस पर्यावरण स्वीकृति को, एन.ओ.सी. को वापस रद्द कर दिया। 1993 के दिसम्बर में या जो भी डेट हो, उसमें जब शेखावत साहब आए तो 1994 में वापस क्लीयरेंस ली गई। 1994 में क्लीयरेंस लेकर सूरतगढ़ ताप बिजलीघर की नींव डाली गई, उसकी फाउंडेशन डाली गयी। उसके बाद पांच सालों तक, 1998 तक राज्य में भाजपा की सरकार जो कर सकती थी, उसके प्रावधान देखिए, कितना सीरियसली उस सूरतगढ़ प्रोजैक्ट के लिए प्रावधान किया गया। आपने अभी जो उद्घाटन सैकण्ड और थर्ड के किए हैं, वे सब उस नीवं पर ही है, आप कोई हवा में महल खड़ा नही कर सकते थे। 19.84 से लेकर 1994 तक जो जद्दोजहद भारतीय जनता पाटी की सरकार कर रही थी, 10 साल गंवा दिए उसी में आपने।

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, एस.टी.पी.एस. की जो परियोजना है उसके डिले होने का प्रमुख कारण सरकार का इन योजनाओं को लेकर द्वंद्व में होना रहा कि इसको पब्लिक सैक्टर के द्वारा किया जाए या प्राइवेट सैक्टर के द्वारा कराया जाए। इसके कारण इस परियोजना में डिले हुआ।

श्री मानिक चन्द सुराना : क्लीयरेंस थी क्या, सवाल सीधा–सा है। 1991 में क्लीयरेंस तो भाजपा की सरकार लाई है। आप बिना क्लीयरेंस के तो नहीं बना सकते थे।

डा. चन्द्रभान : क्लीयरेंस नहीं, मैं यह कहना चाहता हूं, मान लीजिए 1991 में टी.ई.सी. मिल गई, इस परियोजना की पहली यूनिट चालू होने में सात, साढ़े सात

(डा. चन्द्रभान)

साल का वक्त क्यों लगा, यह बात इम्पोर्टेंट है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं तो कह चुका हूं, 1993 में वापस दिल्ली में पी.वी. नरसिंहराव सरकार ने क्लीयरेंस रद्द कर दी। राष्ट्रपति शासन था, प्रधानमंत्रीजी का ही शासन राजस्थान में था।

डा. चन्द्रभान : सुराना साहब, आप इतने सीनियर लीडर हैं, जब टी.ई.सी. एक बार मिल गई तो वह दुबारा रद्द थोड़े हुई थी।

श्री मानिक चन्द सुराना : बिलकुल रद्द हुई है।

डा. चन्द्रभान : नहीं, नहीं, यह माननीय नेता महोदय बताएं, कोई टी.ई.सी. रद्द नहीं हुई। असल में सरकार अनिर्णय की स्थिति में थी कि इसे निजी क्षेत्र में दिया जाए। यह असलियत है, यह वास्तविकता है। इसके बाद में निजी क्षेत्र ने कोई रेस्पोंस नहीं दिया...(व्यवधान) आप ऊर्जा मंत्री भी रही हैं, इस योजना का भी है, नेवेली लिग्नाइट तथा बरसिंहसर का मसला नहीं सुलटा। इसमें सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की कमी थी और सरकार की इच्छा भी थी कि वह निजी क्षेत्र के द्वारा इस योजना को पूरा कराए। निजी क्षेत्र ने जब कोई रेस्पोंस नहीं दिया तो फिर सरकार ने यह तय किया कि इसको सार्वजनिक क्षेत्र से करवाना चाहिए। इसके कारण डिले हुई है, यह असलियत है।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, आपने तो सिर्फ इसका उद्घाटन कराया है, इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन आपने शुरू किया हैं।

डा. चन्द्रभान : माननीय, आप यह ठीक कह रहे है। सभापति महोदय, पहली यूनिट को सिंक्रोनाइज़ नवम्बर, 1998 में कर दिया गया था, कॉमर्शियल प्रोडक्शन फरवरी, 1999 में हुआ। उद्घाटन आप कह सकते हैं कि हमारे कार्यकाल में हुआ लेकिन सिंक्रोनाइज पहले कर दिया गया। लेकिन इसकी बात मैं नहीं करता। लेकिन दूसरी इकाई है उसको हम 22 महीने में लेकर आए हैं, इसका क्रेडिट तो दो। पहली का नहीं, दूसरी का तो क्रेडिट आपको हमको देना ही चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बार किसी भी पावर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन हो जाए तो सैकण्ड यूनिट खड़े करने में कोई देरी नहीं होती। आपको अगर देखना है तो कोटा तापीय विद्युत घर को देख लें, एक बार जब उसका फाउंडेशन हो गया तो दूसरी यूनिट बनाने में देर नहीं लगी, तीसरी में नहीं लगी, चौथी में नहीं लगी और पांचवीं में नहीं लगी। जब एक बार बेसिस ही नहीं हो तो निश्चित रूप से देर होगी। सूरतगढ़ पावर स्टेशन का बेसिस हमने बनाया, फिर आप जितना भी इसके ऊपर और बढ़ावा कर सकते हैं, वह करें। इसमें टाइम कम लगेगा और पैसा भी कम लगेगा।

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, यह राष्ट्रीय रिकार्ड है। मैं दावा नहीं करता कि हमने एक दिन में दूसरी यूनिट खड़ी कर दी और आपके समय में उसका कोई काम शुरू नहीं हुआ था, लेकिन दूसरी इकाई का 75 प्रतिशत कार्य हमारी सरकार के आने के बाद में हुआ। कोई भी यूनिट 36 महीने पहले नहीं आती, लेकिन यह 22 और 23 महीने में आयी, छह महीने पहले लेकर आये। यह तो राष्ट्रीय रिकार्ड है। और मैं फिर कहना चाहूंगा, अभी भी आपको कहूंगा कि तीसरी और चौथी यूनिट है, वो तो अलग से बन रही है, वो भी समय से पहले आएगी।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय सभापति महोदय, आज यह बहुत ही...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, थोड़ा सहयोग करें।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं तो सहयोग ही कर रहा हूं। माननीय सभापतिजी से मेरा निवेदन है कि इंटरवेंशन बहुत शॉर्ट और एक पाइंट के रूप में होता है, जैसा वित्त मंत्रीजी ने किया। आपने तो बहुत लम्बा कर दिया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि बात का क्रम टूट जाता है।

इसमें उपलब्धि यह हुई है, इन्होंने आज इस बात को माना कि भाजपा की सरकार के समय में पहली यूनिट सिंक्रोनाइज हो गयी थी। चौथाई काम सैकण्ड यूनिट का पूरा हो गया था और 75 परसेंट काम आपने किया। आपका दायित्व था, करना ही चाहिए था और उसके लिए मैं आपको बधाई भी दे देता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप तो यह स्वीकार कर लो कि आपके कार्यकाल में बहुत विलम्ब हुआ है।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप स्वीकार करें कि छह साल आप सरकार में रहते हुए पर्यावरण की स्वीकृति नहीं ले पाए। आप बात समझें। आप तो समझने की कोशिश करें, माननीय सदस्य, आप तो मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1984 में तो क्रांग्रेस की गवर्नमैंट थी, 1984 में योजना बनी, 1990 तक आपने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। यह छह वर्ष के लिए दोषी कौन है?

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, मंत्रीजी और प्रतिपक्ष के नेता यह बता दें कि राजस्थान में डिमाण्ड और सप्लाई में जो गैप है, जो कमी है। इसके लिए राजस्थान में कोई दोषी है तो सबसे बड़ी कांग्रेस है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है। आपस में एक–दूसरे पर इल्जाम लगाकर, धन्यवाद देकर तो छूट नहीं सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : कमी है तो उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों हैं दोनों इसके लिए गुनाहगार हैं और इससे राजस्थान का विकास रुका है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो सारे हिन्दुस्तान का नक्शा देखें, सारे देश का नक्शा देखें जिसमें बंगाल भी शामिल है।

श्री अमराराम (धोद) : बंगाल में सरप्लस है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जितनी डिमाण्ड बढ़ेगी उतनी सप्लाई होनी चाहिए और डिमाण्ड व सप्लाई का अंतर होगा। ऐसा नहीं है कि वैस्ट बंगाल में अंतर नहीं है, वहां भी अंतर है।

श्री अमराराम (धोद) : सरप्लस है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरप्लस नहीं है, यह भ्रम में मत रहो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कौन कहता है बंगाल में सरप्लस है ? नो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई सरप्लस नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सरप्लस नहीं है। क्या बात कर रहे हो ?

श्री अमराराम (धोद) : है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप कहो तो कैसे मान लें ? सरप्लस कहीं भी नहीं है। सारे हिन्दुस्तान में डिमाण्ड बढ़ रही है और डिमाण्ड के अनुसार सप्लाई नहीं हो रही है। यह एक तथ्य है इसको स्वीकार करना चाहिए।

श्री सभापति : यह सही है। समाप्त करें।

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापति महोदय, जो मैंने बात रखी है उसके आगे यह निवेदन करना चाहता हूं कि घोषणा–पत्रों से राज नहीं चलेगा, इसको ध्यान में रखें। आपने अपने घोषणा–पत्र की क्रियान्विति के लिए 60 से 58 वर्ष की आयु कर दी। हजारों कर्मचारियों को दो साल पूर्व ही रिटायर कर दिया और एक अनावश्यक बोझ जो दो साल बाद में आता, क्रमवार आता और क्रमवार जाता, उस बोझ को आपने एक साल में, डेढ़ साल में वहन करने का काम किया। राजस्थान की अर्थव्यवस्था आपके उस निर्णय से चौपट हुई है। उस निर्णय से जो वित्तीय भार पड़ा है, माननीय वित्त मंत्रीजी, सदन भी समझता है। आपको खास तौर से वह जानकारी होगी कि उसका कितना बड़ा वित्तीय भार सरकार पर पड़ा है। वह एक मुख्य कारण बना कि आपको सातवीं योजना का आकार छोटा करना पड़ा, क्योंकि आपको घोषणा–पत्र की क्रियान्विति करनी थी। कल मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे कि हमने कुछ कर दिये हैं और कुछ कर देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : लोंग रेंज में लाभ होगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : लोंग रेंज में लाभ होगा तो...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लोंग रेंज में लाभ होने वाला आप देख लेंगे क्या?

श्री रामनारायण चौधरी : पूरा–पूरा देखेंगे, साहब। आप और हम दोनों देखेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में अकाल है। कल चर्चा हो रही थी अकाल के आंकड़ों की, नेशनल कैलेमिटी रिलीफ फण्ड की चर्चा हो रही थी। माननीय वित्त मंत्री जी, उसके ऐतिहासिक विवाद में मुझे नहीं जाना है, लेकिन यह तय है कि कैलेमिटी रिलीफ फण्ड में 75 परसेंट रुपया भारत सरकार और 25 परसेंट स्टेट गवर्नमैंट को कंट्रीब्यूट करना है। जो भी प्रावधान...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप यह नहीं मानते कि It is the constitutional obligation of the Government of India? टैंथ फाइनेंस कमीशन, इलेवंथ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद यह कांस्टीट्यूशनल ऑब्लीगेशन है। खाली राजस्थान ही इस मद में रुपये नहीं पाता है, अन्य राज्य भी इस मद में रुपया पाते हैं जहां पर कि कैलेमिटीज इस प्रकार की आती रहती है। तो यह एक प्रकार का भ्रम जो फैलाने की चेष्टा की जा रही है कि भारत सरकार कोई राजस्थान सरकार के साथ एहसान कर रही है, कोई दान दे रही है हमें, इस बात को अपने मन से आपको निकालना पड़ेगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्रीजी, मैं इस भ्रम में नहीं हूं। मैं यह कह रहा हूं कि सी.आर.एफ. एक अलग फण्ड है और कंसोलिडेटेड फण्ड ऑफ इण्डिया का जो कंसैप्ट है, कंसोलिडेटेड फण्ड ऑफ राजस्थान का सी.आर.एफ. का कंसैप्ट उससे भिन्न है। सी.आर.एफ. में 75 परसेंट रुपया भारत सरकार का है हर स्थिति में। अब 25 परसेंट रुपया आपको कंट्रीब्यूट करना है। नाइंथ फाइनेंस कमीशन में 93 करोड़ रुपया था। भारत सरकार द्वारा हर वर्ष जो मिलना था और उसका पीरियड है 1990 से 95, 1990 से 95, माननीय वित्त मंत्रीजी, नौवां फाइनेंस आयोग लागू था। 93 करोड़ हर वर्ष मिलने थे और 31 करोड़ आपको कंट्रीब्यूट करने थे। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, उसके बाद में इसमें इजाफा हो गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको 45 मिनट हो जाएंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : 5 मिनट में कंक्लूड कर दूंगा। (व्यवधान) हमारे माननीय सदस्य दूसरे बहुत बोलने वाले हैं। जो दसवां नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसमें इजाफा हुआ है और करीब 207 करोड़ रुपया हर वर्ष 1995 से 2000 में हमको मिला है। अभी भी जो ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट है उसके चार्ट में

(श्री मानिक चन्द सुराना)

राजस्थान को 2001 से 2005 तक क्या मिलना है, यह तय है। उसका पेज आप जानना चाहे तो 279 है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : I know. I know.

श्री मानिक चन्द सुराना : अगर आप जानते हैं तो आप बात को समझे कि जो भी रुपया मिलना है 207 करोड़ वह 2000–2001 में मिलना है। अगले वर्ष 10 करोड़ की वृद्धि है, उसके बाद फिर 228 करोड़ मिलना है, उसके बाद 239 करोड़ मिलना है, फिर 251 करोड़ मिलना है। यह 2001 से 2005 तक कांस्टीट्यूशनल लाइबिलिटी है जो भारत सरकार की है। उस पर रिपोर्ट आ गयी है, उस पर वह कमिटेड है और रिपोर्ट छाप दी है कि किस स्टेट को क्या मिलेगा। अब नेशनल कैलेमिटी फण्ड के लिए आपका प्रतिवेदन जाता है और माननीय प्रधानमंत्रीजी उसमें आपको कभी मना नहीं करते। जो रुपया देना था वह रुपया हमेशा दिया और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फण्ड से भी दिया। मैं यह अर्ज नहीं करना चाहता कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी कोई भी जिम्मेदारी होगी वो ग्यारहवीं रिपोर्ट, दसवीं रिपोर्ट, नौवीं रिपोर्ट में उन्होंने निभायी है। राजस्थान के अकाल यदि उससे और भी भयंकर पड़ें और 207 करोड़ में काम नहीं निपटे तो, माननीय वित्त मंत्रीजी, आपकी सरकार यह नहीं कह सकती कि हम उसमें अगे नहीं चलेंगे।

राजस्थान में हर बार जो अकाल है, आप किस बात की वाहवाही लेना चाहते हैं ? आपने अप्रेल तक मात्र छह लाख लोगों को काम दिया है और 31 जिले अकाल में हैं। मेरे जिले में आंक लें, मैं दूसरे की बात नहीं करता। मैं कहना चाहता हूं कि 3,300 आदमियों से आपने 15 जनवरी को काम शुरू किया। बीकानेर जिला, चार पंचायतें और 3,300 आदमी हमको दे दिये। मेरे क्षेत्र में कोई 800 आदमी होंगे, 800 भी नहीं लगे। 14 जनवरी के बाद इस अप्रेल के महीने में आपके आंकड़े हैं 15 हजार के। बीकानेर जिले में 15 हजार आदमी, राजस्थान में छह लाख आदमी। मेरे जिले में 65 हजार बी.पी.एल. के लोग हैं, माननीय वित्त मंत्रीजी, नोट करें और अप्रेल में 15 हजार का आंकड़ा दे दिया 1 अप्रेल को।

हमारे यहां भगराजजी चौधरी आये थे, अकाल की मीटिंग ली थी वे हमारे प्रभारी मंत्री हैं। जब हमने उनको कहा कि 12 हजार की सीलिंग डी.आर.डी.ए. को आपने दे रखी है उसका उपयोग नहीं हुआ। डी.आर.डी.ए. तो 10 आदमी लगाता है, 15 लगाता है, 20 लगाता है। 1800 आदमी डी.आर.डी.ए. में काम करते थे और उनकी सीलिंग है 14 हजार। तो उन्होंने 12 हजार की सीलिंग लड़–झगड़कर दी। हमने उनको निवेदन करके उस सीलिंग को रिलीफ में परिवर्तित कराया और अब 15 अप्रेल ये वो सीलिंग बढ़ी है। मैं निवेदन

(श्री मानिक चन्द सुराना)

करना चाहता हूं कि सिर्फ जून के महीने में 18 लाख आदमी हमने लगा दिये, उसका ढिंढोरा मत पीटिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय सभापति जी, एक सवाल माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से करना चाहूंगा कि आपने कितने मैन डेज का काम कराया ? बी.पी.एल. के लोग जो 65 हजार हैं उनमें से कितने लोगों को काम मिल सकता था, कितने मैन डेज काम कराया ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के बजट को मोड़ दीजिए, 500 करोड़ का प्रावधान इसमें भी कराएं जिससे अकाल में ड्राट प्रूफिंग की जा सके। इस पश्चिमी राजस्थान के दसों–बारहों जिलों में अकाल की ड्राट प्रूफिंग जरूरी है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, माननीय सभापति महोदय, बार–बार कह रहे हैं।

(14.00 बजे)

श्री सभापति : नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है बी.ए.सी. के अन्दर आपके इस अकाल के ऊपर चर्चा की बात आ जाए, उस वक्त आप सारी बात कह देना।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, माननीय सभापति महोदय, बाद में जब चर्चा होगी...

श्री सभापति : इसलिए आप समाप्त करें।

श्री मानिक चन्द सुराना : तब मैं विस्तार से कहूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने 7 हजार करोड़ की योजना काट कर राजस्थान के साथ में बड़ा भारी अन्याय किया है। आपके दु:खों की जड़ उस योजना की कटौती है। कल ही आपने घोषण–पत्र का एक पाइंट जो क्रियान्वित कर दिया 60 से 58, उसमें आपके दु:खों की जड़ है। आप बताएं कि आप दसवीं योजना को कहां ले जाना चाहते हैं ? नवीं को तो आपने 20 हजार कर दिया, 27,600 पर ले आये, अब दसवीं योजना में बोलिये, कहां ले जाएंगे ? ४० हजार करोड़ पर ल जाएंगे राजस्थान को या नहीं ? अभी आपका मानस इस पर स्पष्ट नहीं है।

मैं इसी निवेदन के साथ कि आप योजना के आकार को बढ़ाने का काम करेंगे, राजस्थान के चहुंमुखी प्रगति के लिए वचनबद्ध भी हैं और उसके लिए अथक प्रयत्न करेंगे, मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री हरचन्द सिंह जी।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : माननीय सभापति महोदय, बजट प्रस्ताव हमारे सामने हैं, यह बात बिलकुल सही है कि बजट प्रस्तावों से किसी भी प्रदेश में आर्थिक विकास किस दिशा में जा रहा है

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

इसका आकलन किया जाता है। प्रस्ताव बहुत अच्छे हो सकते हैं लेकिन सवाल उनके क्रियान्वयन का भी है कि बजट में जो प्रावधान किये जाते हैं, क्या उनका उचित उपयोग भी हो रहा है।

जहां तक विकास की दिशा का सवाल है, सभापति महोदय, एक वक्त आया था जब वृहत् सिंचाई योजनाओं की ओर सरकार का ध्यान गया था और काफी गौर से वृहत् योजनाओं का क्रियान्वयन करके प्रदेश में कायाकल्प करने की कोशिश सरकार ने की थी। लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं कि जिन बांधों के ऊपर आधारित होकर हमने योजनाएं तैयार की थी उनमें पानी नहीं है। बार–बार सवाल आता है कि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में जो तीन बड़ी सिंचाई योजनाएं हैं, आज उनकी स्थिति क्या है ? उसके लिए सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि पानी है ही नहीं। फिर इनका स्ट्रेन कहां आकर पड़ेगा, हमको इस बात को देखना होगा। इस प्रदेश का उत्पादन न गिरे इसके लिए हमको अल्टरनेटिव योजनाएं तैयार करनी चाहिए।

(14.04 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

मैं माननीय मुख्य मंत्री और ऊर्जा मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा और वित्त मंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात को महसूस किया। इस प्रदेश के अण्डरग्राउण्ड वाटर का दोहन करके अगर काश्तकार अपना उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास साधन केवल मात्र एक रह जाता है, वह है ऊर्जा, बिजली। आज हर सवाल कहीं से भी शुरू करें हम, वह केन्द्रित एक ही बात पर आकर होगा कि ऊर्जा की स्थिति क्या है। ऊर्जा उत्पादन के लिए इस बजट में जो प्रावधान किये गये हैं, उनके परिणाम आने वाले हैं। बिना किसी संकोच के जहां आलोचना करनी हो करिये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जहां अच्छी बात हो, जहां अच्छे कदम उठाये जाएं उनकी तारीफ भी की जानी चाहिए। केवल आलोचना करना न्याय संगत नहीं होगा। लगातार तीन साल से रेन फाल डाउन हो रहा है, बांधों में पानी की आवक कम हो रही है। यह जब जनरल टेंडेंसी हो गयी तो भू–गर्भीय जल का दोहन करने के लिए विद्युत उत्पादन की ओर जो ध्यान दिया गया है वह काबिले तारीफ है। उसके लिए जितने प्रावधान किये गये हैं वह काबिले तारीफ है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए, कम है। यह दिशा बता रही है कि प्रदेश की राजस्थान सरकार इस प्रदेश को आगे ले जाने में किस तरीके से कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है।

अभी लूणकरणसर से आने वाले

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

माननीय सदस्य ने एक सवाल उठाया कि राजस्थान की परिसम्पतियां बेची जा रही हैं, बड़ी गंभीर बात है। पूंजीगत खाते की दुहाई देकर उन्होंने बताया कि हम इसका दिवाला निकाल देंगे। मैं सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले दो बजटों के अन्दर भूमि विक्रय से जो राजस्व प्राप्तियां दिखायी गयी थीं उसे एक फैशन के तौर पर न लिया जाए। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के बहुत बड़े भू–भाग की जमीनें विशेष आवंटन के जरिये बेचकर आय प्राप्ति के साधनों का हमने आकलन किया, उनका अंदाजा लगाया कि हमको इतनी प्राप्तियां होंगी। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि अधिकारीगण सरकार को भी गुमराह करते हैं। जहां अकाल जैसी परिस्थितियां हों, नहरों में पानी न हो वहां ऐसे प्रस्ताव कर दिये जाएं तो उस बजट का यही हाल होना है, उसके निश्चित तौर से अच्छे परिणाम आने वाले नहीं होंगे। कमेटियां बनी और कमेटियों के अन्दर उन जमीनों की कीमत तय की गयी। उसके ऊपर यह प्रावधान डाल दिया गया कि विशेष आवंटन के अन्दर इस मुरब्बा की कीमत इतनी होगी। एक अर्थमेटिक तरीके से उसका वैल्युएशन कर दिया कि इतनी जमीन हमको विशेष आवंटन में देनी है और इतनी राज्य सरकार की आय प्राप्तियां हो जाएंगी। और अगर एक साल में मुरब्बा नहीं बिकता है या उसका आवंटन नहीं होता है तो उसके अगले वर्ष उसकी 15 प्रतिशत वैल्युएशन और बढ़ जाएगी। मैं सवाल यह पूछना चाहता हूं कि आज गत क्या हो रही है उसकी इस तरीके से ? जो मैकेनिकल कैलकुलेशन हैं उनको जब तक, वित्त मंत्री महोदय, आप व्यावहारिक दृष्टिकोण से धरातल के ऊपर नहीं सोचेंगे तब तक बजट प्रस्तावों का हश्र अच्छा होने वाला नहीं है। राजस्थान का विकास चहुंमुखी हो। सिंचाई योजनाओं के लिए जो आपने प्रावधान किये हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं लेकिन मुझे अफसोस भी है। मैं अधिकारियों से पूछन चाहता हूं कि गंगानगर जिले की लाइफ गंग कैनाल...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अधिकारियों से यहां कोई बात नहीं पूछ सकते, आप मंत्रीजी से पूछिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मैं मंत्रीजी से ही पूछ रहा हूं। मैं उन पर आरोप लगा रहा हूं कि वह आकलन गलत करके दे रहे हैं, मैं क्षमा चाहता हूं।

आज गंग कैनाल की जो स्थिति है उसके ऊपर मुख्य मंत्रीजी ने एक पैकेज दिया है कि उस कैनाल का रिनोवेशन करवाया जाए। बहुत लम्बे अरसे से हमारी मांग थी, यह प्रावधान करके हमारी आकांक्षाओं को पूरा किया है, इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। लेकिन मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

गंग कैनाल प्रोटेक्टेड कैनाल है। उस कैनाल पर लगा हुआ एक–एक पैसा और उसकी जमीन की कीमत हमने अदा की है। उस गंग कैनाल में से 210 क्यूसेक्स की दो नहरें अन–अथोराइज्ड तरीके से पंजाब में निकाल ली गई लेकिन सरकार की ओर से आज तक उसका विरोध नहीं किया गया...

एक माननीय सदस्य : कब निकाली ?

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : सन् 1977–78 में पहली कैनाल निकली और उस समय मुख्य मंत्री प्रतिपक्ष के नेता थे, दूसरी बार भी...(व्यवधान) उनके कार्यकाल में निकली। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके टाइम में अगर कोई छीजत हुई है तो आप मेहरबानी करके उसको तो रोकिये, अब रिनोवेशन हो रहा है, जो टेक–आउट करवाया गया है उस कैनाल से, इस स्टेट की वह लाइफ लाइन है, उसका कोई न कोई आप उद्धार करवाइये। हमारी 18 सम्पत्तियां पंजाब प्रदेश में थी। मैं बार–बार इसका विरोध करता रहा हूं। अरबों रुपयों की हमारी जायदाद, जिनमें से छह परिसम्पत्तियां पंजाब सरकार ने बेच दी और हम चुपचाप बैठे रहे, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब मैंने पहली दफा इसका विरोध किया तो मैं पत्रकार जगत के लोगों को, मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरी इस बात को मानकर जब पंजाब के मुख्य मंत्री हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय की मौजूदगी के अन्दर 5 एलएनपी के अन्दर एक शादी में पधारे थे, उनसे एक सवाल पूछा था तो उन्होंने शर्मसार होकर कहा कि हां, गलती से वे सम्पत्तियां बिक गई। लेकिन अभी भी 11 और सम्पत्तियां अरबों रुपयों की हैं जिनका राज्य सरकार को कोई पता नहीं है, उन पर इनका कंट्रोल नहीं है। इस तरीके से अगर राजस्थान की जनता की सम्पत्तियों के साथ दूसरे प्रदेशों की सरकारें खिलवाड़ करेंगी और बेच बेचकर खाएंगी तो जो अभी आरोप लग रहे थे कि आप पूंजीगत खातों से निकालकर राजस्व घाटे की पूर्ति करेंगे, उस तरह दिवाला निकल जाएगा। दिवाला वैसे नहीं निकलेगा, दिवाला इस तरह से निकलेगा हमारी जायदाद अगर दूसरे स्टेट बेच जाएंगी तो निश्चित तौर से इस सरकार का दिवाला, इस प्रदेश का दिवाला निकल जाएगा। (व्यवधान) वह तो निकला हुआ है तो ये दो नहरें निकली। अगर दिवाला नहीं निकला होता तो ये दो नहरें थोड़े ही निकलतीं। इस तरीके से प्रोटेक्टेड कैनाल में से कैनाल नहीं निकल सकती। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, वह सरकार का काम है, मैंने तो उनको बताना था, बता दिया। (व्यवधान)

जब इस प्रदेश के विकास की गति का हम आकलन करते हैं तो आवागमन के साधनों की स्थिति का आकलन बहुत जरूरी हो जाता है। जहां योजना के

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

आकार की बात हो रही थी, मेरे ख्याल से 1992 से लेकर 1998 तक के पीरियड में राजस्थान प्रदेश में सड़कों की जो दुर्गति हमने देखी है, जो हमने कष्ट झेला है, शायद ऐसा किसी प्रदेश की जनता ने नहीं झेला होगा। मैं इस बात की तारीफ करना चाहता हूं कि इस सरकार में पहली दफा इसका सोच हुआ कि इस प्रदेश की सड़कों की स्थिति को सुधारा जाए। आज जो मुख्य सड़कें हैं उनमें गंगानगर से लेकर रतनगढ़ तक चार जिलों को जोड़ने वाली सड़क की 10 साल से हालत यह है कि बीच में 18 किलोमीटर रास्ता ऐसा है जिसमें पता नहीं लगता कि यहां पर कभी सड़क थी। इतनी मुख्य सड़क की यह हालत कभी नहीं देखी। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय जब राजस्थान के मुख्य मंत्री थे तो बहुत बार इस सड़क से गये होंगे लेकिन उनको कभी तकलीफ महसूस नहीं हुई कि जनता इस बात के लिए बहुत बुरा महसूस कर रही होगी। इसलिए यह जो आपने सड़कों को सुधारने के लिए प्रावधान किया, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन, माननीय वित्त मंत्री महोदय, मैं आपसे खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा...

श्री राजेन्द्र पारीक : पल्लू से हनुमानगढ़ की सड़क का रास्ता है, उसके बारे में खुलासा करो। (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : वही तो मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : बोलने दें। आप जारी रखें।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : एक फैशन बन गया है कि जो टैक्स लगा है, उस टैक्स से थोड़ा बहुत कम कर दो या आगे बढ़ा दो। यह सैचुरेटेड पाइंट आ गया है, अब आपको इस तरीके से इस कर प्रणाली को देखना होगा कि उसका सरलीकरण भी हो और राजस्थान प्रदेश की आय भी ज्यादा बढ़े। इस सदन के सभी माननीय सदस्य कहीं न कहीं डी.एल.सी. के मैम्बर रहे हैं, आपने महसूस किया होगा कि डी.एल.सी. की मीटिंग में सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव आते हैं कि पंजीयन और मुद्रांक की रेट्स को बढ़ा दिया जाएं। लेकिन मैं एक सवाल पाइंटेड आपसे कहना चाहूंगा, वित्त मंत्री महोदय, आपने देखा होगा कि गत वर्ष रजिस्ट्रेशन से राजस्व आय हुई। वह आप एक प्रतिशत और बढ़ाएंगे तो आपकी सकल आय गिरेगी, बढ़ेगी नहीं। इसका कारण क्या है ? जैसे–जैसे टैक्स रेट बढ़ती जाएगी, लोग उसका कोई दूसरा रास्ता निकालकर उससे बचने की कोशिश करते हैं। मेरा निवेदन है कि रजिस्ट्रेशन एण्ड स्टाम्प की जितनी फीस बढ़ाई है, बिना संकोच के राज्य हित के अंदर इसको कम कर देंगे तो स्टेट की टोटल इनकम बढ़ेगी, गिरेगी नहीं।

प्रावधान आपने किये, बहुत अच्छी बात

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

है, लेकिन आज सवाल यह आता है कि जो पैसा जिस मद के लिए दिया जाता है उसमें लगता है या नहीं लगता। आपने सी.ए.डी. स्कीम मे पक्के खालों के लिएं प्रावधान किया, बहुत अच्छी योजना है। इंटेन्सिटी बढ़ेगी, लासेज आफ वाटर कम हो जाएंगे। लेकिन, वित्त मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस मशीनरी के हाथों से काम होना है वह उस पैसे के साथ खिलवाड़ कैसा करती है। सुरजनसर माइनर जिसके खालों का कांम सीएडी कर रहा है, उसमें एक एस.ई.एम. चक का खाला, अगर आप उसको देखें तो उसमें इंटेन्सिटी जब वह कच्चा खाला था तो ज्यादा थी और पक्का खाला होने के बाद उसकी इंटेन्सिटी गिर गई। मैटीरियल इतना गंदा लगा हुआ है कि काश्तकारों ने तंग आकर एन्टी करप्शन डिपार्टमैंट में शिकायत की। मेन कैनाल के ऊपर बनी हुई पुलिया एक साल के अंदर हवा के झोंके से गिर गई। नहर के ऊपर आर.डी. के पत्थरों का कान्ट्रेक्ट, इंजीनियरिंग लाइन के लोग अपने परिवार के लोगों के नाम से ठेकेदारी फर्में कायम कर वहां लूट मचा रहे हैं। अगर इस तरीके से राज्य की जनता का एक–एक पैसा गलत हाथों में जाएगा तो आप कितनी ही बड़ी योजनाएं बना लें, कितने ही प्रोविजन कर लें, मेरे ख्याल से राजस्थान के विकास को आप गति नहीं दे पाएंगे। इसलिए इस छीजत को रोका जाए।

गुणवत्ता की गारंटी हो। जितने भी कन्सट्रक्शन के वर्क्स हैं उन पर इस बात की पाबंदी हो, उनकी एज तय की जाए कि जो भी भवन निर्माण हुआ है, खाला निर्माण हुआ है, जो सड़क निर्माण हुई है इसकी उम्र इतनी है, इतने साल इसकी मरम्मत की जरूरत नहीं रहेगी। यह विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। तब तो इन प्रोविजंस का कोई अर्थ होगा वरना इनका कोई अर्थ नहीं होगा।

आपसे जो इस प्रदेश को साक्षर करने का बीड़ा उठाया है उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। पिछले दो सालों में मिडल स्कूल और हायर सैकण्डरी स्कूलों के आपने अच्छे प्रावधान किये, लेकिन यह बात बिलकुल हकीकत है कि राजस्थान प्रदेश बड़े गांवों में नहीं बल्कि छोटी ढाणियों के अंदर बसता है। छोटी ढाणियों में रहने वाले बच्चों के स्कूल नजदीक नहीं होने के कारण यह निरीक्षरता बढ़ रही है। स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं का आपने पुनः प्रावधान करके राजस्थान के दूर–दराज के इलाके में रहने वाले लोगों के गरीब बच्चों को शिक्षा देने का जो बीड़ा उठाया है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जो संवेदनशील सरकार होती है उसका यह पहला फर्ज होता है कि वह

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

हर आम अवाम की वहबूदी का ख्याल रखे और आपने इस ओर कदम बढ़ाये, यह बहुत ही अच्छा प्रावधान किया।

जहां अन्न उत्पादन की बात हो रही है। मैंने पहले भी निवेदन किया कि जिस प्रदेश के अंदर उत्पादन नहीं बढ़ेगा वहां विकास संभव ही नहीं होगा। उत्पादन किसान अपने खून–पसीने से करता है और उसको उसकी उपज की कीमत नहीं मिले और उसकी उपज की खरीद नहीं हो। आपको यह विशेष व्यवस्था करनी चाहिए कि इस प्रदेश को बचाने वाला मेहनतकश अपनी मेहनत पा सके। उलाहने–शाबाशी नहीं कि केन्द्र सरकार ने हम पर यह भार डाल दिया, हम इस पूरी तैयारी में नहीं थे। इस बात का निश्चित तौर से हमको अंदाजा होना चाहिए था कि काश्तकार को जब हम समर्थन मूल्य की बात करते हैं, चाहे वह केन्द्र सरकार की हो या प्रदेश सरकार की हो, कि उसका अनाज मंडियों तक आएगा। जब सरकार इस बात को सोच रही है कि मिडलमैन के हाथों से काश्तकार को बचाया जाए तो पूरी तैयारी सरकार की होनी चाहिए, सरकार को तैयारी करनी चाहिए। आज उस दिशा में हमारी कमजोरी साफ नजर आ रही है, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है।

एक मेरा गिला है, वित्त मंत्री महोदय, हनुमानगढ़ जिला और गंगानगर जिले का काफी बड़ा भू–भाग सेम से ग्रस्त है। वह सेम उस इलाके में आई हुई है जो अन्न उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र था। सन् 1960 से घग्घर नदी के बहाव के कारण यह समस्या पैदा हुई। घग्घर फ्लड कन्ट्रोल के नाम पर हर वर्ष एक्सचैकर से पैसा खराब किया जाता रहा लेकिन आज चालीस साल के बाद में भी हम कोई ऐसी योजना नहीं बना सके कि इतना कीमती पानी जिसकी एक–एक बूंद के लिए हम तरसते हैं, उस पानी का समायोजन और उचित उपयोग कर पाएं। इस बजट के अंदर भी आपने कोई प्रावधान नहीं किया। मानवीय ज्वलंत इतनी समस्या है उस पर आपकी नजर नहीं गई, यह बहुत ही कष्टदायक है। मेहरबानी करके संवेदनशील होकर उस इलाके के लोगों को बचाने की कोई न कोई योजना बनाएं। कोई न कोई इस बजट में प्रावधान करेंगे, मैं ऐसीकामना करते हुए इजाजत चाहूंगा, जयहिन्द।

श्री सभापति : धन्यवाद आपका। माननीय श्री अमीन खान।

श्री अमीन खान (शिव) : सभापति महोदय, राजस्थान के वित्त मंत्रीजी ने इस वर्ष 2001–2002 के जो बजट प्रस्ताव पेश किये हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, ताईद करता हूं। पिछले दो वर्षों में सरकार ने देश और प्रदेश के आर्थिक संकट के हालात में अकाल का कारगर ढंग से सामना करने में लोगों को राहत देने में, पशु राहत देने में कोई कसर नहीं रखी

(श्री अमीन खान)

और बहुत अच्छे ढंग से कार्य चले। इस साल भी अकाल राहत कार्य बहुत अच्छे ढंग से शुरू किये गये हैं। जितना हम आगे बढ़ने की उम्मीद करते हैं उसमें रुकावटें सामने दिख रही हैं, हम यह महसूस करते हैं कि आर्थिक संकट के कारण सरकार की भी कोई मजबूरी है।

हमारे जिले में राजस्थान में क्या मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान में शिक्षा का स्तर सबसे नीचा था। सन् 2001 की जनगणना के आंकड़ों से यह साबित हो गया है और हमे फख्र हुआ है कि हम दूसरे शिक्षित लोगों की जो रफ्तार हैं उनके नजदीक पहुंचने वाले हैं। हमारा बाड़मेर जिला जैसलमेर जिले के शिक्षा के स्तर से नीचे था। वहां मात्र 22 प्रतिशत लोग शिक्षित थे जो आज करीब 60 प्रतिशत शिक्षित हुए हैं। यह देन है ढाणी–ढाणी में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं खुलने की। इतनी अच्छी तादाद में स्कूले खुली हैं कि ढाणी के किसी धोरों के बीच में आदमी पैदल चले तो अपनी नज़र से दोनों तरफ तीन स्कूलें हर जगह दिखायी देती है। बाड़मेर जैसे जिले में जहां शिक्षा का स्तर कलंक के नीचे थे, उसको इन स्कूलों के आधार से ही बाहर लाये हैं। हमें आशा है कि भविष्य में भी यही कोशिश जारी रहे तो एक दिन हमारा जिला भी जो पिछड़ा हुआ है, विकसित जिलों के समान हो जाएगा। इसकी हमें खुशी है।

पिछले दो सालों में सरकार ने हायर सैकण्डरी स्कूल भी खोली है, सैकण्डरी भी खोली है, मिडल भी खेाली है उससे गरीबों, देहातियों के बच्चों को पढ़ने का अच्छा अवसर मिला। सबसे ज्यादा अकाल से पीड़ित लोगों को राहत मिली। लेकिन हमारे जिले में इसके साथ में सरकार से यह चाहूंगा, आपके किसी भी मंत्री से, चाहे भूतपूर्व मंत्री से, चाहे अधिकारियों से पूछें, एक शराफत के नाते हमारे जिले के लोगों की सभी वर्ग के लोग और सभी अधिकारी लोग तारीफ करते हैं कि यहां इंसान अच्छे हैं। अच्छा सलूक रखना चाहते हैं, अच्छा भाईचारा रखना चाहते हैं। प्रत्येक इंसान के साथ हमदर्दी और मोहब्बत रखने वाले ऐसे लोग अन्य जिलों में कहीं नहीं मिलते हैं। यह हर आदमी तारीफ करता है। तो इनके साथ किसी की जान–बूझकर ज्यादती का तो मैं आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन एक भूल कहूं चाहे सजा कहूं, उसके कारण से हमारे जिले के साथ ज्यादती है। वह ज्यादती यह है कि बाड़मेर जिले में कोई ऐसा साल नहीं है जब 5–6 सौ, 7–8 सौ अध्यापकों के पद रिक्त नहीं हों। इतने अध्यापकों के पद रिक्त होने का मतलब आप समझते हो। कोई सैकण्डरी स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक ही मास्टर, मान लो, रह जाता है तो कई हायर सैकण्डरी स्कूल ऐसे हैं जिनमें 3–4 विषयों के अध्यापक ही नहीं है। उन लोगों की हालत खराब होती है और वे हालत हमारी खराब करते हैं।

(श्री अमीन खान)

राजस्थान के विकसित जिले अलवर, भरतपुर, झुंझुनूं, सीकर इन जिलों के अध्यापक हमारे यहां नौकरी करने के लिए आते हैं। हमारे स्थानीय अध्यापकों से ज्यादा वहां के अध्यापक पढ़ाने में अच्छे सिद्ध हुए हैं। लेकिन साल, डेढ़ साल, दो साल रहने के बाद ज्यों–ज्यों वेकेन्सी इनके यहां खाली होती है वे तमाम् लोग अपने गृह जिले में आकर नौकरी करते हैं और हमारे जिले की हालत वो की वो ही रह जाती है। यह एक हम अन्याय महसूस करते हैं। इसके लिये सरकार को चाहिए कि जिला परिषद को या पंचायत समिति को कि उनका जो पुराना चयन कमीशन था वही उनको इस सीमावर्ती पिछड़े हुए जिले को एक बराबर की लाईन में लाने के लिए वहीं के मास्टरों को अपाइंटमैंट के नंबर देने का अधिकार हो। वहीं के क्वालिफाइड लोग नियुक्त हो जाएं तो वहां के लोगों को रिलीफ मिलेगी, अन्यथा सामान्य कानून में हमारे साथ यह न्याय नहीं मिलेगा। इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

यह सबसे बड़ा हमारे को सहयोग देने वाला बजट है। इंदिरा गांधी नहर में वित्त मंत्रीजी, गत साल तो सरकार नौकरों को तनख्वाह दे सके, इतना ही पैसा रखा लेकिन इस साल सिंचाई का कुछ पैसा जरूर रखा है। लेकिन यह भी बहुत कम महसूस करते हैं। पूर्वी राजस्थान भी इस चीज का दवाब दे रहा है कि अकाल के नाम पर बार–बार पश्चिमी राजस्थान पूरे राजस्थान का धन खा जाता है। खाने के लिए कोई हंड़प नहीं करते हैं, वहां के लोगों पर कुदरती आफत आती है जब सरकार को मजबूरन व्यवस्था करनी पड़ती है। आप मेहरबानी करके एक साल में, दो साल में जितने भी पैसे खर्च होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा गडरा रोड तक इस नहर को पहुंचाने में लगा दे ताकि बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के कई हिस्सों तक आपको रिलीफ कार्य की जो बार–बार हर साल मार पड़ रही है वो नहीं पड़ेगी। इसके लिए विशेष इंतजाम होने चाहिए। सभापति महोदय, इस नहर का जो मूल प्रस्ताव था वह गडरा रोड से भी आगे रण कच्छ ले जाने का था और इसमें पॉवर की एक टके की जरूरत नहीं थी। राजनीतिक प्रैशर बीच में डाल–डाल कर जगह–जगह लिफ्ट कैनाल बना कर इस मूल नहर का सत्यानाश किया और आगे जहां कुदरती ढलान की जमीन में बगैर पॉवर पानी जाना था उसके लिए सरकार धन नहीं दे रही है। मेरा यह आग्रह है, वित्त मंत्रीजी, जहां 10 रुपये की भी पॉवर की आपको जरूरत नहीं है वहां बुलडोजर की रेती में नहर की खुदाई करके पानी ढाल दो, पानी गडरा रोड तक चला जाएगा। उस पानी से सिंचाई नहीं होगी तो सेवण घास हरी हो जाएगी, उससे भू–जल नीचे का पैदा हो जाएगा तो कुएं हो जाएंगे और जानवरों

(श्री अमीन खान)

को पीने के लिए आराम से पानी मिल जाएगा। इसमें अनुमान लगाए। आपका कम से कम पैसा...

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि गडरा तक इंदिरा गांधी नहर पहुंचाने के लिए कितनी बार अपन वोट लेंगे, अभी कितनी बार बाकी रहेंगे? कितने साल लगेंगे और?

श्री सी.पी. जोशी : श्रीमान् अमीन खान के मंत्री बनने बाद तक।

श्री अमीन खान : अभी पहुंचा देते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप भी लम्बे अर्से तक हमारे साथ रहे हैं। श्री अमराराम जी, आप भी बहुत रहे हैं हमारे साथ।

श्री सी.पी. जोशी : (व्यवधान)...ये अभी पहुंचा रहे हैं।

श्री अमीन खान : मंत्रीजी, ये जो लिफ्ट कैनालों को बीच में निकलवाते हैं उन लिफ्ट कैनालों की आप मंजूरी दे दोगे और लिफ्ट कैनालें...

श्री सभापति : उधर जाते ही मंत्री बन गये थे अमरारामजी।

श्री अमीन खान : ...पर अनाप–शनाप खर्चा होगा। इन लिफ्टों को चलाने के लिए क्या आपके पास वहां विद्युत है जो उस योजना के अनुसार और उसकी क्षमता के अनुसार पानी लिफ्टों में पहुंचाएंगे ? जब आपके पास पॉवर ही नहीं है तो इन फालतू लिफ्ट कैनालों को बंद करना राज्य हित में होगा, जनहित में होगा। जहां ढलान कुदरती है, कंवरसेन में मूल नहर का जो एक नक्शा बनाया था, उसको अपनाने में मेरे ख्याल में राष्ट्र हित में किसी सूरत में नजर अंदाज और ढिलाई नहीं रखनी चाहिए। उस आदमी ने वहां के लोगों की कई पीढ़ियों की भारी समस्या को दिमाग में रखा था। उस आदमी के दिमाग को यहां की पीढ़ी–पीढ़ी का धन्यवाद मिलना चाहिए। उसकी ओर ध्यान नहीं जाता है। जहां बिना पावर पानी ले जाने में सुविधा है उस पर, वित्त मंत्रीजी, आपका ध्यान होना चाहिये। उसके बिना लोगों को राहत नहीं मिल सकती है। इसके अलावा पानी के टैंकरों पर खर्च होता है। इन सारी व्यवस्थाओं के लिये गडरा रोड ब्रांच को पूरा करना राजस्थान के हित में है, पश्चिमी राजस्थान के हित में है, बाड़मेर जिले के हित में है। हमारी इस मांग को पूरा करने में प्राथमिकता देनी चाहिये।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं, पंचायती राज मंत्रीजी, शायद आप एक कस्बे से आते हैं, यूनिवर्सिटी के एक अच्छे पढ़े–लिखे आदमी हैं। आपके दिमाग को हम चैलेंज नहीं करते हैं लेकिन आप से हम दरख्वास्त करते हैं...

श्री मदन दिलावर : कितने पढ़े–लिखे हैं इसका पिछले दिनों पता चल गया।

श्री अमीन खान : 2002 की आदमशुमारी के आधार पर पंचायतों के पुनर्गठन के प्रारूप की भविष्य में होने वाले चुनाव से पहले तैयारी करनी चाहिए।

सूचना

माननीय अध्यक्ष, मणिपुर विधान सभा द्वारा सदन की कार्यवाही का अवलोकन

श्री सभापति : आज की हमारी कार्यवाही को आनरेबल स्पीकर, मणिपुर असैंबली और उनकी पार्टी भी देख रही है।

आय-व्ययक पर वाद विवाद

श्री अमीन खान : आपको पूरा सहयोग करना चाहिये।

मंत्री जी, पंचायतों की और भी समस्याएं मैं आपको नोट करवाता हूं। मेहरबानी करके वार्ड सभा के कानून में थोड़ा सुधार कीजिए। इसे लोग समझते ही नहीं। एक गांव में 10 वार्ड हो सकते हैं, दो गांव एक वार्ड में आ सकते हैं। लोग इस कानून की मजाक करते है। ग्राम सभा का ग्रामीण भाषा में अर्थ है कि गांव की सभा है। एक गांव की आबादी चाहे 100 हो, उसकी सभा समझ में आती है। एक गांव की आबादी 1000 हो तो उसकी सभा समझ में आती है। मैं यह नहीं कहता कि आज ही यह करना है लेकिन भविष्य में आपको ग्राम सभा का नाम एक्ट में, नियमों में रखना चाहिये ताकि ग्राम सभा का अर्थ हो कि एक गांव की सभा है। पंचायत का अर्थ पंचायत की सभा। इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए, यह मेरी गुजारिश है।

इस वक्त अकाल है, हमारे जिले में हमेशा जो राहत कार्य खोले जाते हैं इस साल उससे कम हैं। इस वक्त 42000 की सीलिंग है, हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि इस आने वाली 1 मई को बाड़मेर जिले की सीलिंग कम से कम 60 हजार होनी चाहिये, 16 मई को 70 हजार होनी चाहिए और 1 जून को कम से कम एक लाख होनी चाहिये। उसके बाद खुदा करेगा जमाना आएगा और लोग आनंद से रहेंगे। यही मेरी दरख्वास्त है।

इसके साथ वित्त मंत्रीजी, मेरी यह भी दरख्वास्त है कि अकाल की वजह से या और कई कारणों से आपने इस साल किसी डवलपमैंट इकाई का बजट प्रस्तावों में प्रावधान नहीं रखा। कई जिले ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं जहां इस डवलपमैंट इकाई की एक साल, डेढ़ साल जरूरत नही है, लेकिन जो पिछड़े हुए जिले हैं, रेगिस्तानी जिले हैं, सीमावर्ती जिले हैं, पहाड़ी जिले हैं उनमें मेरा सुझाव है कि आप मेहरबानी करके सैकण्डरी स्कूल, हायर सैकण्डरी स्कूल और मिडल स्कूल का भी थोड़ा बहुत प्रावधान रखें ताकि वे जिले भी विकसित जिलों की बराबरी में आ सकें।

सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत यह भी कहना चाहता हूं कि जो सरकारी

(श्री अमीन खान)

नौकरियों में पदों की कटौती की जा रही है इसकी जगह पर स्थानीय मैट्रिक पास लोगों को टीचर्स रखें, इन मैट्रिक पास टीचर्स को दो साल का अनुभवी मानकर स्थाई अध्यापक किया जाए, ऐसी कानून में व्यवस्था करें। वहीं के मास्टरों को खाली स्कूलों में रखने का इंतजाम किया जाए। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे टाइम दिया इसके लिये बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मदन दिलावर जी।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय सभापति महोदय, बजट पर चर्चा हो रही है, राजस्थान में पहली बार ऐसे बजट पर चर्चा हो रही है जो यहां प्रस्तुत करने से पहले ही आउट हो चुका है। यह मेरा तो कम से कम दुर्भाग्य है कि आउट हुए बजट पर मुझे चर्चा करनी पड़ रही है, मजबूरी है। आज राजस्थान के लोग हमसे पूछते हैं कि आखिर में 10 प्रतिशत राशि से कम पर डीजल पम्प और वाटर पम्प खरीद कर हमको 10 प्रतिशत ज्यादा पर बेचा, वह पैसा कहां जाएगा। क्या वह पैसा सरकारी खजाने में जाएगा ? क्या वह जनता के विकास में काम आएगा ? क्या वह लोगों के कल्याण के लिये काम आएगा ? मैंने बहुत कोशिश की सोचने की कि कहां काम आएगा। आर्थिक जानकारों ने मुझे बताया कि यह पैसा न तो सरकार के काम आएगा, न जनता के काम आएगा, बल्कि यह पैसा कुछ लोगों की जेबें भरने के काम आएगा। सभापति महोदय, यह पहली बार हुआ है। इसीलिए मैंने इस बजट में देखा कि एक भी चिकित्सालय खोलने का प्रावधान इसमें नहीं। यदि यह बजट आउट करना ही था तो पहले से कांट्रैक्ट देकर आउट हो जाता...

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, यदि चिकित्सालय खोला भी जाएगा तो मानसिक चिकित्सालय खोला जाएगा।

श्री मदन दिलावर : जिसमें आपको भर्ती करा देंगे।

सभापति महोदय, यदि बजट आउट करना ही था तो इसका कांट्रैक्ट दे देते कि 100 करोड़ रुपये में हम आउट कर रहे हैं, यह राशि आप सरकारी खजाने में जमा करा दो। पर ऐसा नहीं हुआ। खैर, जाने दो इस बात को। न तो एक भी विद्यालय क्रमोन्नत करने की बात इस बजट में की गई है, न ही नया विद्यालय खोलने की बात इसमें की गई है। गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ने के लिये छात्रावासों की आवश्कयता होती है ताकि रोटी का इंतजाम भी सरकार वहां कर दे, कपड़े का भी इंतजाम कर दे और जिनके घर में भोजन की व्यवस्था नहीं होती, जिनके मां–बाप पढ़ाने लायक नहीं होते वे छात्रावास में जाकर निःशुल्क भोजन और शिक्षा की सुविधा प्राप्त कर सकें। उसका भी कोई प्रावधान नहीं है। मैंने सोचा इस बजट को और पढ़ूं, कहीं नहरें बनाने का प्रावधान

(श्री मदन दिलावर)

इसमें होगा। पूरा गौर से देखा, छोटा चश्मा लगाया, बड़ा चश्मा लगाया लेकिन कहीं भी मुझे एक भी नयी नहर बनाने का प्रावधान इसमें दिखाई नहीं दिया। आखिर में यह बजट काहे का है ? बजट में केवल यह ही है कि इस अकाल पीड़ित जनता से अधिक से अधिक टैक्स किस प्रकार वसूल किया जाए। यह आउट हुआ बजट है।

श्रीमान् समाज कल्याण विभाग गरीब लोगों के कल्याण के लिये, उनके उत्थान के लिये बनाया गया है। सरकार की यह सोच थी कि जो आर्थिक दृष्टि से विपन्न रह गये हैं, वंचित रह गये हैं ऐसे लोगों को इस समाज कल्याण के माध्यम से ऊपर लाने का सरकार प्रयत्न करे। लेकिन हुआ क्या ? कुछ भी नहीं हुआ। मैंने यह पूरा का पूरा प्रतिवेदन पढ़ा और प्रतिवेदन पढ़कर मैंने देखा कि पिछले साल सरकार ने क्या किया है। पता चला कि भारत सरकार से जो विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई थी, 2698 लाख रुपये जो प्राप्त हुए थे उसके बदले में 1334 लाख रुपये ही इस सरकार ने कमजोर वर्गो के उत्थान के लिए खर्च किए शेष राशि कहां गई, श्रीमान् ? राजस्थान की जनता को बताना होगा, गरीब लोगों को बताना होगा कि गरीब के कल्याण के लिए लिया गया धन आखिर में कहां गया। यह जवाब देना होगा।

यही नहीं, श्रीमान् अनुसूचित जाति के लोगों को आर्थिक सम्बल देना था उसमें इन्होंने लोगों को धोखा देने के लिए लक्ष्य तय किया। लक्ष्य कितना तय किया ? कि 85,000 लोगों को हम आर्थिक सम्बल प्रदान करेंगे। केन्द्र सरकार से भी उसके एवज में बहुत बड़ा धन ले लिया गया। लेकिन हुआ क्या ? मात्र 35448 लोगों को आर्थिक सम्बल प्रदान किया गया। रिकार्ड के अनुसार यदि भौतिक सत्यापन करेंगे तो यह भी शायद आधी संख्या रह जाएगी, इसलिए भौतिक सत्यापन बहुत जरूरी है। आप आश्चर्य करेंगे कि जहां–जहां अनुसूचित जाति बहुल गांव हैं उन गांवों को सरकार ने सम्बल ग्राम नाम दिया है, उस गांव का उत्थान करने के लिए 1997–98 में जहां 223 लाख रुपये खर्च किये गये थे, वहां पिछले वर्ष सरकार ने 10 लाख का प्रावधान रखा और वह 10 लाख का खर्चा भी हुआ या नहीं हुआ उसका हिसाब सरकार देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि आंकड़े इकट्ठे करने में लग रही है। जहां इस प्रकार की स्थिति सरकार की हो जाए उस सरकार के बारे में क्या करें ?

राजस्थान सरकार ने माननीय भैरोंसिंहजी के नेतृत्व में राजस्थान भर में आवासीय विद्यालय खोलने का प्रयत्न किया। टौंक और अटरू में आवासीय विद्यालय खोले। उसके पीछे यह ध्येय था कि आवासीय विद्यालय में अनुसूचित जाति और जनजाति के बालक पब्लिक विद्यालय की तरह शिक्षा पाएं ताकि सम्पन्न वर्ग के बच्चों के साथ वे प्रतिस्पर्धा कर सकें। लेकिन, श्रीमान् आवासीय विद्यालय भारतीय

(श्री मदन दिलावर)

जनता पार्टी की सरकार रही वहां तक तो बहुत अच्छे चले। उनकी बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट शत–प्रतिशत प्रथम श्रेणी रहा। 70 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे 75 प्रतिशत अंक लाये क्योंकि अच्छे अध्यापकों का चयन किया गया था। लेकिन इस सरकार ने आते ही क्या किया ? सबसे पहले एक आर्डर निकाला कि आवासीय विद्यालयों की छठी, सांतवी, आठवीं कक्षा को प्रति वर्ष एक–एक करके बंद किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने एक आवासीय विद्यालय के लिए कम से कम तीन करोड़ रुपये खर्च किये थे और यहां आर्डर निकला कि कक्षा 6, 7 और 8 को ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, आवासीय विद्यालयों के नाम से आर.एस.एस. की शाखा चलाने के लिए इन्होंने केन्द्र स्थापित किये थे जिनमें साम्प्रदायिकता फैलाते। सरकार ने यह उचित समझा कि इन साम्प्रदायिकता फैलाने वाले तत्वों पर लगाम लगाई जाए। यह अत्यावश्यक था कि इन पर रोक लगाकर इन्हें बंद किया जाए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय राजेन्द्र जी, साम्प्रदायिक दंगे तो आप करवा रहे हैं, +++ साम्प्रदायिक दंगे तो अब हो रहे हैं। (व्यवधान) आर.एस.एस. ने कहां कराये, सारे कांग्रेस ने कराये हैं।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य को बोलने दीजिए, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : श्रीमान्, माननीय सदस्य को चाहिए कि वह सत्ता पार्टी की गरिमा रखें। यह गरिमा नहीं रखते इसलिए हमको बोलना पड़ता है। सत्तारूढ़ पार्टी में बैठकर भी यहां पर +++ करते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपका बोलना जरूरी है क्या? आप बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमारा बोलना जरूरी है क्योंकि वह पहले बोलते हैं। पहले सत्तारुढ़ पार्टी को चुप कराइये। (व्यवधान)

श्री सभापति : वह जवाब भी दे देंगे, बोल रहे हैं। माननीय सदस्य, आपसे ज्यादा काबिल हैं, मंत्री रहे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, विकलांग लोगों के कल्याणार्थ सरकार ने बहुत वर्षों से एक योजना चलाई हुई है। कोई नेत्रहीन व्यक्ति हैं, कोई अस्थिरोग से पीड़ित हैं या कोई विकलांगता से ग्रस्त हैं, ऐसे व्यक्तियों को 2000 रुपये की सहायता इसलिए दी जाती थी कि वे बस स्टेण्ड पर बीड़ी बेचकर काम चला सकें, अन्य कोई साग–सब्जी वगैरह बेचकर अपना काम चला लें और अपना पेट–पालन कर सकें। लेकिन इस सरकार ने अंघोषित रूप से उस सहायता को बंद कर दिया। रिकार्ड

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मदन दिलावर)

में तो वह देंगे लेकिन सब जगह अघोषित रूप से इसको बंद करवा दिया गया।

इस देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले महाराणा प्रताप के सहयोगी गाड़िया लुहारों ने आखिर इस सरकार का क्या बिगाड़ा था ? उनको मकान के लिए सरकार 5000 रुपये की सहायता देती थी इस सरकार ने उस सहायता को बंद कर दिया। गाड़िया लुहारों को देने वाली सहायता को इस सरकार ने बंद कर दिया, इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है। इस देश की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने घर नहीं बसाया, गाड़ी में घूमना पसंद किया, परन्तु महाराणा प्रताप का साथ नहीं छोड़ा, महाराणा प्रताप के ऐसे अनुयायियों से आखिर में यह सरकार क्यों भाग रही है ?

जयपुर में अन्तर्राष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन करके करोड़ों रुपये सरकार लुटा सकती है। चांदी के थालों में भोजन परोसा जाएगा, चांदी की चम्मच और चांदी की कटोरी। जब अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन समाप्त हुआ और थालियों की गिनती की गयी तो चांदी की 8 थाली, 52 चम्मच और 32 कटोरियां गायब मिली। पूछा जाए कि कौन ले गया...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : +++

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर, प्लीज नहीं। यह वाक्य निकाल दिया जाए जो माननीय सदस्य ने मदन दिलावर के बारे में कहा है। वह आज की कार्यवाही में से एक्सपंज किया जाता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार में चांदी की चम्मच, चांदी की कटोरियां और चांदी की थालियां गायब हो जाएं, विधि मंत्रीजी आपने यह पाइंट नोट नहीं किया। मैं अभी नहीं कहता परन्तु आप जब जवाब दें यह गम्भीर मामला है जो माननीय सदस्य ने उठाया है और सरकार पर सीधा चार्ज लगाया है। इस बात का आप जरूर जवाब दें कि चांदी के चम्मच, चांदी की कटोरियां और चांदी की थालियां कहां गई। (व्यवधान)

श्री सभापति : सरकार पर चार्ज नहीं लगाया है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : चांदी के चम्मच कहां चले गए, इतना तो पता लगाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आखिर ये चांदी के चम्मच गए कहां ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य ने कोई चार्ज नहीं लगाया है, वह तो अपनी बात कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है चांदी के चम्मच ...(व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, मैं सुन रहा हूं वह अपनी बात कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, वह तो इनके नेतृत्व में इनके ही कुछ आदमी वहां पर मौजूद थे जिन्होंने यह सारा षड्यंत्र किया। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, प्लीज, बीच में नहीं। (व्यवधान) माननीय दिलावर को बोलने दें, इनको डिस्टर्ब नहीं करें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : श्रीमान् चांदी के चम्मच और थालियां तो गायब हुए...

एक माननीय सदस्य : यह +++ है फुरकों से भागने वाली नहीं है।

श्री नन्दलाल मीणा : चम्मच गायब हो गए। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : यह बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चांदी के चम्मच और गायब हो जाएं, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप किस बात का एतराज करते हैं, माननीय राजेन्द्र सिंहजी ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गायब होने वाला गम्भीर मामला है। (व्यवधान) यह सरकार चली ही +++ के दम पर है, अगर +++ गायब हो जाएंगे तो सरकार कैसे चलेगी ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप क्या समझते हैं, माननीय दिलावर साहब कम गम्भीर हैं ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : स्टील के चम्मचों, चांदी के चम्मचों के भरोसे ही चल रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति : यह गम्भीरता से ले रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : चांदी के चम्मच तो गुम नहीं होते लेकिन यदि इन लोगों के इर्द–गिर्द घूमने वाले +++ भाग जाते तो मुझे खुशी होती। दुःख इस बात का है कि राजस्थान के लोगों के कड़े पसीने की कमाई से खरीदे हुए चम्मच और थालियां गायब हो गई।

(15.00 बजे)

श्रीमान्, यह सरकार कहती है कि बहुत संवेदनशील है, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत काम करती है। लेकिन मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछली बार हाड़ौती में पीलिया रोग से सौ लोगों से भी ज्यादा लोगों की मौतें हुई थीं और पूरी हाड़ौती में हाहाकार छा गया था। क्या तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में, क्या खानपुर से आने वाली माननीय सदस्या के विधान सभा क्षेत्र में, क्या बूंदी जिले में, क्या छबड़ा में, क्या छीपाबड़ौद में, क्या शाहबाद में दर्जनों की संख्या में लोग मरे ? दौरे पर चिकित्सा मंत्रीजी भी जाते हैं, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी भी जाते हैं, खाद्य

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मदन दिलावर)

मंत्रीजी भी जाते हैं, अनेक–अनेक प्रकार की रंग–बिरंगी गाड़ियों में मंत्री महोदय पहुंचे, मेरे विधान सभा क्षेत्र को क्रास करते हुए पहुंचे, मैंने सोचा 4–4 मंत्री यदि किसी एक गांव में पहुंच जाएं तो शायद इस गांव का उद्धार हो जाएगा। खानपुर में जाकर 4 मंत्री महोदय घोषण करके आते हैं। वहां पीलिया रोग की पुनरावृत्ति न हो, गंदा पानी लोग नहीं पीएं, गन्दगी न रहे इसलिये 42 लाख रुपये की अलग–अलग मंत्रियों ने कुलमिलाकर घोषण की कि यहां काम हो जाएगा। मैं भी कुछ दिन पहले पहुंच गया था खानपुर में क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगा हुआ है। लोग आये मेरे से मिलने के लिये। मैंने पूछा उनसे, भैया, इस बार तो पीलिया नहीं होगा न, क्योंकि 42 लाख रुपये के काम इस सरकार ने करवा दिये हैं। मेरे ऊपर चढ़ गये, बिखर गये, मेरे से लड़ने को तैयार हो गये और कहते हैं, विधायक महोदय, इस प्रकार का असत्य बोलते हुए आपको ठीक लगता है क्या। मैंने कहा, मैंने अखबारों में पढ़ा था और खनपुर की माननीय सदस्या ने यहां से सरकार को धन्यवाद दिया था। श्रीमान् वह पीलिया रोग फिर पांव पसार रहा है, सैकड़ों लोगों के मरने के बाद उन घटनाओं की पुनरावृत्ति होने की पूरी सम्भावना हो गयी है। लेकिन यह सरकार गहरी निद्रा में सोई हुई है, इसको समझाने वाला कोई नहीं है। यदि कोई मेरी बात का खण्डन कर रहा है आप मंत्रीगण में से कि वहां लोग नहीं मरे तो मैं आपको एक–एक नाम पढ़कर बताऊं क्या ? और यदि मेरे को ये नहीं कहते हैं कि बताओ, तो इन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि ये सैकड़ों लोग जिनकी सूची मेरे पास है, पीलिया रोग के कारण तड़प–तड़प कर मर गये हैं। श्रीमान्, मैं समाज कल्याण की एक बात भूल गया।

श्री सभापति : सरकार को इस बात के लिये धन्यवाद दो कि उन्होंने रोक दिया उसको वहीं पर, आगे नहीं बढ़ने दिया।

श्री मदन दिलावर : बहुत बढ़िया किया। धन वहीं रोक दिया, पीलिया बढ़ गया।

श्रीमान्, मैं समाज कल्याण की एक बात भूल गया था। दुर्भाग्यवश कई बहनें विधवाएं हो जाती हैं। भगवान ऐसा किसी के साथ नहीं करे। समाज कल्याण विभाग ने उनकी युवा बेटियों, जिनके पीले हाथ करने हैं उनके लिए 5000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की योजना कई दिनों से चलाई हुई थी और उसका श्रेय जाता है माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब को। उन्होंने 5000 रुपये की आर्थिक सहायता दी, उनके शासनकाल में हजारों बहनों को इस प्रकार की सहायता मिली। लेकिन इस सरकार ने उसे अघोषित रूप से बंद कर दिया प्रावधान करने के बावजूद भी। किसी

(श्री मदन दिलावर)

जिले में 25–50 हजार रुपये भेजे भी तो पीछे से एक लैटर और भेज दिया कि इन पैसों को खर्च मत करना।

श्री संयम लोढ़ा : बिलकुल गलत कह रहे हैं। हमने तो अभी 5 तारीख को जितने भी मामले आये सबका निस्तारण किया। गलत आरोप लगा रहे है आप।

श्री संयम लोढ़ा : बिलकुल गलत कह रहे हैं। हमने तो अभी 5 तारीख को जितने भी मामले आये सबका निस्तारण किया। गलत आरोप लगा रहे हैं आप।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : बारां जिले में तो एक को भी नहीं मिले।

श्री संयम लोढ़ा : हां, तो मेरे जिले की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप पूरे राजस्थान की बात कहें।

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान की तो मैं क्या बताऊं ?

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, ऐसी असहाय बहनों के लिये इस प्रकार का अन्याय क्यों किया गया ?

राजस्थान सरकार ने सोचा कि गरीब लोगों के बच्चे डाक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इसके लिए किसी बच्चे के पास पी.एम.टी., पी.ई.टी. करने के लिये कोचिंग का पैसा नहीं है तो जितना कोचिंग शुल्क लगता है, समाज कल्याण अधीनस्थ अनुसूचित जाति जनजाति वित्त आयोग विकास निगम चलता है, वह उस सारे का भरण करेगा। किताबों के लिये, स्टेशनरी के लिये एक हजार रुपया प्रति माह उपलब्ध करवाएगा और पांच सौ रुपये प्रति माह उसके भोजन इत्यादि के लिये देगा। पी.ई.टी., पी.एम.टी. के बाद जब उसका सलेक्शन हो जाएगा मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज में तो 40 हजार रुपये बिना ब्याज के उसको ऋण दिया जाएगा जो 6 साल के बाद बिना ब्याज वापस लिया जाएगा। लेकिन ये दोनों गायब हो गये। पता ही नहीं चल रहा है, पैसा कहां गया। केन्द्र सरकार का पैसा। पता नहीं, यह सरकार इस सारे धर का क्या करना चाहती है।

पानी के बारे में हाहाकार है। मैंने अखबारों में पढ़ा, 12000 करोड़ रुपये की योजना बनाई है, किसी को प्यास से नहीं मरने दिया जाएगा, सब लोगों को पानी मिलेगा। बड़ी जोर–जोर की आवाजें सुनीं, धमाकेदार आवाजे सुनीं। मैंने सोचा, अब तो मजा आ गया, कोई भी गांव का व्यक्ति मेरे पास पानी मांगने के लिये नहीं आएगा। कहेगा, दिलावरजी, आपके जमाने में पानी की बहुत कमी थी, आज हमको पानी की कोई समस्या नहीं है। लेकिन हुआ क्या ? श्रीमान्, मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 1500 हैण्ड पम्प हैं और एक हैण्ड पम्प ठीक करने के लिये या नीचे से

(श्री मदन दिलावर)

पर्याप्त पानी लाने के लिये आजकल 10–10, 15–15 पाइप एक्स्ट्रा डालने पड़ रहे हैं। मंत्री महोदय ने मेरे विधान सभा क्षेत्र की अटरू तहसील में 14 अप्रेल तक की जानकारी के अनुसार, इसी 14 अप्रेल तक, 40 पाइप भेजे हैं। हम मुराड़ा करते हैं। (व्यवधान) 400 पाइप भेजे हैं और एक हैण्ड–पम्प में 10 पाइप लगते हैं। (व्यवधान) श्रीमान्, सारे हैण्ड पम्प खराब पड़े है, लोग बूंद–बूंद के लिये तरस रहे हैं। पानी नहीं है लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है। मैं दिल्ली गया, राज्य सभा सदस्य महोदय महेशजी शर्मा से पैसा लेकर आया कि यह सरकार तो शायद +++ है, कुछ नहीं कर पाएगी, आप एम. पी. के कोष से पैसा दे दीजिए। उन्होंने 13 लाख रुपये दिये। मैंने ट्यूबवैल के लिये दिये, एक साल हो गया लेकिन ट्यूबवैल चालू नहीं हुए हैं। मैंने 20 लाख रुपये ट्यूबवैल और हैण्ड पम्प के लिये एम.एल. ए. कोटे से दिये, उनको भी सरकार अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। इन्होंने तो हैण्ड–पम्प खोदे ही नहीं बल्कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के जो जीवित हैण्ड–पम्प थे, जिनमें पानी आ रहा था उनके पाइप भी निकालकर दूसरे हैण्ड–पम्पों के लिये ले गये। ऐसे ढाई सौ जीवित हैण्ड–पम्पों को मृत घोषित करके सरकार को लाखों रुपये का चूना लगाया गया है।

श्री सभापति : आर्डर, प्लीज, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, अभी तो चालू किया है।

श्री सभापति : रामसिंहजी की डिमाण्ड आये उस वक्त आप बोल लेना।

श्री मदन दिलावर : शुरू किया है, श्रीमान्।

श्री सभापति : आप समाप्त करें, आपकी पार्टी के बहुत सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, चिकित्सा विभाग के बारे में तो क्या कहूं ? कोई पथरी का इलाज कराने आता है, गर्भाशय निकाल दिया जाता है। कोई अपेंडिक्स का इलाज कराने आता है, पैर का आपरेशन कर दिया जाता है। कोई दायीं दाढ़ निकलवाने आता है, उसकी बायीं दाढ़ निकाल दी जाती है। कोई एलर्जी का इलाज कराने आता है, उसका टी.बी. का इलाज कर दिया जाता है। क्या हो रहा है, माननीय सभापति महोदय ? क्या हो गया है इस सरकार को ? मुझे बहुत दुःख हो रहा है इस बात का। राजस्थान की जनता के साथ ये लोग क्यों अन्याय कर रहे हैं ? ये लोग बहुत कह रहे हैं सारे के सारे कि हमने तो अकाल से कोई भी नहीं मरे इसलिये पूरा प्रबन्ध किया है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : अमरारामजी भी बोलना चाहते हैं आज।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, अब मैं आपसे क्या कहूं, मेरे पास बड़ी लम्बी–चौड़ी सूची है। इस राजस्थान की धरती पर भूख के कारण, बेरोजगारी के कारण आर्थिक तंगी के कारण सैकड़ों लोग तड़प–तड़प कर मर गये या फांसी के फंदे पर झूलकर आत्म–हत्या कर ली। यदि सरकार का कोई प्रतिनिधि इस बात को झुठलाना चाहे तो सदन में झुठलाए कि भूख के कारण से नहीं मरा, कोई बेरोजगारी के कारण से नहीं मरा। यदि सरकार की हिम्मत हो तो मेरी बात को, चुनौती को स्वीकार करें, नहीं तो यह मान लिया जाएगा कि इस राजस्थान की धरती पर लोग भूख के कारण से तड़प–तड़प कर मर रहे हैं और यह सरकार +++ इनको देख रही है।

श्री हरिसिंह महुवा : आपका वजन तो काफी बढ़ गया। आपका वजन तो काफी बढ़ गया।

श्री मदन दिलावर : नहीं बढ़ा है। जब मैं मेरी मां से मिलता हूं तो वह कहती है कि बेटा पहले से जरा दुबला दिख रहा है, इसलिए मैं नहीं मानता कि मेरा वजन बढ़ गया होगा। श्रीमान्, मैं और क्या कहूं...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : समाप्त नहीं, इस राजस्थान की धरती पर जो हुआ है वह और बता रहा हूं। श्रीमान्, इस राजस्थान की धरती पर दो साल में आने के बाद... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह महुवा : दो घंटे और तीस मिनट का टाइम है, आप चाहे कोई भी बोलें।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, मुझे प्रोटैक्ट करें।

श्री सभापति : बोलिए। बोलिए, आप समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर : हां, मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : आपने बहुत टाइम ले लिया।

श्री मदन दिलावर : मैंने अभी तो चालू ही किया है, साहब।

श्रीमान्, यह मैं ही नहीं कह रहा हूं कि प्रदेश के 1600 लोग दो साल से लापता हैं, हाई कोर्ट में जाकर इस सरकार ने कहा है कि 364 लोग अभी भी अपहरणकर्ताओं के चंगुल में हैं। चाहे गृह मंत्री मना करे कि 364 लोग अभी अपहरणकर्ताओं के चंगुल में नहीं है। उनकी माताएं क्या सोच रही होंगी, उनकी बहन क्या सोच रही होगी कि राखी के दिन मेरा भाई उसकी कलाई पर राखी बंधवाने के लिए आएगा। उसकी माता विचार कर रही होगी कि मेरा बेटा मेरी गोदी में बैठकर मेरे से बात करेगा। उसका

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मदन दिलावर)

बूढ़ा बाप सोच रहा होगा कि मेरा बेटा होता तो आज मुझे कमाई खिलाता। लेकिन दुर्भाग्य है उन सब लोगों का कि यह सरकार +++ उन 364 लोगों को अपहरणकर्ताओं के चंगुल में नहीं छुड़ा पा रही है। गृह मंत्रीजी, मैं आपको चुनौती देता हूं कि यह तथ्य यदि असत्य हो तो बताएं यह तथ्य असत्य नहीं है क्योंकि गृह मंत्रालय ने ही हाई कोर्ट में जाकर इस बात को स्वीकार किया है कि राजस्थान में 364 लोग अभी भी अपहरणकर्ताओं के चंगुल में हैं। और श्रीमान्, क्या कहूं...

श्री सभापति : बोलिये, बोलिये। अब आप समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर : सीमावर्ती जिलों का तो हाल ही बेहाल है। हाल ही बेहाल है। अभी जनसंख्या का आंकड़ा आया था। राजस्थान में जनसंख्या की गणना हुई है और इस गणना में आप आश्चर्य करेंगे कि जैसलमेर में 47.45 परसेंट वृद्धि हुई है। जैसलमेर में 47.45 परसेंट वृद्धि, ऐसे कैसे हो जाए ? माननीय सभापति महोदय, बारां में तो बढ़े 10 परसेंट, पाली में बढ़े 16 परसेंट, राजसमन्द में बढ़े 17 परसेंट और यह बाड़मेर और जैसलमेर, इधर कैसे बढ़े ? इससे साफ जाहिर है कि आई.एस. आई. की गतिविधियां बढ़ी हैं और मदरसे आतंकवाद के अड्डे हो गये हैं। मुल्ला–मौलवी पाकिस्तान से आते हैं और वे उर्दू की शिक्षा देने के नाम पर आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ाने का काम करते हैं। सरकार चौकस नहीं है या राष्ट्र विरोधियों से मिल गई है, अन्यथा यह 47 परसेंट वृद्धि नहीं होती। गृह मंत्रीजी, मदरसे में शिक्षा नहीं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप आज रात को जाकर मदरसे में छापा मारें तो आर.डी. एक्स मिलेगा। मदरसे में छापा मारे तो हथियार मिलेंगे, ए.के. 47 मिलेगी। लेकिन इस सरकार में दम कहां है, यह तो +++ सरकार है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : दिलावर साहब, सीमावर्ती क्षेत्र के लिए नहीं बोलें, मैं वहां का प्रतिनिधित्व करता हूं। पापुलेशन बढ़ी है तो वह उपनिवेश के कारण से बढ़ी है। उपनिवेश के कारण से 18 हजार नये काश्तकार आये हैं इसलिए पापुलेशन बढ़ी है हमारी। आप मदरसों पर जो आरोप लगा रहे हैं, सरकार इसके लिए सजग है। सीमा सील की हुई है, कोई भी आदमी, कोई भी इन्सान आ नहीं सकता। कैसे आप आरोप लगा रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पाकिस्तान की घुसपैठ हुई है। श्रीमान् गोवर्द्धन कल्ला जी, पाकिस्तान की घुसपैठ हुई है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : वहां पर आदमी आया हो तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जांच करा लीजिए।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : एक आदमी भी यदि सीमा से पार आया हो तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप जिम्मेदारी ले रहे हैं पूरी जांच करा ली जाए। गृह मंत्रीजी, जांच करा लें।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान, 12 हजार लोग विदेशी पाकिस्तानी, बांगलादेशी इस राजस्थान की सीमा में घुस गये हैं और उसमें से अधिकतर जैसलमेर, बाड़मेर के सीमावर्ती इलाकों में बढ़ रहे हैं। इन माननीय सदस्यों को इस विश्वास पर रख रखा है कि आप हमको वोट दो और आप इस धरती को लूटो। (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : मेरे जीवन में कोई इस तरह के आरोप नहीं लगे है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माताओं और बहनों के साथ अत्याचार, श्रीमान्, मैं क्या कहूं आपसे ? अब सीमावर्ती इलाकों की चर्चा कर रहा हूं तो उनका +++ क्यों होता है।

श्री सभापति : अब आप विराजिए।

श्री मदन दिलावर : नहीं–नहीं, अभी तो रुको। +++ मदरसे आतंकवाद के अड्डे बने। कांग्रेस की रेली अभी निकली। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, यह जो...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह महुवा : आपके भाषण में रुचि नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, +++ यह तो भला हो तत्कालीन मुख्य मंत्री शिवचरणजी माथुर का कि उन्होंने समय रहते तत्कालीन व्यवस्थाओं को सम्भाल लिया था वरना...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राजेन्द्रजी, ब्यावर और नसीराबाद में कौन हत्याएं करा रहा है ? इस समय राज किसका है ?

श्री राजेन्द्र पारीक : राजनीतिक द्वेष और षड्यंत्र करके जिस तरह से इन्होंने साम्प्रदायिकता फ़ैलाई है, साम्प्रदायिकता का वातावरण जिस तरह से बनाया है, इनसे बड़ा साम्प्रदायिक कोई नहीं हो सकता। +++

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, +++ (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यही हालत रहे तो आप अपने आप भुगतोगे।

श्री मदन दिलावर : लेकिन +++ (व्यवधान) नहीं तो गृह मंत्रीजी कहें। +++ (व्यवधान) +++

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मदन दिलावर : +++ (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र पारीक : +++

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। सीकर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : +++

डा. किरोड़ी लाल : माननीय सभापति महोदय, +++ बड़े उत्तेजित होकर बोलते हैं और उन्होंने जो चार्ज लगाये हैं, बड़े गम्भीर हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा : आपकी सबको पता है। आपकी भी पता है।

श्री सभपति : माननीय सदस्य एक दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाएं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, यह...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय, यह सत्ता की गरिमा पर मत रहना ज्यादा। (व्यवधान) राजेन्द्रजी पारीक, सीकर से आने वाले, सत्तारूढ़ पार्टी की गरिमा में रहकर ज्यादा बोलकर यह क्या दिखाना चाहते हैं, इनकी जांच कराई जाए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह सभी को खतरा है। (व्यवधान) +++ हम यहां पर मनोरंजन करने नहीं आते हैं। सदन में जो कुछ भी कोई माननीय सदस्य कहता है उस बात का वजन होता है। +++ साम्प्रदायिकता फैलने की बात करते हैं, सीमाओं पर विदेशी आतंकवाद की बात करते हैं यह...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य...(व्यवधान) आये दिन सीमाओं पर विदेशी आतंकवादियों को घुसने दिया है। पूरा पाकिस्तान घुसा दिया है... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : पूरा राजस्थान इसमें...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पाकिस्तान को घुसा दिया है, मदरसे चालू करा दिये। 500 मदरसे और खुलवा रहे हो। अरबी स्थान वालों को घुसा दिया, पाकिस्तान वालों को घुसा दिया, इतनी बड़ी +++ राजेन्द्रजी पारीक आप कर रहे हो और यहां बैठकर स्पष्टीकरण दे रहे हो। सत्तारूढ़ पार्टी की गरिमा रखो, कोई गरिमा होती है या नहीं ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, इस मुल्क में विदेशियों की जरूरत नहीं है, लोग कह रहे हैं... (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिये, बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप इतनी बड़ी +++ कर रहे हो। विदेशियों को, गद्दरों को घुसा कर, मदरसे को चालू करवाकर, आपने सांस्कृतिक स्कूल क्यों नहीं खुलवाएं ...(व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : भापजा के कार्यकर्ताओं ने किया है। राजस्थान को ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में आग लगाने के लिए आपने...(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने सांस्कृतिक स्कूल क्यों नहीं खुलवाए ? आप मदरसे क्यों खुलवा रहे हैं। सांस्कृतिक स्कूल क्यों नहीं खुलवा रहे हैं ? हमारी कमला जी +++ पिछली बार हमारी माननीय मंत्री कमला जी +++ कि सांस्कृतिक स्कूल खोलने के बजाय सी.पी. जोशी मदरसे खुलवा रहे हैं। मदरसे की क्या राजनीति है यह ? क्या राजनीति करना चाहते हो साम्प्रदायिकता की ? +++ क्या ब्यावर के दंगे करना चाहते हो ? क्या नसीराबाद के दंगे करवाना चाहते हो ? क्या गंगरार के दंगे करवाना चाहते हो ? कैसी साम्प्रदायिकता है यह ? +++ बंगलादेशियों को घुसा दिया, पाकिस्तानियों को घुसा दिया, गद्दारों को घुसा दिया।

श्री सभापति : गद्दारों को घुसा दिया और यह गद्दारी कर रहे हैं। क्या चाहते हो आप ? आनन–फानन बोलकर क्या मदन दिलावर का...(व्यवधान) कराना चाहते हो ? आप यह स्पष्टीकरण दीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, जो लोग संसद में बैठकर इस बात की सौगन्ध खा सकते हैं कि हम लोग मंदिर की रक्षा करेंगे, यह वही लोग हैं जिन्होंने इस तरह से मंदिर का...(व्यवधान) पूरे हिन्दुस्तान को आग में झोंक दिया। +++ (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अभी राजनाथ जी ने कहा था कि 1400 वोटों से जमानत जब्त हो गयी। यू.पी. में आपकी जमानत जब्त हुई। (व्यवधान) जमानत जब्त हो गयी। आपके हिण्डौली में क्या हुआ ? आपकी राजनाथ सिंहजी के सामने जमानत जब्त हो गयी। श्रीमान्, खुब मुसलमानों का पक्ष लेते हो। +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये। श्री दिलावर साहब। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, आपको यह जानकारी...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप अपने भाषण को समाप्त करें।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य द्वारा असंसदीय शब्दों का उपयोग किया है वह कृपया निकलवाएं।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि...(व्यवधान)

श्री सभापति : किसने क्या कहा है यह कार्यवाही देखी जाएगी और कोई

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सभापति)

आपत्तिजनक बात होगी तो उसको हटा दिया जाएगा।

श्री रघुवीर सिंह : राजेन्द्रजी पारीक पर जो आरोप लगाये हैं...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान में...(व्यवधान)

श्री सभापति : वह सुनाई नहीं दिया कि किसने क्या कहा और क्या लिखा गया। मुझे खुद को ही नहीं सुनाई दे रहा था। (व्यवधान) किस माननीय सदस्य ने क्या कहा, मैं ही नहीं सुन पा रहा था। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं स्पष्ट कर दूं, माननीय सभापति महोदय, आपको, कि +++

श्री सभापति : नहीं, नहीं आप बोलिये। आप बैठिये। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। देखिये, बिराजें आप। (व्यवधान) पारीक साहब, आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इन्होंने कहा 377...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : +++ शिवचरणजी माथुर तत्कालीन मुख्य मंत्री थे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : आप जो कह रहे हैं, उचित नहीं कह रहे हैं। आप अनुभवी माननीय सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, आज अब उनका भाषण हो रहा है आप बीच में क्यों बोल रहे हो ? आप जब बोलेंगे तब क्या होगा ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : इस सदन में बैठकर हम सारगर्भित चर्चा करें, वह उचित है। लेकिन सदन में बैठकर केवल हम यह कहें कि बाहर से लोग आ रहे हैं, देश में आतंक फैलाना चाह रहे हैं। बाहर से बुलाने की जरूरत ही नहीं है, यहां ही काफी है।

श्री सभापति : आपकी बात उनके मुंह से नहीं कहलवा सकते, वह तो अपनी बात कहेंगे। जब आप का मौका आए तब आप अपनी बात कह सकते हैं। जो चाहे वह कह सकते हैं नियमों के तहत। इनको बोलने दीजिए। आप यह चाहते हैं कि आपके मन की बात वह कह देंगे ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा निवेदन है कि इस वाद–विवाद के अंदर जो आरोप–प्रत्यारोप लगे हैं, कुछ धाराओं के मुकदमें दर्ज होने की बात की है, यह सारी की सारी सदन की कार्यवाही... (व्यवधान)

श्री सभापति : वह व्यवस्था मैंने दे दी। मैंने कह दिया कि कुछ सुनाई नहीं दे

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सभापति)

रहा था, हाउस इतना गूंज रहा था, कार्यवाही देख ली जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, +++ (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापति महोदय, इसे कार्यवाही से निकालने की कृपा करें। +++ और यह कपोल–कल्पित कल्पनाओं से एक दूसरे पर मनगढ़ंत आरोप लगाने की दृष्टि से जो आरोप लगा दिये गये, इससे सदन की गरिमा गिरती है, सदन के विशेषाधिकार का हनन है। कम से कम इस सदन की गरिमा को यदि आप बनाये रखना चाहते हैं तो, सभापति महोदय...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सुराना साहब, मनगढ़ंत नहीं लगाये हैं। आप इंक्वायरी करवा लें, मनगढ़ंत नहीं लगाये हैं। मैं कभी भी मनगढ़ंत और कपोल–कल्पित बातें नहीं करता। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं यह बात बताना चाहता हूं, आपको एक बात की जानकारी देना चाहता हूं कि इस सदन के एक माननीय सदस्य ने, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य से व्यक्तिगत आरोप लगाये। माननीय सदस्य बोल रहे थे मदन दिलावर, उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाये। इनको नहीं लगाने चाहिये थे, क्योंकि हाउस की परम्परा है। हमारे नियम बने हुए हैं कि आम तौर पर माननीय सदस्य एक दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत या किसी प्रकार के आरोप नहीं लगा सकेंगे। लगाएं तो इनके नियम बने हुए हैं। फिर भी इन्होंने प्रतिवाद कर दिया कि +++ यहां तक इन्होंने कहा है तो मैं समझता हूं... (व्यवधान) सुनिये, उनके मन के अंदर यह बात थी। माननीय सुराना साहब, उनके मन में यह बात थी। इन्होंने कह दी और इन्होंने तुरन्त प्रतिवाद कर दिया। मैं समझता हूं कि ज्यादा खुलासा हुआ है इसलिए इसको हटाने के बजाय यह कार्यवाही पर रहेगा तो ज्यादा उपयुक्त होगा। एक माननीय सदस्य ने प्रतिवाद किया है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप इनकी चिन्ता मत करो, यह नहीं मरेंगे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, इस राजस्थान में...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, आपने मेरे पर जो आरोप लगाये हैं, मैं तो कल कोई न कोई व्यवस्था करके +++ उसकी कापी निकलवाकर सदन के पटल पर रख दूंगा। इन्होंने जो कुछ भी कहा है उसमें कितनी सत्यता है, कम से कम यह तो आप जांच करवाए। कैसे आपने यह कह दिया +++

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : इस वाद–विवाद को आप नहीं बढ़ाएं आगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : +++ (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : +++ यह सरकार इतनी कमजोर है क्या ?

श्री राजेन्द्र पारीक : आप इसकी जांच करवाएं। (व्यवधान)

श्री सभापति : +++

श्री राजेद्र पारीक : +++ और तत्कालीन मुख्य मंत्री शिवचरणजी माथुर थे। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप सुनिये तो सही। आप सुनेंगे नहीं, क्या बात है ? आप सुनेंगे नहीं ? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, कल मनो चिकित्सक को बुलाइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : आप मुझे यह बताइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : आप सुनिये बात। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : पारीक साहब, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : सुनिये आप। बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं चाहता हूं इस सदन की गरिमा को बचाना है। (व्यवधान)

श्री सभापति : सीकर से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। आप व्यक्तिगत आरोप लगाते जा रहे हैं। जो कुछ इन्होंने कहा, वह कार्यवाही से हटा दिया जाए। यह कोई बात होती है ? +++ यह विधान सभा है। राजस्थान की विधान सभा है, इसकी गरिमाएं हैं। नियम बने हुए हैं, आप कोई आरोप नहीं लगाएं। बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : जो कुछ मैंने कहा है पूरे तथ्य के आधार पर कहा है। मेरी बात आप कार्यवाही से निकाल दें +++ (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : जो कुछ भी मैंने इस सदन में कहा है...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप आरोप नहीं लगा सकते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : (व्यवधान) पूरी गंभीरता के साथ कहा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बैठ जाओ। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आसन को धमकी मार रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन को किस तरह से कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, आसन को किस तरह से कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : सत्ता पक्ष के सचेतक महोदय, जरा इनको संभालिये।

श्री सभापति : मैं किसी का मुंह बन्द नहीं कर सकता लेकिन जिस स्थान पर बैठा हूं, मुझे निर्णय करने का अधिकार है कि कौनसी बात रिकार्ड पर जाएगी। यह मुझे अधिकार है। आप ऐसी बात बोलेंगे... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप निर्णय कर लें, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। आसन सर्वोच्च है, आसन जो मर्जी आए सो निर्णय करे, लेकिन मैं अपने बारे में आपको जानकारी दूं कि इस सदन में बैठने के बाद मैंने जो कुछ कहा है पूरी गंभीरता के साथ कहा है। आज मैंने +++ आप इसकी जानकारी करवाइये और यदि मिथ्या कहा जाता है तो इसकी सजा मैं भुगतने को तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। अब यह रिकार्ड में नहीं जाएगा जो कुछ कह रहे हैं यह।

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री सभापति : ऐसे नहीं कह सकते आप।

श्री हरिसिंह महुवा (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

डा. किरोड़ी लाल : फिर आसन को धमकी दी जा रही है। आसन को धमकी दी जा रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने सदस्य को अनुशासित करें। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह महुवा : पाइंट आफ आर्डर।

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री सभापति : बहुत हो गया। बहुत हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन की गरिमा है, सदन नियमों से चलेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री हरिसिंह महुवा : आप बैठिये तो सही। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय, +++ (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति : प्लीज, मुख्य सचेतक जी बोल रहे हैं। (व्यवधान) हां, मुख्य सचेतक महोदय बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह महुवा : माननीय सभापति महोदय, मेरा आसन से अनुरोध है कि यहां दोनों तरफ से माननीय सदस्यों ने एक–दूसरे के खिलाफ जो आरोप–प्रत्यारोप लगाये हैं, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक ने भी आपसे पूर्व में अनुरोध किया था कि इन सबको सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाए, मैं भी आपसे अनुरोध कर रहा हूं, करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि जो कुछ आरोप–प्रत्यारोप लगाये गये हैं, जिस असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है, या कोई इनडीसेंट शब्द बोले गये हैं इनको सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति : वह तो सब हटा दिये गये, जो कुछ कहा गया है। आर्डर प्लीज। श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे चीफ व्हिप ने यह बात कही कि इनको निकाल दो। यह तो दिनभर की परम्परा हो गयी, कितने शब्दों को आप निकालोगे ? या तो नियमों के अनुसार माननयी सदस्य को बोलने की इजाजत दी जाए और जिस वक्त नियमों के विपरीत बोलते हों उसी वक्त उनको रोक दिया जाना चाहिए, वरना यह कितने शब्द आप निकलवाओगे ? दिन भर में यहां एक सिलसिला शुरू हो गया है। इसलिए, चीफ व्हिप महोदय, आप से भी और मैं प्रतिपक्ष से चीफ व्हिप साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी–अपनी पार्टी के सदस्यों को आप नियंत्रित करे। इस प्रकार के मजे हम नहीं लेते रहे कि ये कुछ भी कह दें, वो कुछ भी कह दें और हम तालियां बजाते रहे। यह इस सदन के लिए शोभा की बात नहीं है।

इसलिए जो कुछ आपने कहा है, या तो उसको रिकार्ड पर रहने दीजिये और एक–दूसरे माननीय सदस्यों को उसका प्रूफ दे देना चाहिए। रिकार्ड से निकालते जाएंगे, सदन का समय हम बरबाद करते जाएंगे। यह अच्छा नहीं है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। सदन को यह मान कर चलना चाहिए, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, दोनों पक्षों की यह जिम्मेदारी है कि सदन की कार्यवाही गरिमा के साथ चले। ठीक कहते हैं, कितने को आप निकालोगे, एक्सपंज करोगे। सत्ता पक्ष बैठा है, चीफ व्हिप साहब, आप बैठे हैं, आपकी पार्टी के लोग आपे से बाहर हो रहे हैं, आपका भी इस आसन को सहयोग करने का दायित्व बनता है।

श्री हरिसिंह महुवा : मैं अनुरोध कर रहा हूं, सदन नियमानुसार चले, इस बात के लिए सत्ता पक्ष हमेशा प्रयत्नशील है

(श्री हरिसिंह महुवा)

और रहेगा। मैं आसन को आश्वस्त कर रहा हूं कि किसी प्रकार की कोई ऐसी बात जो नियमों और प्रक्रिया के अन्तर्गत नहीं है, इस प्रकार की बात हमारे सदस्यों की तरफ से पैदा नहीं की जाएगी।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, आप अपनी बात समाप्त करिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, मैं एक मिनट अपनी बात कहूंगा।

श्री हरिसिंह महुवा : हो गयी, यह निकल गयी बातें...(व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि अक्सर जब वाद–विवाद होता है या किसी भी विषय पर विचार होता है...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मंत्री महोदय, कोटा वाले खड़े–खड़े ही बात करते हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप विराज जाएं या मैं बैठ जाऊं आप कहो तो।

जब कभी भी किसी विषय पर वाद–विवाद होता है, विचार–विमर्श होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बोलते–बोलते इधर–उधर निकल जाते हैं और कुछ आरोप भी लगते हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आसन को उस वक्त यह चाहिए कि कोई भी सदस्य अगर दूसरे सदस्य के खिलाफ कोई आरोप लगा रहा है तो उससे यह कहें कि इसके सबूत पेश किये जाएं ताकि वे सबूत पूरे सदन की प्रोपर्टी बन सके, हर माननीय सदस्य उसको देख सके।

राजेन्द्र पारीक जी ने जो बात कही कि +++, आप किस–किस को निकलवाओगे कार्यवाही से ? क्या–क्या चीजें निकलेंगी कार्यवाही से ? यह सब कुछ रिकार्ड में है, आप चाहें तो हम होम मिनिस्टर साहब का कल स्टेटमैंट दिलवा दें। क्या गलत कहा है इन्होंने ? क्या निकालेंगे आप कार्यवाही से ? क्या चीज निकलेगी कार्यवाही से ? (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री हरिसिंह महुवा : मंत्रीजी, विराजें आप कृपया। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मदन दिलावर : मेरे को जवाब देने दो। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह महुवा : वो जवाब दे लेंगे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मेरे को जवाब देने दो, मैं जवाब दूंगा।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय, आपने फरमाया, इस सदन की नियमावली है प्रक्रिया कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम हैं, उनमें सब उपबंध हैं, उनमें लिखा हुआ है किस तरह से आरोप लगाया जाएगा। एक माननीय सदस्य दूसरे के खिलाफ आरोप लगाना चाहते हैं तो उसमें व्यवस्था है, उसका पालन करना पड़ता है। अब आपने भी खड़े होकर रैफरेंस में कह दिया, मैं आप वाले कथन को उचित नहीं मानता हूं। अगर आप चाहे...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, मेरा अर्ज करना यह है कि ताली दोनों हाथ से बजती है।

श्री सभापति : आप सुनिये, आप बहुत अनुभवी हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह माननीय सदस्य आदतन इस तरह के भाषण देने की कोशिश करते हैं हमेशा तो या तो इनको भी चेतावनी देनी चाहिए आपको कि इस प्रकार की अनर्गल बातें वह यहां पर नहीं किया करें और अगर करते हैं तो सबूत दिया करें।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, आप भूल कर रहे हैं, आप विधायक ही नहीं हैं, ट्रैजरी बैंच के बहुत रेस्पांसिबल मंत्री हैं, अनुभवी हैं, दिल्ली तक लोक सभा तक का आपको अनुभव है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसमें पहले मैं इस सदन का सदस्य हूं।

श्री सभापति : हां, आप इसके सदस्य ही नहीं ट्रैजरी बैंच के रेस्पांसिबिल आप अगर एक मैम्बर के खिलाफ आरोप लगाते हैं तो आपको भी नियमावली पढ़नी चाहिए। आप ही तो कह रहे थे...(व्यवधान)...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुझे जान कर खुशी हुई कि आप मेरी प्रतिभा से पूरे परिचित हैं।

श्री सभापति : अब आपने एक तरफ तो कह दिया कि उनको टोक दीजिये, अब आप यही पढ़ लीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, मुझे तो आप मत पढ़ाओ। जिस रोज आप इस कुर्सी पर बैठे रहते हो, मैं बहुत खुश होता हूं, मेरी आत्मा खुश होती है आपको इस कुर्सी पर देखते हुए। और मैं आपके निर्णयों से पूरा सहमत रहता हूं।

मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ आरोप लगें, उसी वक्त या तो टोक दें।

श्री सभापति : उसी वक्त मैंने टोक दिया था।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह जो अब परिपाटी बन चुकी है कि विषय तो क्या है और भाषण किस पर दिये जा रहे हैं, कम से कम इस पर तो रोक लगे।

श्री सभापति : देखिये, सब बात सही है, पंचों की सब बात सही है लेकिन परनाला वहीं गिरेगा, वह बात नहीं होगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : प्रतिपक्ष के नेता विराजमान हैं, इनकी राय ले ली जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, साहब।

श्री सभापति : आप अपनी बात का कथन करते और आरोप दोहरा देंगे, ऐसा नहीं होगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, विषय अत्यंत गम्भीर है, अगर इस पर प्रतिपक्ष के माननीय नेता की राय आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। (व्यवधान) बड़ा तजुर्बा है, राजस्थान में किसी के पास है ही नहीं...(व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप विराजें। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इसको गम्भीरता से लें और माननीय दिलावर जी को बोलने दें। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय प्रतिपक्ष के नेता की तरफ इशारा कर रहे थे, 8 साल हो गये हमें +++, 199 के नोटिस दिये इनको, परम्पराओं की यह बात करते हैं यहां पर, जब कभी इनको मौका मिलता है, आप लोग गलती से सरकार में जो विराजमान हैं, आप पाइंट आउट करते हो कि इनसे सलाह लेओ। क्या सलाह लोगे इनसे ? +++ अब आप परम्पराओं की बात...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह कौनसे नियमों में बोल रहे हैं ?

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आरोप लगा रहे हैं, यह कौनसे नियमों में बोल रहे हैं, सभापति महोदय ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यह बीच में क्यों बोल रहे हैं, सभापति।

श्री सभापति : बिराजिये, कोई आरोप ऐसा नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कौनसे नियमों में बोल रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : चेयर की परमिशन से बोल रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चेयर से यह परमिशन ली है कि आप आरोप लगाएं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप कौन होते हैं मुझे टोकने वाले ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कौन होते हैं ऐसे आरोप लगाने वाले ?

श्री सभापति : माननीय राजेन्द्र सिंहजी, प्लीज।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं बोलता हूं कि अनुमति से, उनसे बात करिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम आपसे भी बात कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये। बिराजिये।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, हम सदन की गरिमा में आपके सहयोगी बनना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि पक्ष के जितने माननीय सदस्य हैं मुख्य सचेतकजी के नियंत्रण में नहीं हैं। यहां खड़े होकर, उठ कर मंत्रिमण्डल के वरिष्ठ लोग किसी पर आरोप लगा दें। सभापति महोदय, सदन को सुचारू रूप से चलाने का दायित्व जितना सत्ता पक्ष का है उतना हमारा भी है, हम भी चाहते है...(व्यवधान) सभापति महोदय, आरोप–प्रत्यारोप।

श्री हरिसिंह महुवा : आसन परमिशन देता है, मैं कहां बीच में आ रहा हूं ? आसन ने परमिशन दी है, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, मैं कहां बीच में आ रहा हूं।

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय।

श्री हरिसिंह महुवा : आसन ने अगर परमिशन दी है, कोई बात रूचिकर नहीं है, आसन को रोकना चाहिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि +++ जो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं, बीच–बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं, +++ (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : सभापति महोदय, कोई तो +++ बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, +++ यह माननीय सदस्य चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं और यहां ऐसी परम्पराएं डाल रहे हैं, क्या सीखे इनसे ?

श्री हेमन्त कुमार : +++ (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : +++ (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : और, सभापति महोदय, आप निर्णय करो तो बराबर करो...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : सभापति महोदय, बिना आपकी इजाजत जो चाहे जो बोल रहे हैं। सदन में रोज नयी परम्परा डाली जा रही है। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : यह क्या मतलब होता है ? (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : +++ (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : रोज परम्पराएं नयी–नयी डाल देते हैं, यह क्या तरीका है ?

श्री सभापति : बिराजिये। आर्डर। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : परसों मैं बोल रहा था तो मेरे बीच–बीच में कई आरोप लगा दिये। (व्यवधान) न कोई नोटिस दे और न स्पष्टीकरण ले और वह परम्परा में आपके यहां अंकित हो जाता है। रोज परम्पराएं बदलने का तरीका बदलना चाहिए आपको। हर बार कुछ परम्पराएं बदल रही हैं।

श्री सभापति : बिराजिये।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदय, आपके कहने से मैं बैठ जाऊंगा लेकिन जो शिवनाथ सिंह ने बात कही है, हाउस या तो नियमों से चले। नियम यह नहीं कहते हैं कि राजेन्द्र सिंहजी मुझे टोक सकते हैं। न मैं उनको टोकता हूं। मैं उनको सलाह देता हूं कि अगर आप किसी के मार्गदर्शनों पर नहीं चले तो You would be more successful.

श्री सभापति : अब आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, आप अपनी बात समाप्त कर दे।

श्री मदन दिलावर : एक घंटा मेरा वैसे ही बरबाद कर दिया है, उसको इसमें जोड़ना मेरे साथ अन्याय होगा।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मेरे ऊपर इस सदन में गम्भीर आरोप लगे हैं। +++ कोई तो सजा क्या देगा, मैं मेरे को खुद ही सजा दे दूंगा लेकिन, माननीय सभापति महोदय, +++ मेरे ऊपर आरोप लगाता है, मुझे इस बात का है...(व्यवधान) +++ (व्यवधान) +++ सभापति महोदय, मेरे जीवन में....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अभी इन्होंने जो कहा उसको एक्सपंज करवाइये। यह कहा है कि इन्होंने +++

श्री मदन दिलावर : मेरे जीवन में आज तक...(व्यवधान) मेरे ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाये और मैं...(व्यवधान) के बराबर समझता हूं।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, आपको अधिकार है कि आपके खिलाफ कोई बात कहे तो आप उसका प्रत्युत्तर दें। वह आपने पहले भी दे दिया, अब दुबारा दे रहे हैं। हमने तो यह निर्णय कर दिया कि जो कुछ आपने कहा है उसे कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनाएंगे, उसके बावजूद आप उन बातों को क्यों दोहरा रहे हैं ? जब यह तय हो गया, अब क्यों दोहरा रहे हैं आप...?

श्री मदन दिलावर : एक्सपंज कर दें, श्रीमान्, लेकिन कोई यह कह दे, बहिन सुन रही होंगी, कोई मेरा भाई सुन रहा होगा, मेरे बारे में क्या ओपीनियन रखेगा ?

अनेक माननीय सदस्य : सब जानते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सब जानते हैं।

श्री मदन दिलावर : +++

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नेता महोदय, मेरा इनका कोई विवाद नहीं है, मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं...

श्री मदन दिलावर : +++

श्री सभापति : आपस में नहीं, माननीय मंत्री महोदय।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा इनका कोई जाति विवाद नहीं है। ये पुराने कपड़े बेचा करते थे, मेरे ड्राइवर ने एक अपना पुराना कोट बेचा जिसका पेमेन्ट इन्होंने टाइम पर नहीं दिया। इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। बात पुलिस तक पहुंच गयी। मुझे मेरे ड्राइवर का फेवर करना ही था। यह सालों पुरानी बात हो गयी लेकिन ये आज तक रंजिश जमाये बैठे हैं।

श्री मदन दिलावर : हां, मुझे गर्व है, श्रीमान्,. इस बात का कि मैं कपड़े बेचता था। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा पायी है। नौकरी नहीं मिलने के कारण मैंने कपड़े बेचे, पढ़ाई करते हुए मैंने सब्जी बेची, मैंने गाय के गोबर के कण्डे बना–बनाकर बेचे, मैंने भिण्डी, आलू, टमाटर सब बेचे। मुझे इस बात का गर्व है कि लोकतंत्र के कारण...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। यह तो आपको गर्व की बात नहीं है, यह तो इस देश के लोकतंत्र का सौभाग्य है।

श्री मदन दिलावर :...मेरे मां–बाप का आशीर्वाद है कि उन्होंने इतना पढ़ा लिखा कर जनता के स्नेह से मुझे यहां भेज दिया। परन्तु ये तो जनता का +++

श्री सभापति : लोकतंत्र की जीत है।

श्री मदन दिलावर : लोकतंत्र की जीत है ?

श्री सभापति : हां।

श्री मदन दिलावर : मेरे मां–बाप का आशीर्वाद है लोकतंत्र की जीत है, मेरी जनता का असीम स्नेह है जो यहां मुझे खींच लाया है।

श्री हरिसिंह महुवा : यह +++ की कृपा है।

श्री मदन दिलावर : ...इस राजस्थान में यह सरकार आने के बाद 01 जनवरी, 1997 से 20 सितम्बर तक 22 साधु व्यवस्थापक और इनकी हत्या इस राजस्थान में हुई है, श्रीमान्। यही नहीं, जब कांग्रेस की रैली पूरे राजस्थान में हुई चलकर यहां आने वाली थी...

श्री सभापति : समाप्त करें आप, बहुत हो गया प्लीज।

श्री मदन दिलावर : लास्ट दो।

श्री सभापति : बहुत हो गया। प्लीज कन्क्लूड करें। नैक्स्ट, माननीय श्री गोवर्द्धनजी कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : माननीय सभापति महोदय, इस नवनिर्मिति भवन में माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्ताव पेश किये, उनका मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, इसके साथ ही देश के वैज्ञानिकों को उपग्रह परीक्षण की सफलता पर मैं बधाई देता हूं।

कल महामहिम राज्यपाल महोदय के

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

अभिभाषण पर माननीय मुख्य मंत्रीजी बोल रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि

(13.44 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सरकार की नीति और नीयत में कोई भेद नहीं है। जो कार्यक्रम हमने प्रारम्भ किए उनको हम पूरा करना चाहते हैं। इस सन्दर्भ में यह बजट प्रस्तुत किया गया है। लूणकरणसर के विधायक माननीय सुराना साहब बोल रहे थे कि यह बजट दिशाहीन है। मेरा ऐसा मानना है कि इस वर्तमान सरकार ने पूर्व में दो बजट प्रस्तुत किए हैं, उनको कंसोलिडेट करने का प्रयास हमारे वित्त मंत्रीजी ने किया है। जो आंकड़े माननीय सुराना साहब ने प्रस्तुत किए हैं, निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि इकोनोमिक डवलपमैंट एक लगातार प्रोसेस होता है। सरकार कार्य प्रारम्भ करती है उसी सरकार में उनके परिणाम आते हैं। यह कहना कि उनकी आठ वर्ष की सरकार ने कुछ काम किए उस कारण से वर्तमान स्थिति हुई, मैं ऐसा नहीं मानता।

राजस्थान एक सीमावर्ती प्रदेश है और इसका एक तिहाई भाग रेगिस्तानी है। 22 रजवाड़ों को मिलाकर हमने राजस्थान बनाया। हम आर्थिक दृष्टि से कमजोर थे। राजस्थान का विकास हुआ, विकास की बुनियाद कांग्रेस की सरकार ने डाली। वर्षों से जो बुनियाद डाली उसी का परिणाम है कि हमारा राजस्थान विकासशील प्रान्तों में अपना नाम रखता है। मान्यवर, विरोध करना बुरी बात नहीं है। विरोध लोकतंत्र की बुनियाद है। Dissent is the crux of democracy, हम मानते हैं परन्तु विरोध करते समय जो विधान सभा में दृश्य आते हैं उन पर हमें खेद होता है। हम जाने वाली पीढ़ी के लोग हैं, हम देखना चाहते हैं राजस्थान को विकसित होते हुए। हम देखना चाहते हैं इस राजस्थान की चर्चाओं को गरिमामय तरीके से, जिसे हमारे दर्शक सीख सके कि हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है।

आज जो चर्चा हो रही थी, मैं इस मौके पर याद दिलाना चाहूंगा कि मित्रों को जो विपक्ष में बैठे हुए हैं कि माननीय प्रधान मंत्री अटलजी ने ईरान में जो बयान दिया, देश की सामाजिक संस्कृति, कम्पोजिट कल्चर का जो दर्शन दिया उस ओर आप और हम चिन्तन करेंगे। सीमावर्ती क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, बार–बार चर्चा आती है कल भी चर्चा आयी और आज भी चर्चा आयी, मैं दावे के साथ उन मित्रों से कहना चाहता हूं कि आप तथ्यों से परे बात करते हैं। हमारी सीमा सील हो चुकी है, तारबन्दी हो चुकी है एक पक्षी भी वहां से नहीं आ सकता। उस परिस्थिति के उपरान्त भी यदि आप मदरसों के नाम से, अन्य नामों से विरोध करते हैं प्रतिदिन, तो बड़ा खेद होता है। हमें इस देश में सभी धर्मों को, सभी सम्प्रदायों को लेकर चलना चाहिए तभी यह विकास करेगा और हम सौहार्दपूर्ण तरीके से देश को आगे बढ़ा पाएंगे। कृपया ऐसी प्रवृत्तियों से बचे, मेरा

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

ऐसा निवेदन मेरे विरोधी पक्ष के मित्रों से है।

आंकड़ों की चर्चा माननीय सुराना साहब करते रहे, मैं मानता हूं कि पूंजीगत खाते से जो लिया जा रहा है, यह प्रवृत्ति आज से नहीं हर राज्य सरकार कर रही है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही आठ साल, तब भी यह प्रवृत्ति चलती रही। उस समय यह प्रवृत्ति बन्द होती तो मैं मानता कि बदलते ही सरकार ने यह प्रवृत्ति खतम की। एक लगातार प्रोसेस चल रहा था और डेफिसिट फाइनेंस का जो बजटिंग चल रहा है उसका यह अंग–सा बन गया है इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। निश्चित ही माननीय मंत्री महोदय से मैं यह कहूंगा और विपक्ष के साथियों से कहूंगा कि नाम प्लान एक्सपैंडीचर की प्रवृत्ति जो बढ़ गयी है वह हमारी चिन्ता का विषय बना हुआ है। इस वर्ष के आंकड़ों को देखें, राजस्व व्यय 6234 है। नान प्लान एक्सपैंडीचर 14048 है जबकि प्लान एक्सपैंडीचर मात्र 2000 रह रहा है। यह जो प्रवृति है, यह जो भार सरकार के ऊपर आया फिफ्थ पे कमीशन या अकाल के कारण से वह वास्तव में चिन्ता का विषय है। विकास के व्यय के आंकड़ें देखें। हम देख रहे हैं कि विकास व्यय पर परसेंटेज घट रहा है। 1997–98 से 2002 में करीब पांच प्रतिशत की घटत आयी है, यह बहुत चिन्ता का विषय है। व्यय के ऊपर आते हैं तो हम देख रहे हैं कि नान प्लान एक्सपैंडीचर एक रुपये में से 43 पैसे है जबकि योजना पर मात्र 17 पैसा खर्च किया जाता है क्योंकि ऋण भुगतान में हमको 23 पैसा देना पड़ता है और ब्याज एक रुपये में से 17 पैसा लगता है। यह जो राज्य की आर्थिक स्थिति है वास्तव में चिन्ताजनक है, उस ओर से हमको निकलना चाहिए। बजट के प्रावधनों के अन्दर देखें तो सामाजिक सेवाओं पर खर्च में कमी आ रही है। निरन्तर उसमें एक प्रतिशत कटौती आयी है। 1997–98 से लेकर 2002 तक बार–बार कटौतियां आ रही हैं तो सामाजिक सेवाओं की योजना में हमारा प्रतिशत बढ़ना चाहिए जैसा कि हमारे मैनिफेस्टो में है, वित्त मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है।

योजना के आकार पर चर्चाएं चलती रहीं, जैसा कि अभी कहा गया 2700 की हमारी नवीं पंचवर्षीय योजना थी, इस वर्ष पहले वर्ष से कमी की गयी। मेरा ऐसा मानना है कि नवीं पंचवर्षीय योजना के लिए जो प्रति वर्ष हम योजना का आकार कर सकते थे, पहले वर्ष से ही हमने उस योजना के आकार को सीमित कर दिया जो सतत् पांचों वर्षों तक चलता रहा, इसीलिए सात सौ करोड़ रुपये की योजना में कमी आयी। इसीलिए मेरा मानना है कि वर्तमान सरकार या वर्तमान वित्त मंत्रीजी पर उसका आरोप लगाएं, यह उचित नहीं है। जो प्रोसेस कंटीन्यू चलता आया है, प्रति वर्ष हम करते चले आये हैं तो इस

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

वर्ष में हम आकार बढ़ाएं योजना का, यह संभव नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि 2700 की योजना हमने बनाई थी उसमें यदि 700 करोड़ की कमी है तो वित्त मंत्रीजी पर आरोप लगाना उचित नहीं क्योंकि जब कंटीन्युअस प्रोसेस चला आ रहा है। पर मैं वित्त मंत्रीजी से कहूंगा कि फेमिन में आपने कटौती की है। कम से कम ऐसी योजना में कटौतीं न करें जो योजनाएं आपको लाभप्रद हों। मुझे खेद है इस बात को कहने में किन्तु मैं माननीय सुराना साहब का इस बात में समर्थन करूंगा कि जब प्लानिंग कट की बात आयी, इन्दिरा गांधी योजना जो 120 करोड़ की हमने गत वर्ष प्लानिंग में रखी थी, एकदम कट कर 90 करोड़ तक आ गये। मैंने आपसे निवेदन किया तो आपने पच्चीस करोड़ बढ़ाया, 115 करोड़ रुपये रखी। पहले वर्ष हमने 200 करोड़ की योजना रखी थी, बाद में 120 करोड़ की रखी। उस 120 करोड़ की योजना में कटौती करना वास्तव में उस प्रोजैक्ट के साथ अन्याय है। यह ऐसा प्रोजैक्ट है जिसमें 2100 करोड़ रुपये की लागत लगने के बाद राज्य में 1600 रुपये का कृषि उत्पादन हो रहा है। ऐसी बायबल यूनिट में, ऐसी बायबल प्रोजैक्ट में यदि कटौती की जाती है तो इसका मुझे खेद है। मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि दुनिया भर में ऐसा कोई प्रोजैक्ट नहीं होगा जिसमें कुल दो हजार करोड़ लगाने के बाद में 1,600 करोड़ का वार्षिक उत्पादन होता हो। ये आपके आंकड़े हैं जो आपने इसमें दिये हुए हैं। मेहरबानी करके ऐसे प्रोजैक्ट में कटौती न करें जिससे कि राज्य का आर्थिक विकास रुक जाए।

किन्तु माननीय सुराना साहब से और विरोधी दल के नेता से मैं कहना चाहूंगा कि पी.डी.एस. कांग्रेस सरकार ने इतने वर्षों से राजस्थान में, सारे देश में चलायी, अभी वर्तमान में हमारे केन्द्र के खाद्य मंत्री कह रहे हैं कि अकालग्रस्त प्रान्तों में भी हम प्रारम्भ करेंगे। एक सुन्दर व्यवस्था पी.डी.एस. की हमने चलायी थी, आज जो व्यवस्था चल रही है उसमें गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को दो रुपये किलो अनाज दिया जा रहा है। कितनों को मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कुछ पता नहीं। पी.डी.एस. सिस्टम जो हमने इवोल्व किया था सारे देश में, उसको डिस्टर्ब किया गया है। अनाज हमारे भण्डारों में पड़ा है, उसके वितरण की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। हमने देश में एक मॉडल बनाया था आर्थिक तंत्र का हम मिक्स इकोनोमी के हामीवर थे, हमने सोचा था कि प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर दोनों मिलकर इस देश में विकास करेंगे। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी यही कहा था कि यदि प्राइवेट सैक्टर नहीं आता है पावर सैक्टर में तो हम पब्लिक सैक्टर में चलाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि सारे देश की

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

अर्थव्यवस्था का नेहरू जी ने एक माडल दिया हमको देश की जो मूल थाती है, देश की जो विकास की योजनाएं हैं, उनके लिए पब्लिक सैक्टर को सुदृढ़ करना पड़ेगा और प्रावेइट सैक्टर को भी आना पड़ेगा। दोनों को मिलाकर मिक्स इकोनोमी के आधार पर चलना होगा। हमारी मूल असैट्स इस देश की जनसंख्या है। एक अरब की जनसंख्या, सौ करोड़ की जनसंख्या को यदि हम खुली अर्थव्यवस्था में छोड़ दें बैश्वीकरण और उदारीकरण के नाते तो मुझे लगता है कि हम अपने विकास को अवरुद्ध करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि इसके बाद पब्लिक सैक्टर को भी मजबूत करके पी.डी.एस. आदि पुरानी व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से हम चला नहीं पाएंगे।

अकाल की चर्चा हमारे मित्रों ने की, मैं चालीस वर्ष से सार्वजनिक जीवन में हूं, मुझे गर्व से कहना पड़ता है कि गत वर्ष जो अकाल की व्यवस्था रही ऐसा अच्छा नियंत्रण, अच्छा प्रोग्राम अकाल का मैंने कभी नहीं देखा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे जिले में 51 हजार श्रमिक मजदूरी में थे, जैसलमेर जिले में साढ़े तीन लाख की आबादी थी, जहां जिसने जो काम मांगा उसको काम दिया गया। जहां हमने काम चाहा वहां काम हुआ। इस वर्ष भी हमें पूर्ण आशा है, माननीय मुख्य मंत्री ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है। अकाल के मारे भूख से मरने की कहीं चर्चा हुई, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। आज के वैज्ञानिक जमाने में भूख से कौन मर सकता है ? क्या आप और हम जिम्मेदार नहीं ? यदि मेरी कांस्टीट्यूएंसी में कोई भूख से मर जाए, मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यदि हम लोगों को यह पता नहीं कि गांव का गरीब आदमी भूख से मर रहा है तो हम क्या प्रतिनिधित्व करते हैं ? पब्लिक लाइफ में आप और हम बैठे हैं, आज के वैज्ञानिक युग में कोई इन्सान भूख से मर नहीं सकता। यदि कोई कहते हैं कि भूख से इन्सान मर गये तो निश्चित ही इस व्यवस्था में हम जो काम करते हैं, सार्वजनिक जीवन में कहीं कमी है। उसकी हमें खुद ही जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। भूख से मरने की बात कहकर विधान सभा में हम चर्चाएं करें, अच्छी बात नहीं है। कहीं कोई मर गया है, कहीं कुछ हो गया है तो हमारी व्यवस्था के अन्दर हमारी खुद की कमी है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा इसे लेना चाहिए।

मान्यवर, पेयजल की बात हम कर रहे थे, आज मैंने 295 में भी नोटिस दिया है। मेरे प्रतिपक्ष के साथियों से मैं कहूंगा कि पंजाब पानी नहीं दे रहा है। जैसलमेर जिला और बाड़मेर जिला पीने के पानी के लिए आश्रित हैं इन्दिरा गांधी नहर पर, आज वहां पंजाब से पानी नहीं आ रहा है। आज माननीय मंत्री महोदय के साथ

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

बैठकर इस पर चर्चा की कि हमको पीने के लिए पानी नहीं मिलता पंजाब से तो हम कैसे चलेंगे, स्रोत उनकी तरफ हैं। मैं मांग करूंगा कि जो भी पंजाब में हमारे हैड्स हैं उनके कंट्रोल में हमारी भी भागीदारी हो, हम मिलकर उसकी व्यवस्था करें। अब पूर्ण पानी मिले। अठारह हजार हैक्टेयर जमीन की सिंचाई हेतु इन्दिरा गांधी नहर हमने बनायी है, अभी 10 लाख हैक्टेयर जमीन में भी हमने सिंचित क्षेत्र नहीं किया है तो फिर पानी कहां गया ? पीने के पानी के लिए भी हम तरस रहे हैं। इसलिए विरोधी दल के साथी और हमारे माननीय मुख्य मंत्री, पंजाब सरकार से, प्रधानमंत्री से मिलकर यह सारी व्यवस्था कराएं। आखिर इतना बड़ा प्रोजैक्ट है पानी कैसे हम अन्तिम छोर में गडरा तक पहुंचाएंगे ? जैसा हमारे शिव के विधायक आज मांग कर रहे थे ?

मान्यवर, इस बजट में जो नयी–नयी बातों के प्रोविजन किये हैं उसके लिए मैं वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा। सड़कों के बारे में 600 करोड़ की योजना है। 600 करोड़ रुपये राजस्थान की सड़कों के विकास के लिए, मरम्मत के लिए। नयी सड़कें नहीं, केवल मरम्मत के लिए। आप सभी विधायक हैं, आपके एक्स.ईएन. आपके पास आये होंगे, उन्होंने प्रोविजन मांगा होगा कि आपकी कांस्टीट्यूएंसी में कौन–कौनसी सड़क मरम्मत के लिए है। निश्चित ही मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा प्रोविजन इस बजट में किया गया है और इसके लिए मैं वित्त मंत्री को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा।

माननीय ऊर्जा मंत्रीजी यहां नहीं हैं, रामगढ़ प्रोजैक्ट दो वर्ष से मैं मांग करता रहा, अभी सैण्ट्रल वाटर पावर कमीशन ने उस प्रोजैक्ट को बढ़ाने की जो स्वीकृति दी है। रामगढ़ के पावर हाउस में 300 करोड़ रुपये दो टरबाइन लगाकर उस प्रोजैक्ट को 105 मेगावाट तक बढ़ाने की जो स्वीकृति दी है उसके लिए माननीय ऊर्जा मंत्री और वित्त मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं।

उपनिवेश क्षेत्र की चर्चा करते हैं मेरे मित्र, 18 हजार नये किसानों को जमीन आवंटित की गयी है, दो वर्षों में। इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में जैसलमेर जिले में 18 हजार नये भूमिहीन किसानों को जमीन दी गयी है, क्या 18,000 किसानों को रोजी नहीं मिली ? यह सारा दो वर्ष के कार्यकाल में हुआ है, इसका श्रेय मैं मंत्री महोदया कमलाजी को देना चाहता हूं। उन्होंने बैठकर इस बात की खुद... (व्यवधान) पानी आप पंजाब से दिलवाइये। जमीन आपके पास है, जमीन हमने दिलवाई है। पानी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सरकार वहां बैठी हुई है। आपकी समर्थक सरकार बैठी है। पंजाब में, आपकी

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

जिम्मेदारी है। शिक्षा के बारे में, सिंचाई मंत्रीजी यहां नहीं है, मैं उनसे कहना चाहता हूं अब समय आ चुका है... (व्यवधान)

(16.00 बजे)

श्री मदन दिलावर : पानी एक बूंद नहीं है, फसल तो...(व्यवधान) गजब हो गया।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : हमने शिक्षा के बारे में बात की। जो दोहरी व्यवस्था है राजीव गांधी पाठशाला शिक्षाकर्मी और प्रामइमरी स्कूल्स, प्रान्त में इंटीग्रेटेड व्यवस्था करें। गत वर्ष भी किया था, आज भी मेरा उनसे निवेदन है कि शिक्षा के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का जो खर्चा उनको करना है, हमको पूरे राजस्थान का सोचना है। उस ओर एक इंटीग्रेटेड स्कीम, एक व्यवस्था बनाएं, जिससे हम कम से कम प्राइमरी शिक्षा को सार्वजनिक कर सकें, ऐसा मेरा निवेदन है।

पंचायती राज मंत्रीजी यहां नहीं हैं पर मैं उनको धन्यवाद दूंगा। आज पूरे प्रदेश में चार बार ग्राम सभाओं में बैठकर एक सोशल ऑडिट करते हैं। कितना बड़ा रिवोल्यूशन है ग्राम स्वराज्य का, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। गांधी का ग्राम स्वराज्य वर्तमान सरकार के नीतिगत आधार पर गांव–गांव में प्रदर्शित हो रहा है। चार बार बैठकर गांव वाले तय करते हैं कि सरपंच ने कौनसा निर्माण गलत किया, कौनसा निर्माण सही किया। इसलिए मैं ग्रामीण मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा। दो सैकण्ड लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए घंटी बजाई है कि दो मिनट और ले लें आप।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : मेहरबानी आपकी।

कुछ व्यवस्थाओं के बारे में मैं माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करूंगा। कई अकारण खर्चे हो रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर प्रोजैक्ट इतना बड़ा प्रोजैक्ट है, बहुत बड़ा बोर्ड बना हुआ है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि वेतन में 60–70 प्रतिशत पैसा उठ रहा है, निर्माण में पैसा नहीं होता है। सी.ए.डी., नहर वन विभाग के 4–4 डिवीजन, 4 डी.एफ.ओ. मेरे जिले में बैठे हुए हैं। यह सारी व्यवस्था कभी आप जिलेवार देखें कि कैसे खर्च कम किया जा सकता है। मुझे लगता है इससे आपको बहुत राहत मिलेगी।

मैंने खनिज के बारे में गत विधान सभा में प्रश्न उठाया था, आज 10 करोड़ रुपये का लाइम स्टोन बेकार पड़ा हुआ है सोनू माइन्स में। मान्यवर, यहां उद्योग मंत्रीजी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 10 करोड़ का वेस्ट पड़ा हुआ है जो वहां डम्प किया हुआ है। हमारी माइन्स रुकी हुई है।

(16:02 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

उस खनिज का उपयोग करने के लिये, मान लीजिये, सीमेन्ट प्लांट वहां नहीं लग सकता है पब्लिक सैक्टर में तो हाइग्रेड लाइम स्टोन बनाकर कहीं भी उस खनिज को ले जाने की व्यवस्था की जाए जिससे कि हम उस माइन्स को बचा पाए और उसके विकास में भी आगे बढ़ सकें।

मान्यवर, शिव से आने वाले विधायक ने मांग रखी थी कि हमारे वहां टीचर्स आते नहीं, 400–400 वेकेन्सी हैं, मेरे जिले में भी वही हालत है। हाई कोर्ट ने अपनी रूलिंग के अंदर ग्रामीण अंक देना बंद कर दिया। सीमावर्ती क्षेत्र में कोई भी टीचर्स आ नहीं रहे हैं, नर्सेज वहां आ नहीं रही हैं। हम चाहते हैं कि एक अलग से ही कैडर बना दें, जैसा पहाड़ी इलाके में है, तो आपकी कृपा होगी जिससे कि वहां कुछ लोग रह सके।

आपके कर प्रस्तावों को मैंने देखा है, कुछ में काफी विसंगति है। अरण्डी पर आपने दो प्रतिशत टैक्स लगाया है। अरण्डी की नयी खेती राजस्थान में किसानों ने प्रारम्भ की है, ऑयल बेस्ड इंडस्ट्री है। अरण्डी और ईसबगोल की नयी खेती हमने प्रारम्भ की है। चौहटन में या जैसलमेर में हो तो इस पर टैक्स फ्री था। यह दो परसेंट आपने टैक्स लगाया है। कृपया विचार करके अरण्डी और ईसबगोल पर दो प्रतिशत टैक्स माफ करने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री नन्दलाल जी।

श्री हरिसिंह महुवा : हमारे एक को... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब पुकार लिया नाम, व्यवस्था दे दी।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : आपको मेरे से द्वेष क्यों हो रहा है ?... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मुझे चार बजे का टाइम दिया गया था, मैं बिलकुल तैयार हूं।

श्री सभापति : कोई दिक्कत नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभपति महोदय, इनके भाषण के तुरन्त बाद स्टेटमैंट दिला दें।

श्री सभापति : जैसा मुझे आदेश हुआ है मैं तो उसी हिसाब से चल रहा हूं। मुझे आदेश यही हुआ है कि स्टेटमैंट आपका तब होगा जब डिप्टी स्पीकर आसन पर आ जाएंगें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यहां बिराजेंगे ?

श्री सभापति : हां, जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कब बिराजेंगे ? आज बिराजेंगे कि नहीं बिराजेंगे ?

श्री सभापति :...वह बिराजेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : स्टेटमैंट तो

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

हमेशा जो समय दिया होता है उसी वक्त होता है। आप लोग हमेशा एतराज करते रहते हो।

श्री सभापति : कल्ला साहब, राठौड़ साहब, वह आएंगे और उनकी मर्जी होगी तब आएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : समझे न, शुरू करो।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2001–2002 ...

श्री छोगाराम बाकोलिया : मैं निवेदन कर रहा था कि इनकी राठौड़ी कब चलेगी। यह तो अभी देना चाह रहे हैं स्टेटमैंट।

श्री शिवनाथ सिंह : राठौड़ी यहां नहीं चलती है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यहां चौधरी बैठा है।

श्री सभापति : शुरू कीजिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : सभापति महोदय, बजट पर चर्चा चल रही है, मैं राजस्थान के उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो सामाजिक दृष्टि से, प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ रहा है। जो बजट 29 मार्च को माननीय वित्त मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया, उसके अन्दर उदयपुर संभाग के उस आदिवासी इलाके के बारे में जो प्रावधन किया गया है उसको मैंने देखा तो मैं आज इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि 1975 के बाद से लेकर आज तक इस आदिवासी उप योजना क्षेत्र के लिये, माडा क्षेत्र के लिये, बिखरी हुई जनजाति आबादी के लिये और सहरिया परियोजना के लिये प्रावधान प्रति वर्ष लगातार कम किया जाता रहा है। सभापति महोदय, इस बार यह समझ रहा था कि राजस्थान की विधान सभा में 10 साल बाद जनजाति के प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी की तुलना में तीन चौथाई अधिक आये हैं, वे निश्चित रूप से राजस्थान की कांग्रेस की हुकूमत पर राजनैतिक दबाव डालकर इस बात का प्रयास करेंगे कि इस बजट में प्रावधान रखे जाएं। चाहे राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट की सीटें हो या शिड्यूल्ड ट्राइब्स की सीटें हों, कांग्रेस के समर्थन में ज्यादा उम्मीदवार जीतकर यहां आये हैं परन्तु जो प्रावधान किया गया है, मैं यह समझता हूं कि राजस्थान की 54.75 लाख आदिवासी जनता का इन कांग्रेसी हुक्मरानों ने गला घोटा है, उनको धोखे में रखा है और उन्हें धोखा दिया है।

सभापति महोदय, इस बजट भाषण में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के बारे में पेज 42 पर सब मिलाकर 8.44 करोड़ का साल भर का प्रावधान किया गया है। जब–जब भी भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, इस विभाग को काम संभालने

(श्री नन्दलाल मीणा)

के लिये माननीय शेखावत साहब ने मेरा चयन किया। परन्तु यह पहला अवसर है कि लगभग 24 सीटें जनजातियों की आरक्षित हैं, इस वर्ष 25 सदस्य हैं। विधान सभा में कन्हैया लालजी निर्दलीय के हिसाब से 25 लोग बैठे हुए हैं और 25 में से तीन चौथाई कांग्रेस की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। सभापति महोदय, जो इस विभाग का दायित्व दिया गया है, सन् 1952 से लेकर आज तक का इतिहास देख लें–चाहे शिवचरणजी माथुर ने काम संभाला हो, चाहे मोहन लालजी सुखाड़िया ने काम संभाला हो, चाहे हनुमान प्रसादजी प्रभाकर ने संभाला हो, या तो उस क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने इस विभाग का काम संभाला या राजस्थान के आरक्षित सीटों से जीतकर आने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे मंत्रिमण्डल में सम्मिलित करके इस विभाग का दायित्व दिया गया। यह पहली बार अशोक गहलोत की सरकार में अवसर है कि जब 50 लाख आदिवासियों का भाग्य ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दिया गया जो जनजाति क्षेत्र से संबंधित नहीं है। वह टौंक जिले के हैं। जब पहली बार मंत्रिमण्डल में विभागों का वर्गीकरण हुआ और उनको यह काम सौंपा गया, मुझे बड़ी खुशी थी कि यह लोक सभा में भी रह चुके हैं, विधान सभा में भी प्रतिपक्ष के रूप में काफी भूमिका निभाई है तो जनजातियों के बारे में कुछ काम करेंगे। परन्तु सबसे पहले उन्होंने एक काम किया है। प्रतापगढ़ में एक शिड्यूल्ड कास्ट का हास्टल नहीं था, प्रतापगढ़ में मदन दिलावरजी के समाज कल्याण मंत्रीत्वकाल में माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत के निर्देशन पर मैंने वहां हास्टल कराया था, लेकिन बनवारी लालजी बैरवा ने मंत्री की शपथ लेते ही वह जो शिड्यूल्ड कास्ट के बालकों के लिये हास्टल था, उसको टौंक जिले में इनके निर्वाचन क्षेत्र में स्थानान्तरित करा दिया। वहां आज की तारीख में एक भी हास्टल नहीं है।

सभापति महोदय, यह आप लगातार करते रहे परन्तु 1995–96 से ट्राइबल सब प्लान एरिया के विकास के बारे में इस बात पर वाद विवाद और वैचारिक मतभेद चलते रहे कि राज्य मद से जो पैसा दिया जाता है वह उस इलाके में कम दिया जाता है। माही, जाखम आदि बांधों में अधिक पैसा खर्च कर तथा 12.44 प्रतिशत जनसंख्या जो जनजाति की है उस अनुपात में पैसा खर्च करके विकास के दूसरे दरवाजे बंद किए जाते रहे। तत्कालीन केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्री श्री सीतारामजी केसरी के नेतृत्व में गौहाटी और दिल्ली में राज्यों के मंत्रियों की एक मीटिंग हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि हिन्दुस्तान में शिड्यूल्ड एरिया में अगर सबसे बढ़िया और सीधा प्रशासन, सीधे लाभ तुरन्त गति से पहुंचाने की अगर कोई कारगर व्यवस्था कहीं चल रही है तो वह महाराष्ट्र में चल रही है, इसी महाराष्ट्र पैटर्न को राजस्थान

(श्री नन्दलाल मीणा)

में लागू किया जाना चाहिए। माननीय शेखावत साहब के निर्देशानुसार एक मंत्री की हैसियत से मैं गौहाटी भी गया, दिल्ली भी गया, आन्ध्र प्रदेश भी गया, गुजरात भी गया, महाराष्ट्र भी गया। सारे राज्यों के विभागों की जनजाति उत्थान की योजनाओं की समीक्षा की गई और इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे कि राजस्थान में शिड्यूल्ड एरिया के बारे में महाराष्ट्र पैटर्न लागू होना चाहिए। सभापति महोदय, 1998 के विधान सभा चुनावों के बाद जब कांग्रेस की राज्य में हुकूमत बनी, इन 50–52 लाख आदिवासियों के साथ राजनीतिक खिलवाड़, आर्थिक खिलवाड़ करने का एक षड्यंत्र रचा गया। उसमें मुख्य था कि दयारामजी परमार को राज्य का छापाखाना मंत्री बना दिया, परसादी लालजी मीणा को लाटरी विभाग दे दिया। महकमें टूट गए, इनके पास कुछ नहीं छोड़ा। भीखा भाई को बनाया तो वे 85–90 वर्ष के वृद्ध नेता हैं। मैं कहना चाहता हूं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। इसलिए मेरे ख्याल से...

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, मुझे इस बात की आशा थी कि यह महाराष्ट्र पैटर्न लागू होगा। वित्त वर्ष 2000–2001 का राज्य सरकार का बजट प्रस्तुत करने के पहले यह निर्णय लिया गया कि ट्राइबल सब प्लान एरिया जिसमें 6 जिले और 23 पंचायत समितियां हैं, इनके विकास के लिए 112 करोड़ रुपये राज्य मद से निर्धारित कर दिये जाएं। सभापति महोदय, हरेक विधायक को उन्होंने चिट्ठी लिखी। उनका मेरे पास भी पत्र आया कि आपके चित्तौड़गढ़ जिले से बताइए कि आपके हिस्से में जो 12 करोड़ रुपये आते हैं उन्हें किस मद पर खर्च किया जाए। सारे प्रस्ताव लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य सरकार के बजट का 12.44 प्रतिशत ट्राइबल सब प्लान एरिया के लिए अलग से रखा जाएगा और उस पर व्यय किया जाएगा। सभापति महोदय, आप बजट में देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि 12 करोड़ रुपये के बजाय 8.44 करोड़ रुपए भी अगर उस 50 लाख आबादी पर खर्च कर दिए जाएं, बांट दिए जाएं तो मुश्किल से 2–4–5 रुपये भी हिस्से में नहीं आए। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के राज में 50 लाख आदिवासियों के धोखे से वोट लेकर बनी यह सरकार उनके आर्थिक विकास को दरकिनार करके एक तरफ निकलना चाहती हैं।

मंत्री महोदय, आपने यह कहा था कि जनजाति क्षेत्रीय विकास का नाम बदलकर जनजाति विकास विभाग करना चाहते हैं। मैंने सवाल पूछा कि जनजाति विकास और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में क्या फर्क है। फर्क इस बात का है कि वह पर्टीकुलर एरिया न होगा। वहां के लिए

(श्री नन्दलाल मीणा)

केन्द्रीय सरकार से केन्द्रीय सहायता मिलती है, राज्य सरकार को उसके लिए पैसे का आवंटन होता है। यदि, बनवारीलालजी, आपने ऐसा कर दिया कि यह जनजाति विकास विभाग बनेगा तो उसका पैसा सवाईमाधोपुर में भी खर्च होगा, उसका पैसा करौली में और अलवर में भी खर्च होगा। उसका पैसा, हर जिले में खर्च होगा और उसका नतीजा यह होगा कि आदिवासी जो पिछड़ा हुआ है वह पिछड़ा हुआ ही रहेगा और जो इधर के सम्पन्न व्यक्ति हैं उनमें आर्थिक और शैक्षणिक असमानता बढ़ेगी।

सभापति महोदय, आज भी बजट प्रावधान के अनुसार राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए जो 8 प्रतिशत पैसा निर्धारित किया है, वर्ष 2001–2002 में भी उसका आवंटन नहीं किया। पिछले साल माननीय शेखावत साहब के नेतृत्व में हमने आदिवासी बालकों के लिए आवासीय छात्रावास खोले थे–प्रतापगढ़ में खोला था, बांसवाड़ा में खोला था, झाड़ौल में खोला था, कोटड़ा में खोला था...

श्री भीखा भाई (श्रम मंत्री) : मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने उनको भी बनाया क्योंकि मैं कांग्रेस का आदमी था और मैं मंत्री बना। मेरे मंत्री बनने के बाद इनको भी मंत्री बनाने में भीखा भाई का हाथ है, यह बात भूल गए ?

श्री नन्दलाल मीणा : यह तो आप और मैं ही जानते हैं, यह सार्वजनिक करने की क्या जरूरत थी ? वह मुझे मालूम है कि शेखावत साहब आपकी शायद इतनी बात मानते होंगे इसलिए किया होगा। मुझे क्या मालूम कि यह आप दोनों का मामला है। परन्तु मैं सिफारिश के आधार पर मंत्री नहीं बनूंगा और न बनना चाहता था। (व्यवधान)

(16.18 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बात ही जनजाति विकास विभाग की। प्रतापगढ़ में माननीय अशोकजी गहलोत जब कांग्रेस अध्यक्ष थे, ये चुनाव प्रसार में प्रतापगढ़ के दौरे पर पहुंचे। उस वक्त प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ को जिला बनाने का धरना चल रहा था कांग्रेस के नेतृत्व में। उन्होंने साफ वहां पर घोषण की कि कुछ ही दिनों में विधान सभा के चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान में हमारी सरकार बनने वाली है, मैं राजस्थान का मुख्य मंत्री होऊंगा, आप प्रतापगढ़ की जनता हमको वोट दो, शासन बनते ही प्रतापगढ़ को जिला बना दिया जाएगा। ढाई वर्ष हो गए, जिले का नाम नहीं। पिछले महीने जब मुख्य मंत्रीजी वहां गए तो मैंने प्रशासन को ज्ञापन दिया कि जिला बनाना तो दूर की बात, जाखम के पानी के लिए भारत सरकार ने 11 करोड़ रुपए दिए, वह क्यों खा गये ? छोटे–छोटे एनीकट और तालाबों के लिए

(श्री नन्दलाल मीणा)

लगभग 12 करोड़ का जनजाति विकास विभाग के पास जो सरप्लस पैसा था, आवंटित किया था, वह इन्होंने डम्प कर दिया। इसके कारण आज वहां पर हालत यह है कि जाखम का पानी प्रतापगढ़ नहीं पहुंच सकता, अकाल राहत के काम शुरू नहीं हो सकते, विद्यार्थियों के लिए आवासीय छात्रावास नहीं खुले। मैं कह सकता हूं कि इन ढाई वर्षो के राज में पूरे उदयपुर डिवीजन में आदिवासियों के विकास के नाम पर कांग्रेस हुकूमत ने बंटाधार कर दिया है।

कल यही विवाद चल रहा था कि अकाल मौत, कुशलगढ़, रामगढ़, कोटड़ा, झाड़ौल, फलासिया, खैरवाड़ा, प्रतापगढ़, अरणोद में। उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो अच्छी तरह से मालूम है उदयपुर जिले का किस्सा, कि जब भी सरकार अकाल को सही ढंग से जनता को रोजगार देकर फेस नहीं करना चाहती तब तक उदयपुर जिले में क्या होता है। उदयपुर के पांदरवा का किस्सा, उपाध्यक्ष महोदय, आपको अच्छी तरह से मालूम है। राजस्थान सरकार ने अकाल के पर्याप्त काम न खोलकर उदयपुर संभाग के आदिवासियों को पांदरवा की पुनरावृत्ति करने का न्यौता दिया है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि एक पंचायत समिति में 30–40 मजदूरों को लगाने से काम नहीं चलेगा।

हैण्ड पम्प के बारे में माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का जवाब आया। अध्यक्ष महोदय, केवल प्रतापगढ़ पंचायत समिति में 1700 हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं इनके रिकार्ड में, परन्तु जब मैंने गांव–गांव में जाकर पूछा तो कोई गांव ऐसा नहीं है। बड़े–बड़े गांवों, पंचायतों में एक या दो हैण्ड पम्प चालू हैं। यहां विधान सभा में बने बनाए कागज के हिसाब से जवाब दे दिया परन्तु पेयजल की परिस्थिति माननीय मंत्रीजी, बहुत ज्यादा खराब है। आदिवासी इलाके जहां पर गाड़ियां नहीं जा सकतीं और हैण्ड पम्प ड्रिल नहीं हो सकते वहां पर तो स्थिति यह है, माननीय भीखा भाईजी भी अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि पेयजल शुद्ध नहीं मिलने की वजह से इनको बीमारी का शिकार होना पड़ा था। आदरणीय भीखाभाईजी मेरे लिए पूजनीय हैं, परन्तु 50 लाख आदिवासियों के प्रतिनिधित्व के नाम पर कुशलगढ़ क्षेत्र में रामगढ़ गांव में तथा और गांवों में जो हुआ आप चूंकि बांसवाड़ा जिले के इंचार्ज थे, आपके वहां पर सार–संभाल नहीं करने की वजह से, वहां पर दौरा नहीं करने की वजह से आदिवासियों की भूख से हत्या हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं...

श्री बुलाकीदास कल्ला : भूख से तो कोई नहीं मरा है, यह आप गलतबयानी कर रहे है।

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय कल्ला

(श्री नन्दलाल मीणा)

साहब, डाक्टर लिखता है फलाने नेता का हार्ट अटैक हो गया और मर गया। कोई कहता है यह हो गया, नसें काम नहीं कर रही थीं और यह हो गया। आप यह बताओ कि भूख से मरने के लिए मेडिकल रिपोर्ट में क्या प्रावधान है। जिससे यह साबित होगा कि यह भूख से मरा है ? यह बता दीजिए आप। सब जानते हैं जिनके पेट में कुछ नहीं है जो कमजोर है, अशक्त है, बीमार है वह तो मरेगा ही। भूख से मरा, यह प्रमाणित करना सरकार की नीति हो सकती है, परन्तु आप यदि संवदेनशील हैं, आप जवाबदेह हैं समाज के प्रति, लोक कल्याणकारी राज्य के प्रति तो इस तरह का जवाब ट्रैजरी बैंचेज की तरफ से नहीं आना चाहिए कि वे भूख से नहीं मरा है।

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में 413 करोड़ की योजना गुजरात की एक कंस्ट्रक्शन कम्पनी से सर्वे कराकर जनजातीय विकास विभाग के माध्यम से तैयार करवायी गयी थी। उसको मैं आशा की किरण के रूप में इसलिए देखता था कि पूरे उदयपुर के पहाड़ी इलाके के लिए यदि ये 413 करोड़ रुपये का फेजवाइज बजट में प्रावधान करते, छोटे–छोटे एनीकट और तालाब बनाये जाते हैं तो वहां पर वाटर लेवल बढ़ जाता, गरीब आदिवासियों की जमीन में सिंचाई होती और जो वन सम्पदा नष्ट हो चुकी है उसको पुनर्जीवित किया जा सकता था। आज हालत क्या है ? अकाल में काम नहीं चल रहे हैं। आदिवासी गुजरात पलायन नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश में भी अकाल है, नहीं जा सकते। वे जंगल की लकड़ियां काट रहे हैं। भूखा क्या नहीं करता ? वह करेगा और इसलिए करेगा कि सरकार के पास रोगजार के साधन नहीं हैं। इसी तरह से यदि वहां जंगलों को बर्बाद करने से नहीं रोका गया तो यह वर्तमान पीढ़ी तो जैसे–तैसे गुजर–बसर कर लेगी, परन्तु उस इलाके में रहने वाले आदिवासी आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए क्या इंतजाम करेंगे, उनके रोजगार का इंतजाम क्या होगा ? इसलिए यह बहुत जरूरी है, मैंने सुझाव दिया था कि जब तक उस इलाके में जंगलात विभाग की छोटी–छोटी समितियां बनाकर वृक्षारोपण नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। परन्तु विभाग के लोग उसके खिलाफ हैं। प्रतापगढ़ रेंज में हमने इस तरह की समितियां बनाकर उनके हाथ में काम दिया, भागीदारी निश्चित की थी। आज स्थिति यह है कि वह घने जंगल के रूप में दिखायी देता है।

इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने शिक्षा की दृष्टि से आदिवासियों को पिछड़ा रखा, आपने रोजगार की दृष्टि से पिछड़ा रखा, आपने सिंचाई की दृष्टि से पिछड़ा रखा और आपने सारे रोजगार के दरवाजे

(श्री नन्दलाल मीणा)

बंद कर दिये। हमने 45 परसेंट आरक्षण छोटी नौकरियों के लिए किया था, मुझे कहते हुए अफसोस है, माननीय सदस्यगण, कि अढ़ाई वर्ष में उस 45 परसेंट ट्राइबल सब प्लान के आरक्षण में एक भी आदिवासी को रोजगार नहीं दिया गया। हजारों एस.टी.सी. और बी.एड. लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, आयुर्वेद के कम्पाउण्डर घूम रहे हैं। आप तो तीन चौथाई बहुमत के नशे में इस तरह से चूर हैं कि आपको कुछ भी नहीं दिखता। जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है वैसे ही आपको हर जगह हरा ही हरा दिखता है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अकाल राहत के बारे में, पेयजल के बारे में, चारे के बारे में और आदिवासी बालक व बालिकाओं के जो दरवाजे आपने बंद किये हैं उन दरवाजों को आप खोलें। बजट में जो प्रावधान आपने नहीं किये हैं, यह जो धोखेबाजी 50 लाख आदिवासियों और राजस्थान की जनता से आपने की है, उसका भगवान आपको जरूर फल देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहकारिता मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य
गेहूं, जौ व सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 23.3.2001 को समर्थन मूल्य की घोषणा की गयी थी जिसके अनुसार इस वर्ष 2001–2002 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 610 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। वर्ष 2001–2002 में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद करने हेतु राजफैड को भारतीय खाद्य निगम से 101 केन्द्रों का आवंटन किया गया। 29.3.2001 को आदेश प्राप्त हुए और राजफैड द्वारा तत्काल ही क्रय केन्द्रों की सूची संबंधित अधिकारियों को भिजवाकर तुरन्त खरीददारी के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं कर लेने के बाद 11.4.2001 को खरीद संबंधी आदेश किए गये, 20.4.2001 से खरीद करनी शुरू कर दी और 19.4.2001 तक 29 क्रय केन्द्रों के माध्यम से हमने कुलमिलाकर 67,772 क्विंटल गेहूं खरीदा है जो करीब 4 करोड़ 13 लाख 41 हजार के करीब हुआ है।

मान्यवर, गेहूं की खरीद में तीन एजेंसीज हैं और उन तीन एजेंसीज में राजफैड सबसे कम और छोटी एजेंसी है। दो बड़ी एजेंसीज हैं–एक तो फूड कार्पोरेशन आफ इण्डिया, उन्होंने 21.73 करोड़ का गेहूं खरीदा और दूसरा है राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन। वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन ने 8.90 करोड़ का गेहूं खरीदा और राजफैड ने 4.13 करोड़ का गेहूं खरीदा । कुलमिलाकर

(श्री खेतसिंह राठौड़)

34.76 करोड़ का गेहूं आज तक खरीदा गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार भारत सरकार के निर्णय के अनुसार और उनके कहने पर राजफैड ने जौ भी खरीदा। जौ की खरीद हमने 51 केन्द्रों पर शुरू की। कुलमिलाकर अब तक हमने 15,452.15 क्विंटल यानी 90.30 लाख रुपये का समर्थन मूल्य से जौ क्रय किया है। जौ क्रय करने के कारण यह रहा है कि बरसात हो जाने से जौ जहां कहीं खलियानों में था भीग गया। भीगा हुआ जौ खरीदने में उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए वह सूखने पर ही खरीदा जा सकेगा। ज्यों–ज्यों जौ आ रहा है त्यों–त्यों हम खरीद रहे हैं। भारत सरकार से हमने निवेदन किया है कि मेहरबानी करके वे हमको जल्दी से जल्दी इसके लिए कुछ राशि उपलब्ध कराएं जिससे हम और ज्यादा जौ खरीद सकें। (व्यवधान) पूरा स्टेटमैंट सुन लीजिए, उसके बाद फरमाइए।

सरसों के लिए मेरा यह निवेदन है कि हमने दिनांक 20.4.2001 तक प्राप्त सूचना के अनुसार 96 केन्द्र खोले और उनमें कुलमिलाकर 4,32,986 बोरी खरीदी हैं और कुलमिलाकर 46 करोड़ 37 लाख 27 हजार रुपये की सरसों खरीदी है। बाकी नैफेड खरीदती है। हमने जो खरीदा है वह सब नैफेड की मार्फत ही खरीदा है और उसका पैसा भी नैफेड ही देगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न स्टेटमैंट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, स्टेटमैंट तो हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप क्या इनको पूछोगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन्होंने कहा है और आपकी अनुमति से कहा है। (व्यवधान) मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि प्रोक्योरमैंट स्कीम चालू होने के पहले आपने गेहूं, जौ और सरसों का कितने उत्पादन का अनुमान लगाया था ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह कृषि विभाग का कार्य है, मेरा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने परचेजिंग सेंटर बनाये हैं, परचेंजिंग सेंटर बनाने के पीछे आपका यह ध्यान था क्या कि यहां पर इतना उत्पादन हुआ है इसलिए यहां पर परचेजिंग सेंटर बनाया जाए ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी, हां। बिलकुल इसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी परचेजिंग केन्द्र हैं। ये 11 जिलों में खोले गये हैं। ये वही जिले हैं जहां पर कि जौ की फसल होती है, सरसों की फसल होती है। उसी हिसाब से ये केन्द्र

(श्री खेतसिंह राठौड़)

खोले गये हैं और उन्हीं केन्द्रों पर यह खरीद की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : केन्द्र खोलने के पहले आपने इस बात का अनुमान नहीं लगाया कि यहां पर जौ का इतना उत्पादन हुआ है, चने का इतना उत्पादन हुआ है, सरसों का इतना उत्पादन हुआ है और गेहूं का इतना उत्पादन हुआ है ? आपने इसका बिना अनुमान लगाये ये केन्द्र खोले हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने पहले कृषि विभाग से यह मालूम कर लिया था कि यह फसल कहां–कहां पर और कैसी हुई है। उनसे परामर्श करने के बाद हमने जहां–जहां मांग थी उस प्रकार से ये केन्द्र खोले हैं, उन पर परचेजिंग चल रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि विरोधी दल के माननीय नेता महोदय को भी मैंने समय समय पर पन अपनी ओर से निवेदन किया है कि यह यह हमने खरीद की है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला (सामान्य प्रशासन मंत्री) : आपको तो पहले ही बता दिया गया था। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : आपकी तो पहले ही बात हो गयी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, हुई है। एक बात और बता दीजिये, मुख्य मंत्रीजी ने मुझे पत्र का जवाब दिया है उसमें लिखा है कि इस बार जौ जैसी गैर वाणिज्यिक फसल को समर्थन मूल्यों पर अपने संसाधनों से खरीदने का एक साहसिक निर्णय लिया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह आप सही फरमा रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी ने काफी सोच विचार के बाद यह आदेश दिया कि अपनी ओर से, अपनी सरकार की तरफ से यह खरीद की जाए। राजफैड के पास जो पैसा है उससे हम खरीद रहे है। अब पैसा खतम होने जा रहा है, हमने भारत सरकार को लिखा है कि आप हमको भेजे तो ओर जौ खरीदें क्योंकि जौ खरीदने के बाद बिकता बहुत मुश्किल से है। पिछले साल का जौ भी हमारे पास पड़ा है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी उसको बेचने में भी उसके लिए हम अकाल सहायता मंत्रीजी से परामर्श कर रहे हैं। लिहाजा मेरा यह निवेदन है कि, जौ की पहली बात तो यह है कि इस साल फसल इतनी बढ़िया नहीं हुई। बारिश टाइम पर नहीं हुई, बीच–बीच में पाला भी पड़ता रहा, सारी सिचुएशन से आप भी वाकिफ हैं। ये हालात देखते हुए जितना हम खरीद सकते थे उतना हम खरीद रहे हैं। अब इन दिनों जो बारिश हुई हैं उसने तो गजब ढा दिया और किसान के साथ बड़ा जुल्म हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब यह है कि अब आपके पास जौ खरीदने के लिए पैसा नहीं है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो मैं क्या कहूं, साहब, मेरे पास में बिराजे हुए हैं वही सही स्थिति बता सकते हैं कि पैसा है कि नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह तो नहीं कह सकते थे कि पैसा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारे पास जौ खरीदने के लिए ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब खतम होने में ही है मामला।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब यह है कि अब जौ की खरीद आप नहीं कर सकेंगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, हमारे प्रयत्न जारी है। अगर भारत सरकार से हमको सपोर्ट प्राइस मिल गया और अगर रुपया मिल गया तो हम खरीदेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर–मगर का तो सवाल ही खतम हो गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम चाहते हैं कि काश्तकार को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर–मगर का तो सवाल ही खतम हो गया। जब आपने कहा कि हमने अपने संसाधनों से खरीदने का एक साहसिक निर्णय लिया है, तो जब अपने संसाधनों से आप खरीद रहे हैं तो भारत सरकार के ऊपर क्यों निर्भर रह रहे है कि वह सहायता देंगे तब जौ खरीदेंगे ? मान लीजिये भारत सरकार ने आपको सहायता नहीं दी, मैं एक प्रश्न कह रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि आप जौ नहीं खरीदेंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : इस पत्र के आगे भी थोड़ा बहुत लिखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देख लिया मैंने।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर आप उसे पढ़ लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पढ़ लिया, पढ़ लिया मेरे पास है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उसने लिखा है कि हम भारत सरकार को लिख रहे है यह।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई जरूरी है क्या ? (व्यवधान) मेरा सुझाव था कि क्या यह जरूरी है ? किसान अगर कोई जौ पैदा करता, सरसों पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है तो वह खुले बाजार में बेच सकता है, सरकार को लेना जरूरी है ? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जौ बिक रहा है तीन सौ से नीचे। सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, असली बात यह है कि समर्थन मूल्य निश्चित नहीं किये जाएं, आप इसके

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पक्षधर हैं, नम्बर एक। आप किसान हैं इसलिए जानते होंगे कि समर्थन मूल्य अगर तय नहीं होगा तो बाजार में इसका उत्पादन बहुत सस्ते दामों पर बिकेगा और यदि आपने सस्ते दामों पर बिकने से नहीं रोका तो किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होगी। समर्थन मूल्य केवल उसी समय काम आता है जब उत्पादन के बाजार में भाव कम होते हैं। उस समय किसान समर्थन मूल्य पर अपना अनाज बेचने को तैयार होता है। समर्थन मूल्य नहीं हो तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर मंदी का दौर आ गया तो किसान तो तबाह हो जाएगा। उनको बचाने के लिए समर्थन मूल्य की व्यवस्था की गयी है। इसलिए जौ का भाव जो तय किया गया है वह उसी आधार पर तय किया है। अब की बार जौ का भाव इसलिए तय किया गया है, जैसा आपने भी कहा है और आपने भी माना है कि बरसात नहीं हुई और नदियों से और नहरों से पानी आने वाला है उसके बारे में अंदेशा हो गया कि पूरी सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए लोगों ने जौ, सरसों और चने की ज्यादा खेती की और गेहूं की खेती कम की। इसलिए आपकी मजबूरी से किसान ने जो उत्पादन किया है उसकी खरीद पर पूरी व्यवस्था नहीं हुई तो किसान तबाह हो जाएगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने जैसा आपसे निवेदन किया कि चने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चने का भाव अच्छा चल रहा है और समर्थन मूल्य से ज्यादा चल रहा है। जहां तक गेहूं का सवाल है, 610 रुपया रखा है लेकिन अच्छा गेहूं 610 रुपये ऊपर ही बिक रहा है। कोई बिलकुल ही घटिया किस्म है वह तो नीचे बिकेगा, उसमें कोई शक नहीं है। सरसों का जहां तक ताल्लुक है, 1200 रुपये है। 1100 रुपये, साढ़े 1100 रुपये यही भाव आज भी मंडियों में चल रहा है, 1200 भी चल रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह भाव तो पिछले साल था, एक हजार में सरसों बिक रही है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक हजार रुपये उसी सरसों का भाव है जिसके दाने छोटे हैं, जिसमें तेल निकालने की मात्रा कम है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : जब आपने खरीद शुरू की उससे पहले तो 50 परसेंट सरसों किसानों ने बेच दी। आप जौ की जहां बात कर रहे हैं, अभी सीकर की मंडी में, उपाध्यक्ष महोदय, 17 तारीख से शुरू की है, उससे पहले सीकर के किसानों का 80 प्रतिशत जौ व्यापारियों ने खरीद लिया। आपकी एजेंसी में जौ की खरीद होगी वह मिडल मैन से हो रही है जो कानूनी अपराध है किसी भी जिन्स के बेचने के

(श्री अमराराम)

बाद दुबारा आपकी एजेंसी में बेची जाएगी। एक क्विंटल के डेढ़ सौ रुपये केवल मात्र खरीद बता रहे हैं, इसमें से 70 प्रतिशत खरीद मिडल मैन से हुई है। अगर किसान को फायदा देना था तो जिन्स मंडियों में आने से पहले ही सरकार क्रय केन्द्र खोलती तभी लाभ मिल सकता था। अब जितनी जिन्स खरीदी जाएगी उसकी 70 प्रतिशत खरीद मिडल मैन से होगी। फायदा जिस किसान को समर्थन मूल्य देना चाहते हैं, वह उसे नहीं मिलेगा। किसान एक तरफ अकाल से मर गया, पानी नहीं, दूसरी तरफ बिजली नहीं और जौ का भाव भी नहीं। रही–सही कसर में कोई गेहूं कहीं बचा हुआ था तो उसको ओला और बेमौसमी बरसात ने तबाह कर दिया। आप भी तबाह कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इतने करोड़ का खरीद लिया और आज यह मैसेज और दे रहे हैं कि हमारे पास पैसा खतम हो गया है। जौ हम खरीदने की स्थिति में होंगे या नहीं होंगे, राजस्थान के किसान के सामने आशंका प्रकट कर रहे है। अभी हमारे पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि यह खरीदने की जरूरत ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है, आप गुमराह करते हो। (व्यवधान) मेरे कहने का मतलब यह है कि गवर्नमैंट जौ खरीदती है यह तो ठीक है, बाजार के अन्दर भाव को स्थिर रखने का एक मामला है। बाकी गवर्नमैंट की क्या स्थिति है ? करोड़ों–अरबों रुपयों का धान होता है, आपकी केन्द्र सरकार दो लाख टन गेहूं समुद्र में डालने जा रही है, उसका उपयोग नहीं कर सकते। जिसका स्टोरेज नहीं कर सकते...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : किसान के लिए प्रोक्योरमैंट की व्यवस्था करिये। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : किसान अपने बलबूते पर पैदावार करे।

श्री उपाध्यक्ष : आपका मतलब समझ गये, बैठ जाओ। माननीय सुमित्रा सिंहजी, (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मंत्रीजी यह बताएं उन्होंने तारीख दी है कि यह आदेश निकला है 11.4 को, मेरे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि 11 से लेकर 19 तारीख तक आठ दिन के अन्दर करोड़ों रुपयों का इन्होंने कहां से, किन केन्द्रों से और कैसे खरीद लिया। ये बिलकुल गलत आंकड़े हैं, लाखों को करोड़ों का बता रहे हैं। ये बिलकुल गलत आंकड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो इकाई–दहाई का फर्क है, उसमें क्यों चक्कर में पड़ रहे हो आप ? यह इकाई–दहाई–सैकड़ा का फर्क है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : काहे का फर्क

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

है ? क्या फरमाया आपने ? नहीं, नहीं, बहुत सीरियस बात है। आपके आदेश ही 11.4.2001 को निकले हैं और 19 तारीख तक, 8 दिन के अन्दर–अन्दर करोड़ों रुपयों की खरीद कहां से कर लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आप एक दफा, माननीय मंत्रीजी, सबको सुन लें, फिर जवाब दे देना।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, वह भूल जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, नहीं भूलेंगे। वह भूले है क्या ? वह आपको भुला देंगे। (व्यवधान) माननीय शिवनाथ सिंह जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आगे की बात बाद में, आप वह पूरी बात तो बताएं।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी देर हो गई मुझे, आपका ध्यान ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। बोलने देंगे आपको, आपको मना किया है क्या ? आप इधर से बोल रहे हैं, उधर से बोल रहे हैं, उधर से भी बोल रहे हैं। ऐसी क्या बात है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं कह रही हूं, आपने आगे पूछने के लिए कहा, 11.4.2001 को ही आदेश निकले, इसको क्लीयर तो कर दीजिये। आठ दिन के अन्दर–अन्दर कर लिया सारा काम ?

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, करेंगे, करेंगे। क्लीयर करेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कहां क्लीयर करेंगे ? करने दीजिये न। आप थोड़ा सब्र करिये। (व्यवधान) कहां–कहां खरीदा गया है, बताओ तो सही आप हमें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, बिराजिये। ये जवाब देंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं तो बिराज जाऊंगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जवाब देंगे न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पहले डेट और क्वांटम, नही, नहीं, यह तो पहले क्लैरीफाई हो जाता, क्या पूछेंगे आगे ? (व्यवधान) There is a total confusion. इन्होंने कहा है कि 23.3.2001 को समर्थन मूल्य तय हुआ है और 11.4.2001 को आदेश निकले हैं और 20.4.2001 को खरीद शुरू की है, 19.4.2001 तक इतने करोड़ खरीद लिया, यह क्लैरीफाई करें। यह हो सकता है ? हमारी समझने में गलती हो तो...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और तारीख 20 आज है।

श्री उपाध्यक्ष : वह समझा देंगे न आपको, बिराजिये। समझा देंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आगे क्या पूछेंगे, उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, पहले वह करैक्शन हो जाए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पहले करैक्ट तो करें।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बताएंगे, बताएंगे, बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मूल सवाल यह है कि...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंहजी। (व्यवधान) आप बोल लेना, सुन लेना सबको। (व्यवधान) बिराजिये, शिवनाथ सिंह जी।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब 100 बोरी गेहूं की 50000 की हो सकती है तो करोड़ों रुपयों की ज्यादा से ज्यादा 2000 बोरियां आएंगी। 9 दिन में 2000 बोरी भी हम नहीं खरीद सकते जौ की ? इसमें कौनसी शंका का सवाल है ? फिर इतना करना ही नहीं चाहिए आपको।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तारीखों का सवाल नहीं है, तारीखों का झगड़ा नहीं है। सवाल इस बात का है कि आज जो किसान के पास जौ है उसका जौ खरीदा जाए। 11 से 18 के बीच में कितना ले लिया, नहीं ले लिया, दूसरी बात है लेकिन आज किसान की पीड़ा इस बात की है कि उसने जौ उगाया है उसको खरीदा जाए, सरसों उसने उगाई है वह खरीदी जाएं, गेहूं उसने उगाया है वह खरीदा जाए। अभी माननीय मंत्री महादेय कह रहे थे कि 1200 रुपये में सरसों बिक रही है। मैं चैलेंज करता हूं। हमारी बढ़िया से बढ़िया सरसों भी 1000 में कोई लेने को तैयार नहीं है और 350 रुपये में जौ बिक रहा है, इसलिए व्यवस्था आपको यह करनी चाहिए। जौ खरीदने का आपने एक बार कर दिया और जैसा कहा गया है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान के किसानों को यह आश्वासन दिया कि हम खरीदेंगे, उस लाइन पर अपने को रहना चाहिए और रहकर किसान का जौ खरीदना चाहिए। अभी धोद से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि किसानों ने गेहूं बेच दिया, ऐसी बात नहीं है। बहुत कम बेचा गया है। जौ जिसके पास आज है, उसको तो अच्छी कीमत मिलने दो। दूसरे व्यापारियों ने खरीद लिया, नहीं खरीद लिया, वह दूसरी बात है, लेकिन आज किसान के पास जौ है, उस जौ को खरीदा जाए। व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, उसके लिए धन जहां से भी उपलब्ध हो, करना चाहिए। यह सपोर्ट प्राइस की बात है, सपोर्ट प्राइस इस बात

(श्री शिवनाथ सिंह)

के लिए होता है कि उससे नीचे किसान की उपज अगर बिकती है तो सरकार उसको खरीदे। वरना सपोर्ट प्राइस पर आप नहीं खरीदेंगे तो किसानों का उत्पाद दिनों–दिन गिरता जाएगा और एक दिन वह आ सकता है जब हमारी खेती की पैदावार...(व्यवधान) इसलिए निवेदन यह है कि इसकी व्यवस्था करनी चाहिए आपको।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। माननीय जगमाल सिंहजी, बहुत शार्ट में, मिनट छह बचे हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सहकारिता मंत्रीजी ने बताया कि हमने खरीद केन्द्र खोलने से पहले यह अन्दाजा लगा लिया था कि गेहूं, जौ, सरसों, कहां–कहां कितनी पैदा होती है। कृषि मंत्रीजी बैठे हैं, उपाध्यक्षजी, गेहूं, सरसों, जौ, चना अगर तिजारा, किशनगढ़, टपूकड़ा और भिवाड़ी के क्षेत्र में नहीं होती। तो राजस्थान में कहीं नहीं होती। मैं चारों जगहों के नाम गिनवा रहा हूं जहां एक भी क्रय केन्द्र आपने नहीं खोला। इसका परिणाम क्या होता है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर का गेहूं, सरसों और जौ, यह जा रहा है रेवाड़ी और कांवड़ो, भरतपुर का जो बार्डर का इलाका है। वहां क्रय केन्द्र नहीं खोलने से वह गेहूं जा रहा है यू.पी. में। सहकारिता मंत्रीजी, एक तरफ तो आप अकाल की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ राजस्थान की जिन्स बाहर जा रही है। क्या आप उक्त बार्डर से लगती हुई जगहों पर क्रय केन्द्र खोलेंगे अथवा नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजादजी।

श्री श्रवण कुमार : चिड़ावा सबसे घना एरिया है और बार्डर से लगता हुआ एरिया है, वहां केन्द्र नहीं खोले। (व्यवधान) कब खोल दिये, क्या खरीद लिया ? बगैर खोले ही ? मंत्रीज़ी, चिड़ावा की तरफ ध्यान दीजिये...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलो, बोलो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि सपोर्ट प्राइस इसलिए तय की जाती है कि काश्तकार की उपज जब आती है तब दुकानदार एकदम भाव कम कर देते हैं और काश्तकार को मजबूरी होती है बेचने की तब वह सस्ती दरों पर अपनी जिन्स नहीं बेचे ताकि उसको कोई फायदा हो। अब समर्थन मूल्य पर आप खरीद नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि हमारे पास पिछले साल का पड़ा है। मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि मेरा एफ.सी.आई. से सम्बन्ध है, मैं उसके एडवाइजरी बोर्ड में हूं,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

एफ.सी.आई. के पास तो कई साल का बाकी पड़ा है, वे अब आपको अकाल राहत कार्यो के लिए दे रहे हैं। आप यह अनाज खरीद क्यों नहीं लेते ताकि किसान की भी जो कमर टूटी है अकाल में वह मजबूत हो ? आप बजाय उनसे लेने के एफ.सी. आई. से ले रहे हैं। आप यहीं खरीद करें और इसी अनाज को अकाल राहत कार्यो में काम में ले लें।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि 56 केन्द्र खोले, 90 केन्द्र खोले। भरतपुर जिले के अन्दर नगर में बुलपाड़ा, गोपालगढ़ में, सीकरी में, पहाड़ी में जहां पर सरसों, जौ, गेहूं बड़ी तादाद में पैसा होता है, भारी मात्रा में पैदा होता है, एक भी केन्द्र आपने नहीं खोला। वहां के किसान बरबाद हो रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां कहीं आपने केन्द्र खोल भी रखे हैं वहां स्थिति यह है कि जब किसान अपनी जिन्स लेकर जाता है तो खरीददारी कहते हैं राजफैड वाले और दूसरे, कि अभी हमारा तौलने वाला नहीं आया, अभी हमारा कैशियर नहीं आया और चार–चार घंटे किसानों को खड़े रखते हैं आखिर किसान वहां पर ही जो बिचौलिये और दलाल खड़े रहते हैं, उनको अपनी फसल सस्ते मूल्य पर बेच देते हैं। उसके बाद आपके राजफैड के और दूसरे अधिकारी आकर वह पर्ची बना लेते हैं और जो नुकसान होता है, आधा–आधा बांट लेते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसकी जांच करा लें, आपके जहां केन्द्र हैं, उन केन्द्रों पर भी बिक्री डाइरेक्ट किसानों से नहीं हो रही है बल्कि बिचौलियों के जरिये हो रही है। यह आप जांच करा लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामप्रतापजी।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय मंत्रीजी, एक तो आपने यह घोषणा की, कि आपके पास गेहूं रखने के लिए जगह नहीं है, स्टोरेज की आपके यहां प्रोब्लम है। दूसरा, आपके पास बैग्स नहीं हैं, चाहे वह नैफेड वाला मामला हो, चाहे वह एफ.सी.आई. का हो। तीसरा, माननीय सदस्य जो मांग कर रहे हैं सेन्टर्स खोलने की, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां सेन्टर्स खुले हैं। मैं निवेदन करूं कि वे इनको दे दें, क्योंकि सेन्टर्स खोलने पर खरीद तो हो नहीं रही है। सोसायटी की दुकान है 10 बाई 20 फुट की, अधिकारी कहते हैं यहां लाकर माल डालो। 10 बाई 20 फुट की दुकान में कितने काश्तकारों का माल आएगा ? अगर आप किसी व्यापारी के यहां नहीं डलवाना चाहते तो हर कृषि उपज मण्डी के बीच में शैड बने हुए हैं, कामन प्लेस हैं, जिससे अगर बरसात आ जाएं या दो–चार दिन रखना पड़े तो भी उसका माल खराब नहीं होगा। आप कामन प्लेस डलवा दें और माल जो आ रहा है, मेरी आपसे बराबर एक ही रिक्वेस्ट है कि आप उसकी खरीद करवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डागाजी।

श्री मांगीलाल डागा (मेड़ता) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान की उपज की दो तरह की खरीद होती है, एक तो समर्थन मूल्य पर और दूसरा वाणिज्यिक। राजफैड राजस्थान में जब भी खरीद करता है तो वाणिज्यिक खरीद करता है। भारत सरकार का दायित्व है कि भारत सरकार के द्वारा जो समर्थन मूल्य निर्धारित है उसके आधार पर वह किसानों की खरीद राजस्थान सरकार के माध्यम से कराएं, चाहे उसकी एजेंसी राजफैड हो, चाहे एफ.सी.आई. हो और चाहे वेयर हाउस हो। मैं माननीय मंत्रीजी माध्यम से जानना चाहूंगा कि भारत सरकार ने राजस्थान के किसानों की कौन–कौनसी जिन्स खरीदने के लिए आपको कितना–कितना लक्ष्य दिया है, नम्बर एक ? दूसरा, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए क्या आपको अग्रिम राशि भेजी गई है ? यदि भेज़ी गई है तो कितनी भेजी गई है ? तीसरा, आपने जो इन दिनों में क्रय किया है, समर्थन मूल्य पर खरीद की उसकी जितनी राशि बनती है, क्या भारत सरकार द्वारा एजेंसियों के मार्फत से आपको उसका पुनर्भरण कर दिया गया है ? कृपया जानकारी कराने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवण कुमारजी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : मेरे इलाके के चिड़ावा और पिलानी का क्षेत्र भिवाड़ी से लगता हुआ क्षेत्र है और फर्टाइल एरिया है, उसमें आज तक कोई दुकान नहीं खोली गई है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम वहां दुकान खुलवाएं ताकि किसानों को सरकार की तरफ से बेनिफिट हो। (व्यवधान) क्रय केन्द्र, क्रय करने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री श्रवण कुमार : दुकान क्रय की होती है और बेचने की होती है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय की गणित काफी कमजोर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा आप भूल गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप मूल बात करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मात्र सात दिन में आपने अपने आंकड़ों के अनुसार करोड़ों रुपये की खरीद की बात कही है। नम्बर दो बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजफैड जो सबसे बड़ी एजेंसी है इसने केन्द्र कितने खोले है ? जौ की फसल को ही ले लें आप, चाहे चूरू हो, चाहे गंगानगर हो, जौ की फसल 32 जिलों में कम से कम 18–19 जिलों में है और इन्होंने केन्द्र खोले हैं 51. सरसों के केन्द्र खोले हैं 96 और गेहूं के केन्द्र खोले हैं 29. अब, उपाध्यक्ष महोदय, एक जिले

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के अन्दर एक केन्द्र भी नहीं आता। गेहूं की खरीद आप देखें, मंत्री महोदय कह रहे हैं जैसे 67700 क्विंटल की खरीद करके बहुत बड़ा तीर मार लिया आपने। मैं समझता हूं, अगर मुख्य मंत्रीजी का यह बयान नहीं छपता कि हम किसान से जौ खरीदने का साहसिक निर्णय ले रहे हैं समर्थन मूल्य पर तो किसान अपने जौ की होल्डिंग नहीं करता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं कि जिस जिले से मैं आता हूं, एक भी केन्द्र नहीं खोला किसान पड़ोस के जिले में ट्रेक्टर ट्रोली लेकर वहां जाता है, वहां जाकर एक दिन खड़ा रहता है, दो दिन खड़ा रहता है, और बिचौलियों को उसी 250–300 रुपये क्विंटल में बेचकर आ रहा है। इसलिए मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इस मामले में संवेदनशील होइये, आपका बयान समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जाएगा अगर आप नहीं खरीद सकते हो, अभी प्रतिपक्ष के नेता ने पूछा कि आपके पास पैसा नहीं है, नहीं है तो आप खड़े होकर यह तो कह दीजिये कि हम अब और समर्थन मूल्य पर जिन्स खरीदने में, गेहूं खरीदने में, जौ खरीदने में असमर्थ हैं ताकि किसान अपनी कोई न कोई व्यवस्था तो कर ले। अब मुगालते में मत रखिये, मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप तो मेरी बात का जवाब दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। याद ही नहीं रहेंगी उनको इतनी बात। जितनी आ गयी वह तो सुन लो। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप सुनो तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : पहले उनको सुन लो आप अब।

श्री मानिक चन्द सुराना(लूणकरणसर) : उनको सुनकर फिर प्रश्न पूछेंगे ? आप मुझे कहने दें। माननीय विधि मंत्रीजी दो मिनट बाद बोल लेंगे, दिक्कत क्या है ?

आपसे मात्र 15542 क्विंटल जौ खरीदा है, मात्र पन्द्रह हजार और 51 केन्द्र खोले हैं। गेहूं और सरसों अपने आप भी बिक सकता है, जौ सबसे कमजोर जिन्स है और उसको सपोर्ट करने के लिए जब राज्य सरकार ने यह कहा है कि हमने साहसिक निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से आपको दस–बीस–पच्चीस–पचास करोड़ की व्यवस्था करके जौ खरीदने की शुरूआत करनी थी। माननीय सहकारिता मंत्रीजी, 180 करोड़, 190 करोड़ रुपये कृषि उपज मंडी की आय है, आप इसको लिंक–अप करते कृषि उपज मंडी की आय से और लिंक–अप करके यह जिन्स खरीदने का काम करते। आपने न तो उससे लिंक–अप किया, न कोई पच्चीस–पचास करोड़ रुपये की व्यवस्था की और आपने राजफैड से निवेदन कर दिया, आदेश दे दिया। 15500 क्विंटल कोई भी चीज नहीं है, पांच सौ बोरी एक केन्द्र पर आपने खरीदी है, तीन सौ बोरी एक केन्द्र पर खरीदी है। आप इस

श्री मानिक चन्द सुराना)

खरीद का मजाक नहीं बनाएं। आपके पास साधन हैं, यदि भारत सरकार आपको दे रही है या आपके संसाधन बहुत मजबूत हैं तो आप इसको कम से कम कृषि उपज मंडी की आय से लिंक–अप करके खरीदने का काम करें। वाकई में दो–चार–पांच लाख क्विंटल बोरी आप खरीद सकें तो उसका बाजार में कोई असर आएगा, आपके यह पन्द्रह हजार बोरी खरीदने का कोई असर आने वाला नहीं है। आप 51 केन्द्रों की सूची जारी करें, आपने 29 जो गेहूं की खरीद के केन्द्र बनाये हैं उसकी सूची जारी करें और खाजूवाला उसमें है या नहीं, बीकानेर जिले का कोई केन्द्र आपने लिया या नहीं लिया, आप उसका भी स्पष्टीकरण करें।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह महुवा (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटे और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय आधा घंटे और बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया।

शासकीय वक्तव्य
गेहूं, जौ व सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद

और कोई माननीय सदस्य पूछना चाहता है ? माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष : महोदय, जवाब तो देने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब तो दिला रहा हूं, और कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ लो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह कोई समझे कि नहीं समझे, यह तो पता लगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : जिनके एक बीघा जमीन नहीं है वे इस तरह से पूछ रहे हैं जैसे कोई हजारों बीघा जमीन के काश्तकार या मालिक हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरे है। मेरे तो खेत हैं, खेत...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : सवा तीन सौ एकड़ लग रहे हैं। चाकसू में केन्द्र नहीं खोला इसलिए दर्द हो रहा है। आपको दर्द नहीं है इसलिए बैठे हो।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : रोज बोरी लाते हैं और रोज खाते हैं और पूछ इस तरह से रहे हैं जैसे एक–एक हजार बीघा के मालिक है और उनकी काश्त की जिन्स बेकार हो रही हो...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके तो आटा ही आ जाता है रोज, बोरी लाने में दिक्कत क्या है।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, सपोर्ट प्राइस किसान का एक्सप्लायटेशन नहीं कर सके ट्रेडर, बेसिकली इसके लिए है। एक बात तो, मंत्रीजी, सदन में आपके सामने माननीय सदस्यों ने निवेदन की है कि जेनुइन किसान से नहीं खरीद करके बिचौलियों से और मिडल मैन से खरीदा जा रहा है, इससे कोई परपज आपका सर्व होना ही नहीं। दूसरा, जो आप बार–बार अपने वित्तीय संसाधनों की बात कर रहे हैं, यह कामर्शियल एक्टिविटी नहीं है, आप किसान को समर्थन मूल्य इसलिए देते हैं कि उसका शोषण नहीं हो सके इसके लिए चाहे आपको लोन लेना पड़े, कहीं से लेना पड़े लेकिन उसका शोषण नहीं हो, इसकी व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी। मुख्य मंत्रीजी ने जो पत्र विपक्ष के नेता महोदय को लिखा है, वह वाकई में साहसिक निर्णय है, लेकिन उसकी क्रियान्विति आप कैसे करेंगे ? आप सदन के सामने यह असमर्थता अगर बता रहे हैं, आप मुझे क्षमा करेंगे, अगर इस प्रकार का डिस्कशन यहां पर हुआ और यह अगर मीडिया के थ्रू पब्लिक में गया कि सरकार तो कोई खरीदने वाली नहीं है तो फिर तो मार्केट में भाव गिरेंगे ही गिरेंगे। किसान को उसका मूल्य क्या मिलेगा ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और आपकी साख गिरेगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : और आपकी साख गिरेगी, गवर्नमैंट की। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्री महोदय, आप बोले उसके पहले माननीय सदस्य मालपुरा से आये हैं उन्होंने बड़ी एम्पोर्टेंट बात कही है कि इस सदन का क्या मैसेज जाएगा किसानों के लिए और खरीद करने वालों के लिए। आप यह मैसेज अगर इस सदन के माध्यम से देंगे कि हम जौ की जिन्स समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। सरसों समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे और जहां–जहां आवश्यकता होगी उसके सेंटर्स बनाएंगे और सेंटर्स बनाकर जो कुछ उत्पादन हुआ है वह समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने देंगे, इस प्रकार का आप एश्योरेंस दे सकें, तब तो बोलिये। आप यह कहें कि हमारे पास पैसा नहीं है, कम से कम यह नेगेटिव मैसेज इस सदन के माध्यम से नहीं दें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लेकिन झूठ भी नहीं कहें, असत्य नहीं कहें।

श्री राजेन्द्र व्यास : जो कहें उस पर कायम रहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको खेत गये कितने दिन हो गये, यह बताओ आप। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : टौंक से कोई नहीं आता, मालपुरा से आते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : टौंक से, झुंझुनूं से और मालपुरा से, तीनों माननीय सदस्यों ने और आजाद साहब, आप चारों ने जो प्रश्न पूछे हैं उनका मैं जवाब दे दूं, बाद में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय लीडर का मैं जवाब दूंगा। पहला यह निवेदन था कि हमको 23 तारीख को समर्थन मूल्य के लिए घोषणा भारत सरकार ने की।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 23.3... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : और हमने 29 तारीख को यह काम शुरू कर दिया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तारीख बताओ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 29.3, 29 मार्च। तो उसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगा। इसलिए उसके लिए तो ठीक ही हुआ है और आप भी मेरे ख्याल से मान लेंगी कि इतना समय तो लगता ही है। दूसरा, जहां तक सरसों का प्रश्न है, हम नैफेड के एजेन्ट हैं। हम कुछ नहीं हैं, हमको तो एक परसेंट उस पर कमीशन मिलता है। बाकी नैफेड पैसे भेजता है और उनके मार्फत ज्यों ही उनका पैसा आता है, त्यों ही हम खरीदते रहते हैं। तो नैफेड से बातचीत हुई उसके अनुसार ये केन्द्र खोले और इन केन्द्रों के अंदर सरसों आई। काफी तादात में हमने सरसों खरीदी है, कुलमिलाकर 46 करोड़ 37 लाख 27 हजार की खरीद कल तक की हुई है और आगे भी होती रहेगी।

(17.00 बजे)

इसका मतलब यह है कि सरसों में तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रहा सवाल गेहूं का तो जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, गेहूं तीन एजेंसियों के मार्फत खरीदा जा रहा है एक तो है फूड कार्पोरेशन आफ इण्डिया जिसके आप स्वयं भी कहीं मैम्बर रहे हैं और आपको सब मालूम है। अब कार्पोरेशन आफ इण्डिया खुद खरीदना नहीं चाहता, पैसा बड़ी मुश्किल से देते हैं। कहते हैं कि हमारे खुद के पास इतना पड़ा है कि हम क्या करें। यह देखिये, तब हमारी क्या पोजीशन हो जाती है, विपक्ष के नेता महोदय, जब खास एजेंसी ही खरीदने में कोताही कर रही है। दूसरी जो एजेंसी राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, इनके पास तो कुछ स्टोरेज हैं गेहूं डालने के लिए, लेकिन हमारे पास तो वो स्टोरेज भी बहुत कम है। हमने तो कुछ मंडियों के अंदर इसलिए खोला है ताकि भाव नीचे नहीं जाएं। हकीकत में भी आप देखेंगे तो मार्केट में गेहूं आज 600 से ऊपर ही है, 600 से कम गेहूं बहुत कम मण्डियों में मिल रहा है। इसलिए गेहूं के बारे में मेरा

(श्री खेतसिंह राठौड़)

जहां तक ख्याल है आप काफी सैटिस्फाइड हैं और इस मामले में कोई ऐसी बात नहीं है।

अब रहा तीसरा प्रश्न, वो जौ के लिए। जौ के लिए मैंने आपसे निवेदन किया कि हम अपने स्वयं के संसाधनों से ही खरीद रहे हैं। आपने भी यह फरमाया कि आपके संसाधनों से खरीद रहे हो तो फिर आपने क्या किया। तो हमारे संसाधनों से अभी तक जो हमारी गुंजाइश है उससे हम खरीद रहे हैं। आपने जैसे ही मुख्य मंत्रीजी के पास पत्र भेजा, मुख्य मंत्रीजी ने तुरन्त भारत सरकार के खाद्य मंत्री महोदय का लैटर भेजा जिसका एक स्टेज मैं पढ़कर सुनाता हूं जिससे आपको यह तसल्ली हो जाएगी कि हमारी तरफ से कार्यवाही लगतार चल रही है और उसमें भारत सरकार से ज्यों ही कुछ हमको मदद मिल जाएगी बाकी का जौ भी हम खरीद लेंगे।

मान्यवर, यह जो श्री भैरोंसिंहजी सांहब ने पत्र भेजा था उसके जवाब में मुख्य मंत्रीजी ने उनको जवाब दिया है–"मैंने इस संबंध में अपनी ओर से केन्द्रीय नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री शांताकुमारजी को दो पत्र दिनांक 7.4.2001 व 12.4.2001 को लिख दिये हैं। इसमें पांच सौ रुपये के समर्थन मूल्यों पर भारत सरकार ने जो अपनी पहल पर निर्णय लिया है उनको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार को 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की कृपा करें।" वह पैसा एक भी आया नहीं है, अब इसमें आप कहते हैं कि आप यह कहिये कि किसानों का मनोबल नहीं टूटे। अगर आज मैं यह घोषित कर दूं कि हम सारे मार्केट में जितने जौ हैं उसमें आधे से अधिक खरीद लेंगे तो कहां से खरीदेंगे ? पैसा तो आप वहां से दिलाओ। आप वहां से पैसा दिलाओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा क्यों था ? आपने घोषण की है कि हमने साहसिक निर्णय लिया है कि अपने संसाधनों से खरीदेंगे। यह आपको किसने कहा, क्यों कहा ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : कहा तो हमको शांताकुमारजी ने ही कि आप खरीदों। अब साहसिक शब्द से आपको नाराजगी है तो हटा देंगे, ऐसा क्या है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : साहसिक नहीं, अपने संसाधनों से खरीदेंगे यह संसाधनों की बात आपने कही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : राजफैड संसाधनों से ही खरीद रहा है, अभी तक पैसा हमने दूसरों से नहीं लिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब यह हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, जब तक केन्द्र सरकार से पैसा नहीं मिलेगा तब तक आप जौ नहीं खरीदेंगे, सरसों नहीं खरीदेंगे। गेंहू तो एफ.सी.आई. खरीद रहा है, नैफेड खरीद रहा है, बाकी ये दो चीजें आप यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहते हैं कि जब तक पैसा नहीं मिले उस समय तक हम नहीं खरीद सकते।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, यह बात तो मैंने की ही नहीं, आप क्यों घुमा–घुमा कर यह बात करते हैं ? देखिये, गेहूं और सरसों के बारे में आप भी सैटिस्फाइड हैं, मेरा जहां तक ख्याल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नो, नो। 950–1000 में बिक रही है, आपको क्या मालूम।

श्री धर्मपाल चौधरी : अलवर जिले में सबसे ज्यादा सरसों होती है और वहां पर एक हजार से ज्यादा नहीं बिक रही। अभी 1200 रुपये सरसों का भाव है।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी, आप तो यह बता दें कि ये जौ आपने किस तारीख से खरीदने शुरू किये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : बता दिया न।

श्री अमराराम (धोद) : गेहूं की जो आपने तारीख बतायी है 29 मार्च, इसी से अगर शुरू कर दिया था तो आप यह जो वक्तव्य दे रहे हैं बिलकुल असत्य है क्योंकि सीकर की मंडी में 17 तारीख से जौ की खरीद शुरू की है। ऐसा ही अगर पूरे राजस्थान में शुरू हुआ है तब तो खरीद लिये फिर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप किस्मत वाले हो, आपके हो तो गयी, हमारे चूरू में तो एक केन्द्र भी नहीं खुला।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 11 की 29 तारीख कर दी। आपने पहले हमें बताया कि 11.4 को आदेश निकला हमने सपोर्ट प्राइज पर जौ खरीदने का आपने खुद ने कहा और फिर आप उस तारीख को 29 ले गये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसमें आप कंफ्यूज्ड हो गयी हैं। मैंने तीन स्टेटमैंट दिये हैं जौ के बारे में दिया है, गेहूं के बारे में दिया है, सरसों के बारे में दिया है। जौ–सरसों के बारे में दिया वो आप समझ गयीं जौ के बारे में। जौ के बारे में मेरा यह निवेदन है कि जौ खरीदने की अनुपालना में राजफैड द्वारा 12.4.2001 को जौ खरीदे गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात नहीं है, इन्होंने स्वयं ने कहा कि किसान से जौ खरीदेंगे। यह कोई अच्छी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

डा. किरोड़ी लाल : सरकार की मंशा नहीं है...(व्यवधान)...गम्भीर नहीं है सरकार ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिस किसान ने मेहनत करके जौ पैदा किये आज, उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)...

डा. किरोड़ी लाल :...(व्यवधान)...जौ पैदा किये उसका समर्थन मूल्य नहीं देना चाहते। किसान विरोधी सरकार है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार के मन में किसानों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर में खरीद के लिए केन्द्र खोला, पर बारदाना नहीं हैं। कलेक्टर महोदय से बात की है, बारदाना नहीं होने से...(व्यवधान)...

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जौ की समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं करने से जौ उत्पादक किसानों को जो नुकसान हो रहा है और सरकार जौ की समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं कर रही है उसके खिलाफ हम थर्ड फोर्स के लोग सदन से बहिष्कार करते हैं।

(श्री जगमाल सिंह यादव, मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य द्वारा बहिर्गमन)

(सदन में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जिस तरह का रवैया अपनाया और जौ के समर्थन मूल्य की घोषणा करके असत्य वाहवाही लूटने की घोषणा की है यह सरकार किसानों को मारना चाहती है। मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया हम उससे असंतुष्ट हैं और हम वाकआउट करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

(सदन में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मधु दाधीच।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम जौ बराबर खरीद रहे हैं लेकिन इनको वाकआउट करना हैं। अगर इनकी सरकार होती तो इस हालत में एक बोरी जौ नहीं खरीद पाती जो हम कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मधु दाधीच। श्री नाथूलालजी।

श्री मांगीलाल डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो वाकआउट कर रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हो गयी, माननीय सदस्य।

श्री मांगीलाल डागा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी समाप्त। अब बजट पर बोल रहे हैं। आप बिराजिये।

श्री मांगीलाल डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो यहां से वाकआउट करके जा रहे हैं उन प्रश्नों का भारत सरकार से संबंधित मामला है और उन प्रश्नों का उत्तर सदन में आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप बोल रही है क्या ? बोले।

श्री मांगीलाल डागा : जो भारत सरकार का दायित्व है वह पूरा नहीं हो रहा है और वाकआउट करके जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, बात खतम हो गयी। चर्चा समाप्त हो गयी।

श्री मांगीलाल डागा : किसानों का बहुत महत्वपूर्ण है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। आपको बुला दिया पहले, अब क्या बोल रहे हैं ? आप विराजिये। अब चर्चा ही समाप्त हो गयी, बात खतम हो गयी।

श्री मांगीलाल डागा : सिर्फ एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : आधा मिनट भी नहीं, अब तो विराजिये आप।

श्री मांगीलाल डागा : यह भारत सरकार से संबंधित मामलों में जो वाकआउट करके जा रहे हैं वह समर्थन मूल्य भारत सरकार का दायित्व है। मैं इसके बारे में सिर्फ तीन प्रश्न पूछना चाहता था...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, संयुक्त जिम्मेदारी ही नहीं समझते ये मंत्रिमण्डल के लोग।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, चर्चा समाप्त हो गयी, अब तो वापस बजट पर बहस शुरू हो गयी।

श्री सुरेन्द्र व्यास :...(व्यवधान)...मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के साथ नहीं हैं ये लोग।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : . . .(व्यवधान)...खड़े होकर कहते हैं कि जरूरत ही नहीं है। खेतसिंहजी कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि हम अपने संसाधनों से खरीदेंगे। आप कलैक्टिव रेस्पांसिबिलिटी समझते हो तो लीडर की बात तो समझो। चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बात करते हैं आप कहां की गवर्नमैंट है यह ? आप सैन्ट्रल गवर्नमैंट का नाम लेकर किसानों के विरोध में काम कर रहे है।

श्रीमती सुमित्रा सिह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री साहसिक कदम बताते हैं और ये कहते हैं कि मैं साहसिक को वापस लेता हूं।

श्रीमती मधु दाधीच (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया है उसके समर्थन में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहती हूं। अभी जो विचार सामने आये कि सरकार द्वारा योजना का आकर बड़ा किया जाए...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र व्यास : और ये कहते हैं कि जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, विराजेंगे नहीं, साहब।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ये कहते हैं कि मैं साहसिक शब्द को वापस लेता हूं। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। सारी चीज भारत सरकार के माथे पर आप छोड़ना चाहते हैं। आपके इस रवैये से किसानों में क्या संदेश जाएगा, आपने इस पर विचार नहीं किया इसलिए हम इस सदन का बहिष्कार कर रहे हैं।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह एवं श्री सुरेन्द्र व्यास द्वारा बहिर्गमन)

आय-व्ययक पर वाद विवाद

श्रीमती मधु दाधीच : योजना का आकार बड़ा करने की जो विपक्षी सदस्य ने मांग रखी थी उसमें मेरा विचार है कि ....(व्यवधान)...योजना का आकार बड़ा करने के लिए राजस्थान सरकार कटिबद्ध है। जो बजट प्रस्ताव सबके सामने प्रस्तुत है उसके लिए निश्चित रूप से राजस्थान सरकार बधाई की पात्र है। वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को मैं बधाई देना चाहूंगी कि वर्तमान में विकसोन्मुख बजट की यहां पर अवधारणा प्रस्तुत की गई है। कुछ सदस्यों ने इस प्रकार की आपत्ति दर्ज की कि योजना का आकार बड़ा करना चाहिये, लेकिन केन्द्र सरकार ने और 11वें वित्त आयोग ने जिस प्रकार की हमारे सामने प्रस्तुतियां रखी हैं उसमें किस प्रकार से योजना का आकार बड़ा करने की बात कही गई, इसके लिये हम खेद प्रकट करते हैं। 11वें वित्त आयोग के अंदर जो हमारी अवधारणा थी उसमें निश्चित तौर से हमारा हिस्सा बढ़ना चाहिये था, लेकिन फिर भी हमको 29 परसेंट हिस्से की कल्पना प्राप्त हुई है। उसमें राजस्थान में वर्तमान स्थितियों के आधार पर एक विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत किया। साथ ही हमको अल्प बचत पर 80 परसेंट जो हिस्सा मिलता है ब्याज दर में, उसमें कमी किये जाने से भी हमारा हिस्सा कम हुआ है। विपक्षी सदस्य इस प्रकार की अवधारणा प्रस्तुत कर रहे थे, निश्चित तौर से उसमें हम खेद प्रकट कर सकते हैं।

राजस्थान सरकार के वित्त मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया वह एक विकासोन्मुख बजट है। उसमें एक नई पद्धति, एक नई प्रेरणा प्रस्तुत की गई है। उसकी निश्चित रूप से प्रशंसा की जानी चाहिये। साथ ही जो बजट है उसमें स्वर्गीय राजीव गांधीजी की जो मूल प्रेरणा थी, वह जनता को जो आह्वान करते थे, 21वीं शताब्दी की ओर जनता को आमुख करते थे उसी को मूर्त रूप दिया गया है। उनको हमेशा जनता की चिंता रहती थी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में देश को प्रवेश करना है। राजस्थान उसमें पिछड़ नहीं जाए उसी रूप के अंदर यहां बजट में अवधारणा की गई है।

शिक्षा के लिए हमारे बजट में जो प्रस्तुतियां दी गई हैं कि कम्प्यूटराइजेशन किया जाए और साथ ही साथ इंजीनियरिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोले जाए, मैं कहना चाहूंगी कि बचपन में

(श्रीमती मधु दाधीच)

हम सभी ने दोहा पढ़ा होगा

"लीक–लीक गाड़ी चले कपूत।
तीन चीज उल्टी चले शायर, सिंह, सपूत।।"

वर्तमान राजस्थान सरकार निश्चित रूप से सपूत के रूप में प्रस्तुत हुई है, वास्तविक शेर के रूप में प्रस्तुत हुई है। हमने लीक से हटकर बजट देने की कोशिश की है। शिक्षा को हम केवल साक्षरता के रूप में प्रस्तुत नहीं करें, शिक्षा का नया रूप हो। उसी रूप में यहां बजट में प्रस्तुतियां दी गई हैं। शिक्षा का हमने कम्प्यूटराइजेशन किया, शिक्षा की हमने अवधारणा प्रंस्तुत की कि हम लोग शिक्षा का केवल साक्षरता के रूप में नहीं लेंगे। शिक्षा का जो वास्तविक रूप होगा वह यह रूप होगा कि हम प्रावधायी शिक्षा के बारे में सोंचे, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में भी सोंचे। हमारे राजस्थान में शिक्षा इस प्रकार की देन के रूप में प्रस्तुत हो जिसमें अच्छे इंजीनियर्स बनें, अच्छे डाक्टर्स आए। प्रावधायी शिक्षा के साथ–साथ इन्फोर्मेशन टैक्नोलोजी के रूप में जो विचार प्रस्तुत किया गया, निश्चित रूप से उसकी सराहना की जानी चाहिये।

बजट में इस प्रकार की बातें यहां आई थीं, विपक्षी सदस्य कह रहे थे कि इसमें कोई सोच प्रस्तुत नहीं की गई। वास्तव में वर्तमान बजट में विकास की कई धारणाएं प्रस्तुत की गई हैं। हमने सड़क के लिये 67 प्रतिशत, ऊर्जा के लिय 41 प्रतिशत और सिंचाई के लिए 26 प्रतिशत ज्यादा बजट में हिस्सा देकर यह बताया है कि हमारा बजट निश्चित रूप से विकास के नये आयाम प्रस्तुत करने जा रहा है। राजस्थान में ऊर्जा के लिये नये कीर्तिमान केवल दो वर्षों में उपलब्ध कराये हैं। उससे साबित हो जाता है कि दो वर्ष में ही हमने ऊर्जा के उत्पादन में हमारा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। जब वर्तमान सरकार ने कार्य संभाला था तब हमारे यहां पर ऊर्जा का उत्पादन 3356 मेगावाट था और वह भी केवल पिछली सरकार की नहीं 50 वर्षों की देन थी। लेकिन दो वर्ष में ही हमने 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन जनता के सामने प्रस्तुत करके बता दिया कि ऊर्जा के लिये वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध है। तीन सालों से अकाल पड़ रहा है उससे पानी की जो कमी होती जा रही है उसके बावजूद ऊर्जा उत्पादन के नये आयाम प्रस्तुत करने की हमने कोशिश की, नये क्षेत्र प्राप्त किये। मैं विशेषतः बधाई दूंगी कि चित्तौड़ जिले में देवगढ़ में हवा से बिजली उत्पादन करके राजस्थान सरकार ने जनता को समर्पित की है। ऊर्जा के नये स्रोत पता लगाना, अकाल की विभीषिका जूझना, ऊर्जा केवल बनाना ही नहीं बल्कि उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन करना सबसे बड़ी देन है। सरकार ने केवल ऊर्जा उत्पादन का नहीं सोचा बल्कि साथ ही साथ उसका सही वितरण हो, उसके लिये काफी ग्रिड स्टेशन

(श्रीमती मधु दाधीच)

बना दिये। बिजली के ग्रिड स्टेशन दो वर्ष में इतनी तेजी से बढ़े हैं कि दो वर्ष में 226 ग्रिड स्टेशन स्थापित किये गये। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये सरकार दृढ़ संकल्पित नजर आती है। राजस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह में जो प्रवासी राजस्थानियों को यहां पर आमंत्रित किया गया था उसमें इस प्रकार की स्थिति प्रस्तुत की गई थी जिससे उन लोगों में मातृभूमि के प्रति स्नेह, प्रेम और आकर्षण जाग्रत हुआ। उसकी सबसे बड़ी देन के रूप में राजस्थान की राजधानी को सुन्दर बनाकर, हैरिटेज सिटी बनाकर इस प्रकार का अवसर उपलब्ध कराया गया कि उन लोगों को लगे कि मातृभूमि में लगाव तो है ही। इण्डस्ट्रियलिस्ट आते हैं उनको एक वातावरण उपलब्ध करा दिया गया कि किस प्रकार से यहां पर आकर वे अपने उद्योग स्थापित कर सकते हैं। उनको सुविधाएं प्रदान की गई। टैक्सेशन की जो पद्धति है उसमें हम देखते हैं कि ई. गवर्नेंस और ई–कामर्स के युग में करों के सरलीकरण की व्यवस्था की गई है। उसके माध्यम से सरकर वचनबद्ध है और हमं नये रोजगार के अवसर सुलभ कराने के लिये उद्योगों को सुविधा देने के प्रयास कर रहे हैं।

इसी प्रकार हम देखते हैं कि महिलाओं के लिये यह बजट विशेष सुविधाजनक साबित होता है। मिर्च, मसाला आदि घरेलू वस्तुओं के ऊपर करों में छूट दी गई है और महिलाओं को स्व–रोजगार उपलब्ध कराने के लिये एक लाख तक स्टाम्प ड्यूटी पर छूट दी गई है। निश्चित रूप से यह बजट महिलाओं के लिये विशेष सुविधाजनक साबित होगा। महिलाओं को विशेष सहयोग दिया गया है। इसी प्रकार से विधवा और परित्यक्ता महिलाएं हैं उनकी पुत्रियों के विवाह के लिये भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। अभी विपक्षी सदस्य बात कर रहे थे कि अनुसूचित जनजाति के लिये यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन इसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के अंतर्गत भी जो छात्रावास हैं, बालिका छात्रावास हैं और उनकी बच्चियों की शिक्षा के लिये विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 3 करोड़ 50 लाख रुपये का इसमें विशेष प्रावधान है।

साथ ही माडा योजना के अन्तर्गत अभी तक विद्युतीकरण की बात किसी भी सरकार ने नहीं की थी। वर्तमान सरकार ने माडा योजना के अंतर्गत जो मजरे होते हैं, बस्तियां होती हैं उनके विद्युतीकरण के विशेष प्रावधान कर जो व्यवस्था की है इससे निश्चित एहसास होता है कि सरकार ने अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में भी सहयोग देने की बात की है।

लघु उद्योगों के लिये विशेष व्यवस्थाएं यहां पर की गई है। जो रंगाई, छपाई उद्योग हैं और जो छोटे–छोटे उद्योग हैं

(श्रीमती मधु दाधीच)

उसमें छूट देकर लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया है। प्राथमिक स्कूल और राजीव गांधी पाठशालाओं के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा को केवल छोटी–छोटी ढाणियों और मजरों में ही प्रोत्साहन नहीं देकर वर्तमान बजट में कच्ची बस्तियों के लिए जो प्रावधान किये गये हैं निश्चित उनकी सराहना की जानी चाहिये। करों के अंदर हम कह सकते हैं कि नई औद्योगिक इकाइयों के लिये एक प्रोत्साहन की बात हैं, लघु उद्योगों के लिये प्रोत्साहन की बात है। विशेषतः मैं यह कह सकती हूं कि शिक्षा को समर्पित, सिंचाई को समर्पित और विकास के आयाम को समर्पित यह बजट है।

राजस्थान सरकार को बहुत–बहुत बधाई देते हुए मैं यह कहना चाहूंगी कि तीन वर्षों से अकाल से जूझते हुए भी राजस्थान सरकार ने विकासकारी बजट प्रस्तुत किया। अकाल में वित्तीय स्थिति कमजोर होने के उपरान्त भी यह बजट प्रस्तुत करके विकास की एक धारा बहाने का प्रयास किया गया है। यहां पर जो मंत्रीजी मौजूद हैं उनमें मैं आशा करूंगी कि अकाल के अंदर निश्चित रूप से हमको यह देखरेख करने की आवश्यकता होगी कि सरकार बहुत विकास करना चाहती है अकाल के माध्यम से उस देखरेख के माध्यम से सही डिस्ट्रीब्यूशन हो, सही कार्य हो, इसकी आवश्यकता है। पानी के ऊपर सरकार ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है कि किसी भी प्रकार से किसी भी इलाके के अंदर पानी की कमी नहीं रहने पाए। हमारे निम्बाहेड़ा क्षेत्र के अंदर पानी की बहुत ज्यादा कमी थी, मैं बहुत–बहुत धन्यवाद दूंगी, यहां पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय बैठे हुए हैं कि पहली बार निम्बाहेड़ा के अंदर चार करोड़ की शहरी पुनर्गठित जल योजना आपने स्वीकार करके दी। वह स्कीम जब तक लागू होती है तब तक आपने ट्रेन के द्वारा पानी भेजकर एक नई उपलब्धि प्रदान की है, उसके लिए हम आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर से मैं आपसे यह मांग करती हूं कि अकाल के माध्यम से जो विकास के कार्य करवाये जा रहे हैं उनके ऊपर देखरेख की आवश्यकता है ताकि वे सार्थक रूप से परिणित हों। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल अहारी।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण 29 मार्च, 2001 को प्रस्तुत किया गया उसके समर्थन में बोलते हुए मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। वर्तमान में यह सही है कि राजस्थान की जनता सूखे का मुकाबला कर रही है और लगातार तीन वर्षों से अकाल पड़ता आ रहा है। इसके बावजूद भी मैं वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि आपने अपनी सूझबूझ से एक अच्छा बजट

(श्री शंकरलाल अहारी)

प्रस्तुत किया जिससे आने वाले समय का दृढ़ता से मुकाबला किया जा सकेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि वास्तव में ऊर्जा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में और सड़कों के क्षेत्र में इस बजट में काफी प्रावधान है।

आज राजस्थान प्रदेश में 32 जिलों में से 31 जिले अकाल की चपेट में हैं। इतना भारी अकाल होने के बावजूद भी हमारी सरकार द्वारा समय के अनुसार अकाल राहत प्रारम्भ किये गये, पशुओं के लिए घास की व्यवस्था की गयी और मजदूरों को मजदूरी सही ढंग से मिले, इसकी समुचित व्यवस्था की गयी। वास्तव में माननीय वित्त मंत्रीजी को हम धन्यवाद देते हैं, अकाल सहायता मंत्रीजी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने जनवरी से ही अकाल के काम प्रारम्भ कर दिए। अकाल की समुचित व्यवस्था माननीय मंत्रीजी ने की है, ग्रामीण क्षेत्रों में जिस ढंग से मजदूरी मिल रही है हमें संतुष्टि है। परन्तु इसके साथ ही साथ हमारी मांग है कि उदयपुर डिवीज़न में मजदूरों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

साथ में जो पेयजल व्यवस्था है, मैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा, वास्तव में वे बहादूर है, तीन साल सूखा होने के बावजूद भी जो पानी की व्यवस्था की है वह सराहनीय है। अभी विपक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हमारे पास न तो पाइप है, न यह है, न यह है, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि पाइप की व्यवस्था भरपूर है, हैण्ड पम्पों की मरम्मत हो रही है, ट्यूबवैल खोदे जा रहे हैं और जहां-जहां अभाव महसूस होता है वहां निश्चित ही माननीय मंत्रीजी और आपका विभाग सजग है। आने वाले समय में ये दो महीने और भी कठिन हैं, और भी पानी की कठिनाई आ सकती है लेकिन उसके लिए भी आपने समुचित व्यवस्था कर रखी है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सदन में पेश सालाना बजट लोकप्रिय गहलोत सरकार की विकास एवं लोक कल्याणकारी नीतियों को परिलक्षित करने वाला है और राजस्थान के गरीब किसान, मजदूर एवं दलित वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह बजट राजस्थान के आधारभूत विकास को सुदृढ़ करने के लिए ऊर्जा, सड़क एवं सिंचाई साधनों के विकास पर विशेष जोर देने वाला है। हमारे लोकप्रिय नेता मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत इस राजस्थान को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में अग्रणी बनाने की अपनी दूरदृष्टि को परिलक्षित करने वाले हैं। गत दो वर्षों में गहलोत सरकार ने प्रशासन को जवाबदेही, पारदर्शी एवं विकासोन्मुखी बनाने के लिए कारगर कदम उठाए हैं जिनकी राज्य की जनता

(श्री शंकरलाल अहारी)

मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रही है। श्री गहलोत कर्मठ प्रशासक एवं भविष्यदृष्टा हैं जिनके नेतृत्व में राज्य की सरकार आम जनता के दुःख दर्दों को दूर करने, उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रही है। बजट में सरकार ने कांग्रेस की रीति–नीति के अनुसार सामाजिक सेवाओं पर विशेष ध्यान देने का अपना संकल्प दोहराया है। सरकार ने आम जनता को सूचना का अधिकार देकर अपना वचन पूरा किया है और पारदर्शिता की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले समय में राजीव गांधी पाठशालाएं काफी मात्रा में खोली गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तव में हम जहां भी जाते हैं राजीव पाठशालाएं नजर आती हैं। क्या यह हमारी सरकार की एक यह बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है ? मैं इस सदन में आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस नये विधान सभा का नाम स्वर्गीय राजीव गांधी भवन रखा जाए जो उनके देश के लिए किये गये बलिदान का राजस्थान की जनता द्वारा आभार प्रकट करना होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के काफी माननीय सदस्यों ने एक बात उठाई थी मैं उस ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आदिवासी अकाल और भूख से मर गये। आदिवासी कभी भी भूख से नहीं मरता है, आदिवासी अपने आप में हौसला बनाए रखता है। आदिवासी निडर होता है, डरपोक नहीं होता। आदिवासी मेहनती होते हैं और वह मेहनत से नीची से नीची दर पर भी मजदूरी करके जो भी मजदूरी उसे मिले वह लेकर खा लेता है, उसका पेट भर लेता है। मैं इस बात को असत्य साबित करना चाहूंगा। मैं भी आदिवासी हूं और उस क्षेत्र का निवासी हूं, उदयपुर डिवीजन में रहता हूं परन्तु हमने कहीं ऐसा नहीं सुना कि आदिवासी भूख से मर गया। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाते हुए यही निवेदन करना चाहूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा मुझे पता है, कि यह बजट वास्तव में हमारे हितों का बजट हैं। आने वाले समय में चहुंमुखी विकास की ओर ले जाने वाला बजट है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 23 अप्रेल, 2001 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.29 बजे सोमवार, 23 अप्रेल, 2001 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-243 की सूची)

परिशिष्ट ''क''

गत पांच वर्ष या उससे अधिक समय से लम्बित विभागीय जांच प्रकरणों की सूची आर.ए.एस. अधिकारी

क्र.सं.	नाम अधिकारी	जांच कार्यवाही प्रारम्भ करने की तिथि	नियम जिसमें कार्यवाही की जानी है
1	2	3	4
1.	श्री विरदी चन्द	21.11.90	नियम–16
2.	श्री विरदी चन्द	27.4.91	नियम–16
3.	श्री विरदी चन्द	4.7.91	नियम–16
4.	श्री विरदी चन्द	28.8.91	नियम–16
5.	श्री बाबूलाल	31.8.11	नियम–16
6.	श्री जी.सी. सिन्दल	28.9.91	नियम–16
7.	श्री विरदी चन्द	24.12.91	नियम–16
8.	श्री राधेश्याम शर्मा	11.2.92	नियम–16
9.	श्री एम.आर. चौधरी	6.5.92	नियम–16
10.	श्री प्यारे लाल चौधरी	25.3.93	नियम–16
11.	श्री हरिनारायण गुप्ता	25.3.93	नियम–16
12.	श्री बी.एल.वर्मा	5.10.93	नियम–16
13.	श्री एच.के.बक्शी	29.11.93	नियम–16

1	2	3	4
14.	श्री ओंकार लाल जाट	7.1.94	नियम–16
15.	श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी	28.9.94	नियम–16
16.	श्री सूरजभान जैमन	27.10.94	नियम–16
17.	श्री भंवर सिंह राव	23.12.94	नियम–16
18.	श्री ओ.पी. गोदारा	28.1.95	नियम–16
19.	श्री मूलाराम चौधरी	25.2.95	नियम–16
20.	श्री भंवर सिंह राव	10.3.95	नियम–16
21.	श्री आर.एन.माथुर	29.8.95	नियम–16
22.	श्री रामनाथ सिंह	29.8.95	नियम–16
23.	श्री ओ.पी. गोदारा	12.12.95	नियम–16
24.	श्री श्रीराम वर्मा	29.1.96	नियम–16
25.	श्री एस.एन. व्याडवाल	17.7.95	नियम–16
26.	श्री बाबू लाल	2.4.96	नियम–16
27.	श्री गुमान सिंह बारहठ	2.4.96	नियम–16

परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

जिला बाड़मेर में खोदे गये केन्द्र/राज्य सरकार के नलकूपों की सफलता

248. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या भू–जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में केन्द्र सरकार द्वारा जिन–जिन स्थानों पर नलकूप (ट्यूब–वैल्स) खोदे थे, उन्हीं स्थानों पर राज्य भू–जल विभाग ने भी खोदे हैं ? यदि हां, तो उक्त नलकूपों की उम्र व सफलता एवं असफलता कैसी रहेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नलकूपों की उम्र एवं सफलता राजस्थान भू–जल विभाग द्वारा बनाये गये नलकूपों से बेहतर है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या केन्द्र सरकार के भू–जल विभाग ने भाडखा में नलकूप बनाये हैं और बनाये जा रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार केन्द्र सरकार के नलकूपों के अनुरूप नलकूप बनाकर राज्य को करोड़ों रुपयों के नुकसान से बचाने का विचार रखती है ?

(5) क्या राज्य सरकार इस बारे में उच्च स्तर पर जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला बाड़मेर में 21 ऐसे ग्राम हैं जहां पर केन्द्र सरकार के केन्द्रीय भू–जल बोर्ड एवं राज्य भू–जल विभाग दोनों ने ही नलकूप खोदे हैं। इन 21 स्थानों पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्मित 33 नलकूपों में 57.6 प्रतिशत नल–कूप सफल एवं शेष 42.4 प्रतिशत नलकूप असफल रहे। इन्हीं स्थानों पर राज्य भू–जल विभाग के द्वारा निर्मित 178 नलकूपों में 88.8 प्रतिशत नलकूप सफल एवं 11.2 प्रतिशत नलकूप असफल रहे।

बाड़मेर जिले के ग्राम भाडखा में निर्मित विभिन्न नलकूपों के सम्बन्ध में माह नवम्बर, 1999 में भू–जल विभाग द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा निर्मित नलकूप 10 वर्ष से अधिक नहीं चल पाये जबकि राज्य भू–जल विभाग निर्मित कुछ नलकूप 15 वर्ष से अधिक भी चले हैं।

(2) जी नहीं। राज्य भू–जल विभाग के

(भू–जल मंत्री)

द्वारा बनाये गये नलकूपों की उम्र एवं सफलता केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नलकूपों से अधिक रही है।

(3) गत वर्ष तक केन्द्र सरकार ने भाडखा क्षेत्र में 3 परीक्षण नलकूप एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए 10 नलकूपों इस प्रकार कुल 13 नलकूपों का निर्माण किया है। इनकी सूची परिशिष्ट–1 में दर्शायी गई है।

(4) इस बिन्दु का उत्तर भाग–1 एवं 2 में दिया जा चुका है।

(5) जी नहीं। इस हेतु जांच की आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट-1

केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा भाडखा गांव में (दिनांक 31.03.2001) तक बनाये गये नलकूपों सूची

क्र.सं.	वर्ष, जिसमें बनाये गये	बनाये गये नलकूपों की संख्या	टिप्पणी
1.	1963–64	3	परीक्षण नलकूप
2.	1988–89	3	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए निर्मित
3.	1989–90	2	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए निर्मित
4.	1994–95	2	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए निर्मित
5.	2000–2001	3	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए निर्मित
	योग	13	

राजकीय सामान्य चिकित्सालय बूंदी में स्वीकृति अनुसार चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति

249. **श्री घासीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सामान्य चिकित्सालय बूंदी में दन्त चिकित्सक का स्वीकृत पद चिकित्सा अधिकारी का है ? क्या उक्त पद पर पद स्थापित अधिकारी का वेतनमान स्वीकृत पद के अनुरूप है ? यदि हां, तो क्या पदस्थापित अधिकारी का वेतनमान वरिष्ठ वेतन श्रृंखला का है जो स्वीकृत वर्तमान वेतनमान से अधिक है ?

(2) क्या उक्त चिकित्सालय में स्वीकृत पद के अनुरूप अधिकारी लगा हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अब पद के अनुरूप अधिकारी लगाने की व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, उक्त पद पर पदस्थापित अधिकारी का वेतन स्वीकृत पद के अनुरूप ही है। उक्त अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा 1.10.86 से चयनित वेतनमान दी गई है।

(2) जी हां, सामान्य चिकित्सालय, बूंदी में स्वीकृत पद के अनुरूप चिकित्सा अधिकारी (दन्त) पदस्थापित है।

जिला अलवर के पर्यटन विकास हेतु प्रस्तावित योजनाएं

250. **श्री जगत सिंह दायमा** (बानसूर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला अलवर में कुल कितने पर्यटन स्थल किस–किस जगह स्थापित हैं ?

(2) क्या उक्त जिले में पर्यटन विकास की दृष्टि से सरकार द्वारा कोई योजनाएं बनाई गई हैं ? यदि हां, तो कौन–कौनसी और नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त जिले में पर्यटन विकास की दृष्टि से गत दस वर्षों में किस–किस स्थल पर कुल कितनी राशि व्यय की गई तथा शेष जिलों में गत दस वर्षों में कुल कितनी राशि व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में स्थित पर्यटन स्थलों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राज्य में जिलेवार

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

पर्यटन विकास की कोई विशिष्ट योजनाएं नहीं बनायी जाती है। अपितु विभिन्न जिलों में स्थित पर्यटन महत्व के स्थानों को उनकी समग्र महत्ता एवं विभाग के वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये विकास कार्य कराये जाते हैं। इसी क्रम में 2000–2001 में अलवर जिले में मूंसी रानी की छतरी तथा फतह गुम्बज के विकास कार्य केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये जिनकी कुल राशि क्रमशः रु. 20 व 12 लाख है।

(3) अलवर जिले में पर्यटन विकास की दृष्टि से गत दस वर्षों में स्थावार व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है तथा शेष जिलों में 10 वर्षों में राज्य योजनान्तर्गत राशि रु. 2571.55 लाख तथा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत राशि रु. 1521.17 लाख कुल राशि रु. 4092.72 लाख रुपये व्यय की गई।

इसके अतिरिक्त गत दस वर्षों में अलवर जिले में स्थित राज्य सरकार के स्मारकों के संरक्षण कार्यों तथा राजकीय संग्रहालय, अलवर के रख–रखाव पर रु. 51,19,363.00 व्यय हुए हैं। शेष जिलों में राशि रु. 6,14,43,574.00 व्यय हुए हैं।

परिशिष्ट "अ"

अलवर जिले में स्थित पर्यटन स्थलों की सूची

क्र.सं.	पर्यटन स्थल	क्र.सं.	पर्यटन स्थल
1.	सरिस्का बंध अभ्यारण्य एवं पाण्डुपोल	12.	राजकीय संग्रहालय
2.	कांकवाड़ी का किला	13.	कम्पनी बाग
3.	नीलकण्ठ	14.	विनय विलास पैलेस (आर.आर. कालेज)
4.	अजबगढ़—भानगढ़	15.	फतेज जंग गुम्बद
5.	भृतहरी	17.	मोती डूंगरी
6.	तालवृक्ष	18.	विजय मंदिर
7.	सीलिसेढ़	19.	तिजारा किला
8.	जयसमन्द झील	20.	जैन मंदिर
9.	बालाकिला	21.	भृतहरी की गुम्बद एवं सूरजमुखी
10.	सिटी पैलेस	22.	नीमराना की बावड़ी
11.	मूसी रानी की छतरी व सागर	23.	नीमराना का किला

परिशिष्ट "ब"

राज्य योजनान्तर्गत अलवर जिले में पर्यटक स्थलों पर वर्ष 1991-92 से वर्ष 2000-2001 तक व्यय की गई राशि का विवरण

क्र.सं. विकास कार्य	वर्ष	व्यय राशि (लाख रु. में)
1. ताल वृक्ष, अलवर विकास	1991–92	0.22
2. पर्यटन सूचना केन्द्र, अलवर निर्माण	1993–94	5.00
3. पर्यटन स्वागत केन्द्र, अलवर निर्माण	1995–96	10.00
4. पर्यटन स्वागत केन्द्र, अलवर निर्माण	1996–97	10.00
	योग	25.22

गत 10 वर्षों में केन्द्रीय प्रवर्तित योज़नान्तर्गत अलवर जिले में किये गये विकास कार्यों का विवरण

क्र.सं. योजना का नाम	वर्ष	प्रस्ताव की कुल लागत	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	कुल व्यय
1.पर्यटन विश्राम गृह, अलवर	1990–91	18.22	14.61	3.61	18.22
2.फास्ट फूड सेन्टर, अलवर	1991–92	9.00	6.10	––	6.10
3.पर्यटन विश्राम गृह, सरिस्का	1993–94	15.32	12.54	2.76	13.17
4.होटल बहरोड का क्रमोन्नयन	1998–99	31.95	13.55	18.40	––
5.एल पी एच सीलिसेढ़ का क्रमोन्नयन	1998–99	38–68	17.65	19.02	––
6.पर्यटक विश्राम गृह, सरिस्का का क्रमोन्नयन	1998–99	27.93	18.00	18.93	––
7.मुसी रानी की छतरी, सागर	2000–01	20.00	13.33	6.67	––
8.फतेह गुम्बज का पुनरूद्धार	2001–01	12.00	8.00	4.00	––

कोषाधिकारी कोटा द्वारा पारित बिल में हुई अनियमितता की जांच

251. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोषागार कोटा द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1999 को एक ही दिन में मेडिकल कालेज कोटा के बहुत बड़ी राशि के बिल पारित किये गये थे ? यदि हां, तो उक्त बिल कोषालय, कोटा में कब प्राप्त हुए ? कितने बिलों पर आक्षेप लगाये गये तथा आक्षेपों की पूर्ति किसके द्वारा और कब की गई तथा उक्त बिलों का भुगतान बैंक द्वारा संबंधित फर्मों को कब किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मेडिकल कालेज, कोटा के उक्त राशि के बिलों का भुगतान नकद में ना किया जाकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, कोटा के नाम से एस.बी.बी.जे. बैंक, कोटा में चालू खाता संख्या 1818 में जमा कराये गये ? क्या कोषाधिकारी, कोटा द्वारा उक्त बिलों की राशि चालू खाते में जमा कराने हेतु पारित की गई थी ? यदि हां, तो किनके निर्देशों से ?

(3) क्या कार्यालय अध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्षों को राजकीय राशि को व्यक्तिगत खातों में जमा कराने का राज्य सरकार ने प्रावधान किया है ? यदि नहीं, तो दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

(4) क्या कोषाधिकारी, कोटा में मेडिकल कालेज के बिलों पर संबंधित फर्मों के नाम आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो फिर प्राचार्य मेडिकल कालेज कोटा के चालू खाते में उक्त राशि कैसे जमा हुई ? क्या उक्त प्रकरण में गम्भीर अनियमितता हुई।

(5) क्या उक्त संबंध में कनिष्ठ लेखाकार कोषाधिकारी, कोटा द्वारा जांच अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, कोटा को कोषाधिकारी कोटा के विरुद्ध आरोपों के संबंध में कोई शिकायत की थी ? यदि हां, तो उनकी जांच कब किसके द्वारा की गई ? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त जांच के निष्कर्षों में कौन–कौन अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोषालय, कोटा द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1999 को मेडिकल कालेज कोटा में 75 बिल राशि रुपये एक करोड़ इक्तीस लाख पैंसठ हजार एक सौ छह के पारित किये गये। मेडिकल कालेज, कोटा के उक्त 75 बिलों में से 74 बिल दिनांक

(वित्त मंत्री)

31.3.99 को एवं 1 बिल दि. 30.3.99 को प्राप्त हुआ। मेडिकल कालेज कोटा के 34 बिल राशि रुपये तैंतीस लाख इकहतर हजार सात सौ इक्तालीस के दिनांक 31.3.99 को आक्षेप के साथ लौटाने गये। आक्षेपों की पूर्ति प्रधानाचार्य/अतिरिक्त प्रधानाचार्य एवं उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा की गई। 34 बिलों में से 13 बिलों पर लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति दिनांक 31.3.99 को ही कर दी गई एवं शेष 21 बिलों की पूर्ति आगामी वित्तीय वर्ष 1999–2000 में की गई। पारित किये गये 75 बिलों में से 73 बिलों की राशि रुपये एक करोड़ उनतीस लाख इकहतर हजार छह सौ सतरह का भुगतान बैंक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कालेज, कोटा के चालू खाता संख्या 1888 में दिनांक 31.3.99 को किया गया। मेडिकल कॉलेज द्वारा इसमें से दि. 2.4.99 को राशि रुपये एक करोड़ अठारह लाख उनतालीस हजार आठ सौ तरेपन मात्र के विभिन्न फर्मों के नाम डी डी बनवाये गये, रुपये दो लाख छह हजार सात सौ चौसठ का नगद भुगतान प्राप्त कर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतान किया गया तथा रुपये नौ लाख पच्चीस हजार मात्र का भुगतान बैंक में एल सी खुलवाने हेतु किया गया। शेष दो बिलों का भुगतान आगामी वित्त वर्ष में प्राप्त किया गया।

(2) जी हां, यह सही है कि मेडिकल कालेज कोटा की उक्त राशि के बिलों का भुगतान नकद में न किया जाकर प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कोटा के नाम से स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर एयरोड्राम शाखा में चालू खाता सं. 1888 खुलवाकर राशि रुपये एक करोड़ उनतीस लाख इकहतर हजार छह सौ सतरह मात्र जमा कराई गई।

जी नहीं, कोषाधिकारी कोटा द्वारा उक्त बिलों का भुगतान नकद एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट से करने हेतु बिल पारित किये गये थे।

(3) जी नहीं। इस वित्तीय अनियमितता के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–1) विभाग, राज. द्वारा आदेश क्रमांक–प. 27(3)एम.ई. /ग्रुप–1/99 दिनांक 16.3.2001 के द्वारा प्रारम्भिक जांच कराने हेतु विशिष्ट शासन सचिव, (चिकित्सा), राजस्थान को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

(4) कोषाधिकारी कोटा द्वारा उक्त बिलों का भुगतान नकद एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट से करने हेतु पारित किये गये थे। वित्तीय अनियमितता की प्रारम्भिक जांच करने हेतु भाग 3 के अनुसार आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(5) कोषालय, कोटा के कनिष्ठ लेखाकार श्री महेश चन्द शर्मा ने उनके कोषालय से स्थानान्तरण के पश्चात्

(वित्त मंत्री)

दिनांक 1.8.2000 को मुख्य सचिव महोदय/वित्त सचिव महोदय राज. जयपुर को कोषाधिकारी कोटा के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए शिकायत प्रस्तुत की थी। कोष एवं लेखा निदेशालय द्वारा इस शिकायत पर श्री के.एल. शर्मा संयुक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग कोटा को पत्र क्रमांक एफ. 5 (य–21) कोष/स्पेशल–1 दिनांक 20.9.2000 के द्वारा शिकायत की जांच के निर्देश दिये गये। जांच अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक पी. ए./2000/139 दिनांक 7.11.2000 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर श्री महेश चन्द शर्मा द्वारा कोषाधिकारी, कोटा के विरुद्ध मनगढ़त झूठी एवं दुर्भावनापूर्ण शिकायत करने का निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया। श्री महेश चन्द शर्मा पूर्व कनिष्ठ लेखाकार कोषालय कोटा द्वारा जांच अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेषण विभाग, कोटा को कोषाधिकारी कोटा के विरुद्ध आरोपों के संबंध में जांच के दौरान कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की। जांच रिपोर्ट जांच अधिकारी द्वारा कोष एवं लेखा निदेशालय को प्रेषित करने के पश्चात् श्री महेश चन्द शर्मा ने एक पत्र डाक द्वारा जांच अधिकारी को भिजवाया था। इस कारण जांच अधिकारी इसमें उल्लेखित तथ्यों के बारे में कोई कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं थे। इस पत्र में श्री महेश शर्मा ने वही आरोप दोहराये थे जो वे उनकी शिकायत दिनांक 1.8.2000 में बता चुके थे तथा जिन पर जांच अधिकारी द्वारा गौर किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में इस बारे में पुनः कोई जांच किया जाना अपेक्षित नहीं था।

(6) जांच अधिकारी (संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण, विभाग कोटा) द्वारा किसी अधिकारी (कोषाधिकारी कोटा) को दोषी नहीं पाया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार शिकायतकर्ता पूर्ण रूप से कोषाधिकारी कोटा के विरूद्ध मनगढंत, झूठी एवं दुर्भावनापूर्ण शिकायत करने का दोषी पाया गया।

राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ में नियुक्ति प्रकरण

252.**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ द्वारा वर्ष 1999 से 28 फरवरी , 2001 तक क्या किन्हीं कर्मचारियों को सेवा से पृथक् किया गया है ? यदि हां, तो किन–किन को और क्यों ?

(2) क्या वक्फ बोर्ड द्वारा उक्त अवधि में किसी नये कर्मचारी को नियुक्ति

(मोहम्मद माहिर आजाद)

दी गई है ? यदि हां, तो किस वेतन श्रृंखला में ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वक्फ बोर्ड द्वारा उक्त अवधि में किन्हीं कर्मचारियों को पदावनत किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ द्वारा वर्ष 1999 से 28 फरवरी, 2001 तक 28 कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया गया जिनका विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। वर्ष 1999 से 28 फरवरी, 2001 तक कर्मचारियों को पदावनत नहीं किया गया है।

परिशिष्ट "क"

राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ द्वारा वर्ष 1999 से 28 फरवरी, 2001 तक सेवा से पृथक किये गये कर्मचारियों का विवरण

क्र.सं.	नाम	सेवा से पृथक करने का कारण
1	2	3
1.	श्री राधेश्याम पारीक	सेवा निवृति के पश्चात् फिक्स्ड वेतन भुगतान पर कार्यरत होने के कारण सेवा से पृथक किया गया।
2.	श्री राधेश्याम फ्लोड	––"––
3.	श्री नित्यानन्द कुलश्रेष्ठ	––"––
4.	श्री द्वारका प्रसाद व्यास	––"––
5.	श्री गणपत लाल शर्मा	––"––
6.	श्री मनोज कुमार शर्मा	––"––
7.	श्री जफीर अहमद	––"––
8.	श्री साबिर अली	कब्रिस्तान नाहरी का नाका, जयुपर में दिनांक 15–12–97 को हुए हादसे में कब्रिस्तान की देखभाल के लिए अस्थाई तौर पर नियुक्ति दी गई थी।
9.	श्री शरफूदीन	––"––
10.	श्री जगदीश नारायण योगी	––"––
11.	श्री अ. गफ्फार	बिना सूचना दिये गये कार्यालय से अनुपस्थित रहे।
12.	श्री जी.एम.खान	सीमित अवधि के लिए रखा गया था, मियाद पूरी होने के पश्चात् सेवा से स्वतः ही पृथक हो गया।
13.	श्री. मोहम्मद अयुब	राजस्थान सेवा नियमों के तहत सेवाएं समाप्त की गई।

1	2	3
	14.श्री अ.वहीद	वक्फ रेगूलेशन 1964 की धारा 45, 46 के अन्तर्गत बोर्ड की आर्थिक स्थिति विपरित होने के कारण इनके द्वारा धारित पद समाप्त किये गये।
	15.श्रीमती आयशा अजीज	––"––
	16.श्री शरद माथुरा	––"––
	17.श्री रामगोपाल सैनी	––"––
	18.श्री मुंसिफ मोहम्मद	––"––
	19.श्रीमती नजमा तनवीर	वक्फ रेगूलेशन 1964 की धारा 45, 46 के अन्तर्गत बोर्ड की आर्थिक स्थिति विपरित होने के कारण इनके द्वारा धारित पद समाप्त किये गये।
	20.श्री साजिद हुसैन शेख	––"––
	21.श्री मोहम्मद हनीफ	––"––
	22.श्री मोहम्मद युसुफ	––"––
	23.श्री मोहम्मद रफीक	––"––
	24.श्री अरविन्द कुमार	––"––
	25.श्री इलियास कुरेशी	––"––
	26.श्री रूपेन्द्र मीणा	––"––
	27.श्री फिरोज मोहम्मद	––"––
	28.श्री राजसिंह	––"––

एम.एल.डी. अकादमी केकड़ी (अजमेर) की नियम विरुद्ध मान्यता

253. **श्री ललित भाटी** (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या एम.एल.डी. अकादमी केकड़ी (अजमेर) मान्यता प्राप्त है ? यदि हां, तो मान्यता पूर्व की गई जांच/निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम/निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) उक्त अकादमी को मान्यता देने वाले अधिकारी वर्तमान में कहां व किस पद पर कार्यरत है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अकादमी को नियम विरुद्ध मान्यता दी गई हैं ? यदि हां, तो कैसे ?

(4) क्या सरकार नियम विरुद्ध दी मान्यता को समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) एम.एल.डी. अकादमी, केकड़ी (अजमेर) उच्च प्राथमिक स्तर पर मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2000–2001 में विद्यालय को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा अपने आदेश क्रमांक : शिविरा/माध्य./अ–4/21313/2000–2001 दिनांक : 2.8.2000 के द्वारा माध्यमिक स्तर पर इस निर्देश के साथ क्रमोन्नत किया गया कि संस्था प्रपत्र "क" चार प्रतियों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता हेतु प्रस्तुत करे जो संस्था द्वारा दि. 27.2.2001 को बोर्ड को प्रस्तुत किया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विद्यालय का जांच दल गठित कर निरीक्षण पश्चात् अस्थाई मान्यता देने की कार्यवाही की जायेगी।

(2, 3 व 4) प्रश्न के भाग संख्या एक के उपरोक्त उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न के शेष भागों के उत्तर हेतु कोई बिन्दु शेष नहीं रहता है।

विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में नवीन पशु चिकित्सालय

254. **श्री धर्मपाल चौधरी** (मण्डावर) : क्या पशुधन विकास एवं डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में कुल कितने पशु–भैंस, गाय, ऊंट, भेड़, बकरी हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में पशुओं की अत्यधिक संख्या को मद्देनजर रखते हुए सरकार और नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पशु गणना का कार्य राजस्व मण्डल द्वारा तहसीलवार किया जाता है।

(राज्य मंत्री, पशुपालन एवं डेयरी विकास)

विधान सभा क्षेत्रवार पशुगणना नहीं की जाती है। तहसील मुण्डावर में गाय, भैंस, ऊंट, भेड़, बकरी की संख्या निम्नप्रकार है :

पशुवंश	कुल संख्या
गौवंश	11794
भैंसवंश	59257
उष्ट्रवंश	2458
भेड़वंश	7848
बकरीवंश	24212

(2) वर्तमान में नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र भादरा में भाखड़ा सिंचाई नहरों का रख-रखाव

255. **श्री संजीव कुमार** (भादरा) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भादरा के भाखड़ा सिंचाई क्षेत्र में नहरें (माइनर) तथा खाले पक्के बनाने के कार्यों को शुरू कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र भादरा में भाखड़ा सिंचाई की अमर सिंह सब ब्रांच नहर प्रणाली की वितरिकाओं/माइनरों को पक्का बनाने का प्रस्ताव विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित राजस्थान वाटर सैक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रौजेक्ट (R.W.S.R.P.) में सम्मिलित है। R.W.S.R.P. की तकनीकी स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त हो चुकी है। विश्व बैंक से ऋण प्राप्त होने एवं बजट में संसाधन उपलब्ध होने पर नहरों को पक्का करने का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

पांचना बांध से करौली क्षेत्र में पानी की व्यवस्था

256. **श्री जनार्दन गहलोत** (करौली) : क्या भू–जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला करौली डांग क्षेत्र में पानी का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त संबंध में कोई कारगर उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या सरकार द्वारा पांचना बांध से करौली को पानी उपलब्ध कराये जाने के लिए कोई योजना तैयार करवाई गई है ? यदि हां, तो उसकी स्वीकृति कब तक होकर कार्य प्रारम्भ करवा दिया जायेगा ? विरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला करौली, डांग क्षेत्र में भू–जल स्तर में औसतन 0.097 मीटर

(भू–जल मंत्री)

प्रति वर्ष की गिरावट मापी गई है। जी हां, सरकार द्वारा इस संबंध में कारगर उपाय किये गये हैं। इस क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा भू–जल वृद्धि हेतु परम्परागत जल स्रोत के 18 कार्य स्वीकृत किये गये हैं एवं 11 एनीकट बनाने के कार्य भी सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित है।

(2) जी हां। करौली शहर के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पांचना बांध से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है जो कि स्वीकृति पूर्व तकनीकी जांच की प्रक्रिया में है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त ही बजट तथा संसाधन उपलब्धता के आधार पर कार्य प्रारम्भ करवाये जा सकेंगे।

जनसंख्या नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति

257. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार ने राज्य की जनसंख्या नीति जनवरी, 2000 में घोषित की थी ? यदि हां, तो क्या उक्त नीति के अनुसार वर्ष 2001 में कुल प्रजनन दर, जन्म दर, शिशु मृत्यु दर व गर्भ निरोधक उपयोग दर के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया ?

(2) उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सरकार ने अब तक क्या–क्या कदम उठाये और उसके क्या–क्या परिणाम रहे ? वर्तमान में, कुल प्रजनन दर, जन्म दर, गर्भ निरोधक उपयोग दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर की वास्तविक स्थिति क्या है ?

(3) उक्त लक्ष्य/दर को प्राप्त नहीं करने के लिये कौन उत्तरदायी है ? क्या उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, भारत सरकार से अब तक 1998–99 तक के आंकड़े उपलब्ध हुये हैं। इन आंकड़ों के अनुसार कुल प्रजनन दर 4.1, जन्म दर 31.6, शिशु मृत्यु दर 81 है तथा गर्भ निरोधक उपयोग दर वर्ष 2000 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 37.0 प्रतिशत है। अभी वर्ष 2001 के लिये सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आंकड़े प्राप्त नहीं हुये हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा घोषित जनसंख्या नीति के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये उठाये गये कदमों एवं उसके परिणाम का ब्यौरा परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर प्रस्तुत है। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, भारत सरकार से अब तक उपलब्ध 1998–99 तक के आंकड़ों के अनुसार कुल प्रजनन दर 4.1, जन्म दर 31.6, मृत्यु दर 8.9 और शिशु मृत्यु दर 81

(परिवार कल्याण मंत्री)

है। गर्भ निरोधक प्रचलन दर वर्ष 2000 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 37.0 प्रतिशत है।

(3) जनसंख्या नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार के अंथक प्रयास जारी हैं तथा लक्ष्य दर को प्राप्त करने हेतु अनापूरित मांग को पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिये जिलेवार कार्य योजना तैयार कर उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

परिशिष्ट-''क''

जनसंख्या नीति के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये उठाये गये कदमों एवं उसके परिणाम का ब्यौरा

1. जनप्रतिनिधियों को राजस्थान पंचायत अधिनियम एवं नगरपालिका अधिनियम में दो से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया गया है।

2. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में एक अभिनव योजना जनमंगल कार्यक्रम लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत वर्तमान में 32 जिलों में 13296 जनमंगल जोड़े कार्य कर रहे हैं।

3. गर्भ समापन सेवाओं के विस्तारीकरण हेतु राज्य में उन सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जहां गर्भ समापन कार्य करने के लिए पूर्ण सुविधाएं एवं चिकित्सक उपलब्ध हैं, वहां गर्भ समापन की सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत 259 निजी चिकित्सा संस्थाओं में भी गर्भ समापान की सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, इस वर्ष जनवरी, 2001 तक लगभग 35669 गर्भ समापन किये गये तथा अब तक कुल 987 चिकित्सकों को गर्भ समापन हेतु प्रशिक्षित किया गया है।

4. राज्य में नसबन्दी एवं आई.यू.डी. हेतु स्टेटिक केन्द्र कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक जिले में जिला अस्पताल एवं उप जिला अस्पताल में नसबन्दी हेतु बैड आरक्षित रखे गये हैं। इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

5. रिवैम्पिंग स्कीम अन्तर्गत राज्य में 11 जिलों में शहरी क्षेत्रों हेतु 90 हैल्थ पोस्ट का सृजन किया गया है ताकि शहरी कच्ची बस्तियों में परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सके। इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2001 तक 3521 नसबन्दी आपरेशन किये गये एवं 1752 आई.यू.डी. लगाई गई तथा 16096 ए.एन.सी. पंजीकृत की

गई।

6. राज्य में पुरुष नसबन्दी बहुत कम है, इसे राज्य सरकार ने गम्भीरता से लिया है। पुरुष नसबन्दी हेतु नई तकनीक एन.एस.वी. (नॉन स्कालपल वासक्टोमी) शुरू की गई है। इस तकनीक में अब तक विभिन्न जिलों हेतु 100 चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया है और इस तकनीक में और चिकित्सकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

7. राज्य में संस्थागत प्रसव बहुत ही कम होते हैं। इसलिए आर.सी.एच. कार्यक्रम के अन्तर्गत 24 घण्टे प्रसव कराने की सुविधा प्रदान की जा रही है। प्रारम्भ में यह सुविधा कुछ चुनी हुई सी.एच.सी. एवं पी.एच.सी. पर प्रदान की जा रही है। जहां कि संस्थागत प्रसव कम होते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनवरी, 2001 तक 6815 रात्रिकालीन प्रसव हुये हैं।

8. राज्य सरकार ने रैफरल ट्रांसपोर्ट स्कीम प्रारम्भ की है जिसके अन्तर्गत गरीब परिवारों की महिलाओं को ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदान की गई है, इस हेतु राज्य सरकार ने 18 जिलों को 72.05 लाख रुपये आवंटित किये हैं।

9. राज्य में दाई प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है, इस हेतु राज्य के छह जिलों (अलवर, बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर और जालौर) की सभी दाईयों को दिसम्बर, 2002 तक प्रशिक्षित कर दिया जायेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनवरी, 2001 तक 200 दाईयों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

10. राज्य सरकार ने इस नीति को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं, मीडिया एवं जन प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया है। इसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर स्वैच्छिक संस्थाओं, महिला संगठनों एवं मीडिया हेतु कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं और इसके साथ—साथ सभी संभागों पर भी एक—एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें जनप्रतिनिधियों, एम.एल.ए., जिला कलेक्टर, एन.जी.ओ. एवं मीडिया ने अधिक संख्या में भाग लिया और इस कार्यक्रम को जन—जन का कार्यक्रम बनाने में रूचि दिखाई।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित होटल्स

258. **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के तहत कितने होटल किस–किस स्थान पर संचालित किये जा रहे हैं, सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रत्येक इकाई में गत तीन वर्षों में कितना–कितना लाभ/हानि हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के अधीन जिन–जिन होटलों में गत वर्षों से घाटा हो रहा है, उनमें सुधार हेतु क्या योजना बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) वर्तमान में किन–किन नये स्थानों का चयन कर पर्यटन विकास को मध्य नजर रखते हुए होटल निर्माण कार्य प्रारम्भ किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) पर्यटन विकास को ध्यान में रखते हुये वर्तमान में संचालित कौन–कौन से होटल्स में आवश्यक परिवर्तन/परिवर्द्धन का कार्य करना प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के अधीन घाटे वाले होटल्स के निजीकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार कोई योजना लागू करने पर विचार कर रही है ? क्या सरकार को उक्त सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो कब–कब ?

उत्तर

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा 43 होटल/मोटल संचालित की जा रही हैं एवं 15 इकाइयों को लीज पर दिया गया है, जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त इकाइयों में गत वर्षों के दौरान हुए लाभ–हानि की सूचना परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के अधीन गत वर्षों के दौरान घाटे में रही इकाइयों में सुधार हेतु निम्न योजनाएं बनाई गई हैं :–

1. निगम की होटलों के स्तर को सुधारने के लिये इनके नवीनीकरण के कार्य शुरू किये गये हैं, भोजन शाला के मीनू के निर्धारण में भी उचित दरों का ध्यान रखा गया है।

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

2. बाजार के प्रतिस्पर्धात्मक रूप को ध्यान में रखते हुए इकाइयों को लाइसेंस/लीज पर देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

3. घाटा कम करने के लिए कर्मचारियों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को प्रोत्साहित किया गया है, जिससे संस्थापन व्यय में कमी आ सके।

(4) वर्तमान में किसी भी नये स्थान का चयन कर होटल का निर्माण राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा नहीं कराया जा रहा है।

(5) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित होटलें, जिनमें आवश्यक परिवर्तन/परिवर्द्धन कार्य करवाये जाने प्रस्तावित है, की सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(6) जी नहीं। पर्यटन विकास निगम की इकाइयों के निजीकरण एवं अन्य राजकीय सम्पत्तियों के पर्यटकीय विकास हेतु निस्तारण के लिये राज्य सरकार द्वारा "राजस्थान पर्यटन, पर्यटन विभाग/राजस्थान पर्यटन विभाग निगम द्वारा भूमि और सम्पत्तियों का व्ययन नियम, 1997" बनाये गये है।

इन नियमों के प्रावधान अन्तर्गत अभी कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटल/मोटल

क्र.सं.	स्थान	होटल/मोटल का नाम
1	2	3
1.	अजमेर	खादिम
2.	अलवर	मीनल
3.	बाड़मेर	खड़ताल
4.	बर	मोटल
5.	बहरोड	मोटल
6.	भरतपुर	सारस
7.	बीकानेर	ढोलामारू
8.	बूंदी	वृन्दावती
9.	चित्तौड़गढ़	पन्ना
10.	दौसा	मोटल
11.	देवगढ़	मोटल
12.	धौलपुर	मोटल
13.	फतेहपुर	हवेली
14.	जयपुर	गणगौर
15.	जयपुर	तीज
16.	जयपुर	स्वागतम
17.	जयपुर	टूरिस्ट होटल
18.	जयपुर	दुर्ग केफेटेरिया, नाहरगढ़
19.	जयपुर	मावठा आमेर (केफेटेरिया)
20.	जयपुर	झील पर्यटक ग्राम रामगढ़

1	2	3
21.	जैसलमेर	मूमल
22.	जैसलमेर	समढाणी
23.	झुंझुनूं	टूरिस्ट बंगलो
24.	जोधपुर	घूमर
25.	कोटा	चम्बल
26.	महुवा	मोटल
27.	माउन्ट आबू	शिखर
28.	नाथद्वारा	गोकुल
29.	नाथद्वारा	यात्रिका
30.	पाली	पणिहारी
31.	पोकरण	गोडावण
32.	पुष्कर	सरोवर
33.	पुष्कर	पर्यटक ग्राम
34.	रणकपुर	शिल्पी
35.	रतनगढ़	चिंकारा
36.	रतनपुर	मोटल
37.	ऋषभदेव	गवरी
38.	सरिस्का	टाइगर डेन
39.	सवाईमाधोपुर	विनायक
40.	सवाईमाधोपुर	कैसल झूमरबावड़ी
41.	शाहपुरा	मोटल
42.	सीलिसेढ़	लैक पैलेस
43.	उदयपुर	कजरी

राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा लीज पर दी गई इकाइयों की सूची

क्र.सं.	स्थान	होटल/मोटल का नाम
1.	झालवाड़	होटल चन्द्रावती
2.	हनुमानगढ़	टूरिस्ट बंगलो
3.	नागौर	होटल कुरजा
4.	बालोतरा	मोटल बालोतरा
5.	डैचूं	वे साइड फेसिलिटी
6.	ओसियां	मिडवे ओसियां
7.	डीग	मोटल डीग
8.	गोगुन्दा	मोटल गोगुन्दा
9.	हल्दी घाटी	रेस्ट हाउस
10.	मा. आबू	केफेटेरिया अपोलो
11.	मा. आबू	केफेटेरिया सरोवर
12.	मैनाल	वे साइड फेसेलिटी
13.	फलौदी	वे साइड फेसेलिटी
14.	तालवृक्ष	वे साइड फेसेलिटी
15.	जैसलमेर	केफेटेरिया गढ़ीसर

परिशिष्ट ''ब''

राजस्थन पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

होटल स्वागतम कैम्पस, रेलवे स्टेशन रोड, जयपुर

इकाइवार लाभ हानि का विवरण वर्ष 1994-95 से 1999-2000 तक

(बियर सहित)

क्र.सं.	डिविजन	इकाई	स्टेशन	लाभ/हानि+/-(रुपयों में)		
				1997–98	1998–99	1999–2000
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	अजमेर	खादीम	अजमेर	+48,42,918	+46,44,807	+48,25,000
2.	अजमेर	खिदमत	अजमेर	–2,12,802	–27,290	+1,94,000
3.	अजमेर	मिडवे	बर	+1,73,369	+2,00,055	+2,09,000
4.	अजमेर	वृन्दावती	बूंदी	–1,90,098	–,1,17,755	+80,000
5.	अजमेर	मिडवे	देवली	+12,736	+99,707	+99,000
6.	अजमेर	मिडवे	गुलाबपुरा	+2,20,856	+2,35,587	+2,05,000
7.	अजमेर	चन्द्रावती	झालावाड़	–3,91,130	–4,38,443	+2,05,000
8.	अजमेर	चम्बल	कोटा	+27,97,926	+16,22,724	+27,85,000
9.	अजमेर	सरोवर	पुष्कर	+39,276	–3,96,630	+1,000
10.	अजमेर	टूरिस्टविलेज	पुष्कर	–4,35,184	–4,32,070	–27,000
11.	बीकानेर	ढोलामरू	बीकानेर	+6,34,156	–6,72,685	+9,77,000
12.	बीकानेर	हवेली	फतेहपुर	+1,941	–30,815	+1,06,000
13.	बीकानेर	कुरजा	नागौर	+3,795	+2,58,554	+3,97,000
14.	बीकानेर	मिडवे	रतनगढ़	–4,22,489	–2,57,426	–2,06,000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
15.	जोधपुर	मिडवे	बालोतरा	–51,574	–	+14,000
16.	जोधपुर	खरताल	बाड़मेर	–62,351	–4,50,691	+5,91,000
17.	जोधपुर	मूमल	जैसलमेर	+17,17,434	+6,40,527	+41,18,000
18.	जोधपुर	समढाणी	जैसलमेर	+1,25,449	+1,32,180	+1,55,000
19.	जोधपुर	घूमर	जोधपुर	+48,16,004	+34,11,549	+63,58,000
20.	जोधपुर	परिहारि	पाली	+7,61,218	+12,60,886	+14,40,000
21.	जोधपुर	मिडवे	पोकरण	–4,44,940	–2,58,283	–1,04,000
22.	जयपुर–1	सारस	भरतपुर	–1,44,500	–2,65,763	–4,62,000
23.	जयपुर–1	मिडवे	दौसा	–3,43,034	–2,41,802	–76,000
24.	जयपुर–1	मिडवे	डीग	–2,78,560	–3,89,762	–76,000
25.	जयपुर–1	मिडवे	धौलपुर	–2,85,341	–5,99,307	–1,92,000
26.	जयपुर–1	गणगौर	जयपुर	+62,92,982	+28,53,452	+35,87,000
27.	जयपुर–1	झील	जयपुर	–4,25,649	–4,55,285	–36,000
28.	जयपुर–1	स्वागतम	जयपुर	+4,28,361	–1,64,725	+35,52,000
29.	जयपुर–1	मिडवे	महुआ	–2,02,657	–6,17,623	–2,61,000
30.	जयपुर–1	झूमर	स.माधोपुर. बावड़ी	–1,85,594	+83,542	+6,23,000
31.	जयपुर–I	बिनायक	स.माधोपुर	–1,01,044	+4,13,668	+6,81,000
32.	जयपुर–II	मिनल	अलवर	–37,100	–3,04,896	+8,68,000
33.	जयपुर–II	मिडवे	बहरोड	+42,32,988	+25,532	+20,41,000
34.	जयपुर–II	मावठआमेर	जयपुर	–	–4,13,738	–5,36,000

1. 2.	3.	4.	5.	6.	7.
35.जयपुर– II	दुर्गनाहरगढ़	जयपुर	−3,09,919	−8,79,813	−1,47,000
36.जयपुर– II	तीज	जयपुर	+42,08,610	+36,11,767	+44,55,000
37.जयपुर– II	टूरिस्टहोटल	जयपुर	−7,90,272	−26,35,149	+20,73,000
38.जयपुर– II	टाइगरडेन	सरिस्का	+5,93,063	−16,049	+7,83,000
39.जयपुर– II	मिडवे	शाहपुरा	−2,69,680	−2,77,415	−2,57,000
40.जयपुर– II	लैकपैलेस	सीलिसैढ़	−2,94,435	−1,99,389	−51,000
41.उदयपुर	पन्ना	चित्तौडगढ़	−2,81,298	−3,27,897	+97,000
42.उदयपुर	मिडवे	दैवगढ़	−1,35,389	−3,79,843	−95,000
43.उदयपुर	मिडवे	गोगुन्दा	+72,802	−2,265	+85,000
44.उदयपुर	रैस्टहाउस	हल्दीघाटी	−77,931	+61,635	+42,000
45.उदयपुर		जयसमन्द	+1,53,012	–	+1,53,000
46.उदयपुर	पुर्जननिवास	मा.आबू	−95,292	−1,52,396	–
47.उदयपुर	शिखर	मा.आबू	−75,052	−1,72,576	+17,38,000
48.उदयपुर	गौकुल	नाथद्वारा	−1,45,609	−1,16,869	+49,000
49.उदयपुर	यात्रिका	नाथद्वारा	−1,72,834	−1,20,321	−2,68,000
50.उदयपुर	शिल्पी	रतकपुर	−1,48,704	−3,44,904	−94,000
51.उदयपुर	मिडवे	रणकपुर	+5,01,441	+4,61,614	+8,22,000
52.उदयपुर	गवरी	ऋषवदैव	−34,576	−1,94,660	+1,20,000
53.उदयपुर	कजरी	उदयपुर	+18,35,828	+10,54,029	+14,37,000

परिशिष्ट ''स''

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि. द्वारा संचालित होटलें, जिनमें आवश्यक परिवर्तन/परिवर्द्धन कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं, की सूची

क्र.सं.	प्रस्तावति इकाई का नाम	प्रस्तावित कार्य
1	2	3
1.	गणगौर, जयपुर	परविर्द्धन का कार्य
2.	पर्यटन विश्राम गृह, जोधपुर	20 नये कमरों का निर्माण
3.	पर्यटन विश्राम गृह, जोधपुर	क्रमोन्नत का कार्य
4.	कायलाना लेक	केफेटेरिया का निर्माण
5.	मूमल होटल, जैसलमेर	भूतल पर कमरों के परिवर्द्धन का कार्य
6.	ढोला मारू पर्यटन विश्राम गृह,बीकानेर	परिवर्द्धन का कार्य
7.	मिडवे बर	सुधार कार्य
8.	पनिहारिन पर्यटन विश्राम गृह, पाली	परिवर्द्धन/विस्तार का कार्य
9.	खड़ताल पर्यटन विश्राम गृह, सरिस्का	परिवर्द्धन का कार्य
10.	मिडवे, बहरोड	परिवर्द्धन का कार्य
11.	पर्यटन विश्राम गृह, सरिस्का	परिवर्द्धन का कार्य
12.	होटल मीनल, अलवर	विस्तार/परिवर्द्धन का कार्य
13.	टूरिस्ट होटल जयपुर	परिवर्द्धन का कार्य
14.	चबल पर्यटक विश्राम गृह, कोटा	परिवर्द्धन का कार्य
15.	नाहरगढ़ किले पर पढ़ाव	परिवर्द्धन का कार्य
16.	सारस होटल, भरतपुर	परिवर्द्धन का कार्य
17.	होटल स्वागतम, जयुपर	परिवर्द्धन का कार्य
18.	मिडवे महुआ, बाई पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11	निर्माण कार्य

1	2	3
19.	पर्यटक काम्पलेक्स, विनायक, सवाईमाधोपुर	5 कमरें व कांफ्रेन्स हाल का निर्माण
20.	पन्ना पर्यटक विश्राम गृह, चित्तौड़गढ़	परिवर्द्धन का कार्य
21.	मिडवे, रतनपुर	कोटेज निर्माण कार्य
22.	पर्यटक विश्राम गृह, नाथद्वारा	परिवर्द्धन का कार्य
23.	सरावेर पर्यटक विश्राम गृह, पुष्कर	परिवर्द्धन का कार्य
24.	शाही रेलगाड़ी	नवीनीकरण/पुनःसज्जा का कार्य
25.	झील पर्यटक ग्राम, रामगढ़, जयपुर	पविवर्द्धन का कार्य
26.	होटल तीज, जयपुर	क्रमोन्नयन कार्य
27.	खादिम पर्यटक विश्राम गृह, अजमेर	क्रमोन्नयन कार्य

वर्ष 2001-2002 में शराब बिक्री के ठेके

259. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 2001–2002 के लिये राज्य में शराब बिक्री के ठेके किस–किस समूह को किस–किस क्षेत्र के लिए कितनी–कितनी राशि के दिये गये हैं ?

(2) उक्त में से किस–किस समूह में कितनी–कितनी राशि पुराने ठेकों की ठेके देते समय बकाया थी ?

(3) राज्य में 31 मार्च, 2001 तक किन–किन स्थानों/जिलों/तहसीलों के ठेके नहीं उठ पाये हैं तथा उक्त स्थानों के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

उत्तर

(1) वर्ष 2001–2002 के लिए ठेके पर स्वीकृत किये गये मदिरा समूह के नाम, उनके अनुज्ञाधारियों के नाम एवं राशि जिस पर ठेके स्वीकृत किये गये हैं का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) जिन ठेकेदारों को वर्ष 2001–2002 के लिए ठेके स्वीकृत किये गये हैं उन ठेकेदारों के विरुद्ध ठेका देते समय कोई बकाया नहीं थी।

(3) राज्य में दिनांक 31 मार्च, 2001 तक वर्ष 2001–2002 के लिए समस्त मदिरा समूहों का बंदोबस्त पूर्ण हो चुका है। अतः किसी वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट-1

वर्ष 2001-2002 के लिए ठेके पर स्वीकृत किये गये मदिरा समूह के नाम, उनके अनुज्ञाधारियों के नाम एवं राशि का विवरण

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	समूह का नाम	अनुज्ञाधारी का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	अजमेर	देवेन्द्र मील पुत्र हजारीराम मील निलेश कुमार पुत्र भीकमचन्द	48,77,45,399.00
2.	अलवर	राजेन्द्र सिंह गांधी पुत्र श्याम सिंह, विजय कुमार जायसवाल पुत्र स्व. श्री रामनाथ नरेन्द्र सिंह भण्डारी पुत्र जे.सी.भण्डारी अभिनेन्द्र सिंह पु.त्र बलवीर सिंह बद्रीप्रसाद जायसवाल पुत्र स्व. श्री विश्वनाथप्रसाद	43,12,00,999.00
3.	भरतपुर	हरिसिंह पुत्र कोमलसिंह राजेन्द्र सिंह गांधी पुत्र. श्याम सिंह हरजीत सिंह पुत्र बलराज सिंह बद्रीप्रसाद जायसवाल पुत्र विश्वनाथ प्रसाद मनोजकुमार पुत्र रमेशचन्द	19,12,12,999.00
4.	धौलपुर	रामप्रसाद पुत्र गोपीराम राजेन्द्रसिंह गांधी पुत्र श्याम सिंह विजय कुमार जायसवाल पुत्र स्व. श्री रामनाथ सतीशचन्द्र गुप्ता पुत्र लक्ष्मीनारायण गुप्ता	9,24,65,999.00
5–6.	जयपुर–दौसा	दुर्गेश कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार हरजीत सिंह पुत्र बलराज सिंह सुभाष सुवालका पुत्र सोहनलाल कृष्ण सिंगला पुत्र विलायती राम संजयसिंह मील पुत्र राजाराम जितेन्द्र सिंह पुत्र श्याम सिंह हरप्रसाद पुत्र मनूलाल जायसवाल विजय कुमार जायसवाल पुत्र रामनाथ	1,37,10,47,999.00
7.	टोंक	दुर्गेश टांक पुत्र सुरेन्द्र कुमार विजयकुमा जयसवाल पुत्र रामनाथ अनुजअग्रवाल C/o नवीन अग्रवाल राजेन्द्र सिंह गांधी पुत्र श्यामसिंह	15,27,36,000.00

1 2	3	4
8. झुंझुनूं	बन्ना अली पुत्र चांद खां कुशालसिंह पुत्र बलदेव सिंह रमेशचन्द रायपुत्र हरदास राय श्रीमती नीलम पत्नी राजू खां पंवार महबूब अली पुत्र सफी मोहम्मद	28,70,00,000.00
9. सीकर	गोरधन सिंह पुत्र स्व. श्री भवानी सिंह सुमित मालावत पुत्र यासीन खां वीरेन्द्र कुमार राय पुत्र हरदास श्रीमती सायरा बानो पत्नी सदरूद्दीन	30,25,00,000.00
10.सवाईमाधोपुर –करौली	शिवदयाल पुत्र बजरंगलाल चंदेल सुभाष सुवालका पुत्र सोहनलाल बलवीर सिंह पुत्र भूपसिंह बद्रीप्रसाद जायसवाल पुत्र विश्वनाथ प्रसाद जायसवाल विजय कुमार जायसवाल पुत्र स्व.श्री रामनाथ राजेन्द्र सिंह गांधी पुत्र श्याम सिंह	19,12,72,999.00
11.बाड़मेर	सलीम अख्तर खान पुत्र इब्राहीम खान	9,61,00,000.00
12.जैसलमेर	कश्मीर सिंह पुत्र मेवासिंह	7,80,01,000.00
13.बीकानेर	सीतराम पुत्र नेताराम व्यास	24,52,14,000.00
14.चूरू	राजेन्द्र सिंह पुत्र दयालसिंह नासीर खां पुत्र हबीब खां माधोसिंह पुत्र खेमचन्द फिरोजअली पुत्र बाबूलाल	18,31,90,999.00
15.श्रीगंगानगर	अमीन मोहम्मद पुत्र हबीब खां	56,09,77,777.77
16.हनुमानगढ़	हंसराज पूनिया पुत्र सुरजाराम पूनिया हरीराम पुत्र पतराम	33,26,25,001.00
17.जोधपुर	किशोर सिंह पुत्र हनुमान सिंह प्रलयंकर जोशी पुत्र लमीकान्त जोशी	34,08,21,000.00

1 2	3	4
18.नागौर	प्रहलाद सिंह पुत्र छत्तूसिंह नेकीराम पुत्र नन्दराम दूलाराम मील पुत्र दानाराम	25,11,20,000.00
19.पाली	हनुमान पूनिया पुत्र सुरजाराम चन्दन सिंह पुत्र जोराराम मेवाड़ा	24,06,09,666.66
20.सिरोही—जालौर	राजेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयालाल खत्री	28,62,84,666.66
21.भीलवाड़ा	गिर्राज प्रसाद जायसवाल पुत्र रामकिशोर जायसवाल	26,93,06,600.00
22.बूंदी	अनिल प्रताप मेवाड़ा पुत्र सोहनलाल मेवाड़ा	13,60,97,007.00
23.बारां	भीमसेन पुत्र गोविन्द राम संतोष कुमार अग्रवाल पुत्र कन्हैयालाल राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र मांगीलाल जैन	13,22,00,125.00
24.बांसवाड़ा—डूंगरपुर	विजेन्द्रसिंह पुत्र कान सिंह	15,09,999.00
25.चित्तौड़गढ़	रामेश्वरलाल पुत्र दुलीचन्द भंवरलाल पुत्र दुलीचन्द ईश्वरसिंह पुत्र भैरूसिंह राजपूत भैरूसिंह पुत्र गिरवर सिंह देवीसिंह पुत्र मोतीसिंह देवेन्द्र नारंग पुत्र मिलखीराम राजेश कुमार पुत्र राजदास मेघसिंह पुत्र शंकरसिंह	22,36,75,000.00
26.झालावाड़	किशोर कुमार पुत्र नन्दलाल अनिल कुमार वर्मा पुत्र जगन्नाथ वर्मा विरेन्द्र सिंह झाला पुत्र भरतसिंह झाला	14,25,05,786.00
27.कोटा	राजकुमार पुत्र मुलखराज हरीश कुमार पुत्र हीरालाल	38,02,05,111.00
28—29.उदयपुर—राजसमन्द	हनुमान सिंह पुत्र नाथुसिंह राजपूत चन्दन सिंह पुत्र जोराराम मेवाड़ा	44,54,76,666.66

प्रतापगढ़ एवं ब्यावर में नये जिलों की स्थापना

260. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय बी.पी.बेरी आयोग को समाप्त कर दिया है ?

(2) क्या सरकार उक्त निर्णय पर पहुंच चुकी है कि राज्य में जिलों, तहसीलों, उप–तहसीलों आदि के पुनर्गठन के बारे में सुझाव आवश्यक नहीं हैं ?

(3) क्या सरकार प्रतापगढ़ एवं ब्यावर को जिला बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री बी.पी. बेरी एक सदस्यीय आयोग को प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु. 3) की आज्ञा संख्या प.6(21) प्र.सु./अनु.3/98 दिनांक 12.2.99 से समाप्त कर दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रतापगढ़ एवं ब्यावर को जिला बनाने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है। जब नये जिलों का गठन करने के संबंध में विचार किया जायेगा तब इनके संबंध में भी विचार कर लिया जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के विद्यालयों में रिक्त पद

261.**श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के कितने विद्यालयों में प्रिंसीपल/प्रधानाध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक और, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में 02 प्रधानाचार्य,04प्रधानाध्यापक,17 व्याख्याताओं, 03 वरिष्ठ अध्यापकों के पद माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत तथा 4 वरिष्ठ अध्यापकों के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत रिक्त हैं।

(2) जी हां। रिक्त पदों को भरने हेतु वित्त एवं कार्मिक विभाग की सहमति उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

इन्दिरा गांधी नहर के बुर्जी तल की मरम्मत

262. **श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री रामप्रताप)

क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी फीडर की बुर्जी संख्या 580 से 631 एवं मुख्य नहर की बुर्जी संख्या 0 से 100 तक के बीच तक टूटने से नहर जीर्ण–शीर्ण हालत में पहुंच गई है ? यदि हां, तो सरकार नहर तल मरम्मत के क्या उपाय कर रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। इंदिरा गांधी फीडर बुर्जी 580 से 631 एवं मुख्य नहर 0 से 100 मुख्यतया भराई क्षेत्र में हैं जिसमें जल रिसाव की मात्रा निर्धारित मापदण्डों से अधिक होने के कारण उक्त रिसाव के उपचार हेतु उपाय विचाराधीन है।

सहायक निदेशक उद्यान श्री गंगानगर द्वारा पौध संरक्षण रसायन की खरीद में अनियमितता

263. **श्री रामनारायण विश्नोई** (फलौदी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1997–98 से सहायक निदेशक, उद्यान श्रीगंगानगर द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना एवं राज्य योजना के अनतर्गत पौध संरक्षण रसायन अनुदान खरीदा जाता रहा है ?

(2) क्या नियम के अनुसार उक्त रसायन राजफैड या राजस्थान राज्य एग्रो इण्डस्ट्रीज से क्रय करने के प्रावधान पालना की गई ? यदि नहीं, तो क्या उक्त रसायन काआपरेटिव सप्लाई एवं कमीशन शोध श्रीगंगानगर एवं निजी संस्था एशिया पेस्टीसाइड बिहानी मार्ग नोहर हाल जिला हनुमानगढ़ से बिना किसी टेण्डर/कोटेशन से इन फर्मो से क्रय कर सकता है।

(3) क्या उक्त प्रकरण में क्रय करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त प्रकरण में लिप्त अधिकारी को बचाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी, हां। दी काआपरेटिव सप्लाई एवं कमीशन शोप श्रीगंगानगर राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी समिति की पंजीकृत संस्था है तथा एशिया पैस्टीसाइड बिहानी मार्ग नोहर हाल जिला हनुमानगढ़ राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम की मनोनीत संस्था थी, अतः इनसे बिना किसी टेण्डर कोटेशन के पौध संरक्षण रसायन क्रय किये जा सकते हैं।

(3) उक्त प्रकरण में सक्षम क्रय करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(4) जी नहीं।

प्रश्न संख्या-264

(स्थगित)

इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र (जैसलमेर) में बकाया राशि का भुगतान

265. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1)क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में जिला जैसलमेर के 70 ठेकेदारों का एक साल का रनिंग पेमेंट बकाया है ?

(2) क्या सरकार उक्त ठेकेदारों को भुगतान शीघ्र करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इस साल नहरों की मिट्टी हटाने का स्थानीय किसानों को कार्य दिया था ? यदि हां, तो उनका भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जैसलमेर सम्भाग में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के किसी भी ठेकेदार का एक साल का रनिंग भुगतान बकाया नहीं है।

(2) किसी भी ठेकेदार का रनिंग बिल का भुगतान देय नहीं है।

(3) जी हां। इस वर्ष काश्तकारों को नहरों के रख–रखाव में भागीदारी बढ़ाने हेतु नहरों से सिल्ट निकालने के कार्य उनसे करवाये गये थे। साख सीमा के अभाव में उनके भुगतान माह नवम्बर, 2000 से बकाया थे। अब साख सीमा प्राप्त हो गई है। भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है। सभी भुगतान 31.3.2001 तक किये जाने की संभावना है।

माणिक्य लाल वर्मा टैक्सटाइल इंस्टीट्यूट भीलवाड़ा में अनियमितता की जांच

266.**श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट भीलवाड़ा के प्राचार्य द्वारा नियुक्ति तथा वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में सरकार द्वारा दो बार उच्च स्तरीय जांच करवायी गई थी ? क्या संस्थान से संबंधित दस्तावेज जब्त किये गये ? यदि हां, तो कब–कब क्या–क्या कार्यवाही कहां–कहां की गई। विवरण सदन की मेज पर रखें। जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? प्राचार्य के विरुद्ध कार्यवाही में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्राचार्य की सुपुत्री को द्वितीय श्रेणी में डिग्री होते

(श्री रतन लाल ताम्बी)

हुए भी ए.आई.सी.टी.ई. नियमों के विरुद्ध वहां नियुक्ति दी गई ? क्या उक्त संबंध में गत चार वर्षों से शिकायतें मिल रही हैं ? अब तक उक्त प्राप्त शिकायतों की जांच पर क्या कार्यवाही किस स्तर पर की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि प्राचार्य के अन्य रिश्तेदारों की गलत नियुक्तियों के कारण संस्थान के प्रशासनिक तथा शैक्षणिक वातावरण पूरी तरह पंगु हो गया है ? यदि हां, तो कौन–कौन रिश्तेदार उक्त संस्थान में नियमों के विरुद्ध भर्ती किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त बाबत उच्च स्तरीय आदेशों के बाद भी कार्यवाही नहीं होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। भीलवाड़ा स्थित संस्थान परिसर से संबंधित शिकायतों से सम्बद्ध उपलब्ध रिकार्ड प्राप्त कर लिया गया है। जांच रिपोर्ट में प्रथमतः दोषी पाये जाने पर संबंधित प्राचार्य को आरोप–पत्र दिया जा चुका है तथा विशिष्ट शासन अधिकारी, तकनीकी शिक्षा को विभागीय जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

(2) जी हां। की जा रही कार्यवाही उत्तर के प्रथम भाग में स्पष्ट कर दी गई हैं।

(3) विभागीय कार्यवाही जारी है।

तहसील किशनगढ़बास (अलवर) से गायब पत्रावली का जांच प्रकरण

267. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री मातादीन पुत्र श्री जीसुख चमार ग्राम मोधुपुर तत्कालीन तहसील किशनगढ़बास हाल तहसील–कोटकासिम को वाके ग्राम मोधुपुर में 504 मिन 3 बीघा भूमि आवंटित हुई ? क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि का दखल घटना बही पटवारी हल्का भौकर तहसील–किशनगढ़ वास के वाका सं. 1975/159 के तहत दखल दे दिया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने दो वर्ष पूर्व यह स्वीकार किया था कि उक्त आवंटन की पत्रावली तहसील–किशनगढ़बास के कार्यालय से गायब हो गई है ? क्या सरकार ने उक्त पत्रावली को शीध्र तलाश कराने की जानकारी की थी ? क्या उक्त में दोषी अधिकारी/

(श्री जगमाल सिंह यादव)

कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम मोधूपुर तह. कोटकासिम की आ.खा.नं. 504 मिन में 3 बीधा का आवंटन दि. 1.9.76 को मुताबिक प्रोसीडिंग रजिस्टर उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़बास के श्री मातादीन, खोखाराम, मंगलराम व रामकिशन पि. जीसुख चमार के नाम संयुक्त रूप से आवंटन किया गया है।

यह सही है कि उक्त भूमि का दखल पटवारी हल्का भौंकर तहसील किशनगढ़ बास की घटना बही वर्ष 1975 वाका सं. 159 के अनुसार ग्राम मोधुपुर में मातादीन पुत्र जीसुख चमार को आ.नं. 504 मिन रकबा 3 बीघा का मौके पर दखल दे दिया था।

(2) विधान सभा प्रश्न संख्या 279/राजस्व द्वारा श्री जगताल सिंह, विधायक के उत्तर दिनांक 13.7.99 बिन्दु संख्या–2 में निवेदन किया गया था कि "उपखण्डाधिकारी किशनगढ़बास द्वारा आंवटन का रेकार्ड जिला लेख भण्डार कलेक्ट्रेट अलवर में दिनांक 26.4.94 एवं 25.9.98 को जमा कराया जाना अवगत कराता है। जब कि जिला लेख भण्डार अलवर द्वारा उक्त पत्रावली भण्डार में जमा होना नहीं पाया जाना अगवत कराया है।" इस क्रम में जांच किये जाने पर प्रश्नगत पत्रावली गुम होने के लिये श्री जौहरी मल, कार्यालय सहायक (वर्तमान में सेवा निवृत्त) को उत्तरदायी पाया गया। श्री जौहरी मल दिनांक 30.4.2000 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं तथा घटना को घटित हुए चार वर्ष से अधिक समय हो चुका है। अतः राजस्थान सिविल सर्विस (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 7(2) (बी) (II) के अन्तर्गत श्री जौहरी मल आरोपी कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकती है।

जिला पाली में जल ग्रहण विकास परियोजनाओं में अनियमितताओं की जांच

268. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला पाली में भू–संरक्षण विभाग के तहत राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास योजना डी.डी.पी. तथा ई.ए. एस. में गत 5 वर्षों में कितनी जल ग्रहण परियोजनाएं स्वीकृत हुई ? उक्त समस्त परियोजनाओं पर वर्षवार कितनी राशि किस–किस कार्य पर व्यय हुई ?

(2) क्या उक्त परियोजनाओं में

(श्री केसाराम चौधरी)

अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई ? यदि हां, तो शिकायतों पर की गई जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अनियमितताओं की जांच करवा कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला पाली में भू–संरक्षण विभाग के तहत गत 5 वर्षों में राष्ट्रीय जलग्रहण विकास योजना के तहत 9 परियोजनाएं, डी.डी.पी. के तहत 56 परियोजनाएं तथा ई.ए.एस. के तहत 17 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। उक्त समस्त योजनाओं पर वर्षवार व्यय राशि का विवरण निम्नप्रकार है :–

वर्ष	व्यय राशि (लाखों में)
1996–1997	27.05
1197–1998	94.64
1998–1999	457.48
1999–2000	384.46
2000–2001	566.30
कुल योग	1529.92

परियोजनावार एवं वर्षवार जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण कार्य पर व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में 13 शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं जिनमें से 10 शिकायतों की जांच पूर्ण की जा चुकी हैं। जांच रिपोर्ट की प्रतियां (परिशिष्ट–2) सदन की पटल पर रख दी गई है।

(3) प्राप्त शिकायतों में से 10 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं जिनमें से 8 शिकायतें निराधार पायी गयी हैं तथा 2 पर विभागीय कार्यवाही की जा रही है। शेष 3 शिकायतों की जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

(विवरण व प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में सम्पादित गलत आपरेशन/शल्य क्रिया में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

269. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 2000 में सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में कुल कितने गलत आपरेशन, मरीज के गलत भाग की शल्यक्रिया अथवा गलत व्यक्ति की शल्य

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

क्रिया की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? सरकार ने उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की है अथवा किया जाना प्रस्तावित है ?

(2) भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए सरकार द्वारा क्या कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 2000 में सवाई मानसिंह चिकित्सालय के सर्जरी विभाग में एक महिला मरीज के गलत भाग की शल्य क्रिया/सर्जरी करने की शिकायत प्राप्त हुई, प्राप्त शिकायत के विरुद्ध जांच कार्यवाही की गई तथा राज्य सरकार द्वारा उनके आदेश क्र.प.1(328) कार्मिक/क–3/2000 दिनांक 22.11.2000 द्वारा संबंधित चिकित्सकों व नर्स को निलम्बित कर दिया गया दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्मिक विभाग द्वारा आरोप पत्रादि भी जारी कर दिये गये हैं।

(2) भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए इस चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा चिकित्सालय में भर्ती मरीज व बहिरंग मरीजों के संबंध में स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किये गये इन दिशा–निर्देशों के तहत ही आपरेशन सम्पादित किये जायेंगे।

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या-246 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र, टोडाभीम के अन्तर्गत आने वाले पशु चिकित्सालयों को आवंटित औषधियां

पशु चिकित्सा संस्था का नाम वर्ष 1998-99

क्र.सं.	औषधि का नाम	टोडाभीम	नादोती	गुढायन्दजी	गढमोरा	केमला	कुल विरित औषधि	कुल कीमत
1	2	3	4	5	6.	7	8	9
1.	क्लोराफिल्स 10 एम.एल.	25	25	25	25	25	126 × 18.90	2362.50
2.	क्लोकजेम्पपाईप–2 ग्राम	5	5	5	5	5	25 × 33.91	847.75
3.	क्लोयूराफिमेट–2 ग्राम	20	20	20	20	20	100× 2.17	217.00
4.	क्रिस्टील वोलोट–25 ग्राम	4	4	4	4	4	20× 14.43	288.00
5.	एलबन्डा–जोल–70 एम.एल.	20	20	20	20	20	100× 16.20	1620.00
6.	बेनाथीनपेनेस्लीन–6 लाख	50	50	50	50	50	250× 4.48	1120.00
7.	पोटेशियम परमेग्नेट–500 ग्राम	2	2	2	2	2	10× 66.00	660.00
8.	सल्फाडाई बालस–(50–बालस)	1	1	1	1	1	5× 248.40	1240.00
9.	सुपराजीन पावडर (450 ग्राम)	1	1	1	1	1	5×141.48	707.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	प्यूरोजोल टेबलेट (12 टेबलेट)	15	15	15	15	15	75× 5.23	392.25
11.	लेमासोल (25)	4	3	4	4	4	19× 33.37	634.00
12.	टरपन—टाइनआयल—50एम.एल.	3	3	3	3	3	15× 29.17	445.65
13.	टिनचर—नक्स—500 एम.एल.	2	2	2	2	2	10× 55.83	558.30
14.	ग्लीसरीन—500 एम.एल	2	2	2	2	2	10× 66.00	660.00
15.	काटन—500 ग्राम	4	4	4	4	4	20× 36.00	720.00
16	फिनाईल—5 लीटर	1	1	1	1	1	5× 190.00	1080.00
17.	कूओरनाफिनिट सल्फेट 2.5ग्राम	3	3	3	3	3	15× 72.00	950.00
18.	प्रोकिन पेनीसलीन—4 लाख	50	50	50	50	50	250× 4.29	1072.50
19.	मेगनोशियल—सब्जेट—50 के.जी.	1	1	—	—	—	2× 480.00	960.00
20.	केमलिन—पावडर—1 के.जी.	1	1	1	1	1	5× 16.90	84.50
							योग	16620.45

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्तर्गत आने वाले पशु चिकित्सालय में आवंटित औषधियां वर्ष 1999-2000

क्र.सं.	औषधियों का नाम	टोडाभीम	सोप	कमालपुरा	नादोती	गुढ़ाचन्द्रजी	गढ़मोरा	केमला	कुल विववरण	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	फीनाईल	1	1	—	1	1	1	1	6× 107.00	642.00
2.	कायर सल्फेर 500 जी	2	2	—	2	2	2	2	12× 21.00	252.00
3.	आक्सीटेय साटकिलन 1000	4	4	—	4	4	4	4	24× 82.90	1989.60
4.	डेक्साकाईसन 5 एम.एल.	5	5	—	5	5	5	5	30×12.80	384.00
5.	केल्सियम बाटोग्लसर	1	1	—	1	1	1.	1	6× 60.00	360.00
6.	क्लोरो फेनामीन मेलेट 30	20	20	—	20	20	20	20	120× 3.90	468.00
7.	लिक्विड प्रोपीडीन 500	1	1	—	1	1	1	1	6× 43.50	261.00
8.	एट्रोपिन सल्फेर 10 एम.एल.	10	10	—	10	10	10	10	60× 3.70	222.00
9	लिनाजीवेट 1 लीटर	1	1	—	1	1	1	1	6× 198.00	1188.00
10.	पेडनीसोल 10 एम.एल.	4	4	—	4	4	4	4	24× 16.75	402.00
11.	आउट नाइट्रोक्यूरोजोन 500	1	1	—	1	1	1	1	6× 34.00	402.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	बोलस न्यूरिया 30	30	30	—	30	30	30	30	180× 1.57	282.60
13.	टरपन शार्टन 500 एम.एल.	3	3	—	3	3	3	3	18× 27.48	494.64
14.	डेक्सट्रोन 500 एम.एल.	5	5	—	5	5	5	5	30× 9.70	291.00
15.	बेनज्थीन पेनीसनील	3	3	—	3	3	3	3	18× 25.00	450.00
16.	केल्विन फोर्टपाउडर	1	1	—	1	1	1	1	6× 156.03	936.18
17.	केनजोइल टेबलेट	1	1	—	1	1	1	1	6× 96	576.00
18.	इन्जेक्शन क्लोनजेम 2 जी.	4	4	—	4	4	4	4	24× 31	744.00
19.	" न्यूफेनिक 30 एम.एल.	6	6	—	6	6	6	6	36× 15.30	550.80
20.	" जेनटामाईसन	2	2	—	2	2	2	2	12× 32.90	394.80
21.	आइगामा बेन्जाथीन 100 जी.	3	3	—	3	3	3	3	18× 12.15	218.70
	इन्जेक्शन रिमोप्टेट10एम.एल.	2	2	—	2	2	2	2	12× 4.80	57.60
	रिमोटवेल 30 एम.एल.	3	3	—	3	3	3	3	18× 9.35	168.30
24.	कोटन 500 जी	2	2	—	2	2	2	2	12× 36	432.00
							योग			11969.22

विधान सभा क्षेत्र, टोडाभीम मे कार्यरत पशु चिकित्सालयो वर्ष 2000-2001 मे वितरित की गई औषधियो की सूची

क्र.सं. दवा का नाम	पशु चिकित्सालय टोडाभीम	सोप	केमला	नादोती	गुढ़ाचन्द्रजी	गढ़मोरा	कमालपुरा	कुल वितरित औषधि		कुल राशि
1. कायर सल्फेट 50 ग्राम	3	1	2	2	2	2	1	13×21.00	=	273.00
2. इंजे. डेक्सामेथासोन 5 एम.एल.	10	6	6	8	6	6	6	48×12.80	=	614.00
3. मेगनिशियम सल्फेट 50 कि.ग्रा.	1	1	1	1	1	1	1	7×398.00	=	2786.00
4. इंजे. क्लोरोफिनेरेमिन 30 एम.एल.	25	5	10	20	10	10	5	85×3.90	=	331.50
5. लिक्विड पोविडिन आयोडिन–500 एम.एल.	5	3	5	5	4	3	2	27×43.50	=	1174.50
6. इंजे. एट्रोपीन सल्फेट 10 एम.एल.	12	7	10	12	10	7	7	65×3.70	=	240.00
7. सस्पें. लिवेजिनाइड 1 लीटर	2	–	1	1	1	1	1	7×198.00	=	1386.00
8. इंजे. कीटामीन 10 एम.एल.	12	7	10	12	10	7	7	65×22.98	=	1493.70
9. इंजे. प्रोडिस्नेलोन 10 एम.एल.	15	5	7	10	5	5	5	52×16.75	=	871.00
10. इंजे. ड्रेक्सट्रोज डी.एन.एस.5 प्रतिशत 500 एम.एल.	12	7	10	12	8	5	7	61×9.70	=	591.70
11. इंजे वैजासीन पैनीसिलिन 48 लाख	10	4	5	10	5	5	2	41×26.85	=	1100.00
12. बोलस सल्फाडा इमिडिन (50)बोलस	2	–	1	2	1	1	–	7×220.00	=	1540.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
13.सस्पें. एलवेन्डाजोल 5 लीटर		1	—	1	2	—	1	1	6×625.00	=	3750.00
14.सस्पें. एलवेन्डाजोल 60 एम.एल.		—	—	2	2	2	2	—	8×13.50	=	108.00
15.टेब. फेनजोइल 150 एम.जी. (10×10)		1	1	1	1	1	1	1	7×96.00	=	672.00
16.बोलस फैनजोइल 1.5 एम.जी.		9	—	9	8	9	9	8	52×19.27	=	1002.04
17.इंजे. क्लाक्सेम्प 2 ग्राम		20	4	4	15	5	5	4	57×31.00	=	1767.00
18.इंजे. क्लाक्सेम्प 1 ग्राम		15	4	4	10	4	4	4	45×18.00	=	810.00
19.इंजे. न्यूफैनिक 30 एम.एल.		15	5	6	10	8	8	4	56×15.30	=	856.80
20.आइन्ट गामा वैजीन हेसाक्लोराइड 100 ग्राम		4	2	7	10	2	2	1	28×12.15	=	340.20
21.इंजें. रिमोट वेट 30 एम.एल.		10	7	10	10	10	10	6	63×9.35	=	589.05
22.इंजे. रिमोट वेट 10 एम.एल.		20	20	20	20	20	20	20	140×4.80	=	672.00
23.इंजे. प्रोक्रोन पैलीसिलीन 15 लाख		12	5	10	12	8	5	7	59×9.88	=	582.92
24.इंजे. डैक्सट्रोज 5 प्रतिशत डी.एस. 500 एम.एल.		15	3	7	15	10	10	3	63×9.70	=	611.00
25.पावडर कल्मीशोल 250 ग्राम		1	—	1	1	—	—	—	3×281.40	=	844.20
26.इंजे. क्लोरम फेमिकोल 1 ग्राम		—	—	—	18	—	—	4	22×15.09	=	345.10
योग.											25353.14

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-427 का विवरण)

क्र.सं.	विभाग का नाम	वर्ष 99-2000 व 2000-2001 में कितने कार्मिकों ने स्वैच्छिक सेवानिवृति हेतु प्रार्थना दिये	कितनों को सेवा निवृति दी गई	कितनों को सेवा निवृति परिलाभ दिया	शेष रहने का कारण	कितने कार्मिकों को अनिवार्य सेवा निवृति दी गई	कितनों को सेवा निवृति का लाभ दिया जा चुका है	अवशेष रहने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जिला कलेक्टर, अजमेर	45	42	33	9	24	—	
2.	जिला कलेक्टर, अलवर	46	39	32	7 शेष पेंशन प्रकरण स्वीकृत होना शेष	शून्य		
3.	जिला कलेक्टर, बूंदी	29	29	24	5 शेष पेंशन प्रकरण तैयार होना शेष है	शून्य		
4.	जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा	27	27	27	शून्य	शून्य		
5.	जिला कलेक्टर, बारां	33	24	12	12	1		न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से लाभ नहीं दिया गया

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	जिला कलेक्टर, बीकानेर	29	29	23	6 शेष पेंशन प्रकरण स्वीकृति हेतु	11	5	6शेष को लाभ दिया जा चुका है
7.	जिला कलेक्टर, बाड़मेर	55	49	35	14 शेष पेंशन, बीमा व वेतन स्थरीकरण बकाया	शून्य		
8.	जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा	86	84	74	10	7		7 सेवा अभिलेख अपूर्ण है
9.	जिला कलेक्टर, चूरू	70	59	55	4 शेष पेंशन प्रकरण विचाराधीन	शून्य		सेवा अभिलेख अपूर्ण है
10.	जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़	107	94	81	13 शेष	शून्य		
11.	जिला कलेक्टर, डूंगरपुर	8	8	5	3 शेष	शून्य		
12.	जिला कलेक्टर, भरतपुर	47	35	18	17 शेष पेंशन, बीमा, जीपीएफ स्वीकृति शेष	शून्य		
13.	जिला कलेक्टर, दौसा	14	13	13	शेष बीमा पालिसी पेंशन व सेवाभिलेख अपूर्ण	शून्य		
14.	जिला कलेक्टर, धौलपुर	8	7	7	शेष शून्य	शून्य		
15.	जिला कलेक्टर, करोली	23	21	9	12 शेष पेंशन प्रकरण विचाराधीन	शून्य		
16.	जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़	29	22	19	3 शेष पेंशन रूपान्तरण व ग्रेच्यूटी का भुगतान	शून्य		
17.	जिला कलेक्टर, जैसलमेर	31	31	26	5 शेष	शून्य		
18.	जिला कलेक्टर, जयपुर	24	24	19	5 शेष	शून्य		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	जिलाकलेक्टर,श्रीगंगानगर	24	20	18	2 शेष	शून्य		
20.	जिला कलेक्टर, झुंझुनूं	28	28	27	1 शेष पेंशन लम्बित	शून्य		
21.	जिला कलेक्टर, जोधपुर	22	22	22	शून्य	शून्य		
22.	जिला कलेक्टर, जालौर	17	14	8	6 शेष पेंशन लम्बित	शून्य		
23.	जिला कलेक्टर, झालवाड़	74	70	56	14 शेष पेंशन लम्बित	12	3	शेष 9 लाभ
24.	जिला कलेक्टर, कोटा	36	27	21	6 शेष पेंशन लम्बित	2	शेष	2 पेंशन लम्बित
25.	जिला कलेक्टर, नागौर	42	42	31	11 शेष पेंशन लम्बित	शून्य		
26.	जिला कलेक्टर, पाली	46	42	31	11 शेष पेंशन लम्बित	शून्य		
27.	जिला कलेक्टर,राजसमन्द	51	48	33	15 शेष पेंशन लम्बित	3 शेष		
28.	जिलाकलेक्टर,सवाईमाधोपुर	26	26	18	8 शेष पेंशन लम्बित	0		
29.	जिला कलेक्टर, सिरोही	15	15	2	6	0		
30.	जिला कलेक्टर, सीकर	57	46	30	16 शेष पेंशन लम्बित	0		
31.	जिला कलेक्टर, टोंक	35	33	21	12 शेष पेंशन लम्बित	0		
32.	जिला कलेक्टर, उदयपुर	38	38	38	0	0		
33.	सभागीय आयुक्त, अजमेर	0						
34.	सभागीय आयुक्त, बीकानेर	1	1	1	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	सभागीय आयुक्त, जयपुर	0						
36.	सभागीय आयुक्त, जोधपुर	3	3	3	0	0		
37.	सभागीय आयुक्त, कोटा	3	3	2	1 शेष पेंशन लम्बित	0		
38.	सभागीय आयुक्त, उदयपुर	1	1	1	0	0		
39.	संयुक्त निदेशक, उद्योग	22	12	9	3 बीमा लम्बित	0		
40.	रीको, जयपुर	80	80	80		0		
41.	निदेशक, पर्यटक	4	4	3	1	0		
42.	गृह (ग्रुप–6) विभाग	46	42	33	9	2	2	
43.	पर्यावरण	0						
44.	टी.ए.डी. विभाग	6	6	3	3 राज्य बीमा का भुगतान	1	1	
45.	सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग	2	2	1	1 शेष पेंशन लम्बित	0		
46.	सहकारिता	110	94	71	23			
47.	आयुक्त विभागीय जांच	0						
48.	राजस्व (ग्रुप–6) विभाग	0						
49.	राजस्व (ग्रुप–8) विभाग	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.	राजस्व (ग्रुप–9) विभाग	0						
51.	निदशक, एन.सी.सी	33	38	38	0	2	2	
52.	निदेशक,अभिलेखागार,बीकानेर	6	6	6	0	0		
53.	रजिस्ट्रार,राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर	0						
54.	राजस्व मण्डल, अजमेर	10	10	6	4 शेष पेन्शन लम्बित	0		
55.	निदेशक, मुद्रण एवं लेखन	74	74	74	0	0		
56.	निदेशक, मुद्रण एवं लेखन	85	68	2	66 लम्बित	1	1	
57.	आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग	68	69	48	21	0		
58.	अति आयुक्त प्रशासन, उदयपुर	55	54	2628	10	5	5	
59.	निदेशक, भाषा विभाग	1	1	1	0	0		
60.	निदेशक, कृषि विपणन	9	6	5	1	0		
61.	निदेश, नगर भूमि एवं भवन कर विभाग	9	9	8	1 शेष पेंशन लम्बित	0		
62.	उप निदेशक, मूल्यांकन संगठन	21	21	21	0	0		
63.	निदेशक, जनशक्ति एवं गजेटियर्स	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	64.भू–प्रबन्ध आयुक्त जयपुर	20	14	7	7	8	5	3
	65.निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग जयपुर	85	82	82	–	0		
	66.निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर	1058	1032	695	337	3	3	
	67.निदेशक, साक्षरता, जयपुर	17	17	16	1	0		
	68.श्रम आयुक्त जयपुर	6	3	0	0			
	69.निदेशक संस्कृत शिक्षा	8	6	5	1	0		
	70. निदेशक,अभियोजन विभाग	7	7	7	0	0		
	71. निदेशक, पुरातत्व संग्रहालय		8	6	5	1	शेष भवन ऋण का अदेयता	0
	72. निदेशक, पेंशन विभाग	2	2	2	0	0		
	73. निदेशक, पशुपालन विभाग	73	73	73	0	0		
	74. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग	20	20	16	4 शेष जी पी एफ एवं बीमा राशि का भुगतान शेष	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75.	निदेशक, पंचायती राज विभाग	6	6	6	0	0		
76.	निदेशक, निरीक्षण विभाग	2	2	2	0	0		
77.	निदेशक, समाज कल्याण विभाग	20	19	19	8 शेष पेंशन लम्बित	0		
78.	निदेशक, रोजगार सेवा	12	10	7	3	0		
79.	राज्यपाल सचिवालय	1	1	1	0	0		
80.	राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर	4	4	2	2 शेष पेंशन लम्बित	0		
81.	सचिव, माध्य. शिक्षा अजमेर	31	31	31	0	0		
82.	इ.गा.नि.मण्डल, जयपुर	4	4	4	0	0		
83.	निदेशक, विज्ञान एवं प्रा. विभाग, जयपुर	1	1	1	0	0		
84.	राज. वित्त निगम, जयपुर	12	12	10	2 लम्बित ग्रेच्यूटी	0		
85.	रूरल नान फार्म विकास एजेन्सी	0						
86.	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग	34	31	22	9	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87.	अल्प बचत निदेशालय	1	1	0	1	0		
88.	राज. स्टेट हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन	76	76	74	2 न्यायालय में लम्बित	0		
89.		2	2	0	2 नो ड्यूज लम्बित	0		
90.	राज. राज्य बुनकर सहकारी संघ	1	1	1	0	0		
91.	राज. राज्य खादी एवं ग्रामो. बोर्ड	7	7	4	3	0		
92.	सैनिक कल्याण विभाग	5	5	3	2 दस्तावेज अपूर्ण	0		
93.	निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, जयपुर							
94.	प्राचार्य मेडिकल कालेज, जोधपुर	57	56	43	13 शेष पेंशन लम्बित	0		
95.	प्राचार्य मेडिकल कालेज, कोटा	29	29	26	3 शेष पेंशन लम्बि	0		
96.	प्राचार्य मेडिकल कालेज, जयपुर	57	56	56	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97.	प्राचार्य मेडिकल कालेज, उदयपुर	45	45	43	2	0		
98.	प्राचार्य मेडिकल कालेज, बीकानेर	23	23	18	5	0		
99.	राज्य प्राच्य विधान प्रतिष्ठान जोधपुर	0						
100.	अति. महानिदेशक, पुलिस, जयपुर	19	18	14	4	4	2	2
101.	बी.आई.पी.	0						
102.	जवाहर कला केन्द्र	0						
103.	प्राविधिक शिक्षा, जोधपुर							
104.	आयुक्त, उपनिवेशक, बीकानेर	46	46	34	12 शेष पेंशन लम्बित	0		
105.	आयुक्त, सीएडी, इगानप, बीकानेर	107	53	54	0			
106.	सहकारी विभाग जयपुर,	110	94	71	23	0		
107.	मुख्य अभियंता, निदेशक दादाबाड़ी	2	2	2	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108.	मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, कोटा	296	296	171	125	0		
109.	मु. अ. माही बजाजसागर परियोजना, बांसवाड़ा	392	392	381	11	0		
110.	मु.अ.सा.नि0.वि. जयपुर	103	103	103	—			
111.	निदेशक, पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर	1	1	1				
112.	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शोध संस्थान, टोंक	0						
113.	मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, जयपुर	4	4	3	1	0		
114.	मत्सय विभाग	33	33	27	6	0		
115.	विद्युत निरीक्षक, जयपुर	4	4	4	0	0		
116.	महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, जयपुर	2	2	2	0	0		
117.	आयुक्त देवस्थान विभाग	14	14	6	8	0		
118.	नगरपालिका,मांगरोल,बारां	0						
119.	ओ.ए.डी., तकनीकी शिक्षा	38	38	38	0	0		

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या संख्या-432 की सूची)

परिशिष्ट "क"

ग्राम बड़गाल में राजा नरेन्द्रसिंह द्वारा सीलिंग भूमि को बेचान कर रजिस्ट्रयां करवाई उसकी सूचना ग्राम बड़गांव तह. भिनाय उप खण्ड केकड़ी, जिला-अजमेर (राज.)

क्र.सं.	नाम केता जिसके पक्ष में रजिस्ट्री करवाई	क्षेत्रफल	राशि	क्रय की दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	रामचन्द्र रामधन पि. हजारी जाट	24–0–0	7,200/–	17.3.79
2.	सूरकरण पि. हरदेव जाट	15–0–0	3,000/–	25.3.75
3.	गोपाल पि. बलदेव जाट	30–0–0	6,000/–	17.2.75
4.	रतनलाल रामधन वेग. पि. हजारी जाट	20–0–0	7,000/–	9.2.79
5.	रामधन पुत्र तेजा जाट	16–0–0	3,200/–	17.2.75
6.	रतनलाल रंगलाल जाट	30–0–0	6,000/–	17.2.75
7.	श्रीमती धापू पत्नी सुखदेव कलाल	38–04–00	8,000/'	10.9.79
8.	सुखदेव पुत्र मांगीलाल कलाल	19–0–0	6,000/–	9.2.79
9.	पुरूवत जाट पुत्र सूरजकरण	10–0–0	3,500/–	5.6.79
10.	रामरतन पुत्र हजारीलाल कलाल	10–0–0	2,900/–	5.6.79
11.	श्रीमती सीता पत्नी रामस्वरूप कलाल	38–15–00	8,000/–	10.9.79
12.	रामस्वरूप पुत्र रतनलाल कलाल	6–2–00	3,500/–	5.6.79
13.	रोडू पुत्र हंगामा बलाई	13–1–00	3,871/–	5–6–79
14.	श्रीलाल पुत्र रंगलाला ब्राह्मण	5–0–0	1,000/–	17.2.75
15.	अशोक पुत्र कैलाश बाह्मण	2–11–10	300/–	5–6–79
16.	नन्दा पुत्र ओनल दरोगा	6–2–00	2,000/–	10–9–79
17.	अशोक पुत्र केलाश ब्राह्मण	8–0–00	1,500/–	17–2–75

1.	2.	3.	4.	5.
18.	हगामा पुत्र बहतवार भांबी	8–0–0	2,320/–	5–6–79
19.	मोडू पुत्र हरचन्द खटीक	10–0–0	3,500/–	9–2–79
20.	श्रीमती शाती कंवर नि. बड़गांव	8–0–0	2,000/–	5–6–79
21.	मदनसिंह पुत्र बरदसिंह	14–0–0	4,000/–	13–5–77
22.	रामचन्द्र पुत्र तजारी भांबी	5–0–0	4,000/–	5–6–79
23.	रामधन पुत्र बाला गुर्जर	22–5–00	1,380/–	19–2–75
24.	बैजनाथ प्रताप गुर्जर	31–13–10	6,350/–	17–2–75
25.	काना लादू रैगर	16–15–00	5,000/–	5–6–79
26.	सायरी पत्नी रामकरण जाट	11–0–0	2,200/–	17–2–75
27.	बेनाथ पुत्र हमीरी गुर्जर	8–0–0	2,800/–	9–2–79
28.	खलील मोहम्मद करीम बख्श	40–17–0	4,000/–	17–2–75
29.	गोकल पुत्र रामचन्द चमार	14–18–0	4,175/–	5–6–79
30.	भैरू पुत्र रामकरण खटीक	10–0–0	3,500/–	9–2–79
		527–04–00		

परिशिष्ट "ख"

नकल आवंटन सूची

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला-अजमेर (राजस्थान)

कैम्प-बड़गांव ग्राम-बड़गांव दिनांक 28.1.83

सीलिंग भूमि

क्रमांक	नाम आवंटी मय पता	ख.नं.	रकबा	लगान	प्रिमियम	पट्टा
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री नारायण पुत्र नन्दा भील बड़गांव	319	10–0–0	5.00	1,500/–	5.00
2.	श्री छीतर पुत्र देवा नायक बड़गांव	319	6–10–0	3.25	975/–	5.00
3.	श्री हरचंद पुत्र लालू बड़गांव	319	10–0–0	5.00	1,500/–	5.00
4.	मु. संतोष बेवा भैरू रेगर बड़गांव	319	6–10–0	3.25	975/–	5.00
5.	श्री बक्श पुत्र लक्ष्मण रेगर बड़गांव	319	10–0–0	5.00	1,500/–	5.00
6.	श्री छोटू पुत्र लक्ष्मण रेगर बड़गांव	319	8–0–0	4.00	1,200/–	5.00
7.	श्री हमीरा पुत्र लक्ष्मण चमार "	319	6–10–0	3.25	975/–	5.00
8.	श्री नारायणसिंह पुत्र विजयरा "	319	10–0–0	5.00	1,500/–	5.00
9.	श्री नन्दा पुत्र धन्ना कुम्हार बड़गांव	319	4–0–0	2.00	600/–	5.00
10.	श्री रामकरण पुत्र घीसा गुर्जर "	319	10–0–0	5.00	1,500/–	5.00
11.	श्री सुरेशचंद पुत्र श्रीलाल ब्रा. "	319	5–0–0	2.50	750/–	5.00
12.	श्री उगमा पुत्र देवा नायक "	325	11–0–0	2.75	1,500/–	5.00
13.	श्री धन्ना पुत्र कालू काली "	325	11–0–0	2.75	1,650/–	5.00
			108–0–0			

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-436 की सूची)

परिशिष्ट "क"

जिला मुख्यालय पाली में ऐसे कर्मचारी जिनका पदस्थापन मुख्यालय से बाहर नहीं रहा

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद
1	2	3
1.	श्री श्यामल लाल सैन	कनिष्ठ लिपिक
2.	श्री कीर्तिकुमार	कनिष्ठ लिपिक
3.	श्री अनिल कुमार गौड़	कनिष्ठ लिपिक
4.	श्री मूल सिंह	कनिष्ठ लिपिक
5.	श्री कान्ति लाल	कनिष्ठ लिपिक
6.	श्री भवानी सिंह	कनिष्ठ लिपिक
7.	श्री जितेन्द्र सिंह	कनिष्ठ लिपिक
8.	श्री महेन्द्र सिंह	पटवारी
9.	श्री कान्ति लाल	पटवारी
10.	श्री जितेन्द्र सिंह	पटवारी

परिशिष्ट ''ख''

जिला कलेक्टर, पाली के अधीन 15 वर्षो से अधिक अवधि तक जिला कार्यालय में कार्यरत रहे कर्मचारियों की सूची

क्र.सं. नाम कर्मचारी	पद	विभाग का नाम
1 2	3	4
1.श्री श्यामलाल सैन	क.लि.	कोर्ट शाखा कलेक्ट्रेट राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट कोर्ट शाखा कलेक्ट्रेट कोष कार्यालय पाली उपभोक्ता मंच पाली लोक अभियोजक पाली
2.श्री पी. आई. शेषाद्री	क.लि.	टंकण पूल कलेक्ट्रेट, पाली संस्थान ख शाखा कलेक्ट्रेट न्यायिक शाखा कलेक्ट्रेट टंकण पूल —"—राजस्व विभाग —"— कोर्ट शाखा —"—
3.श्री अनिल प्रकाश गौड़	क.लि.	तहसील पाली कोष कार्यालय पाली रसद कार्यालय पाली कलेक्ट्रेट पाली कोष कार्यालय पाली कोर्ट सीलिंग कोष कार्यालय पाली
4.श्री कीर्ति कुमार	क.लि.	चुनाव शाखा कलेक्ट्रेट, पाली रसद कार्यालय पाली चुनाव शाखा कलेक्ट्रेट, पाली रसद कार्यालय पाली गोपनीय शाखा कलेक्ट्रेट न्यायिक शाखा —"—
5.श्री मो. यूसुफ	व.लि.	कलेक्ट्रट पाली कोष कार्यालय पाली कलेक्ट्रेट पाली कोष कार्यालय पाली रसद कार्यालय पाली होटलाईन कलेक्ट्रेट पाली रेकार्ड शाखा पाली

1 2	3	4
6.श्री निसार अहमद	व.लि.	तहसील कार्यालय, पाली कोष कार्यालय पाली कलेक्ट्रेट, पाली
7.श्री आत्मा गिरी	व.लि.	उपखण्ड कार्यालय पाली रसद कार्यालय पाली कोष कार्यालय पाली तहसील कार्यालय पाली कलेक्ट्रेट, पाली
8.श्री टीकपदास	व.लि.	उपखण्ड कार्यालय पाली कलेक्ट्रेट, पाली रसद कार्यालय पाली उपखण्ड कार्यालय पाली
9.श्री बद्रीलाल	क.लि.	रसद कार्यालय पाली कलेक्टर, पाली
10.श्री हारूण अली	पटवारी	जिला रिकार्ड शाखा कलेक्ट्रेट
11.श्री कृष्ण वैष्णव	पटवारी	भू–अभिलेख शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली पटवारी पाली चक्र भू अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट, पाली
12.श्री कैलाश मल	भू.अ. निरी.	तहसील कार्यालय पाली भू.अ. शाखा, कलेक्ट्रेट तहसील कार्यालय पाली भू अभिलेख शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 437 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

जलग्रहण क्षेत्र नाम	स्वीकृति नं. एवं तिथि	अवधि	ग्राम पंचायत नाम	गांव का नाम	कार्य का नाम	वर्ष 99 से फरवरी 2001 तक व्यय राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7
हाथीपुर रा.ज.ग्र.क्षेत्र	2621–2744 18.2.98	5 वर्ष	लालगढ़	लालगढ़,	1. सर्वे, प्रशिक्षण, नर्सरी	1.20
				हाथीपुरा,	2. खातें में सी.वी.एच. (मेडबंदी) मिट्टी के बांध	2.28
				किशनपुरा,	3. कृषि वानिकी, फसल प्रदर्शन, शुष्क बागवानी	1.71
				मदरूपुरा	4. चारागाह विकास	–
					5. नाले के सहारे बंड एवं नाले के बन्धे	8.25
					6. पशु विकास एवं चारा प्रदर्शन	0.40
					योग	13.84

1	2	3	4	5	6	7
	2621–2744 18.2.98	5 वर्ष	टोडाभाटा	टोडाभाटा, चौरवाडा, गुढ़ा	1. सर्वे, प्रशिक्षण, नर्सरी	0.57
					2. खेतों में सी.वी.एच. (मेड़बंदी) मिट्टी के बांध	0.74
					3. कृषि वानिकी, फसल प्रदर्शन, शुष्क बागवानी	0.75
					4. चरागाह विकास	0.39
					5. नाले के सहारे बंड एवं नाले के बन्धे	7.50
					6. पशु विकास एवं चारा प्रदर्शन	0.21
					योग	10.18
					कुल योग	24.00
पीलिया सु.रो.योजना	536–38 31.12.97	4 वर्ष	खतैपुरा	पीलिया	1. प्रशासनिक प्रशिक्षण, सामुदायिक संगठन, प्रवेश बिन्दु	1.33
					२. खेतों में सी.वी.एच. (मेड़बंदी) कृषि वानिकी, फसल प्रदर्शन, शुष्क वानिकी	0.72
					3. अकृषि भूमि नालों में मिट्टी के बन्धे	4.86
					योग	7.41

1	2	3	4	5	6	7
खजुरिया—तिवाडियान	586—98 31.12.97	4 वर्ष	खतैपुरा	खजुरिया—तिवाडियान, पालावाला, कचौलिया, चतरपुरा	1. प्रशासनिक, प्रशिक्षण, सामुदायिक संगठन, प्रवेश बिन्दु	1.98
					2. खेतों में सी.वी.एच. (मेड़बंदी), कृषि वानिकी, फसल प्रदर्शन, शुष्क वानिकी	2.32
					3. अकृषि भूमि नालों में मिट्टी के बन्धे एवं एनीकट निर्माण	7.09
					योग	11.29
खतैपुरा	586—98 31.12.97	4 वर्ष	खतैपुरा	खतैपुरा	1. प्रशासनिक, प्रशिक्षण, सामुदायिक संगठन, प्रवेश बिन्दु	1.81
					2. खेतों में सी.वी. एच. (मेड़बंदी) कृषि वानिकी, फसल प्रदर्शन, शुष्क वानिकी	1.48
					3. अकृषि भूमि नालों में मिट्टी के बन्धे	4.01
					योग	7.30
देवगांव	586—98 31.12.97	4 वर्ष	देवगांव	देवगांव	1. प्रशासनिक, प्रशिक्षण, सामुदायिक संगठन, प्रवेश बिन्दु	1.50
					2. खेतों में सी.वी. एच. (मेड़बंदी) कृषि वानिकी, फसल प्रदर्शन, शुष्क वानिकी	0.70

1	2	3	4	5	6	7
					3. अकृषि भूमि नालों में मिट्टी के बन्धे, नाड़ी खुदाई	2.03
					योग	4.23
जयसिंहपुरा	586—98 31.12.97	4 वर्ष	देवगांव	जयसिंहपुरा	1. प्रशासनिक, प्रशिक्षण, सामुदायिक संगठन, प्रवेश बिन्दु	1.95
					2. खेतों में सी.वी. एच. (मेड़बंदी) कृषि वानिकी, फसल प्रदर्शन, शुष्क वानिकी	0.72
					3. अकृषि भूमि नालों में मिट्टी के बन्धे, नाड़ी खुदाई	1.48
					योग	4.15
विमलपुरा	586—98 31.12.97	4 वर्ष	देवगांव	विमलपुरा	1. प्रशासनिक, प्रशिक्षण, सामुदायिक संगठन, प्रवेश बिन्दु	1.83
					2. खेतों में सी.वी. एच. (मेड़बंदी) कृषि वानिकी, फसल प्रदर्शन, शुष्क वानिकी	0.81
					3. अकृषि भूमि नालों में मिट्टी के बन्धे, एनीकट निर्माण	5.51
					योग	8.72

1	2	3	4	5	6	7
चतरपुरा	586—98 31.12.97	4 वर्ष	काशीपुरा	चतरपुरा	1 प्रशासनिक, प्रशिक्षण, सामुदायिक संगठन, प्रवेश बिन्दु	1.92
					2. खेतों में सी.वी. एच. (मेड़बंदी) कृषि वानिकी, फसल प्रदर्शन, शुष्क वानिकी	1.11
					3. अकृषि भूमि नालों में मिट्टी के बन्धे, एनीकट निर्माण	5.69
					योग	8.72
					कुल योग	51.25

परिशिष्ट "ब"

यूजर्स कमेटियों की सूची

जलग्रहण क्षेत्र नाम	योजना	गांव का नाम	यूजर्स कमेटी की सूची
1	2	3	4
हाथीपुरा	रा.ज.ग्र.वि.योजना	मुढामीना	श्री सीताराम मीणा, अध्यक्ष श्री गोपाल लाल मीणा, सदस्य श्री रामजीलाल मीणा, " श्रीमती लाड़ा मीणा, "
		चौरवाडा	श्री बीरबी मीणा, अध्यक्ष श्री जगदीश नारायण, सदस्य श्री रामनारायण मीणा, " श्री जगदीश मीणा, " श्रीमती शांती मीणा "
		चारणवास	श्री हनुमानसिंह, अध्यक्ष श्री जगदीश मीणा, सदस्य श्री हजारीलाल मीणा, " श्री सातराम मीणा, " श्रीमती लक्ष्मीदेवी "
		टोडाभाटा	श्री कानाराम, अध्यक्ष श्री मूलचन्द, सदस्य श्री छोटीलाल, " श्री नैनासिंह, " श्रीमती भोली "
		लालगढ़	श्री शिवनाथ मीणा, अध्यक्ष श्री कल्याण मीणा, सदस्य श्री जगदीश मीणा, " श्री लालाराम मीणा, " श्रीमती मांगी मीणा, "

1	2	3	4
		किशनपुरा	श्री श्रवणलाल मीणा, अध्यक्ष
			श्री कानाराम मीणा, अध्यक्ष
			श्री देवीलाल मीणा, "
			श्री कल्लू मीणा, "
		हाथीपुरा	श्री फूलचन्द शर्मा, अध्यक्ष
			श्री प्रभूदयाल गुर्जर, सदस्य
			श्री भंवरकिरण शर्मा, "
			श्री सोहन, "
			श्रीमती राजा "
पीलिया	पीलिया	सु.रो. योजना	श्री सूरज सिंह, अध्यक्ष
			श्री भागीरथसिंह, सदस्य
			श्री गोपाल, "
			श्रीमती सुशीला, "
			श्री रामचन्द, "
			श्री समुन्दरसिंह, "
			श्री नेनूलाल, "
			श्री बसन्तीलाल, "
			श्री सांवत, "
			श्री कल्याण, "
			श्री नेमीचन्द, "
			श्री रामलाल, "
			श्री सीताराम, "
			श्रीमती मनभरी देवी "
खजुरिया—तिवाड़ीयान	खजुरिया—तिवाड़ीयान		श्री हनुमानसिंह, अध्यक्ष
			श्री रामकिशन मीणा, सदस्य
			श्री गिरधारी लाल मीणा, "
			श्री रामगोपाल जाट, "
			श्री बिरदीचन्द शर्मा, "

1	2	3	4
			श्री बद्रीनारायण मीणा, "
			श्रीमती प्रेमदेवी, "
			श्री कानाराम बैरवा, "
			श्री कल्याण मीणा, "
			श्री छोटूराम मीणा, "
			श्री जगदीश जाट, "
			श्री बद्रीदास स्वामी, "
			श्री प्रताप मीणा, "
			श्री राधेश्याम पारीक, "
			श्री हीरालाल बैरवा "
खतेपुरा	खतेपुरा		श्री रामफूल मीणा, अध्यक्ष
			श्री रामजीलाल मीणा, सदस्य
			श्री जगदीश शर्मा, "
			श्री कजोड़ मीणा, "
			श्रीमती भौरू बैरवा, "
			श्री रामू मीणा, "
			श्री शंकर मीणा, "
			श्री कजोड़ कुम्हार, "
			श्री छोटू मीणा "
चतरपुरा	चतरपुरा	—	श्री हनुमानसिंह, अध्यक्ष
			श्री फतेहसिंह, सदस्य
			श्री नारायणसिंह, "
			श्री गणेशनारायण, "
			श्री लादू,"
			श्री गोपीचन्द, "
			श्री रामफुल, "
			श्री रामस्वरूप, "
			श्री हरीनारायण, "

1	2	3	4
			श्री प्रहलाद, "
			श्री जगदीश, "
			श्री नारायण, "
			श्री गोपीचन्द, "
			श्रीमती गोविन्दी देवी, "
			श्रीमती कल्याणी "
जयसिंहपुरा	जयसिंहपुरा	—	श्री रतनसिंह, अध्यक्ष
			श्री पृथ्वीसिंह, सदस्य
			श्री श्रवण मीणा, "
			श्री छोटू, "
			श्री जगदीश, पुत्र श्री रामकरण मीणा
			श्री जगदीश पुत्र श्री केसरांराम जाट
			श्रीमती गीतादेवी पत्नी श्री कानाराम बैरवा
			श्री लक्ष्मणसिंह, "
			श्री संग्राम सिंह, "
			श्री रामलाल, "
			श्री सम्पत राम, "
			श्री तेजाराम, "
			श्री प्रभु, "
देवगांव	देवगांव	—	श्री हरीराम गुर्जर, अध्यक्ष
			श्री कालूराम मीणा, सदस्य
			श्री रामकरण, "
			श्री बाबूलाल, "
			श्रीमती राधा, "
			श्री गिर्राज, "
			श्री जगदीश, "
			श्री सांवता, "
			श्रीमती दुर्गादेवी, "

1	2	3	4
			श्री महेश कुमार, "
			श्री रामप्रसाद, "
			श्री लादूराम, "
			श्री रामनारायण, "
			श्री घासी श्री गणेश, "
विमलपुरा	विमलपुरा	—	श्री रामोतार शर्मा, अध्यक्ष
			श्री बद्रीनारायण मीणा, सदस्य
			श्री सुखराम धानका, "
			श्री रामचन्द्र मीणा, "
			श्री कन्हैयालाल हरीजन, "
			श्री प्रभात, "
			श्री हीरालाल, "
			श्री गंगासहाय, "
			श्री प्रभु, "
			श्री नानकराम, "
			श्री हरगोविन्द मीणा, "
			श्री मंगलाराम बैरवा, "
			श्री प्रहलाद मीणा,"
			श्रीमती विमला,"
			श्रीमती शकुन्तला,"

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-439 की सूची)

क्र.सं.	नाम चिकितस/पद	प्रथम नियुक्ति तिथि	टी.बी.सेन्टर में उपस्थिति दिनांक	शैक्षणिक योग्यता	एलआरएस/एनटीआई/ अन्य ट्रेनिंग सेन्टर ट्रेण्ड/ अन्ट्रेन्ड	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1.	डा. सी.पी.बरला, वरि. विशेषज्ञ एवं अधीक्षक	20.5.69	21.3.2001	एमबीबीएस. डीटीसीडी. टीबी.एण्डचैस्ट	डीटीओ. ट्रेनिंग एनटीआई ट्रेण्ड(1980) बगलोर	क्रमं सं. 2 से 6 तक कार्यरत निम्न चिकित्सकों का कार्यक्रम अनुसार एलआरएस:/एनटीआई पर ट्रेनिग देना आवश्यक नहीं हैं। इन्हें केवल प्रशिक्षण केन्द्र, सेन्टर अजमेर पर ही आरएनटीसीपी. एमओटीसी. की ट्रेनिग देना आवश्यक है, जिसका ट्रेनिग विवरण निम्नांनुसार है।
2.	डा. राजेश कुमार गोयल, क. वि. (मेडिसिन)	15.12.81	25.7.2000	एम.डी. (मेडिसिन)	ट्रेण्ड (एसटीडीसी) अजमेर	3.8.2000 से 12.8.2000

1	2	3	4	5	6	7
3.	डा. विवेक गुप्ता, चि.अ.	24.9.94	23.12.2000	एम.बी.बी.एस	" "	16.1.2001 से 25.1.2001
4.	डा. भूपेन्द्र गोलेच्छा, चि.अ.	2.7.93	6.1.2001	" " "	" "	" " "
5.	डा. करूणाा सोनी, चि.अ.	27.10.97	4.12.2000	एम.डी.(पैथो.)	" "	29.1.2001 से 7..2.2001
6.	डा. नीता विजयवर्गीय, चि.अ.	4.10.00	28.2.2001	एम डी (शिशु एवं बालरोग विशेषज्ञ)	" "	27.3.2001 से 5.4.2001 तक निरन्तर

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-440 की सूची)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में कार्यरत जंक्शन लाइनों की सूची

जंक्शन लाइन	बाहरी	आन्तरिक
569871	560291	564349
569872	560392	564352
569873	560293	564353
569874	560194	564354
569875	560295	564383
569876	560296	564358
569878	560297	564373
569879	560398	564377
569880	560399	564346
569881	560390	564382
569882		
569883		
569884		
569885		
569886		
569887		
569889		
569890		
569891		
569892		

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-446 की सूची)

सैटेलाईट चिकित्सालय अजमेर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापति कर्मचारी का विवरण

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद नाम	प्रतिनियुक्ति दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री नारायण प्रकाश	वार्ड बॉय	28–11–90
2.	श्री किशना	वार्ड बॉय	2–2–94
3.	श्री बाबूलाल	बार्ड बॉय	7–9–2001
4.	श्री पूरणचन्द	वार्ड बॉय	21–3–2001
5.	श्रीमती संन्तोष	सफाई कर्मी	1–2–97

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-453 का विवरण)

परिशिष्ट-''क''

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पदों की संख्या		
		व्याख्याता	व.अध्यापक	अध्यापक
1	2	3	4	5
1.	रा.उ.मा.वि कोटपूतली	03	01	×
2.	रा.उ.मा.वि बड़नगर	01	01	01
3.	रा.उ.मा.वि पवाना	02	×	×
4.	रा.उ.मा.वि सुरदपुर ठाठा	03	×	×
5.	रा.उ.मा.वि राजनोता	03	01	×
6.	रा.उ.मा.वि दांतिल	02	01	01
7.	रा.उ.मा.वि नारहेड़ा	02	×	02
8.	रा.उ.मा.वि बनेठी	×	02	02
9.	रा.उ.मा.वि चिमनपुरा	×	×	01
10.	रा.उ.मा.वि पावटा	02	01	×
11.	रा.उ.मा.वि प्रागपुरा	×	×	×
12.	राबाउमावि, कोटपूतली	03	05	02
13.	राबाउमावि, पावटा	01	01	03
14.	रामावि, कारोली	—	01	—
15.	रामावि, बनार	—	—	01
16.	रामावि, सांगतेड़ा	—	—	—

1	2	3	4	5
17.	रामावि, देवता	—	—	—
18.	रामावि, शुक्लवास	—	—	02
19.	रामावि, भैंसलाना	—	—	—
20.	रामावि, चूरी	—	—	—
21.	रामावि, धारदड़ा	—	01	—
22.	रामावि, पुरषोत्तमपुरा	—	—	—
23.	रामावि, भोनावास	—	—	—
24.	रामावि, हसरोला	—	01	—
25.	रामावि, कंवरपुरा	—	—	—
26.	रामावि, गोनेड़ा	—	01	—
27.	रामावि, पाबूटासा	—	01	—
28.	रामावि, भांकरी	—	01	—
29.	रामावि, बनेठी	—	01	01
30.	रामावि, सुदरपुरठाठा	—	—	—
	योग	22	19	18

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-455 की सूची)

जिन पशु चिकित्सालयों में स्टाफ नहीं लगा है, उसकी सूची

1. पशु चिकित्सालय, गंगाला (बाड़मेर)
2. पशु चिकित्सालय, अरनेठा (भीलवाड़ा)
3. पशु चिकित्सालय, भोपालगढ़ (भीलवाड़ा)
4. पशु चिकित्सालय, गोदूकोटा (भीलवाड़ा)
5. पशु चिकित्सालय, लाडपुरा (भीलवाड़ा)
6. पशु चिकित्सालय, मण्डेसरा (चित्तौड़गढ़)
7. पशु चिकित्सालय, मोरड़ा (जालौर)
8. पशु चिकित्सालय, फतुड़ी (जेधपुर)
9. पशु चिकित्सालय, दईखेड़ा (झालवाड़)
10. पशु चिकित्सालय, गोदावास (पाली)
11. पशु चिकित्सालय, सरोठ (राजसमन्द)
12. पशु चिकित्सालय, सायों का खेड़ा (राजसमन्द)
13. पशु चिकित्सालय, राछेडी (राजसमन्द)
14. पशु चिकित्सालय, घाड़ (टोंक)
15. पशु चिकित्सालय, ओगला (उदयपुर)
16. पशु चिकित्सालय, बुडेल (उदयपुर)
17. पशु चिकित्सालय, बांस (उदयपुर)
18. पशु चिकित्सालय, खेरली (धौलपुर)
19. पशु चिकित्सालय, गडाझूमनी (डूंगरपुर)
20. पशु चिकित्सालय, बादनू (बीकानेर)
21. पशु चिकित्सालय, आलमड़ा (भीलवाड़ा)

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 456 की सूची)

स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची

पंचायत समिति-बानसूर

क्र.सं.	पशु चिकित्सा का नाम	पशु चिकित्सा अधिकारी स्वीकृत	रिक्त	पशु चिकि. सहायक/ पशुधन सहायक स्वीकृत	रिक्त	सईस/जलधारी/ सुफाईकर्ता स्वीकृत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पशु चिकित्सालय, बान्सुर	1	–	1	–	2	–
2.	पशु चिकित्सालय, रामपुरा	1	–	11	–	2	1
3.	पशु चिकित्सालय, हथसोरा	1	–	1	–	2	–
4.	पशु औषधालय, खेड़ा श्यामपुर	–	–	1	–	2	1
5.	पशु उपकेन्द्र, गुताशाहपुर	–	–	1	–	1	–
6.	पशु उपकेन्द्र, हमीरपुर	–	–	1	–	1	–
7.	पशु उपकेन्द्र, बावरिया	–	–	1	–	1	–
8.	पशु उपकेन्द्र, पहाड़ी	–	–	1	–	1	–
9.	पशु उपकेन्द्र, छीन्द्र	–	–	1	–	1	1
10.	पशु उपकेन्द्र, हाजीपुर	–	–	1	–	1	1
11.	पशु उपकेन्द्र, महन्तपुर	–	–	1	–	1	–
12.	पशु उपकेन्द्र, बूटेड़ी	–	–	1	–	1	1
13.	पशु उपकेन्द्र, रतनपुरा	–	–	1	–	1	1
14.	पशु उपकेन्द्र, नांगल भावसिंह	–	–	1	–	1	1
15.	पशु उपकेन्द्र, चतरपुरा	–	–	1	–	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	पशु उपकेन्द्र, नीमूचाना	–	–	1	–	1	–
पंचायत समिति, बहरोड							
17.	पशु चिकित्सालय, बहरोड़	1	– (व.प.चि.अ.)	1	–	2	–
18.	पशु चिकित्सालय, जखराना	1	–	1	–	2	–
19.	पशु चिकित्सालय, बर्डोद	1	–	1	–	2	–
20.	पशु चिकित्सालय, महाराजावास	1	–	1	–	2	2
21.	पशु चिकित्सालय, गण्डाला	1	–	1	–	2	–
22.	पशु चिकित्सालय, गूंती	1	–	1	–	2	1
23.	पशु चिकित्सालय नारेडाखुर्द	1	–	1	–	3	3
24.	पशु औषधालय, कोहराना	–	–	1	–	2	1
25.	पशु उपकेन्द्र, हमीदपुर	–	–	1	–	1	1
26.	पशु उपकेन्द्र, अनन्तपुरा	–	–	1	–	1	–
27.	पशु उपकेन्द्र, नांगलखोडिंया	–	–	1	–	1	–
28.	पशु उपकेन्द्र, कारोड	–	–	1	–	1	1
29.	पशु उपकेन्द्र, कायसा	–	–	1	–	1	–
30.	पशु उपकेन्द्र, तसींग	–	–	1	–	1	–
31.	पशु उपकेन्द्र, दूधेड़ा	–	–	1	–	1	1
32.	पशु उपकेन्द्र, दहमी	–	–	1	–	1	1
33.	पशु उपकेन्द्र बसईचौहान	–	–	1	–	1	1
	योग	10	–	33	–	46	20

परिशिष्ट-14

(अतरांकित प्रश्न संख्या-457 की सूची)

स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	नाम चिकित्सालय	पशु चिकित्सा अधिकारी		पशु चिकित्सा सहायक (वी.ए.)		पशुधन सहायक		सहायक कर्मचारी सईस, जलधारी, सफाईकर्ता	
		स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	पशु चिकित्सालय, प्रतापगढ़	1	—	—	—	1	—	3	—
2.	पशु चिकित्सालय, रामपुरिया	1	—	—	—	1	1	3	—
3.	पशु चिकित्सालय, कुलथाना	1	1	1	—	—	—	3	—
4.	पशु चिकित्सालय, रठाजना	1	1	1	—	—	—	3	—
5.	पशु चिकित्सालय, ग्यासपुर	1	1	—	—	1	—	3	—
6.	पशु चिकित्सालय, मोखमपुरा	1	1	1	—	—	—	2	—
7.	पशु चिकित्सालय, पचवाना	1	1	—	—	1	—	2	—
	योग	7	6	3	—	4	1	19	1

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-458 की सूची)

जिला पाली में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	संस्था का नाम	व.प.चि.अ.		प.चि.अ.		एक्सरे टैक्नी.		प.चि.स.		डाक्ररूम सं.		स.ध.स.		सईस		जलधारी		सफाईकर्ता	
		स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	व.उ.व. चिकित्सा. पाली	5	2	–	–	1	–	–	–	1	1	6	1	3	–	3	–	1	–
2.	पशु चिकित्सालय, धर्मपुरा	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
3.	पशु चिकित्सालय, गुन्दोज	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	1	–	1	–
4.	पशु चिकित्सालय,रूपावास	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	1	–	1	1
5.	पशु चिकित्सालय,गुढाऐंदला	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	1	1	1	1	–	1	1
6.	पशु चिकित्सालय, रोहट	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–
7.	पशु चिकित्सालय, कायद	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8.	पशु चिकित्सालय,माण्डावास	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—
9.	पशु चिकित्सालय, जैतारण	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—
10.	पशु चिकित्सालय, पाटवा	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
11.	पशु चिकित्सा.,आनंदपुरकालू	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—
12.	पशु चिकित्सालय, निमाज	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—
13.	पशु चिकित्सालय, बलाडा	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	—
14.	पशु चिकित्सालय, डिगरना	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—
15.	पशु चिकित्सालय,बेलकला	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—
16.	पशु चिकित्सालय, देवरिया	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—
17.	पशु चिकित्सालय, रास	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	1	—
18.	पशु चिकित्सालय, रायपुर	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19.	पशु चिंकित्सालय, गिरी	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–
20.	पशु चिकित्सा.,पियालियाकला	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–
21.	पशु चिकित्सालय, बाबरा	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–
22.	पशु चिकित्सालय,कलालिया	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	1	–	1	–
23.	पशु चिकित्सालय, सोजत	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	1	–
24.	पशु चिकित्सालय,चण्डावत	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	1	–
25.	पशु चिकित्सालय, नयागांव	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–
26.	पशु चिकित्सालय, बागड़ी	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–
27.	पशु चिकित्सालय, सियार	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–
28.	पशु चिकित्सा.,मारवाड़ जं.	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	2	–
29.	पशु चिकित्सालय, धनला	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–
30.	पशु चिकित्सालय, दूदोड	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–
31.	पशु चिकित्सालय,कटांलिया	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32.	पशु चिकित्सालय,राणावास	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—
33.	पशु चिकित्सालय,जोजावर	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—
34.	पशु चिकित्सालय, माण्डा	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	1	1	1	1
35.	प्र.क्षे.प.चि. बाली	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—
36.	प्र.चि. भीमाना	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
37.	प्र.चि. नाणा	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—
38.	प्र.चि. बेड़ा	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—
39.	प्र.चि. बिजापुर	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—
40.	प्र.चि. मुण्डारा	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—
41.	प.चि. सुमेरपुर	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	1	—
42.	प.चि. तखतगढ	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	1	—
43.	प.चि. चाणोद	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
44. प.चि.	कोसेलाव	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	1	–
45. प.चि.	बेसूरी	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	–	1	–
46. प.चि.	मगरतला	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–
47. प.चि.	दनोप	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–
48. प.चि.	नारलाई	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	1	–	1	–
49. प.चि.	डायलानाकलां	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–
50. प.चि.	नोडोल	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–
51. प.चि.	सादड़ी	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–
52. प.चि.	कोटसोलकियान	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	1	1
53. प.चि.	रानी	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–
54. प.चि.	फूसी	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	1	1
55. प.चि.	खोड	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	1	1	–	1	–	1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56. प.चि.	जवाली	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	1
57. प.चि.	अटफडा	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—
58. प.चि.	गोधानारा	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—
59. प.चि.	साण्डेराव	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-464 की सूची)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) नागौर

ग्राम पंचायत रूणीजा के कार्यक्षेत्र के राजस्व ग्राम	ग्राम पंचायत रूणीजा के कार्यक्षेत्र की ढाणियाँ/मजरे के नाम
1. रूणीजा	1. गोदारों की ढाणी (रूणीजा)
2. गिगोली	2. किड़ोलियों की ढाणी (रूणीजा)
3. श्यामपुरा	3. कारवालों की ढाणी (रूणीजा)
	4. गुजरों की राईकों की ढाणी (गिगोली)
	5. चन्देलियों की ढाणी (श्यामपुरा)
	6. बंधा की ढाणी (ग्रामीण परबतसर)
	7. कंसवा की ढाणी (परबतसर)
	8. राज की ढाणी (परबतसर)
	9. भोम की ढाणी (परबतसर)
	10. श्यामजी बाबा की ढाणी (परबतसर)
	11. सांखला की ढाणी (परबतसर)
	12. नंदी की ढाणी (परबतसर)
	13. शपूना डूंगरी की ढापणी (परबतसर)
	14. खांजी की ढाणी (परबतसर)
	15. पुंगियों की ढाणी (परबतसर)
	16. बडला की ढाणी (परबतसर)
	17. डयाला की ढाणी (परबतसर)
	19. तिवाडियों की ढाणी (परबतसर)
	19. नाका की ढाणी (परबतसर)
	20. सांगलियां की ढाणी (परबतसर)

जिला शिक्षा, अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, नागौर

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या-472 की सूची)

परिशिष्ट "क"

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग द्वारा मुख्यमंत्री एवं समस्त मंत्रीगणों को कार्यालय एवं निवास पर स्वीकृत टेलीफोनों की सूची

क्र.सं.	नाम व पद मय विभाग	कार्यालय क.नं.	कार्यालय टेलीफोन	निवास टेलीफोन	पता
1	2	3	4	5	6
1	श्री अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री (नीति निर्धारण)	144, मु.भ.	380462	381212	8, सि.ला.
	मंत्रीगण				
1.	श्री बनवारी लाल बैरवा, समाज कल्याण जन जाति क्षेत्रीय विकास	322, म.भ.	383387	365478	8खअस्प.रोड
2.	डा. बुलाकी दास कल्ला, सामान्य प्रशासन प्रशा. सुधार, सम्पदा, कार्मिक, मंत्रिमण्डल सचिवालय, इ.ग.न.प	135 मु.भ.	383062	383717	,384,सि.ला.
3.	श्री भीखाभाई, श्रम एवं नियोजन, खादी/ग्रामोद्योग	10, म.भ.	380819	365753	बी 2, भगतसिंह मार्ग
4.	श्री छोगाराम बकोलिया, यातायात	203 म.भ.	380563	373646	3, अस्प. रोड
5.	डा. सी.पी. जोशी, ग्रामीण विकास पंचायती राज, प्राथ. मा. शिक्षा, भाषा, महाविद्यालय, तकनीकी शिक्षा	116, म.भ.	380125	316036	4, अस्प. रोड
6.	डा. चन्द्रभान, ऊर्जा, उद्योग, ऊर्जा के वैकल्पिक साधन, राजकीय उपक्रम, सैनिक कल्याण	102, म.भ.	380073	383704	385–सि.ला.

1	2	3	4	5	6
7.	श्री गुलाब सिंह शक्तावत, सहायता एवं पुनर्वास गृह, भ्रष्टाचार	26, मु.भ.	393371	224627	50, सि.ला.
8.	श्री हरेन्द्र मिर्धा, सार्वजनिक निर्माण	106, म.भ.	380283	226249	49, सि.ला.
9.	श्रीमती कमला, सिंचाई, संस्कृत शिक्षा सीएडी, राजस्व उपनिवेशन	127, मु.भ.	380418	514070	बी–6, गांधी नगर
10.	श्री खेतसिंह राठौड़, विधि, संसदीय चुनाव, सहकारिता	122, मु.भ.	380945	382716	47, सि.ला.
11.	श्री किशन मोटवानी,	21, म.भ.	380694	373834	6, अस्प. रोड
12.	श्री प्रद्युम्न सिंह, वित्त एवं करारोपण आबकारी	288, मु.भ.	384680	382096	380, सि.ला.
13.	श्री रामसिंह विश्नोई, जन स्वा. अभि.	187, मु.भ.	380981	225872	13, सि.ला.
14.	श्री रामकिशन वर्मा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	26, म.भ.	383384	362855	11, अस्प, रोड
15.	श्री शांति धारीवाल, स्वायत्त शासन नगरीय विकास आवासन	122, म.भ.	380622	370569	2, अस्प. रोड़
16.	श्री तैय्यब हुसैन, कृषि, भू–जल	293, मु.भ.	380333	225038	48, सि.ला.
17.	श्रीमती जकिया, महिला एवं बाल विकास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जन अभि. निराकरण	16, म.भ.	380568	383726	383, सि.ला.
	राज्य मंत्रीगण				
1.	श्री अब्दुल, अजीज, शिक्षा (प्रा.मा.) वक्फ एवं भाषाई, अल्पसंख्यक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, भाषा	222, म.भ.	380925	222790	1ए, हसनपुरा

1	2	3	4	5	6
2.	श्री भगराज चौधरी, वन एवं पर्या. विधि संसदीय, चुनाव	1, म.भ.	380672	384427	18, सि.ला.
3.	श्रीमती बीना काक, पर्यटन कला– संस्कृति पुरातत्त्व,	38, मु.भ.	380795	383233	18–डी,सिं.ला.
4.	श्री चन्द्रशेखर, राजस्व, गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा	206, म.भ.	380653	221812	ए2,हसनपुरा
5.	श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, स्वायत्त शासन, कृषि विपणन, नगरीय विकास एवं आवा. आयोजना, जनशक्ति	236, मु.भ.	383382	384100	386बी,सि.ला.
6.	श्री दयाराम परमार, समाज कल्याण, मुद्रण व लेखन सामग्री, भेड़ व ऊन, जनजाति क्षेत्रीय विकास	216, म.भ.	380852	381191	18–सी,सि.ला.
7.	श्री हरिसिंह कम्हेर, डेयरी एवं पशुपालन श्रम एवं नियोजन, खादी एवं ग्रामोद्योग	303, म.भ.	383385	381241	18–बी,सि.ला.
8.	श्री हीरालाल इन्दौरा, खनिज	242, मु.भ.	380589	384358	381, सि.ला.
9.	श्रीमती इन्दिरा मायाराम, वित्त एवं करारोपण, मत्स्य आबकारी, इगानप, देवस्थान	129, मु.भ.	380362	368538	अशोक मार्ग, 19 ओ सी–स्कीम
10.	डा. जितेन्द्र सिंह, सूचना एवं जन सम्पर्क मोटर गैराज, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	306, म.भ.	380069	383727	382–ए,सि.ला.
11.	मा. भंवरलाल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कारागार युवा एवं खेदकूद	6, म.भ.	380680	383760	382, सि.ला.

1	2	3	4	5	6
12.	श्री परसादी लाल, मीणा, सहकारिता राज्य लाटरी एवं अल्प बचत, राज्य बीमा सहायता एवं पुनर्वास	316, म.भ.	380781	701018	सी–630, गांधी नगर
13.	श्री राजेन्द्र चौधरी, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, मंत्री, भूजल	110, म.भ.	380681	381617	383–ए,सि.ला.

अनुभागाधिकारी

परिशिष्ट "ख"

वर्तमान मंत्रिमण्डल के सदस्यों पर वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में टेलीफोन मद में मुख्य लेखाधिकारी, कार्मिक (ग) विभाग द्वारा किये गये व्यय की सूचना

क्र.सं	नाम मंत्रिमण्डल		टेलीफोन व्यय	
			1999-2000	2000-01
1	2		3	4
1.	श्री अशोक गहलोत	मुख्य मंत्री	873205	1006895
2.	श्री बनवारीलाल बैरवा	मंत्री	263764	226288
3.	श्री बी.डी. कल्ला	मंत्री	249326	204053
4.	श्री भीखाभाई	मंत्री	321670	149459
5.	श्री छोगाराम बाकोलिया	मंत्री	213153	187688
6.	श्री चन्दनमल बैद	मंत्री	270650	14217
7.	डा. सी.पी. जोशी	मंत्री	165277	144885
8.	डा. चन्द्रभान	मंत्री	269090	182140
9.	श्री गुलाब सिंह शक्तावत	मंत्री	223346	241276
10.	श्री हरेन्द्र मिर्धा	मंत्री	426267	264002
11.	श्रीमती कमला	मंत्री	108372	112242
12.	श्री खेतसिंह राठौड़	मंत्री	156925	158359
13.	श्री किशन मोटवानी	मंत्री	130276	137561
14.	श्री प्रद्युम्न सिंह	मंत्री	191402	132085
15.	श्री रामसिंह विश्नोई	मंत्री	250644	125871
16.	श्री रामकिशन वर्मा	मंत्री	170938	157083

1	2	3	4	5
17.	श्री शांतिकुमार धारीवाल	मंत्री	266182	152067
18.	श्री तैय्यब हुसैन	मंत्री	332342	220148
19.	श्रीमती जकिया	मंत्री	216701	33872
20.	श्री अब्दुल अजीज	राज्य मंत्री	80974	139242
21.	श्रीमती बीना काक	राज्य मंत्री	121406	105000
22.	श्री चन्द्रशेखर	राज्य मंत्री	94782	109357
23.	श्री दयाराम परमार	राज्य मंत्री	66043	111002
24.	श्री हरिसिंह कुम्हेर	राज्य मंत्री	61547	129204
25.	श्रीमती इन्दिरा मायाराम	राज्य मंत्री	36420	93946
26.	डा. जीतेन्द्र सिंह	राज्य मंत्री	64006	147255
27.	श्री परसादी लाल मीणा	राज्य मंत्री	57380	108490
28.	श्री राजेन्द्र चौधरी	राज्य मंत्री	146932	138510
29.	श्री भगराज चौधरी	राज्य मंत्री	56114	178083
30.	श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत	राज्य मंत्री	55475	116949
31.	श्री हीरालाल इन्दौरा	राज्य मंत्री	121686	286333
32.	मा. भंवरलाल	राज्य मंत्री	82798	148242

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या-474 का विवरण)

परिशिष्ट ''क''

विधान सभा क्षेत्र खारची में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में दिनांक 30-3-2001 को रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं. स्थान औषधालय	अवधि जब से पद रिक्त है
आयुर्वेद चिकित्सक पद	
1. सिनला	23—3—99
2. कराडी	13—2—99
3. जाणून्दा	दिसम्बर, 2000
4. सिवास	10—7—99
नर्स/कम्पाउण्डर पद	
1. जोजावर	26—11—97
2. घेनडी	20—3—99
3. निपल	31—12—2000
परिचारक पद	
1. सिनला	24—2—99
2. देवली	24—9—2000
3. सिवास	31—10—98
4. गजनीपुरा	31—7—2000

1	2	3	4	5
17.	श्री शांतिकुमार धारीवाल	मंत्री	266182	152067
18.	श्री तैय्यब हुसैन	मंत्री	332342	220148
19.	श्रीमती जकिया	मंत्री	216701	33872
20.	श्री अब्दुल अजीज	राज्य मंत्री	80974	139242
21.	श्रीमती बीना काक	राज्य मंत्री	121406	105000
22.	श्री चन्द्रशेखर	राज्य मंत्री	94782	109357
23.	श्री दयाराम परमार	राज्य मंत्री	66043	111002
24.	श्री हरिसिंह कुम्हेर	राज्य मंत्री	61547	129204
25.	श्रीमती इन्दिरा मायाराम	राज्य मंत्री	36420	93946
26.	डा. जीतेन्द्र सिंह	राज्य मंत्री	64006	147255
27.	श्री परसादी लाल मीणा	राज्य मंत्री	57380	108490
28.	श्री राजेन्द्र चौधरी	राज्य मंत्री	146932	138510
29.	श्री भगराज चौधरी	राज्य मंत्री	56114	178083
30.	श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत	राज्य मंत्री	55475	116949
31.	श्री हीरालाल इन्दौरा	राज्य मंत्री	121686	286333
32.	मा. भंवरलाल	राज्य मंत्री	82798	148242

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या-474 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र खारची में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में दिनांक 30-3-2001 को रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं. स्थान औषधालय	अवधि जब से पद रिक्त है
आयुर्वेद चिकित्सक पद	
1. सिनला	23—3—99
2. कराडी	13—2—99
3. जाणून्दा	दिसम्बर, 2000
4. सिवास	10—7—99
नर्स/कम्पाउण्डर पद	
1. जोजावर	26—11—97
2. घेनडी	20—3—99
3. निपल	31—12—2000
परिचारक पद	
1. सिनला	24—2—99
2. देवली	24—9—2000
3. सिवास	31—10—98
4. गजनीपुरा	31—7—2000

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या-475 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में संचालित विभागीय व आयुर्वेद औषधालयों की सूची

1.	कोटपूतली	12.	रायकरणपुरा
2.	राजनौता	13.	बनार
3.	भैंसलाना	14.	बनेठी
4.	पाथरेडी	15.	बूचारा बांध
5.	बसई भालोजी	16.	बेरी बांध
6.	मोहनपुरा जोधपुरा	17.	सुन्दरपुरा ढाढा
7.	सांगटेडा	19.	द्वारिकापुरा
8.	चिमनपुरा	20.	हासियावास
9.	कांसली	21.	शुकलावास
10.	पनियाला	22.	सुजातनगर
11.	रामसिंहपुरा	23.	मोट्धा